पंचम माला, खंड 47, अंक 24, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1974/26 अग्रहायण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLVII, No. 24, Tuesday, December 17, 1974/Agrahayana 26, 1896(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 21 से 27 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, मंगलवार, 17 दिसम्बर 1974/26 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 24, Tuesday, Dec. 17, 1974/Agrahayana 26, 1896 (Saka)

ता०प्र०संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
495	वर्मा शैल तथा कालटैक्स और सरकार द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य	Price of Crude Imported by Burmah Shell and Caltex and Government .	1
498	वर्कशापों में क्षमता वृद्धि	Increase in Capacities of Workshops .	4
500	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड का कार्यकरण	Working of Hindustan Antibiotics .	6
501	राज्यों को मिट्टी के तेल तथा डीजल का आवंटन	Allocation of Kerosene and Dieel to States	8
505	कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को लागू न करना	Non-Enforcement of Provisions of Companies Act . . .	11
508	औषध उत्पादन करने वाली सरकारी तथा विदेशी फर्में	Government and Foreign Firms Producing Drugs	12
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
	अ० सू० प्र० 2 संयुक्त राज्य अमरीका से उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers from U.S.A. .	14
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
496	मद्रास फर्टिलाइजर्स का अमोनिया संयंत्र	Ammonia Plant of Madras Fertilisers .	17
497	गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन	Elections to Gujarat Assembly	15
499	राजस्थान में रेलवे सम्पर्क	Railway Links in Rajasthan . .	18
502	उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग	Proceedings of High Courts in Hindi and Regional Languages	18
503	उद्योगों को पेट्रो-रसायन उत्पादों के वितरण के लिए मार्गदर्शी निदेश	Guidelines for Distribution of Petrochemical Products to Industries . .	19
504	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कम उत्पादन	Low production in Chittaranjan Locomotive Works	19
506	मैसर्स शा वैलेस एंड कम्पनी लिमिटेड को बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी	Sanction to Messrs Shaw Wallace and Company Limited for issuing Bonus Shares	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
507	तेल विकास बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Oil Development Board	20
509	रेलवे के सिगनल तथा दूरसंचार विभाग के निर्माण विंग में फालतू घोषित किये गये कमचारी	Staff Declared Surplus in Construction Wing of S & T Department of Railways	20
510	एक रसायन कारखाना स्थापित करने संबन्धी बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्ताव	Proposal from Bihar State for Setting up of a Chemical Factory . . .	21
511	वैगनों की कमी के कारण	Reasons for Shortage of Wagons .	22
512	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे दुर्घटना	Railway accident on N.E. Railway .	22
513	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में डीजल क्रेन खलासियों का पदोन्नतिक्रम	Channel of Promotion amongst Diesel Crane Khallasis, Delhi Division (Northern Railway)	22
514	कम्पनियों के निदेशकों को पारीश्रमिक की अदायगी	Payments of Remuneration to Company Directors	23
अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.			
4730	आई० डी० पी० एल० द्वारा एनलजिन का उत्पादन	Production of Analgin by IDPL	24
4731	राज्यों के कृषि तथा खाद्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Agriculture and Food Ministers	25
4732	बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप रेलवे वर्कशाप में उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Power Cut on Production in Railway Workshop . . .	25
4733	उत्कल एक्सप्रैस को सप्ताह में दो दिन चलाने के बजाय प्रतिदिन चलाया जाना	Conversion of Bi Weekly Utkal Express to Daily Express . . .	25
4734	डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के वितरण के बारे में पंजाब सरकार से सुझाव	Suggestions from Punjab Government regarding Distribution of Diesel Oil and Kerosene	26
4735	कोटा की रेलवे वर्कशाप का विस्तार	Expansion of Railway Workshop at Kota	27
4736	रेलवे में विलम्ब शुल्क और घाट भाड़ा शुल्क की माफी	Condoning of Demurrage and Wharfage Charges in Railways	27
4737	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Gujarat during Fourth Five Year Plan	28
4738	मध्य प्रदेश के खान क्षेत्रों में रेलवे लाइनें	Railway lines in Mine Areas of Madhya Pradesh	28
4739	उत्तर रेलवे में भूतपूर्व खाद्यान्न की दुकान के कमचारियों की वरीयता निर्धारित करना	Fixation of Seniority of Ex Grain Shop Staff Working in Northern Railways	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4740	भागलपूर जंक्शन में बरारी घाट तक मीटर गेज पर चलने वाली रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना	Cancellation of Metre Gauge Trains between Bhagalpur Junction to Barari Ghat	29
4741	राज्य व्यापार निगम तथा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमा हो रही आयातित औषधियां	Imported Drugs Pilling up with STC and IDPL	29
4742	गूटी से कल्लेन तक बड़ी लाइन के लिए मिट्टी डालने संबन्धी कार्य	Earth Work for Broad Gauge line from Gooty to Kallen .	31
4743	अशोधित तेल और गैस के भंडार तथा तेल की खोज	Crude Oil and Gas Reserves and Exploration for Oil	31
4744	झांसी में रेलवे वर्कशाप का विस्तार	Expansion of Railway Workshop at Jhansi	32
4745	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रेल वैगनों का निर्माण	Manufacturing of Railway Wagons in Public and Private Sectors . . .	33
4746	फर्टीलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर की कोचीन यूनिट के विस्तार के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Expansion of Cochin Unit of FACT	33
4747	दिल्ली-न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद	Reserved Posts for Scheduled Castes under Delhi Judicial Service	34
4748	पूर्वी रेलवे के गरहरा यार्ड में चोरी	Theft in Garahara yard on Eastern Railway	34
4749	भारतीय रेलवे में सैलूनों के रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on Maintenance of Saloons on Indian Railways	35
4750	मिराज नीलजी कुपवाद सिंचाई परियोजना को रेलवे लाइन के पार ले जाने के लिए मंजूरी	Permission for Miraj Nilji Kupewad Irrigation Scheme to Cross Railway Track	36
4751	ईरान के सहयोग के साथ उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants with Iranian Collaboration	37
4752	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का निपटाया जाना	Disposal of Applications for Licences by MRTP Commission . . .	37
4753	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा चलाये जाने वाले मुकद्मों का एकाधिकार गृहों द्वारा प्रतिरोध	Monopoly Houses Resisting Prosecution from MRTP Commission . . .	38
4754	संदिग्ध उपयोगिता वाली कीटनाशक औषधियां और रसायन	Pesticides and chemicals of Doubtful utility	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4756	देश में आयातित औषधियों का उत्पादन	Manufacture of Drugs now imported in the country	39
4757	तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, का कम्पनी सेक्रटरीशिप में डिप्लोमा	Diploma in Company Secretaryship of Directorate of Technical Education Delhi	39
4758	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 'वल्डिंग जनरेटिंग सेट' की चोरी	Theft of Welding Generating set from Chittaranjan Locomotive Works .	39
4759	हिंसा और तोड़-फोड़ के लिये न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराये गये कर्मचारी	Employees held guilty of Violence and Sabotage by Court	40
4761	गेहूं की हानि के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा दावा	Claim by FCI for Wheat Losses .	40
4762	मेट्टुप्पालयम-उटकमंड सेक्शन (दक्षिण रेलवे) को तमिलनाडु सरकार को सौंपना	Handing over of Mettupalayam Ootacamund section of Southern Railway to Tamil Nadu Government . .	41
4763	विभिन्न तेल शोधक कारखानों में शोधित किया जाने वाला देश में ही उत्पन्न एवं आयातित अशोधित तेल	Indigenous and imported Crude Oil Refined at Different Refineries . .	41
4764	बिहार की जेलों से सत्याग्रहियों की रिहाई	Release of Satyagrahis from Bihar Jails	41
4765	निष्ठावान कमचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि देने पर होने वाला खर्च	Financial implications for grants of Advance Increments to Loyal Workers	42
4766	बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाना आसाम में उत्पादन आरम्भ किया जाना	Production at Bongaigaon Refinery in Assam	42
4767	रेलवे के माध्यम से पारादीप पत्तन को लौह अयस्क का परिवहन	Transportation of Iron ore to Paradip Port through Railways . . .	42
4768	ऊटकमंड तथा मेंट्टूप्पालयम के बीच चलने वाली पर्वतीय रेल सेवा का बंद किया जाना	Stoppage of Mountain Rail Service between Ootacamund and Mettupalayam	43
4769	बहु-संदस्यीय चुनाव आयोग	Multi Member Election Commission .	43
4770	मारुति लिमिटेड के निदेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियां	Companies controlled by Directors of Maruti Limited.	44
4771	डी० एम० ओ० और डी० पी० ओ० धनवाद की असामाजिक गतिविधियां	Anti Social activities of DMO and DPO Dhanbad	44
4772	नकाब पोश युवकों द्वारा बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी को लूटना	Looting of Banda-Lucknow Express by Masked Youths . . .	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृ PAGES
4773	बंगलौर और गुंटकल के बीच ब्राड गेज लाइन	Broad Gauge Line between Bangalore and Guntakal	45
4774	निदेशकों के बोर्ड द्वारा डब्ल्यू०एच० ब्रेडी एंड कम्पनी को बेचना	Sale of W.H. Brady and Company by Board of Directors	45
4775	अदालती मुकद्मों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by Government in Court Cases	46
4776	दक्षिण मध्य रेलवे में इन्सपेक्टर ऑफ वर्क्स और असिस्टेंट इन्सेक्टर आफ वर्क्स की पदावनति/छंटणी	Revision/Retrenchment of IOW and AIOW (South Central Railway) .	46
4777	देश में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in the country	47
4778	रेल अधिनियम का संशोधन	Amendment of Railway Act . .	47
4779	बिलासपुर में चल रही इमदादी साईडिंग्स	Assisted sidings in operation in Bilaspur .	47
4780	दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षत्रों के बीच तेज गति वाली बिजली से चलनें वाली गाड़ियां चलाया जाना	Introduction of Fast running Electric Trains between Delhi and adjoining Areas	48
4781	कम्बाटा इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड बम्बई के निदेशकों को गारन्टी कमीशन का भुगतान	Payment of Guarantee Commission to Directors of Cambatta Industries Private Ltd., Bombay . . .	48
4782	सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूर यूनियनें	Trade Unions at Saharanpur Railway Station	49
4783	बिहार को डीजल तेल की सप्लाई	Supply of diesel oil to Bihar . .	49
4784	कटक-पारादीप रेल लिंक (दक्षिण पूर्व रेलवे) में लग नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of Casual labourers engaged on Cuttack-Pardeep Rail Link (South Eastern Railway) . . .	50
4785	गरपा रेल दुर्घटना कांड	Garpa Rail accident Scandal . . .	50
4786	कलकत्ता को पर्यटन केन्द्र दीघा से जोडना	Linking of Calcutta with Digha Tourist Centre	51
4787	नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई बंद करने का प्रस्ताव	Proposal to stop supply of petrol to Nepal	51
4788	नई दिल्ली से पार्सल डिपो ग्रांट रोड तक मशीनरी के नाम पर चावल भेजा जाना	Rice sent through consignment of machinery from New Delhi to Parcel Depot Grant Road	51
4789	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के खोज कार्य को गति देने के लिये विदेशी सहायता मांगना	Oil & NGC seeking foreign assistance to accelerate oil exploration . .	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4790	रेल कमचारियों द्वारा उत्पीड़न के मामले न्यायालय में ले जाना	Railwaymen proceeded to court against victimisation	52
4791	पूर्वोत्तर रेलवे की साहेबपुर-कमाल-मुंगेर घाट ब्रांच लाईन को हुई हानि	Loss incurred by sahabpur-Kamal-Monghyrghat branch line of N.E. Railway	53
4792	वर्ष 1974 के दौरान रेल कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि	Funds allocated for building quarters for Railway Staff during 1974 . .	53
4794	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे पार्सल कर्मचारियों द्वारा बम्बई को चावल की तस्करी	Smuggling of rice to Bombay by Parcel Staff working at New Delhi Station	53
4795	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में क्लर्कों के पदों पर गैर-मैट्रिक व्यक्तियों की नियुक्ति	Non Matriculates appointed against Clerical posts in CLW . . .	54
4796	कच्चे माल एवं औषध परीक्षण सुविधाओं के अभाव के बारे में ज्ञापन	Memorandum regarding Shortage of raw materials and drug testing facilities	54
4797	अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil .	55
4798	नय उपक्रम 'साल्ट वर्क्स' के लिये मैसर्स वल्लारपुर पेपर एंड स्ट्राबोर्डस लिमिटेड द्वारा अधिसूचना	Notification by M/s. Ballarpur paper and Straw Boards, Ltd., for new undertaking viz. 'Salt works' . . .	55
4799	गौंडा तथा बनगैन के बीच नया स्टेशन खोलने का अनुरोध	Request to open New Station between Gonda and Bangain . . .	56
4800	पूर्व रेलवे के बर्खास्त किये गये/हटाये गये कर्मचारियों का बहाल किया जाना	Reinstatement of dismissed/removed employees on Eastern Railway . .	56
4801	यात्रियों के लिये दिल्ली से बंगलौर के लिये अपर्याप्त रेल सेवा	Inadequate passenger train service from Delhi to Bangalore	57
4802	कलकत्ता ट्यूब रेलवे के बारे में रूसी दल का दौरा	Russian Team's visit in connection with Calcutta Tube Railway . . .	57
4803	'बिटूमन' निगम की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Bitumen Corporation	58
4804	ट्राम्बे स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के तेल शोधक कारखाने में आग लगने के कारण हुई हानि	Loss due to fire in Hindustan Petroleum Corporation Refinery at Trombay .	58
4805	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दस-वर्षीय परिसीमन	Decennial delimitation in States and Union Territories	59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4806	मैसर्स सीबा आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रुटीन का उत्पादन	Production of Rutin by M/s. CIBA of India Limited	60
4807	रेलवे हड़ताल के बाद बिना गार्ड तथा ब्रक-वैन के गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Trains without Guards and Brake Vans after the Railway Strike	60
4808	साबुन उद्योग के लिये 'मटनटैलो' की कमी	Shortage of Mutton Tallow for Soap Industry	61
4809	आई० डी० पी० एल० के कुछ कर्मचारियों को बहाल करने संबन्धी पंच फैसला	Arbitration Award for reinstatement of certain employees of IDPL . .	61
4810	मैसूर-बंगलौर मीटर गैज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Mysore-Bangalore Metre Gauge Line into Broad Gauge . .	62
4811	औषधियों की कमी	Shortage of Drugs	62
4812	कोयला ट्रेसर्स धनबाद के संबन्ध में अभ्यावेदन	Representation Regarding Coal Tracers, Dhanbad	63
4814	विशेष निर्यात रेलगाड़ियों से कम यात्रा में वस्तुओं का लदान	Carrying of Lesser Volume of Goods by Export Special Railways . . .	64
4815	रेल कर्मचारियों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा में कटौती	Cut in Free Railway Travel Facility to Railway Employees . . .	64
4816	सभी सवारी डिब्बों को प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों में बदलना	Conversion of all Coaches into I Class	64
4817	आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Adivasi Areas .	64
4818	पूर्वोत्तर क्षेत्र से अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude from North East Region	65
4819	गोदरा-झाबुआ होते हुये खंडवा रेलवे लाइन	Khandwa Railway Line via Godhra, Jhabua	65
4820	सीतापुर होते हुए कोरबा से विश्रामपुर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Korba to Vishrampur via Sitapur	65
4821	गोदिया जबलपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Godia-Jabalpur Metre Gauge Line into Broad Gauge Line .	66
4822	डिल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन	Dalli-Rajhara-Jagdalpur Railway Line	66
4823	भारतीय दवाईयों का निर्यात	Export of Indian Medicines . . .	66
4824	कानून की पुस्तकों का हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद	Translation of Law Books into Hindi and other Regional Languages . .	67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4825	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में दर्ज किये गये मामले	Cases filed with MRTP Commission .	68
4826	हिमाचल प्रदेश में आउट एजेंसियों का पुनः खोला जाना	Reopening of out-agencies in Himachal Pradesh	68
4827	कांगड़ा घाटी रेलवे में रेल मार्ग का निर्माण	Construction of alignment in Kangra Valley Railway	69
4828	चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार सम्बन्धी अध्ययन	Study of Electoral Reforms by Election Commission	71
4829	ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Diesel/Petrol Pumps in Rural Areas . . .	72
4830	वर्ष 1974 के दौरान कर्तव्य अवहेलना के लिये रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र देना	Railway Employees Charge-sheeted for Negligence of Duty during 1974 . .	72
4831	गाड़ियों में सीटों की संख्या के अनुसार टिकटें जारी करने का प्रस्ताव	Proposal to Issue of Tickets according to seats in Trains	72
4832	बीहपुर स्टेशन पर अपराधियों की गिरफ्तारी	Arrest of Criminals at Bihpur Station .	73
4833	एक्सेलशियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के प्रबंध निदेशक	Managing Director of excelsior Plants Corporation Limited Fridabad . .	73
4834	कुवैत में लुबरीकेटिंग आयल कम्पलैक्स के लिये इंजीनियरिंग तथा तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का प्रदान किया जाना	Engineering and Technical Consultancy Service for Lubricating Oil Complex in Kuwait	74
4835	"रेलवेज हैव नो पिटी आन लैगलैस हीरो" नामक शीर्षक से समाचार	Newsitem captioned 'Railways have no Pity on Legless Hero' . . .	75
4836	भरतपुर स्थित माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने को दिए गए आर्डर	Orders for Wagons placed with Wagon Factory at Bharatpur	75
4837	कम्पनी अधिनियम में अस्पष्ट उपबंध	Vague Provisions in Company's Act	75
4838	पांचवीं योजना अवधि के लिये गुजरात में नई रेलवे लाइनों के क्षेत्र	Areas for New Railway Lines in Gujarat for Fifth Plan Period . . .	76
4839	वैगनों की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों में माल का जमा हो जाना	Accumulation in Steel Plants due to Wagon shortage	77
4840	रेलवे को सीमेंट के स्लीपरों की सप्लाई	Supply of Cement Sleepers to Railways .	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4841	इंडियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज़ लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the Working of IDPL	78
4842	हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्ज़ लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the working of Hindustan Organic Chemicals Limited . .	79
4843	बिहार में लिमिटेड कम्पनियां	Limited Companies in Bihar . . .	79
4845	कुकिंग गैस निर्माता कम्पनियां	Cooking Gas Manufacturing Companies	79
4846	भारत में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियां	Foreign Oil Companies functioning in India	82
4847	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस्तेमाल न किये जा सकने योग्य घोषित की जा रही आयातित वार्निश के कारण हानि	Loss due to Imported Varnish being declared unusable at CLW . .	82
4848	अहमदाबाद-दिल्ली मेल का नाना रेलवे स्टेशन पर रुकना	Stoppage of Ahmedabad Delhi Mail at Nana Railway Station . . .	83
4849	प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री के फलस्वरूप रेल राजस्व में वृद्धि	Increase in Railway Revenue due to sale of Platform tickets . . .	83
4850	चुनावों में खर्चा कम करने के लिए विरोधी दलों के साथ बैठक	Meeting with Opposition Parties for reducing Election Expenditure . .	83
4851	शा वालैस कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन की सेवाअवधि बढ़ाना	Extension of Service of Chairman of Shaw Wallace & Co. Limited . .	83
4852	कलकत्ता की दो फर्मों का विलय	Merger of two Calcutta Firms . .	84
4853	बिड़ला द्वारा मैसर्स शा वालैस एंड कम्पनी लिमिटेड के बहुसंख्यक शेयरों का खरीदा जाना	Purchasing of Majority Shares in Messrs Shaw Wallace and Co. Ltd. by Birla .	84
4854	मैसर्ज किनसिन जूट कम्पनी लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताएं	Financial Irregularities in Messrs Kinnison Jute Co. Ltd.	85
4856	नई पैट्रोलियम तथा गैस ऐजेंसियाँ खोलना	Opening of New Petroleum and Gas Agencies	85
4857	रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के वेतन-मान	Pay Scales of Different Caterogies of Railway Employees	86
4858	बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters for Classes III and IV Staff at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras	86
4859	उत्तर-पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे के सिगनल तथा दूर संचारविभागों में मेन्टेनरों के लिये छुट्टी रिजर्व तथा रेस्ट गिवर कर्मचारी	Leave Reserve and Rest-giver Staff for Maintainers, S & T Department on Northern, North Eastern, Western, Southern and South Central Railways	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4860	जाली रेलवे रसीदों के आधार पर हार्ड कोक को ले जाना	Transportation of Hard Coke on Bogus Railway Receipts	87
4861	रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापस लेना	Withdrawal of Railway Employees Cases	88
4862	मध्य-पूर्व देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि	Increasing production of Crude by Middle East Countries . . .	88
4863	न्यायालय में अपील करने पर होने वाला खर्च तथा न्यायालय शुल्क में कमी	Expenditure involved in Appeal and Reduction of Court fees . . .	88
4864	कम्पनियों के सचिवों की नियुक्तियों के लिये "ओबजेक्टिव टैस्ट"	Objective Tests for Appointments of Companies Secretaries . . .	89
4865	मद्रास में द्रुत यातायात प्रणाली	Rapid Transit System in Madras	89
4866	दक्षिण रेलवे प्रेस वर्कशापों में टाईप धातु की कमी के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Shortage of Type Metal in Southern Railway Press Workshops	89
4867	संसत्सदस्यों द्वारा भेजी गई कर्मचारियों की शिकायतों का निबटारा	Disposal of Staff Grievances referred by M.Ps	90
4868	मद्रास में स्टोर डिपुओं में चोरी	Thefts in Store Depots in Madras . .	90
4869	साहू जैन तथा टाटा बन्धुओं के उद्योग समूहों को प्राथमिकता के आधार पर माल डिब्बों का आवंटन	Wagon Allotment on Priority Basis to Sahu Jain and Tata Group of Industries	91
4870	बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिए ईराकी कच्चा तेल	Iraqi Crude for Barauni Refinery .	91
4871	रेल कर्मचारियों में से लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोसीक्यूटरों) की नियुक्ति	Appointment of Public Procecutors from amongst Railway Employees . .	92
4872	कुछ तेल-उत्पादक देशों द्वारा कच्चा तेल उधार देने की पेशकश	Crude on Credit offered by some Oil Producing Country	92
4873	पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के कारण अतिरिक्त खर्च	Additional Expenditure due to upgradation of Posts	92
4874	बरारियाघाट-महेन्द्रघाट स्थित रेलवे घाट को गैर सरकारी ठेकेदारों को सौंपना	Handing over of Railway Ferry at Bararighat-Mahendrughat to Private contractors	93
4875	कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे देना वैध करना	Legalisation of Company Donations to Pol tical Parties	93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4876 गुजरात में धरंगधरा के नमक उद्योग को वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate wagon supply to salt industry of Dharangadhra in Gujarat	94
4877 ब्रिटेन के तट दूर तेल संस्थानों में भारतीय अधिकारियों का दौरा	Indian Officials' Visit to British Offshore Oil Installat ons	94
4878 परंतिज और तालोड तथा हिम्मत-नगर और परंतिज के बीच किराये में वृद्धि	Increase in Fare between Parantij and Taled and Himmatnagar and Parantij	95
4879 गुजरात की बेनिफिट और चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Benefit and Chit Fund Companies in Gujarat	95
4880 अपीलों पर रेल कर्मचारियों द्वारा भरे जा रहे बांड का पाठ	Text of Bond being signed by Railway Employees on Appeals	96
4881 आल इंडिया शा वालेस एम्पलाइज़ फैडरेशन ज्ञापन	Memorandum from All India Shaw Wallace Employees' Federation	97
4882 एस० एंड टी० ट्रेनिंग स्कूल, गाजियाबाद से परीक्षा पास करने वाले खलासियों की पदोन्नति	Promotion of Khalasis who passed Examination from S & T Training School Ghaziabad	98
4883 हाथी समिति द्वारा किये गये कार्य की प्रगति	Progress of Work done by Hathi Committee	98
4884 रैल बजट में कटौती का पश्चिम बंगाल पर प्रभाव	Effect of Cut in Railway Budget on West Bengal	99
4885 आप्टा-दासगांव रेल लाइन के लिए स्थान चयन सर्वेक्षण	Locational Survey of Apta-Dasaon Railway Line	99
4886 रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति को सहायता	Help to Railway Consumers Cooperative Society	100
4887 पूर्व रेलवे में अधिकारियों के पुत्रों/आश्रितों को रोजगार लाभ देने के कारण	Reasons for giving Benefit of Employment to Sons/Dependents of Officers in Eastern Railway	100
4888 बेजवाड़ा मद्रास लाइन पर विद्युतीकरण कार्य	Electrification work on Bezwada--Madras Line	101
4889 आर०डी०एस०ओ० लखनऊ के इंजीनियरों का विशेष वेतन बहाल करना	Restoration of Special Pay to Engineers of R.D.S.O. Lucknow	10
4890 महाराष्ट्र राज्य के रेल-कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Railway Employees in Maharashtra State	102
4891 मध्य रेलवे में प्लेट फार्म टिकटों की बिक्री से आय	Sale proceeds of Platform tickets on Central Railway	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4892	छितौनी-गण्डक नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Chhitauni-Gandak River	102
4893	औषधियों के वितरण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Distribution of medicines	103
4894	मारूति लिमिटेड, हरियाणा का निर्मित क्षेत्र तथा निर्माण लागत	Built up Area and Cost of Construction of Maruti Ltd. Haryana	103
4895	खड़खड़ी हातट से होने वाली आय	Revenues Earned at Khadkhadi Halt	104
4896	कंपनी कानून सेवा अधिकारियों की संख्या	Strength of Company Law Service Officers	104
4897	एकाधिकार वाले उद्योगों के मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपना	Reference to MRTP Commission of Monopoly Industries	105
4898	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदन पत्र	Application received under Sections 21, 22 and 23 of MRTP Act	106
4899	सरकार द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा जाना	Report under Section 61 of MRTP Act sought by Government	107
4900	भारतीय रेलों के विभिन्न डिवीजनों में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers working in various Division of Indian Railways	107
4901	पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to prevent Adulteration of Petrol and Diesel	107
4902	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में वैगनों की आवश्यकता	Requirement of Wagons at end of Fifth Five Year Plan	108
4903	पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of Petroleum Products	109
4904	पेट्रोलियम उत्पादों की मांग-पूर्ति के लिए अपेक्षित नए तेल शोधक कारखाने	New Refineries required to meet demand for Petroleum Product	109
4905	अठारबंकी से पारादीप पत्तन और कटक से रेल-संपर्क बनाने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Railway Line between Atharabanki to Paradip Port with Rail Link from Cuttack	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4906	पुरी और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी का निर्धारित समय पर न चलना	Running of Bi weekly express between Puri and New Delhi behind Schedule .	110
4907	धनबाद डिवीजन में भ्रष्टाचार	Corruption in Dhanbad Division .	111
4908	प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद रेल कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेना	Reinstatement of Railway employees after meeting the Prime Minister. .	111
4909	चुनाव प्रणाली में सुधार करने के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण के सुझाव	Suggestions made by JayaPrakash Narayan for electoral reforms . . .	113
4910	नई लाइनों के निर्माण तथा विद्यमान लाइनों का विस्तार करने संबंधी योजना	Planning for new lines and extension of existing lines	113
4911	वृन्दावन एक्सप्रेस और जी०टी० एक्सप्रेस के बीच पुनः सम्पर्क स्थापित करना	Restoration of link between Brindavan Express and G.T. Express . . .	113
4912	सोडियम ट्रिपोली फास्फेट का उत्पादन और आयात और उसकी मांग	Production and import of Sodium tripoly phosphate and its demand . . .	114
4913	राजनीतिक दलों को दान स्वरूप दी गई धनराशि की विवरणी	Filling of turn of donations to Political parties	114
4914	डी०बी०के० लाईन पर यात्री एवं माल गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Passenger-cum-goods trains on DBK line	114
4915	कोरापुट और बस्तर जिलों में रेलवे लाइन	Railway line in Koraput and Bastar District	115
4916	छोटे तथा रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities to Ra way emp oyees on Small and Wayside Railway Stations	115
4917	रेलवे हड़ताल के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एस०ए०पी० प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के लिए सवारी डिब्बे	Coaches for housing CRP, BSF, SAP, PAC personnel during Railway strike.	116
4918	फरवरी से मई, 1974 तक अधिकारियों को उपलब्ध धनराशि	Money made available to officers from February to May, 1974 . . .	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4919	रेल हड़ताल के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों को दी गई राशि	Amount paid to persons for acting against Railway strike	116
4920	माल/पार्सलों के गुम होने पर किए गए दावे	Claim preferred for loss of goods/Parcels	117
4921	भारत में बहुराष्ट्रीय फर्में और उनके हित	Multinational firms in India and their Interest	117
4922	बेदावेदार अनाज को जब्त करना तथा उसकी बिक्री	Confiscation of unclaimed Foodgrains and its disposal.	118
4923	तकनीकी त्रुटियों और मानवीय असफलताओं के कारण दुर्घटनाएं	Accidents due to technical defects and human failure	118
4924	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के लिए विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण	Survey for exploration of oil Conducted by O. & N. G. C.	119
4925	मिट्टी के तेल का आयात	Import of Kerosene	119
4926	मध्य प्रदेश में कोयला ढोने के लिए वैगनों का आवंटन	Allotment of Wagons for Transportation of Coal in Madhya Pradesh	120
4927	चित्तरंजन लोको वर्कशाप में नियुक्त प्रशिक्षु मैकेनिक,	Apprentice Mechanics appointed in CLW	121
4928	पटना से तथा पटना को आने वाली विशेष गाड़ियों पर व्यय	Cost of Running Special Trains from and to Patna	121
4929	लार्सन एंड टोब्रो लि० में देश से बाहर भेजे गए निदेशकों की नौकरी को जारी रखना	Continuance of Ex-patriate Directors in Larsen and Toubro Limited	122
	12 नवम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting statement to unstarred question No. 257 dated 12-11-74	122
आयात लाइसेंस के बारे में		Re. Import Licence Case	123
आसाम में बोरो आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में		Re. Atrocities on Boro Tribals in Assam	127
उडीसा में बोल नागिर के स्थान पर एक सामाजिक कार्य-यत्ता की हत्या के बारे में		Re. Murder of a Social Worker at Bolangir in Orissa	127
संविधान के अनुच्छेद 284 के उल्लंघन के बारे में		Re. violation of Article 284 of the Constitution	127
सलेम इस्पात संयंत्र के कार्य में धीमीगति के बारे में		Re. Slow Progress of work in Salem Steel Plant	128
सभा पटल पर रखे गय पत्र		Papers Laid on the Table	128

विषय	SUBJECT	PAGES
द्वितीय हुगली पुल परियोजना के बारे में	Re. Second Hooglhly Bridge Project .	129
हरिजनों पर अत्याचार के बारे में	Re. Atrocities on Harijans . . .	129
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75 विवरण प्रस्तत किया गया ।	Supplementary Demands for Grants (Gujarat), 1974-75 Statement presented	129
विदेशी योंगदान ' (विनियम), विधेयक--	Foreign Contribution (Regulation) Bill--	133
संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	133
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75	133
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	134
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . .	135
श्री एस०एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	135
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	137
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani . . .	139
श्री के०एम० मधुकर	Shri K.M. Madhukar . .	140
श्री बी०वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	140
श्री हुक्मम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	141
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	142
श्री पी०एम० मेहता	Shri P.M. Mehta	142
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . . .	143
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty .	143
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	144
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaya .	145
श्री एच०के०एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat . .	145
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	146
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	146
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	147
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1974--	Appropriation (No. 4) Bill, 1974	150
पर: स्थापित विचार तथा पास करने का प्रस्ताव	Motions to introduce, consider and Pass .	150
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	150

पंजाब नगर-पालिका अधिनियम (चंडीगढ़) (संशोधन) विधेयक	Punjab Municipal (Chandigarh Amendment) Bill—	152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	152
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh	152
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	152
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	152
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh	152
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधयक—	Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill—	153
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	153
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	153
खंड 2 से 6 तथा 1	Clauses 2 to 6 and 1 .	153
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	153
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	153
अनदानों की अनुपूरक . मांगें (गुजरात) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Gujarat), 1974-75—	154
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya .	157
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	157
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja	158
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali . .	159
श्री प्रिय रंजन दास मंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi . .	159
श्री ई०आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan . . .	161
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda . . .	162
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . .	164
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	164
श्री लालजी भाई	Shri Lalji Bhai .	165
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta . .	165
श्रीमती सशील ला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	165

विषय	SUBJECT	PAGES
गुजरात विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1974-75	Gujarat Appropriation (No. 4) Bill, 1974-75	169
पुरःस्थापित तथा विचार करने का प्रस्ताव	Motions to introduce and consider .	169
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	169
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta	170
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	170
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	170
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended . .	171
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . .	171
पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम (चंडीगढ़ पर विस्तार) विधेयक—	East Punjab Urban Rent Restriction Act (Extension to Chandigarh) Bill—. .	171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	171
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	171
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1	172
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	172
श्री एफ०एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	172
निरसन और संशोधन विधेयक	Repealing and Amending Bill . .	172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	172
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . . .	172
खंड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1 . .	172
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	172
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . . .	172
संसद (निर्हरता निवारण) संशोधन विधेयक—	Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill— . . .	173
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	173
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi .	173
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1 . .	177
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended .	177
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	177

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	Resolution Re. Report of the Railway Convention Committee . . .	178
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	178
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill—	178
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	178
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin . .	178
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	179
श्री जगदीश भट्टाचार्य .	Shri Jagadish Bhattacharyya . .	179
श्री शशि भूषण.	Shri Shashi Bhushan . . .	180
श्री इसहाक संभली .	Shri Ishaque Sambhali . . .	180
खंड 2 से 11 तथा 1	Clauses 2 to 11 and 1	182
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	182
एफ०एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	182

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1974/26 अग्रहायण, 1896 (शक)

Tuesday, December 17, 1974/Agrahayana 26, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा शैल तथा कालटेक्स और सरकार द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य

*495. **श्री श्रीकिशन मोदी** :†
श्री डी० डी० देसाई ;

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल और कालटेक्स द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य अब सरकार द्वारा आयातित तेल के मूल्य जितने ही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) बर्मा शैल और काल्टैक्स इस समय अशोधित तेल का आयात करने के लिये निम्नलिखित मूल्य चार्ज कर रही हैं :

बर्मा शैल : (लाइट इरानियन) डालर 10.67/बैरल

काल्टैक्स : (अरबियन लाइट) डालर 10.46/बैरल

उक्त मूल्यों को अस्थायी बतलाया जाता है। इण्डियन आयल कारपोरेशन तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ कारपोरेशन द्वारा किये गये समझौते के आधार पर अशोधित तेल का आयात किस मूल्य पर कर रही है उसका बतलाना वांछनीय नहीं है।

Shri Shrikishan Modi : I would like to invite the attention of the hon. Minister toward the Question list Hindi version, in which it has been said that "the above prices are stated to be provisional" what does he mean by the expression "stated to be" ? Is he not aware of the actual prices or they have not given specific prices to the Government ? Is there any such agreement and for what time these prices are provisional ? What price, per barrel, they are expecting for future ?

Shri K,D, Malaviya : These Interna tional Oil Companies supply refined oil at competitive rates and we have not accepted those rates. They try to realise different prices for the refined and the crude and supply crude oil to the Government . The prices paid are provisional because the rates vary from time to time, final rates are calculated some time after.

Shri Shrikishan Modi : Is there any aggreement for Crude at lower rates with other Countries like Soviet Russia as well ? How many barrels have been supplied therefrom and what is the quantity expected in future ? What is the difference in price of Crude supplied from Russia and from other international Companies ?

Shri K.D. Malaviya : As regards Soviet Russia, we can not get oil at cheaper rates because of the high cost of freight therefore it is difficult to get Crude from Russia due to higher freight cos . We may get Crude at comparatively lower price from Persian Gulf Countries. This we may get from the international oil Companies of those countries or and from the Companies producing oil for them or from the national oil companies of oil producing countries. At same places, prices are found lightly lower while at other places slightly higher. But they give oil to their oil producing Companies. The prices are subject to varieties because of the increase in taxation. Saudi Arab and Abu Dhabi have increased their taxes and royalty. These companies also increase their prices accordingly. We are trying to see that the prices are reduced.

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने बताया कि रूस से तेल मंगाना महंगा पड़ता है। परन्तु, क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या हमारे देश में रूस से तेल मंगाया जा रहा है ? इस तथ्य के बावजूद भी कि रूस वालों ने पूर्व योरोपीय देशों के साथ 17 रूबल के हिसाब से ठेके किये हुए हैं, वे उनसे 70 रूबल के हिसाब से मूल्य ले रहे हैं। क्या मंत्री महोदय के सामने यही एक समस्या है ? अथवा क्या यह भी सच है कि वर्तमान मूल्य, लगभग 10 डालर, जिस पर तेल कम्पनियां आयात करती हैं, को कम समझते हुए तथा यह जानते हुए कि तेल विश्व बाजार में उपलब्ध नहीं है, तेल लाने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या ऐसी बात है और इसी के कारण मंत्री महोदय उन आंकड़ों को बताने में हिचक रहे हैं। क्या आप मंत्री महोदय से इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कहेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कही हैं। संभवतया उन्होंने मुझसे कई बातों को एक साथ मिला दिया है। हमें अलग अलग हर बात को समझना चाहिये।

उनकी पहली शिकायत यह है कि रूस भारत को तेल सप्लाई नहीं कर रहा है। यह सच है कि भाड़ा अधिक लगने के कारण हम रूस से अशोधित तेल नहीं मंगाते हैं (**व्यवधान**) मुझे रूस के अशोधित तेल के उस मूल्य का पता नहीं है जिस पर वे....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। धैर्य से मंत्री महोदय की बात सुनिये। उनकी बात में व्यवधान न कीजिये।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने अशोधित तेल नहीं, तेल के बारे में पूछा है। हम रूस से तेल का आयात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, तेल भी अशोधित तेल से ही प्राप्त होता है।

श्री के० डी० मालवीय : मैं अशोधित तेल के बारे में प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, सरसों के तेल अथवा मिट्टी के तेल के बारे में नहीं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न अशोधित तेल के बारे में है। आप इस प्रश्न में अन्य तेलों की बात क्यों पूछते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : अतः मैं अशोधित तेल और भाड़े के बातें बता रहा हूं, मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल अथवा एस० डी० ओ० के बारे में नहीं। यह प्रश्न भाड़े तथा अशोधित तेल के बारे में है। मेरे विचार से माननीय सदस्य अब इस बात को समझ गये होंगे। हम रूस से अशोधित तेल नहीं मंगा रहे हैं और मुझे यह भी पता नहीं है कि रूस पूर्व योरोपीय देशों को तेल बेच रहा है और किस मूल्य पर बेच रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। मैंने बताया है कि बर्मा शैल तथा कालटैक्स के मूल्य बढ़ गये हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने यह बात पूछा है कि रूस ने अपनी ओर से ही 17 रूबल के मूल्य को 70 रूबल कर दिया है। पूर्व योरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। हम रूस से आयात क्यों नहीं कर रहे हैं इसका मूल्य कारण यही है कि न तो वे उचित दर पर ही दे सकते हैं और न उचित मात्रा में। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि कालटैक्स और बर्माशैल की सप्लाई सीमित है और भारत सरकार ने जो मूल्य स्वीकार किया है वह कम है इसलिये वे तेल लाने और सप्लाई करने के इच्छुक नहीं हैं। सरकार बर्मा शैल तथा कालटैक्स की तुलना में अधिक मूल्य पर तेल खरीद रही है और इसी कारण वे अपना क्रय मूल्य नहीं बता रहे हैं। वास्तव में एस्सो का अधिग्रहण नहीं किया गया, बल्कि कमी तथा मूल्य कम होने के कारण उनके लिये भारत में सप्लाई करना अलाभ-प्रद हो गया।

श्री के० डी० मालवीय : विदेशी तेल कम्पनियां अपना अशोधित तेल अपने तेल शोधन कारखानों को दे रही हैं। अशोधित तेल की सप्लाई के साधन उनके अपने हैं। अर्थात् उन्हें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त होता है। जो मूल्य वे लेते हैं उसका निर्णय भी उनमें आपस में ही होता है। हम उन पर मूल्य कम करने के लिये दबाव डाल रहे हैं और इसी कारण मैंने इस मूल्य को अस्थायी बताया है।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that certain agreement regarding the import of crude from Saudi Arab and Iraq, were reached during the time, of Shri D.K. Barooah and because of the Government's assurance of more price to Saudi Arab, Iraq was displeased and they sent a protest note to the Government in this regard, if so, the reasons of such a behaviour with a friendly Country ?

Shri K.D. Malaviya: The hon. Member appears to be confused. Iraq is friendly to us even today as they were before. They are supplying Crude at present at the same price at which they had been supplying it in the past. We need Crude and those Companies which are not international companies also need it. Therefore, the agreement reached would prove good. Thus, Iraq is not displeased with us, their conditions are still the same as they were before.

Shri Madhu Limaye : Sir, is it the answer to my Question ? I have asked about the higher price paid to Saudi Arab. Iraq had agreed to supply at low price because they are friendly with us. May I know whether the Government have received any protest note therefrom in this regard ?

Shri K.D. Malaviya : There is no such information available with me. We should get the oil from wherever we may get it at cheaper rates. We have got the oil at low price from Iraq. This is a fact.

Shri Madhu Limaye : He has agreed that Iraq has supplied Crude at low prices.

श्री डी० बसुमतारी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आसाम में देश के अन्य राज्यों की तुलना मे पेट्रौल का मूल्य अधिक है। क्या मूल्य कम करने के लिये कोई कदम उठाया गया है (व्यवधान) देश के किसी भी भाग से आसाम में पैट्रौल का मूल्क अधिक है ऐसा क्यों है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार से माननीय सदस्य का आशय गैसोलीन पेट्रोल से है।

श्री डी० बसुमतारी : मैंने पेट्रोल के बारे में पूछा है।

श्री के० डी० मालवीय : आसाम में पेट्रोल का मूल्य क्या है, इस सम्बन्ध में जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि मूल्य थोड़ा बहुत ज्यादा है तो भाड़े तथा स्थानीय करों के कारण ऐसा हो सकता है। मुझे इसका पता नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य प्रान्तवार अथवा राज्यवार गैसोलीन और मोटर स्पिरिट का तुलनात्मक मूल्य जानना चाहें तो मैं उन्हें बता दूंगा।

Shri B.V. Naik : Sir, may I know whether the Government have taken any decision on the proposals submitted by the delegation from France which had visited India a few months ago ?

Shri K.D. Malaviya : This is a fact that the representatives of the President of France had visited India, with certain proposals and had discussion with representatives of the Indian Government. They had a meeting with the hon. Prime Minister and some other Ministers also. We propose to consider their proposals sympathetically.

वर्कशापों में क्षमता-वृद्धि

*498. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :†

श्री पी० ए० सामिनाथन् :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोई ऐसा निर्णय किया है जिससे रेलवे प्रशासन पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी लाइनों पर प्रत्याशित अधिक वैगन यातायात के परिणामस्वरूप वैगनों की सामयिक मरम्मत आदि के बढ़े हुए कार्य को करा सके; और

(ख) यदि हां, तो वर्कशापों में की जाने वाली क्षमता-वृद्धि की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मं[illegible] ी मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित माल डिब्बा मरम्मत कारखानों के विस्तार से संबंधित योजना मंजूर कर ली गयी है जिनकी वर्तमान क्षमता और बढ़ायी जाने वाली क्षमता प्रत्येक के सामने दी है :--

कारखाने का नाम	प्रतिवर्ष वर्तमान क्षमता (चौपहियों के हिसाब से)	बढ़ायी जाने वाली प्रतिवर्ष क्षमता (चौपहियों के हिसाब से)
जगाधरी	10,800	14,300
झांसी	14,000	21,000
कोटा	9,000	12,000
रायपुर	7,500	15,000

इनके अलावा, दक्षिण मध्य रेलवे पर प्रतिवर्ष लगभग 14,000 चौपहियें माल डिब्बों के आवधिक ओवरहाल की क्षमता वाले एक नये मालडिब्बा मरम्मत कारखाने की मंजूरी दे दी गयी है।

श्री जी० वाई कृष्णन् : इस वर्ष कितने माल डिब्बों की मरम्मत हुई और क्या इससे आवश्यकता पूरी हुई? दूसरे, क्या दक्षिण रेलवे में वैगन मरम्मत वर्कशाप खोलना लाभप्रद नहीं होगा?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : इस वर्ष माल डिब्बों की मरम्मत सम्बन्धी अधिष्ठापित क्षमता 84,000 है। प्रत्येक वर्कशाप की मरम्मत क्षमता में वृद्धि हुई है जैसा कि प्रत्येक वर्कशाप के नाम के सामने दिखाया गया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि दक्षिण मध्य रेलवे में भी एक वर्कशाप खोली जा रही है। संभवतया उन्होंने उस वर्कशाप का संदर्भ दिया है जिसकी विजयबाड़ा के निकट प्रधानमंत्री ने हाल ही में आधार शिला रखी है। नयी वर्कशाप में कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा? क्या निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये कोई धनराशि नियत की गई है? पूरा होने का निर्धारित समय क्या है?

श्री मोहम्मद शफी] कुरेशी : 14000 माल डिब्बों की मरम्मत की क्षमता वाली एक वर्कशाप विजयवाड़ा, दक्षिण मध्य रेलवे के लिये मंजूर की गई है। कार्य की स्वीकृति दे दी गई है और आशा है कि वर्कशाप 1980-81 तक पूरी हो जायेगी और तब इतने माल डिब्बों की मरम्मत आरम्भ हो सकेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेमंड इंजीनियरिंग वर्क्स, का जो कलकत्ता के निकट एक महत्वपूर्ण वकशाप है जहां माल डिब्बें बनाये जाते हैं और जहां आधुनिक प्रकार की मशीनें लगी हैं, अधिग्रहण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है? उन्हें बैंकों सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां थी, सप्लाई कर्त्ताओं ने सप्लाई बन्द कर दी और उक्त कारखाने को बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं। कर्मचारियों ने भी अभ्यावेदन दिये हैं। यदि कम्पनी चलायी जाये तो वे अपनी बकाया राशि तक को छोड़ने के लिये तैयार हैं। बहुत से कमचारी रोजगार पर थे। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या रेमंड इंजीनियरिंग वर्क्स के अधिग्रहण के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही हैं? जहां माल डब्बे बनाने की बहुत अच्छी क्षमता है और जिसे चालू करके उन हजारों कर्मचारियों को बचाया जा सकता है जिनका रोजगार समाप्त हो गया है?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : रेमंड इंजीनियरिंग वर्क्स की प्रतिवर्ष 1244 माल डिब्बे बनाने की क्षमता है। परन्तु वे वर्ष 1968 से माल डिब्बे नहीं बना रहे हैं। यह कारखाना संकटग्रस्त और बन्द पड़ा है। भारत सरकार का इसके अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी बैंक संबंधी कठिनाइयां सरकार उसका अधिग्रहण करके इसे चला सकती है।

श्री डी० एन० तिवारी : अब जो मरम्मत क्षमता बनाई गई उससे क्या सभी यात्री और माल डिब्बों की मरम्मत समय पर हो सकेगी क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद भी बहुत से यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों की मरम्मत नहीं हो पाती है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि पाक्षिक मरम्मत कार्य पीछे रह जाता है। इसीलिये हमने सभी वर्कशापों की मरम्मत क्षमता बढ़ाई है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इस समय माल डिब्बों की उपलब्धता कितनी है और पांचवीं योजना में अनुमानित आवश्यकता क्या होगी ? क्या नई क्षमता से आवश्यकता पूरी हो सकेगी ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आज, इन्डियन रेलवे में सभी प्रकार के माल डिब्बों की कुल उपलब्धता 3,91,217 है। योजना आयोग के अनुमानानुसार यातयात को ध्यान में रखते हुए जो अनुमानतः 2800 लाख टन होगा पांचवीं योजना में 1 लाख अर्थात् 20 हजार प्रतिवर्ष माल डिब्बों की आवश्यकता होगी।

Shri Hukam Chand Karchwai: The hon. Minister has mentioned about certain workshops on Central and Western Railway. May I know whether the bogies of the Guards have also been included in the figures of wagon for over hauling given by the hon. Minister ? How many time bogies of the Guards, have been repaired ? There is no workshop for repairing the narrow gauge bogies of the guards. What is the life of one such bogie and how many times it is repaired ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Question relates to wagons the Guards do not travel in wagons. They have been given separate coaches. As regards wagons, we have increased the rated capacity. The specific Question asked by the hon. member requires separate notice.

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड का कार्यक्रम

*500. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना के गत तीन वर्षों के दौरान कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि सरकार समय समय पर आयोजित बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण करती रही है। 1 अप्रैल, 1969 से महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की लेखा-परीक्षा बोर्ड की स्थापना के बाद, इस बोर्ड ने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के कार्य निष्पादन का निरीक्षण कार्य अपने हाथ में लिया। 14 मार्च, 1974 को इस बोर्ड की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, लि० के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित कार्य हेतु एक समिति नियुक्त की है :—

"उत्पादन, इंजीनियरी तथा सामग्री व्यवस्था विभागों, विशेष रूप से कार्मिक विभाग के कार्य-निष्पादन की जांच करना तथा कम उत्पादन के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करना।" यह रिपोर्ट 25 सितम्बर 1974 को निदेशक मंडल के सामने प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित उप-समिति की सिफारिशों का कंपनी द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है जो विभिन्न चरणों में है।

श्री एस० एन० मिश्र : समिति को किन अनियमितताओं का पता लगा है तथा इसमें कितनी धनराशि निहित है ?

श्री के० आर० गणेश : समिति ने एच० ए० एल० के उत्पादन तथा अन्य विभिन्न पहलुओं की जांच की है। समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध उत्पादन में कमी और इंजीनियरिंग विभागों और सर्विस चीफों के उत्तरदायित्व, चीफ एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के उत्तरदायित्व, विभिन्न स्तरों पर अनुशासन, कर्मचारियों के उद्देश्य, अधिकारों के विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन, प्रौद्योगिकी सैल की स्थापना, फर्मेंटेशन प्रोसेस (प्रक्रिया) को मजबूत करने और पेनिसिलीन संयंत्र के आधुनिकीकरण से है। यही मुख्य पहलू हैं जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या समिति ने घाटे की राशि का हिसाब लगाया है, मैं इसका उत्तर इस समय नहीं दे सकता।

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने पूछा था कि क्या किसी वित्तीय अनियमितता का पता लगा है तथा उसमें कितनी धनराशि निहित है।

श्री के० आर० गणेश: वित्तीय अनियमितताओं के बारे में इस समय मुझे तथ्यों का पता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सी० ए० जी० का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसकी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने जांच करनी है। जांच के पश्चात् विभिन्न प्रकार की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बहुत स्पष्ट था। माननीय सदस्य ने ठीक ही प्रश्न किया था तथा मंत्री महोदय के पास उसका उत्तर होना चाहिये था। अब यह प्रश्न समाप्त होता है किन्तु मंत्री महोदय बाद में माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करादें।

श्री के० एस० चावड़ा : एच० ए० एन० को विभिन औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं जिन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। उदाहरण के लिये विटामिन 'बी' के उत्पादन के लिय तथा एरीथ्रोमाइसीन आदि के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थ। जिन अधिकारियों ने विविधिकरण और सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये जाने की अनुमति की सिफारिश की थी, वे निदेशक बोर्ड में है तथा वे विदेशी फर्मो को सहायता पहुंचाने में बहुत अधिक रुचि रखते हैं किन्तु सरकार क्षेत्र को सहायता पहुंचाने में नहीं एच० ए० एल० के प्रबन्ध निदेशक ने तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा विश्व बाजार का सर्वेक्षण करने का बहाना करके हमारे देश में विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को सहायता पहुंचाने के लिये विश्व का दौरा किया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का एच० ए० एल० के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार है?

श्री के० आर० गणेश : कुछ उत्पादों के लिये दिये गये लाइसेंसों को क्रियान्वित न किये जाने के प्रश्न के बार में मैं बताना चहाता हूं कि विटामिन 'सी' के लिये संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। यह 1973 में चालू हो गया था। इस संयंत्र के कार्यकरण में विभिन्न यांत्रिक समस्यायें हैं। उदाहरणार्थ संयंत्र की रेफ्रीजरेशन यूनिट में कुछ मशीनी खराबी उत्पन्न हो गई जिसे 1974 में ठीक किया जा सका। कुछ अर्ध तैयार माल भी उत्पादित हुआ है। 85 किलोग्राम विटामिन 'सी' 1973 के दौरान उत्पादित हुआ और अप्रैल अक्तूबर, 1974 के दौरान 24 किलोग्राम किन्तु विटामिन 'सी' का उत्पादन अभी तक पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। निदेशक लण्डल का पुर्नगठन सितम्बर, 1974 में किया गया था।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने कहा था कि जिन अधिकारियों ने विदेशी फर्मों के लिये अनुमति पत्रों, विविधीकरण और सी० ओ० बी० लाइसेंसों की सिफारिश की थी वे बोर्ड में हैं। वे सरकारी क्षत्र की बजाये विदेशी फर्मों की सहायता कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए क्या सरकार बोर्ड का पुनर्गठन करेगी?

श्री के० आर० गणेश : इसके दो पहलू हैं। पहले उन्होंने कहा कि प्रबन्ध निदेशक ने विश्व का दौरा किया। जहां तक मुझे ज्ञात है, आई० डी० पी० एल० का प्रबन्ध निदेशक और कई अन्य विशेषज्ञों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न देशों का दौरा किया।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या खर्च एच० ए० एल० ने वहन किया था ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उन व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने विविधीकरण आदि की सिफारिश की थी।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस प्रश्न की विस्तृत जांच करूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, sir, the hon. Minister has not replied to your question. The hon. Minister has admitted that irregularities are there and there is also lack of discipline, motivation and production. He has also admitted that there is something wrong with the Board of Directors. Sir, you also put the question but the hon. Minister did not reply to it. The hon. Minister has admitted these facts with regard to the public undertaking. Even then he is not replying to the question. May I know the steps being taken by the Government in this matter ? Why are they sitting idle ?

Mr. Speaker : He has said that he will look into it. You may ask him in the next session whether he has looked into it.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, he has said that he will look into it. When the Government have admitted the fact that there were defects then they should tell us the steps taken by them to remove those irregularities or defects.

श्री के० आर० गणेश : मैं इस मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसाकि मैंने कहा है स्वयं एच० ए० एल० द्वारा स्थापित की गई तकनीकी समिति द्वारा जिन विभिन्न मदों के बारे में सिफारिशें की गई थीं उन पर एच० ए० एल० के निदेशक बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। जांच के परिणामस्वरूप दो अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि एच० ए० एल० में उनकी सेवा के दौरान उनके कार्य में विभिन्न प्रकार की लापरवाही पाई गई। जैसाकि मैंने कहा है, एच०ए०एल० का निदेशक बोर्ड अनुशासन, संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी सैल की स्थापना के बारे में इस रिपोर्ट की सिफारिशों को विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित कर रहा है।

वित्तीय अनियमितताओं के बारे में उठाये गये प्रश्न के संबंध में मुझे अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर मैं उसे उपलब्ध करा दूंगा।

राज्यों को मिट्टी के तेल तथा डीजल का आवंटन

*501.†**श्री अनादिचरण दास :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को दिये जाने वाले मिट्टी के तेल तथा डीजल के आवंटन के आधार का पुनरीक्षण करने और उनके कोटे में वृद्धि करने का है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इन वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर भी विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) राज्यों को मिट्टी के तेल के आवंटन के आधार की हाल ही में समीक्षा की गई थी और उन राज्यों, जहां मिट्टी के तेल की खपत पर प्रभाव पड़ा है, के विभिन्न तथ्यों तथा विशेष बातों को महत्व देने के लिये सभी राज्यों पर एक सार कटौती लगाये जाने संबंधी योजना में परिवर्तन किया गया था।

एच० एस० डी० तथा एल० डी० ओ० के बारे में राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते। सप्लाई के प्रबंध मांग के क्षेत्रवार अनुमानों के आधार पर किये जाते हैं।

(ख) फुटकर बिक्री के लिये मिट्टी के तेल का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तेल के वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य सरकारों से राज्यों में मिट्टी के तेल के वितरण हेतु प्रभावशाली प्रणाली अपनाने का अनुरोध किया गया है ताकि उपलब्ध सप्लाई का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। तेल कंपनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा डीजल तेल की बिक्री पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाये गये हैं। राज्य सरकारों से एच० एस० डी०/एल० डी० ओ० की सप्लाई करते समय कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिये तरजीह देने का भी अनुरोध किया गया है और यदि आवश्यक हो तो कृषिकों को डीजल के आवंटन कार्ड जारी किये जाने की प्रणाली के माध्यम से।

Shri Anadi Charan Das : I want to know the nature of directions the Central Government have given to every State Government for equitable distribution of kerosene oil to meet this crisis and whether arrangements have been made to give special facilities to backward areas like tribal areas or not ?

Shri K. D. Malaviya : Yes sir, the Government knows that there is much dissatisfaction among the people of backward regions regarding distribution of kerosene oil and they are finding difficulty in getting this commodity. Keeping this in view the Government called a conference of all Chief Ministers and officers of States. The quantum of kerosene oil for distribution has been increased. It has been increased to 31 lakh tonnes from 28 lakh tonnes and specifically it has been increased in backward States. We have received letters from Chief Ministers. They have expressed their satisfaction and particularly we have received letter from the Chief Minister of Orissa, Shrimati Nandini Satpathy. She has stated that much improvement has taken place in her State. We will bring more improvement where it is required. But finally the responsibility of distribution rests with the State Governments.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has stated that the distribution of kerosene oil rests with the State Governments and he has stated that directions have been issued to evolve better system of its distribution. Besides this what information the State Governments have given to you regarding the distribution of kerosene oil and its availability at fair price to people at village and block level and that people are getting oil at fair prices or not ? So far Bihar is concerned, I can say from my information that people at rural areas are not getting kerosene oil at fair price. keeping this is view do you intent to issue direction to bring about improvement in the old system of distribution ?

Shri K. D. Malaviya : The Government is much concerned in this respect and wish that the distribution of kerosene oil at village level is done satisfactorily. Therefore, the Government had called Chief Ministers and representatives of State Governments and in consultation with them evolved a scheme. We received reports from Chief Ministers regarding its satisfactory performance. I want to make it clear to the hon. Members that so far as distribution at village level is concerned, the full authority lies with State Governments. We have nothing to do with it. We have increased the quantum and are in correspondence with them. The Chief Ministers are giving in satisfactory replies. We have told them that they can demand more from us if needed. We will not allow them to suffer. But the distribution of kerosene oil lies with State Governments. The efficiency of State Government in this respect will minimise troubles of villagers.

Shri Sukhdeo Prasad Vermaj: I must get my answer regarding what the Chief Ministers have informed you about the distribution system that such is their distribution system and they are distributing kerosene oil through such sytem. I want to know what is their mode of distribution ?

Shri K. D. Malaviya : We have no right to ask them. They have given us information and assistance. They have right for distribution and they have got ability. We cannot interfere in their rights. At certain places they are adopting Card system and at other places they are adopting other system. How can we interfere in their rights? They say that distribution is going on satisfactorily.

Shri Paripoornanand Painuli: As the hon. Minister knows that in the months of Apri and May, particularly in lilly areas, the supply of kerosene oil gets short and this is the time of examination of children. It is an irony that cheap electricity is generated through hydel in hilly areas but hilly areas do not get it. The hon. Minister knows that even in this 20th century, the hilly children study in the ligh of firewoods. In view of this will he ensure that kerosene oil is supplied to the hilly areas in the months of April and May so that the school children continue their studies.

Shri K. D. Malaviya : I will surely draw the attention of Chief Ministers of those States, where there are hilly areas, to this fact so that they may get adequate kerosene oil in time of need.

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह सच है कि वर्ष 1973 की तुलना में वर्ष 1974 में मिट्टी के तेल की सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है क्योंकि इसका पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं किया गया था ? इस बारे में स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ स्थानों पर 15% से 5% तक कटौती की गई है और कुछ स्थानों पर 15% से 10% तक कटौती की गई है जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार के बीच हुए समझौते पर आधारित है और जैसे कि मैंने कहा है कि मिट्टी के तेल की उपलब्धता 28 लाख टन से बढ़कर 31 लाख टन हो गई है।

श्री थाकिरुतिनन : मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा आवंटित की गई है। वितरण व्यवस्था के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि यह राज्य सरकारों का विषय है । क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में फुटकर व्यापारी भारतीय तेल-निगम अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी और राज्य सरकारों को समूचे वितरण का कार्य सौंपेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने कहा है कि जहां तक राज्य के स्तर पर मिट्टी के तेल के फुटकर वितरण का संबंध है, इसकी समूची जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है और इसकी सप्लाई उन व्यापारियों को की जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

श्री था किरुतिनन : मैं राज्यों की वास्तविक आवश्यकता और उनको किया गया वास्तविक आवंटन जानना चाहता हूं । इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

Shrimati Sahodrabai Rai : When the hon. Minister was not Minister, he used to say that he would do all the works. But now on becoming Ministrer, he is shirking from his responsibility and trying to pass the responsibility on the State Governments. I want to stress that it is his responsibility also to ask from the State Governments whether equitable distribution of kerosene oil is taking place or not? Our village women folks have to cook meals in the night but due

to non-availability of kerosene oil, they have to bear great hardships. They curse and abuse the Govermment as well as us. It is the responsibility of the hon. Minister to ensure that the distribution system is going on satisfactorily or not. Why he shirks from his responsibility ?

Shri K. D. Malaviya : It is the responsibility of the State Governments to make arrangement of distribution system themselves in the States. If the Centre take over the work of distribution of all commodities, then they may raise objection that their jurisdiction is being interfered. But if any hon. Member wants to give suggestion for the real improvement in the distribution of kerosene oil, the Government is prepared to look into it.

Shri Bhagwat Jha Azad : It may be good that the hon. Minister and Chief Ministers put each other back. But if the kerosene oil does not reach to the villages in accordance to his guidelines, then whether it is not the duty of the hon. Minister to see here the additional quota given by him has gone ? Has he ever made enquiry from the State Governments regarding the non-availability of kerosesne oil in villages? Whether it is utilized in lighting diya or it is utilized somewhere else ? May I know whether it is his responsibility or not?

Shri K. D. Malaviya : Twenty minutes earlier before I came here I asked about the satisfactory distribution of kerosene oil from a representative of a State Government because I received a report that satisfactory distribution is not taking place there. They replied me that I have been given wrong information and the distribution is going on satisfactorily. They need no interference.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister has been misinformed.

Non-Enforcement of Provisions of Companies Act

*505 **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission had recommended to Government not to enforce certain provisions of the Companies Act; and

(b) if so, what are those provisions and when recommendation to that effect was made as also Government's reaction in regard thereto ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri M. C. Daga : Has the Administrative Reforms Commission made any recommendation or not in regard the to Company law after its enforcement? What are the names of Public Companies against whom the Government have taken action under Company law and which are lying pending ?

श्री वेदव्रत बरुआ : प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं। परन्तु यह किसी कंपनी आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में नहीं है, उन्होंने कंपनी नियम की प्रक्रिया को नया रूप देने के बारे में कुछ सुझाव दिए थे, स्थिति यह है, हमने उन विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिन्होंने कंपनी नियम का उल्लघंन किया है। हमारे पास जांच करने तथा अन्य प्रकार की प्रक्रियायें हैं जिनके द्वारा हम देश में चल रही सरकारी कम्पनियों पर नजर रखते हैं। जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध है, इसने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि कंपनी अधिनियम की कुछ धाराओं को लागू नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि कंपनी संशोधन अधिनियम, जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम में विभिन्न नए उपबंध लाए गए हैं, कब लागू किया जायेगा ? इसको लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री वेदव्रत बरुआ : सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विलम्ब के क्या कारण हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक ही मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त है। अन्य मंत्रालयों से सलाह-मशविरा करके नियम बनाने पड़ते हैं। इसलिए इसमें कुछ विलम्ब हो गया है। यह विलम्ब इस कारण से भी हुआ, क्योंकि वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने की मंजूरी देनी है, अब मैं कह सकता हूं कि हमने निर्धारित तिथि 31 जनवरी रखी है और हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी कर सकेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अधिक अंशदान देने तथा संबंधित व्यक्तियों को अधिक अंशदान की राशि वापिस लौटाने से संबंधित संशोधन स्वीकार करने के बाद, चूंकि अभी यह लागू नहीं किया जा रहा है, अनेक कदाचार हो रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप उस उपबंध को यथाशीघ्र लागू करेंगे ?

श्री वेदव्रत बरुआ : समूचे अधिनियम को एक साथ अधिसूचित तथा लागू किया जायेगा। एक विशेष धारा को पहले ही लागू करने का कोई उपबंध नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानता हूं, क्या नए संशोधनों को यथाशीघ्र लागू किया जायेगा ?

श्री वेदव्रत बरुआ : ज्योंहि इसको अधिसूचित किया जायेगा, सभी धाराओं को शीघ्र ही लागू किया जायेगा।

औषध उत्पादन करने वाली सरकारी तथा विदेशी फर्में

†

*508. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उत्पादन करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों की संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है और तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है, और

(ग) वे विदेशी "मोनोपाली इन्टरमीडियरीज" कौन-कौन सी हैं, जिनका औषध निर्माण करते समय सरकार उपयोग नहीं कर सकती ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र एककों तथा विभागीय द्वारा निर्मित प्रमुख औषधों के नाम, लाइसेंस प्राप्त क्षमताएं/स्थापित तथा उत्पादन दिखाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 8780/74]**

(ग) किसी भी केन्द्रीय सरकारी स्वामित्व प्राप्त एककों ने ऐसा उल्लेख सरकार के ध्यान मे नहीं लाया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद स्थित सिंथेटिक ड्रग्स प्लांट के मामले में उनकी अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन में भारी अंतर है। अधिष्ठापित क्षमता का आधा भाग भी उपयोग में नहीं लाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न कर सकने के क्या कारण हैं जबकि देश में जीवनदायी औषधियों की कमी है ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि वास्तविक उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम है, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद स्थित प्लांट के मामले में अलग-अलग कारण हैं। जहां तक इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स का संबंध है, स्ट्रेन इसके धीमे चलने तथा स्थिरीकरण करने के बारे में तकनीकी समस्या है, और अभी हाल में सहयोगियों ने एक नया स्ट्रेन दिया है जो अच्छा परिणाम दिखा रहा है । ऐसी आशा है कि लगभग छह महीनों में अधिष्ठापित क्षमता तक पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली की कमी रही, इसने भी उत्पादन पर प्रभाव डाला है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कच्चे माल की कमी रही है जहां तक इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का संबंध है, कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी आई हैं जैसे कि अलकनंदा नदी में बाढ़ का आना तथा अन्य विभिन्न बातें हैं, फरमेंटेशन प्लांट में कुछ संदूषण आ गया था जिसके कारण उत्पादित कुछ प्रतिजैविकी को बड़ी संख्या में नष्ट करना पड़ा। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में औद्योगिक संबंध अपेक्षाकृत खराब रहे, प्रबंध तथा इससे संबंधित अन्य समस्याओं के अलावा ये भी कुछ कारण हैं। औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए कुछ कार्यवाही आरम्भ की गई है।

श्री सी० के चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न करने का भी एक कारण खराब औद्योगिक संबंध हैं, उन्होंने चार-पांच दिन पहले यह वक्तव्य दिया था कि सरकार औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए कुछ कार्य-वाही कर रही है। उसके बाद सरकार ने इन संबंधों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

दूसरा, इंडिडन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के बारे में हाल ही में सोवियत रूस के एक तकनीकी दल ने सहयोग की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए देश का दौरा किया था। इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ? क्या इसका ब्यौरा दिया जा सकता है ?

श्री के० आर० गणेश : मैं बताना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक्स संयंत्र में उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है तथा बिजली की कमी अथवा औद्योगिक संबंध के कारण थोड़ा सा भी विलंब अथवा रुकावट फरमेंटेशन प्रक्रिया में भारी अंतर पैदा कर देता है। इस समय औद्योगिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है और वहां सहयोग की भावना है। इसीलिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्रबंधक वर्ग के विचार में उनके लिए लगभग छह महीने में अधिष्ठापित क्षमता पर पहुंचना संभव हो जाएगा।

जहां तक सोवियत रूस के दल का संबंध है। उन्होंने बढ़िया स्ट्रेन की सप्लाई की है। उसका परीक्षण किया गया है तथा अब व्यापारिक प्रयोग के लिए उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। इसने बहुत अच्छा परिणाम दिखाया है। व्यापारिक उत्पादन में जोर देकर संभवतः क्षमता का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाना संभव हो सकेगा।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी: मंत्री महोदय ने बताया है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की आधिष्ठापित क्षमता का कुछ कारणों से उपयोग नहीं किया जा सका है। क्या यह सच नहीं है कि जबकि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा सरकारी स्वामित्व वाली औषध निर्माता एककों को अपनी आधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप विशेषकर सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कच्चा माल नहीं मिल रहा है, फिजर और साइनाइड इंडिया (लेदरलाई डिवीजन) जैसे विदेशी एकाधिकारी एककों को ऐसा कच्चा माल मिल रहा है और इस प्रकार वे अपनी आधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवायेंगे?

श्री के० आर० गणेश: मैंने बताया था कि क्षमता के कम उपयोग का एक कारण सल्फ्यूरिक एसिड सहित कुछ कच्चे माल की कमी है, उन्होंने विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या जबकि कुछ विदेशी फर्मों को कच्चा माल मिल रहा है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को यह नहीं मिल रहा है। मैं उसकी जांच करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि क्या इसकी आम कमी है अथवा कि क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में कोई षडयंत्र भी अन्तर्गत है?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि श्रमिकों के आन्दोलनों तथा बिजली की कमी सहित विभिन्न कारणों से उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। इन दो कारणों से उत्पादन में कितनी कमी हुई है और इन कारणों को दूर करने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री के० आर० गणेश : यह कहना तो कठिन है कि प्रत्येक कारण से कितना प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। जहां तक बिजली की कमी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बातचीत के बाद, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पूरी मात्रा में विद्युत दे दी है। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों की बात है, उन सम्बन्धों को सुधारने तथा उनको और अधिक युक्तिसंगत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के प्रयास किये गये हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr Speaker, Sir, the times of India, Bombay, has reported "The Speaker bars notes on CBI Report". Have you given any such direction ?

अध्यक्ष महोदय: एक अल्प सूचना प्रश्न है... (व्यवधान) मैं नोटिस देने के लिये नहीं कह रहा हूं। एक अल्प सूचना प्रश्न आज की कार्यसूची में शामिल है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

संयुक्त राज्य अमेरिका से उर्वरकों की खरीद

2.* **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका से 3,50,000 टन डी० ए० पी० (नाइट्रोजन और फास्फेट) खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की उक्त मात्रा खरीदने के लिये अमरीकी निर्माताओं को प्रतिटन क्या मूल्य दिया गया ;

(ग) इस समय विश्व में इनका प्रतिटन मूल्य कितना है;

(घ) क्या यह कहा गया है कि विश्व में विद्यमान मूल्य की तुलना में अमेरिका में मूल्य अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) हमने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,76,000 मी० टन डी० ए० पी० की कुल मात्रा की खरीद की है।

(ख) खुले माल की खरीद, बातचीत के बाद, प्रति मीट्रिक टन की दर से डालर 375 से डालर 380 एफ० ओ० बी० तक के बीच के मूल्यों पर की गई है, जो पूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत मूल्यों से कम थे।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्यतः माल उपलब्ध होता है। जो निविदे आमंत्रित किये गये थे उनमें से 1,05,000 डी० ए० पी० के लिये विभिन्न पूर्तिकर्ताओं से भिन्न-भिन्न भाव प्राप्त हुये थे। उद्धृत मूल्य डालर 379 से डालर 400 प्रति मी० टन तक के बीच थे।

(घ) और (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर इतनी बड़ी मात्रा उपलब्ध नहीं होती। बातचीत के आधार पर न्यूनतम सम्भाव्य मूल्यों पर खरीद की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब विश्व मंडी में उर्वरक प्रचुर मात्रा में मिल रहा है तब भी भारत सरकार जान बूझकर ऊंचे मूल्यों पर उर्वरक लेने के करार क्यों कर रही है। हमने 378 अमरीकी डालर प्रतिटन की औसत दर पर उर्वरक खरीदा था जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी घोषणा की है। मेरा प्रश्न यह है--

(क) अन्य देशों से वर्ष 1974 में कुल कितनी मात्रा में उर्वरक खरीदा गया और उसका प्रतिटन मूल्य कितना है; और

(ख) क्या अप्रैल, 1973 में एक पश्चिम एशियाई देश से केवल 49 अमरीकी डालर प्रतिटन सी० एंड एफ० की दर से 25,000 टन उर्वरक की पैशकश प्राप्त हुई थी और क्या यह सच है कि सरकार द्वारा एक लम्बी अवधि तक निर्णय न लिये जाने के कारण--उसमें दो महीने की अवधि नियत की गई थी--अब हमें 30 प्रतिशत से भी अधिक मूल्य उसी उर्वरक के लिये देना पड़ रहा है जिसके कारण हमें कुल 4.25 लाख डालर की हानि हुई है?

श्री आर० के० खाडिलकर: विश्व मंडी में उर्वरक की बहुतायत नहीं है। इस की कमी और अभाव के कारण ही हमें इसकी खोज करनी पड़ी है। अपने प्रथम कथन में माननीय सदस्य बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से उनकी बात सही नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों में भी उर्वरकों के मूल्य कल्पनातीत ऊंचाई तक बढ़ गये हैं। ऐसी परिस्थिति में, हमारा प्रतिनिधि मंडल इस मूल्य पर करार करने में सफल हुआ है, और मैं यह बता दूं कि डी० ए० पी० अधिकांशतः अमरीका में ही उपलब्ध है और यह हमारे लिये उपयोगी है।

प्रश्न के (ख) भाग में उल्लिखित ऐसे किसी पेशकश की मुझे जानकारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस मूल्य पर उर्वरक मिलना संभव नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा तथा माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस वर्ष अगस्त मास में एक मैक्सिकन कम्पनी ने उर्वरकों की सप्लाई के एक करार को पूरा नहीं किया क्योंकि हमने निष्पादन बांड पर जोर नहीं किया था तथा इस मैक्सिकन कम्पनी ने हमारा कोटा अपने कारखाने से उन मंडियों में भेज दिया जहां उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त हुआ दूसरे, पश्चिम में यह रिवाज है कि जब वे कुछ बेचते हैं तो एजेन्ट को कमीशन दिया जाता है। क्या उन्होंने यह मांगा था अथवा नहीं? जब हमारा प्रतिनिधि मण्डल अमरीका तथा अन्य देशों में गया तो कमीशन का क्या हुआ? काफी मात्रा में उर्वरक होने पर भी हमारा प्रतिनिधि मंडल कुछ खरीद कर लाया, हम जानना चाहते हैं कि क्या उस प्रतिनिधि मण्डल को कोई कमीशन प्राप्त हुआ और यदि हां, तो वह रुपया किस खाते में गया...?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आरोप मत लगाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसा किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसी बेबुनियाद टिप्पणियां नहीं करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गैर सरकारी व्यापार-क्षेत्र में आप यदि कार्यकर्ता हैं, तो आप मांगें या न मांगें, परन्तु आपको कमीशन की पेशकश की जायेगी।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस प्रश्न के संदर्भ में जहां तक मैक्सिकन पेशकश का सम्बन्ध है, अनेक सटोरिये हमारे कार्यालय में आते हैं, और कहते हैं कि वे अमुक अमुक चीजों की सप्लाई करेंगे। एक प्रसिद्ध देश को एक स्टोरिये विक्रेता ने एक देश को धोखा दिया था और इसलिये हमें सावधान रहना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपने निष्पाद बांड प्राप्त किया था ? आम तौर पर यह लिया जाता है।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस विशिष्ट मामले में क्या हुआ, इसका मैं पता करूंगा तथा उन्हें सूचित करूंगा। एजेन्सी कमीशन के बारे में उनकी बात सही है। पश्चिमी देशों में कोई भी विक्रय करता है, एजेन्ट को उसका कमीशन मिलता है और यह बात करार में शामिल होती है। सदस्य विश्वास रखें इस राशि को कोई जेब में नहीं रख लेता है.... (**व्यवधान**)

श्री पी० वैंकटासुब्बैया : क्या उर्वरक की आवश्यकता के बारे में नियमित रूप से समय समय पर पूर्वानुमान लगाये जाते हैं ताकि हम संबंधित देशों से लाभप्रद आधार पर बातचीत कर सकें? हम अमरीका से उर्वरक खरीद रहे हैं? अमरीका से खाद्यान्नों के आयात सम्बन्धी हाल ही में हुये करार के सन्दर्भ में क्या बाद में अदायगी की शर्त पर ऐसा किया गया है? अदायगी का स्वरूप क्या है?

श्री आर० के० खाडिलकर : उर्वरकों के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किया जाता है। हम तो मेरे विभाग, वित्त, कृषि तथा अन्य विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में बनी समिति की सलाह से उर्वरकों की केवल खरीद करते हैं। इसका निर्णय यही समिति करती है। पश्चिमी देशों में पी० एल० 480 या बाद में अदायगी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें उन्हें स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा से या अमरीका, कनाडा तथा अन्य देशों से प्राप्त विदेशी सहायता से अदायगी करनी पड़ती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Reports are emerging from certain States that there are huge stocks of chemical fertilizers but the farmers are not lifting them because their prices are very high and the farmers are not able to purchase it May I know whether the Government have made an assessment of the actual need of the country before undertaking imports from abrod, or we are determined to waste, our precious foreign exchange ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उर्वरक के मूल्य चाहे जो हों, उसकी उपलब्धि बहुत सीमित है। वर्ष 1966 से, प्रत्येक वर्ष मूल्य बढ़ने शुरू हो गये हैं और अब वे चोटी पर पहुंच गये हैं। इस समय तो उत्पादन और मूल्यों के बीच कोई सम्बन्ध ही नहीं है? मूल्य इसलिये बढ़े हैं क्योंकि विश्व की मंडियों में इसकी मांग है। यह स्वाभाविक ही है कि कृषक मूल्यों में वृद्धि से परेशान है और इसीलिये यह मांग कम हो गई है...

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने श्री वाजपेयी द्वारा देश में ही उर्वरक के उपलब्ध होने तथा फिर भी बाहर आदेश देने के बारे में पूछे गये प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया है। अब ऐसा लगता है कि हमारे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय नहीं है। यह तथ्य है कि हमारे बहुत से तेलशोधक कारखानों में नेप्था जमा होता जा रहा है। हमारे उर्वरक कारखाने उन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और अब हम नैप्था विदेशों को बेच रहे हैं तथा वहां से ऊंची दरों पर उर्वरक खरीद रहे हैं। कितनी आश्चर्य जनक योजना है? क्या यह मंत्री महोदय जो कि आयोजन कार्य का कुछ ज्ञान रखते हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें आदेश देने के लिए कहे जाने से पूर्व देश में ही उपलब्ध उर्वरक की मात्रा, मूल्य आदि का उचित मूल्यांकन कर लिया जाय।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, हमारा मंत्रालय क्रयकर्त्ता है और हम वार्षिक आवश्यकता के अनुसार कृषि मंत्रालय से आदेश प्राप्त करते हैं। फिर एक समिति है। प्रश्न का दूसरा भाग एक वास्तविक तथ्य है कि बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहां केवल 60 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है तथा 40 प्रतिशत क्षमता अनुपयुक्त रहती है। इसलिये उन्हें यह प्रश्न पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

मद्रास फर्टिलाइजर्स का अमोनिया संयंत्र

*496. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अमोनिया संयंत्र काफी समय से बन्द पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) जून 1974 में हुई एक दुर्घटना के बाद संयंत्र में हो रहे कार्य को बन्द करना पड़ गया था और आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात् जब इसे पुनः चालू किया गया तो रिफार्मर खंड में कई यांत्रिक खराबियां पाई गई थीं। इसके कारण संयंत्र को 5 नवम्बर तक बन्द रखना जरूरी हो गया था और संयंत्र 6 नवम्बर, 1974 से पुनः चालू किया गया था। अमोनिया का उत्पादन 17 नवम्बर, 1974 में शुरू किया गया था और संयंत्र इस समय लगभग 90 प्रतिशत क्षमता पर चलाया जा रहा है।

गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन

*497. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने गुजरात राज्य विधान सभा के लिये निर्वाचन 1976 के साधारण निर्वाचनों के साथ ही करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इतने अधिक विलम्ब के मुख्य क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Railway Links in Rajasthan

*499 **Shri Onkal Lal Berwa** : Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision to provide rail links among the backward States; and

(b) if so, the reasons why railway lines have not been constructed in drought affected Rajasthan, such as Chittorgarh, Bundi and Deoli ?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir

(b) Surveys were carried out earlier for Kota-Chittorgarh via Bundi and Kota-Ajmer via Bundi and Deoli rail links and it was seen that the level of traffic on these line would be low and they were highly unremunerative.

The outlay for new lines in the Fifth Plan only 100 crores which is barely sufficient to complete the works already in progress and those required for the core sector. The Planning Commission were requested for additional allotment of funds but they have expressed their inability to do so. In view of the difficult funds position, it has not been possible to take up the construction of new lines in backward drought affected areas of Rajasthan.

Proceeding of High Courts in Hindi and Regional Languages

502 **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Law, Justice and Company affairs** be pleased to state :

(a) whether several States have sought Centre's approval for conducting the proceedings of High Courts in Hindi and regional languages and some of them have implemented that; and

(b) if so, the facts in this regard and Government's reaction thereto ?

The Minister of Law Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). So far the Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh have asked for the consent of the President for the optional use of Hindi in the proceedings, Judgments, decrees and orders of their respective High Courts. The President has already accorded his consent for the use of Hindi in the proceedings etc. of the High Courts of Allahabad, Patna, Rajasthan and Madhya Pradesh.

उद्योगों को पेट्रो-रसायन उत्पादों के वितरण के लिए मार्गदर्शी निदेश

*503. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

माल तैयार करने वाले तथा मध्यवर्ती उद्योगों को नेप्था तथा पी० वी० सी० रसिन सहित पैट्रो-रसायन उत्पादों का वितरण करने के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) पैट्रो-रसायन उत्पादों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । नेप्था के वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कम उत्पादन

*504. **श्री रोब्रिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चित्तरंजन इंजन कारखाने में डीजल शंटिंग इंजनों के मामले में चौथी योजना अवधि में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन बिजली इंजनों के निर्माण में कुछ कमी हुई है जिसका प्रधान कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के इंजनों, का उत्पादन हुआ और कर्षण मोटरों के अभिकल्पों में आशोधन किये गये । इसके अलावा अन्य कारण इस प्रकार हैं:—आयातित और देशी उपस्कर की सप्लाई में देरी और उसका अपर्याप्त मात्रा में होना, देशी उद्योगों का धीमा विकास, बिजली की लगातार कमी और पूर्वी क्षेत्र में अशांति की हालत जिससे चित्तरंजन इंजन कारखाने और आनुसंगिक कारखानों पर जिनमें फालतू पुर्जे/कच्चा माल मिलता है, बुरा प्रभाव पड़ा । पिछले दिनों जिन कठिनाइयों का अनुभव किया गया था उन्हें दूर करने के लिये पहले ही आवश्यक उपाय किये गये हैं ताकि धन की उपलब्धता के अनुरूप पांचवीं योजना अवधि के लिये उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

मैसर्स शां वालेस एण्ड कंपनी लिमिटेड को बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी

*506. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैसर्स शां वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड को 1 : 1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को अनुमति देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि उक्त मंजूरी से विदेशी होल्डिंग के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के तरीकों से आगे विदेशों को जाने वाली विदेशी मुद्रा को रोकने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मै० शा वालेस एंड कम्पनी लिमिटेड का 1:1 के अनुपात में बोनस हिस्से निर्गमन करने के लियें दिया गया आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यदि यह अनुमोदित हो जाता है तो इससे कम्पनी की कुल साम्य पूंजी से विदेशी धारिता प्रतिशत के वृद्धि हुए बिना, विदेशी हिस्से-धारिता में 42,91,500 रु० की वृद्धि हो जायेगी।

(ग) सरकार ने बोनस हिस्सों के निर्गमन के लिये कुछ मार्ग दर्शक नियम विहित किये हैं, जो भारत में कार्य कर रही सभी भारतीय कम्पनियों (विदेशी बहुअंशीय अथवा भारतीय) पर लागू होते हैं। इस प्रकार बोनस हिस्सों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा रोकने का परिणामी नहीं होता।

तेल विकास बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव

*507. **श्री बेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अनुसरण में तेल विकास बोर्ड का गठन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड की शीघ्र स्थापना किये जाने की आशा है और तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 3 में यथा व्यवस्थानुसार उसका गठन किया जायेगा।

रेलवे के सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के निर्माण विंग में फालतू घोषित किये गये कर्मचारी

*509. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-मध्य और पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के निर्माण विंगों में फालतू घोषित किये गये अनेक कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है या सेवा से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और जोन-वार प्रत्येक श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं और उनकी सेवा की अवधि कितनी-कितनी थी; और

(ग) क्या नौकरियों का कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया था, और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लिये और कहां ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे में 1971 में सिगनल व दूर-संचार विभाग के निर्माण-स्कन्ध के कार्य-भार में कमी के कारण निम्नलिखित कार्य-प्रभारी कर्मचारी फालतू हो गये थे :—

कुशल .	. 115
अर्द्ध-कुशल .	. 20
अकुशल .	. 381

इनमें से 51 कुशल कारीगरों को जो कनिष्ठतम थे, जगहें न होने के कारण बर्खास्त करना पड़ा था। 6 कुशल कारीगरों को मध्य रेलवे में, 4 को उत्तर रेलवे में और शेष कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों को उसी रेलवे में आमेलित कर लिया गया था । बर्खास्त किये गये उन 51 कारीगरों को आमेलित करने का पूरा प्रयास किया गया था जिन्होंने 5 से 9 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी। अब इनमें से 46 को पूर्वोत्तर रेलवे में अकुशल कोटि में और बाकी 5 को मध्य रेलवे में कुशल कोटि में आमेलित किया जा चुका है ।

उत्तर, दक्षिण-मध्य और पश्चिम रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एक रसायन कारखाना स्थापित करने संबंधी बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्ताव

*510. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने राज्य में एक रसायन कारखाना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार बरौनी में एक पेट्रोकैमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना के बारे में सुझाव देती रही है । इस प्रायोजना में निम्नलिखित रासायनिक एककों की स्थापना करने की परिकल्पना है :—

(1) जाइलीन ।

(2) प्युअर टैरेफथैलिक एसिड,

(3) डिटरजेंट अल्काइलेट,

(4) पालिस्टर फाइबर, और

(5) पैथेलिक एनहाइड्राइड,

एरोमेटिक्स के उत्पादन तथा इन सुविधाओं के लिये उपयुक्त स्थल के चयन हेतु, भारत सरकार ने एक अध्ययन-दल की व्यवस्था की है तथा वर्तमान में पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी बड़े पैट्रोकैमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में निम्नलिखित मदों के निर्माण हेतु नए एककों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव दिये हैं :—

(क) (i) कास्टिक सोडा।

(ii) क्लोरीन ।

(ख) (iii) सोडा एश।

(iv) एमोनियम क्लोराईड।

(ग) (v) बाएक्सियली प्रधान पोलोस्टाइरीन फिल्मस् ।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को आवेदित क्षमता के लिये क्रमश: 28-2-74, 21-6-74 तथा 30-11-74 को आशय-पत्र जारी कर दिये गये थे।

बिहार सरकार से अमजोर में उस क्षेत्र में उपलब्ध पाइराईट्स पर आधारित एक फौस्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में एक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्य अध्ययन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

वैगनों की कमी के कारण

*511. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैगनों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) वैगनों की इस कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने वैगनों के निर्यात पर पुनर्विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे दुर्घटना

*512. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के तीसरे सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे में भाटणी-वाराणसी के बीच किरिहरापुर स्टेशन के निकट दो माल गाड़ियों में सामने से टक्कर हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति जख्मी हुए थे और क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। यह दुर्घटना 22-11-74 को हुई थी ।

(ख) इस दुर्घटना में न कोई व्यक्ति मारा गया, न घायल हुआ । इस दुर्घटना की जांच रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने की है ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में डीजल क्रेन खलासियों का पदोन्नतिक्रम

*513. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में क्रेन खलासी के रूप में अथवा उच्चतर पदों (डीजल) पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिये अर्हताओं सहित डीजल क्रेन खलासियों का पदोन्नतिक्रम क्या है;

(ख) क्या डीजल क्रेन खलासियों के पदोन्नतिक्रम में श्रेणी चार के अन्य सभी कर्मचारी पदोन्नति पाने के पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या शैक्षिक अथवा तकनीकी अर्हता अपेक्षित है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें पदोन्नति की सारणी दिखाई गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) डीजल क्रेन ड्राइवरों और जमादारों के पदों पर पदोन्नति के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

(1) डीजल ओर्टन क्रेन ड्राइवर,

(2) डीजल ओर्टन क्रेन जमादार,

(3) ऊपरी बिजली क्रेन ड्राइवर,

(4) ऊपरी बिजली क्रेन जमादार,

के पदों के लिये पदोन्नति की सारणी:—

ऊपर बतायी गयी कोटियों के पदों में डीजल शेडों की चौथी श्रेणी की निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की सारणी मिली-जुली वरिष्ठता के अनुसार है :—

(1) क्रेन खलासी।
(2) निरीक्षण गड्ढा खलासी।
(3) सफाईवाले।
(4) यार्ड क्लीनर।
(5) निरीक्षक के खलासी।
(6) शेड सन्देशवाहक।
(7) चपरासी।
(8) कालमैन-एवं-बाक्स पोर्टर।
(9) कालमैन खलासी।
(10) क्लीनिंग टंडल/जमादार।
(11) फराश खलासी।
(12) लैब खलासी।

डीजल क्रेन ड्राइवरों और जमादारों के पदों पर पदोन्नति के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है।

कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक की अदायगी

*514. **श्री भागीरथ भंवर** :

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी निदेशकों, प्रबन्ध-निदेशकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों को पारिश्रमिक, भत्ते तथा कमीशन की अदायगी के लिये कोई सीमा निर्धारित कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रमुख बीस एकाधिकार-गृहों की कंपनियां इन निदेशों का पालन कर रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) सरकार द्वारा नवम्बर, 1969 में रचित संदर्शिका में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के नियंत्रणाधीन है, के आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में जिन के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269/310/311/309(3) और 198,387 और 388 के अन्तर्गत उनके द्वारा अपेक्षित अनुमोदनों हेतु पारिश्रमिक पर अधिकतपो में वेतन, कमीशन तथा परिलब्धियों के रूप में अनुमति दी जा सकती है, उल्लेख कर दिये गये थे। ये प्रबन्ध, पूर्णकालिक या अंशकालिक निदेशकों के देय पारिश्रमिक से संबंधित है। चूंकि कम्पनी अधिनियम में कम्पनी के सचिव या अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों के मामले में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है अतः उनकी देय पारिश्रमिक पर कोई अधिकतम निर्धारित किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। सरकार ने अगस्त, 1972 में भी प्रबन्धकीय कार्मिकों को देय न्यूनतम पारिश्रमिक पर अधिकतम को निर्धारित करते हुए संदर्शिका बनाई थी।

(ख) उस संदर्शिका को, जिसमें सीमा का उल्लेख किया गया था, लोक सभा के पटल पर क्रमशः 2 दिसम्बर, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 360 और 1 दिसम्बर, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था।

(ग) जैसा कि ये सीमायें, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के नियंत्रणाधीन हैं, से प्राप्त आवेदन पत्रों हेतु संदर्शिका में उल्लिखित की गयी थी अतः एकाधिकार गृहों को कम्पनियों द्वारा निर्देश के पालन न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आई० डी० पी० एल० द्वारा एनलजिन का उत्पादन

4730. **श्री सुरेन्द्र महंती**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० ने चालू वर्ष से लेकर 1 नवम्बर, 1974 तक एनलजिन का कुल उत्पादन कितना किया;

(ख) क्या आई० डी० पी० एल० ने इस अवधि के दौरान एनलजिन के निर्माण के लिये कोई लाइसेंस जारी किया है और यदि हां तो उसकी मात्रा कितनी है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम तथा अन्य पार्टियों ने कितनी मात्रा में एनलजिन का आयात किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 1-4-74 से 31-10-74 तक की अवधि के दौरान भारतीय औषध तथा भेषज लि० द्वारा अनलजिन का उत्पादन 102.43 मी० टन था।

(ख) भारतीय औषध तथा भेषज को, अपनी अनलजिन क्षमता 160 टी पी ए से 400 टी पी ए तक बढ़ाने के लिये, 19-7-1974 को आशय पत्र जारी किया गया था।

(ग) 1-4-1974 से 1-11-1974 तक एनलजिन का आयात, राज्य व्यापार निगम के जरिये सरणीबद्ध है और राज्य व्यापार निगम ने इस औषद के 50 मी० टन आयात किये हैं।

राज्यों के कृषि तथा खाद्य मंत्रियों की बैठक

4731. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में 16 नवम्बर को राज्यों के कृषि तथा खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका मुख्य ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने 16-11-1974 को नई दिल्ली में कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में राज्य सरकारों को कहा था कि वे यथार्थिक आधार पर डीजल तेल की विशेष कर आगामी रबि फसल में कृषि कार्यक्रम की अपनी मांग का पुनर्मूल्यांकन करें तथा सिंचाई सम्बन्धी भावनाओं एवं अन्य कृषि मशीनरी के लिये उचित खपत को नियत करें। राज्य सरकारों को आगे कहा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर यदि आवश्यक हो, कोटा कार्ड के माध्यम से कृषकों को डीजल तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें तथा जमाखोरी एवं कालाबाजारी जैसे कदाचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकें। उनको आश्वस्त किया गया था कि केन्द्रीय सरकार विशेषकर कृषि कार्यक्रमों के लिये पूर्ण रूप में डीजल तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के तेल के वितरण में सुधार करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श हुए थे।

बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप रेलवे वर्कशाप में उत्पादन पर प्रभाव

4732. **श्री एम० कत्तापुत्तु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप रेलवे वर्कशाप में तीस प्रतिशत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, कारखानों के लिये नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्कल एक्सप्रैस को सप्ताह में दो दिन चलाने के बजाये प्रतिदिन चलाया जाना

4733. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल एक्सप्रैस से यात्रा करने वाले यात्रियों की पहले की अपेक्षा बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्कल एक्सप्रैस को सप्ताह में दो दिन के बजाये प्रतिदिन चलाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) इस समय प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जब उत्कल एक्सप्रैस को सप्ताह में दो दिन के बजाये प्रतिदिन चलाया जाता है, तो यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि टिकट गाड़ीवार नहीं जारी किये जाते इसलिये यह बताना तब तक सम्भव नहीं है कि इस गाड़ी से कितने यात्रियों ने यात्रा की जब तक कि जनगणना न की जाये। 1973 में की गयी जनगणना के अनुसार मार्ग के विभिन्न खण्डों पर इस गाड़ी का जितना उपयोग किया गया वह इस प्रकार है :—

	77 डाउन (पुरी से नयी दिल्ली तक)	78 अप (नयी दिल्ली से पुरी तक)
पहला दर्जा	21 से 85 प्रतिशत तक	18 से 95 प्रतिशत तक
दूसरा दर्जा	45 से 106 प्रतिशत तक	19 से 110 प्रतिशत तक

(ग) यद्यपि यह सम्भव है कि यदि गाड़ी सप्ताह में दो बार चलाने की बजाय प्रतिदिन चलायी जाये तो यात्रियों की कुल संख्या बढ़ सकती है फिर भी गाड़ी को अधिक बार चलाने का औचित्य नहीं बनता।

"डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के वितरण के बारे में पंजाब सरकार से सुझाव"

4734. **श्री भान सिंह भौरा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के वितरण स्थल स्थापित करने की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह सुझाव दिया है कि उनके स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को पंजाब के गावों के क्षेत्र में आई० ओ० सी० के डीजल/पेट्रोल पम्पों की स्थापना करने की अनुमति दी जाये।

आई० ओ० सी० की वर्तमान नीति में एग्रो सर्विस सेंटर्स या स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्र चलाये जाने की व्यवस्था है बशर्ते ये बिक्री केन्द्र विभागीय या आई० ओ० सी० के बेरोजगार स्नातक परियोजना के अंतर्गत नियुक्त, डीलरों द्वारा चलाये जायें। तथापि वित्तीय रोक के परिणामस्वरूप, आई० ओ० सी० इस परियोजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में पेट्रोल के फुटकर बिक्री की स्थापना करने में समर्थ नहीं हुई है। इस मामले पर आई० ओ० सी० के साथ विचार-विमर्श द्वारा विचार किया जा रहा है।

राज्यों के भीतर मिट्टी के तेल का वितरण करने का दायित्व राज्य सरकारों का है तथा पंजाब सरकार से गांव क्षेत्र के लिये मिट्टी के तेल की वर्तमान वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये कहा गया है।

कोटा की रेलवे वर्कशाप का विस्तार

4735. **श्री हरि प्रसाद शर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोटा स्थित रेलवे वर्कशाप का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को शीघ्र ही क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) कोटा कारखाने में प्रतिवर्ष 3,000 चौपहिए माल डिब्बों के लिये अतिरिक्त मरम्मत क्षमता की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) कोटा कारखाने के विस्तार के लिये तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए 1.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजना बनायी गयी थी जिससे 1974-75 के अंतिम निर्माण कार्यक्रम में मंजूरी दी गई है और 1974-75 में 5 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे और 1975-76 के 69 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। संबंधित रेलवे को सूचित किया गया है कि कारखाने के विस्तार का काम उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिये।

रेलवे में विलम्ब शुल्क और घाट भाड़ा शुल्क की माफी

4736. **श्री सवर मुखर्जी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क की माफी देने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान ऐसे कुल कितने तथा कितनी राशि के शुल्कों की माफी दी गयी; और

(ग) इस अवधि के दौरान भारत में 10 बड़े व्यापार गृहों समूहों के मामले में माफी किये गये ऐसे शुल्कों की राशि क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में माफ किये गये विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क की कुल रकम इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

1970-71	446.05
1971-72	568.92
1972-73	600.96

उन मामलों की संख्या, जिनमें विलम्ब शुल्क और स्थान-शुल्क माफ किया गया, उपलब्ध नहीं है क्योंकि विलम्ब शुल्क और स्थान-शुल्क माफ करने का अधिकार पूरी तरह से महाप्रबन्धकों का है और यह सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाइनें

4737. **श्री डी० पी० जदेजा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में नई रेल लाइनों के निर्माण का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी कमी रही ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) रेलों का विकास राज्यवार या क्षेत्रवार धारणा के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर भी गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान साबरमती और गांधीनगर के बीच एक नयी लाइन के निर्माण का काम प्रारंभ किया गया था जिसकी संतोषजनक प्रगति हो रही है। इस लाइन को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिसम्बर, 1974 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Railway Lines in Mine Areas of Madhya Pradesh

4733 **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of Railways be please to state :

(a) whether there is any proposal to construct railway lines in specific mine areas of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the present position there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Buta Singh) : (a) & (b) (i) A final location-cum-traffic survey from Dhalli-Rajhara to Jagdalpur to serve the mine areas of Madhya Pradesh is in progress, and is expected to be completed by December 1974.

(ii) A survey from Hirdagarh to Damua to serve the coal fields in Madhya Pradesh is also under consideration.

The proposals will be considered for being taken up for construction after the surveys have been conducted and reports examined and also subject to availability of funds.

उत्तर रेलवे में भूतपूर्व खाद्यान्न की दुकान के कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करना

4739. **श्री आर० बी० बड़े**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे (1972 के सिविल अपील संख्या 1937 और 1938) के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में उत्तर रेलवे में अब कार्य कर रहे भूतपूर्व खाद्यान्न की दुकान के कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करने के लिये अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) उत्तर रेलवे को ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उत्तर रेलवे के दिल्ली-रिवाड़ी-फाजिल्का सेक्शन के उन कर्मचारियों के नाम क्या है जिनसे ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक मामले में कार्यवाही किस चरण पर चल रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) सात ।

(ग) (1) श्री थारु लाल, चल टिकट परीक्षक, रिवाड़ी;

(2) और दुलीचन्द, चल टिकट परीक्षक बीकानेर ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जो अनुदेश जारी किये जायेंगे, उनके अनुसार इन प्रतिवेदनों पर विचार किया जायेगा ।

भागलपुर जंकशन में बरारी घाट तक मीटर गेज पर चलने वाली रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

4740. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में भागलपुर जंकशन से बरारी घाट के बीच मीटर गेज पर चलने वाली रेलगाड़ियों को अगले माह रद्द किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां मीटर गेज की रेलगाड़ियों के स्थान पर ब्रांड गेज की रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे बिहार के यात्रियों को असुविधा नहीं होगी ; और

(घ) क्या बरारी घाट से माइदेवपुर घाट के बीच रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्टीमर सेवा को भी रद्द करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

"राज्य व्यापार निगम तथा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमा हो रही आयातित औषधियां"

4741. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का राज्य व्यापार निगम के पास अधिक खपतवाली आयातित औषधियों के भंडार का ब्यौरा क्या है तथा ये औषधियां कितने मूल्य की हैं;

(ख) किस के लेखे पर इसका आयात किया गया और कब से इनका निपटान नहीं हो सका है तथा क्या कारण है; और

(ग) इनमें से कितनी औषधियां कितनी अवधि में उपभोग के लिए बेकार हो जायेंगी और इस प्रकार की हानि न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम के पास जमा हुए आयातित प्रपुंज औषधों के ब्यौरे, उनके मूल्य तथा भंडारों की आयु का उल्लेख संलग्न विवरण पत्र में किया गया है। ये भंडार राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं जिनकी कुल संख्या लगभग 2300 है, के लिये आयात किये गये हैं। उपभोक्ताओं की वित्तीय कठिनाइयों, बाजार में तैयार उत्पादों की मांग आदि से संबंधित कारणों को भंडारों के धीमे निपटान का कारण बताया जाता है। आशा है कि ये भंडार मार्च, 1975 के अन्त तक समाप्त किये जा सकेंगे। इस बात की संभावना नहीं है कि इन आयातित वस्तुओं में से कोई भी वस्तु इन भंडारों के धीमे निपटान के कारण इस्तेमाल करने के अयोग्य हो जायेगी।

आई० डी० पी० एल० के भंडारों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही हे और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण

आयातित माल, जो राज्य व्यापार निगम के पास जमा हो गया है, उस का मूल्य तथा आयु का उल्लेख :

क्रम सं०	वस्तु का नाम	मात्रा मीटरी टन	मूल्य लाख रुपयों में	भंडार की आयु (महीनों में)
1	2	3	4	5
I. विभागीय				
1.	एम्पीसिलीन एन्हाइड्रस	0.965	13.12	3—6
2.	एम्पीसिलीन सोडियम स्टेराइल	0.220	3.42	एक से कम
3.	एम्पीसिलीन ट्रिहाइड्रेट	4.180	46.73	3—6
4.	वेटा पीकोलाइन	125.643	40.18	3—6
5.	कैल्शियम पैन्थोथेनेट	4.741	4.31	1—2
6.	क्लोरमफेनिकोल पलमिटेट	15.538	57.42	3—6
7.	क्लोरमफेनिकोल पाउडर	15.355	64.26	3—6
8.	क्लोरमफेनिकोल सक्सीनेट	1.970	11.95	3—6
9.	क्लोरोक्विन डीफास्फेट	7.287	15.37	2—3
10.	क्लोरोक्विन सल्फेट	0.100	0.24	3—6
11.	साइट्रिक एसिड	67.508	8.85	2—3
12.	इराईथ्रमाइसिन इथाइल सक्सीनेट	1.050	12.92	1 से कम
13.	इराईथ्रमाइसिन स्टियरेट	0.410	4.55	3—6
14.	फयुरेसेमाइड	0.045	0.38	3—6
15.	इन्डोमेथासिन	0.835	5.30	3—6
16.	निट्रोफयुरनटोइन	1.890	3.21	1—2

1	2	3	4	5
17.	डी० पेन्थेनोल	1.222	2.32	2—3
18.	मीथाइल डोपा	0.230	2.22	2—3
19.	थालाइल सल्फाफाथियाजोल	27.720	16.29	3—6
20.	सल्फामेथोक्सी पाडराइडेजोन	5.500	9.79	3—6
21.	सोडियम पैन्टोथेनेट	0.313	0.58	3—6
22.	टारटैरिक एसिड	37.700	11.45	2—3
23.	विटामिन बी-25 फासफेट	20.125	1.88	3—6
24.	विटामिन बी-6	0.305	0.87	3—6
25.	विटामिन सी प्लेन	94.893	65.35	3—6
II.	**वितरक**			
1.	सिट्रिक एसिड	342.459	34.86	2—3
2.	आयोडाइन क्रूड	54.193	26.26	2—3
3.	टारटैरिक एसिड	50.110	13.58	2—3
	कुल योग		481.66	

गूटी से कल्लेन तक बड़ी लाइन के लिए मिट्टी डालने संबंधी कार्य

4742. **श्री पी० एंथनी रेड्डी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गूटी से कल्लेन तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए मिट्टी डालने संबंधी कार्य को अभी तक शरू न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : नक्शे में कल्लेन नाम की कोई जगह नहीं मिली है। संभवत: माननीय सदस्य का आशय कल्लुरु से है। गूटी से कल्लुरु तक लाइन का संरेखण निश्चित करने के लिए अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया जायेगा।

"अशोधित तेल और गैस के भंडार तथा तेल की खोज"

4743. **श्री पीलू मोदी**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस के निक्षेपों से कितनी मात्रा में अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस का निकाला जाना शेष रहता है ;

(ख) क्या निक्षेपों में कमी और खोज कार्य की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए सरकार "आयल इण्डिया" को अतिरिक्त खोज स्थल आबंटित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अतिरिक्त तट-दूर क्षेत्रों का पट्टा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या है, जिनका पट्टा दिया जाएगा और किन संभावित तारीखों तक पट्टा दे दिया जायगा;

(घ) क्या भारत के उत्तर-पश्चिम में, विशेषरूप से सुरौन मस्तगढ़ एन्सीक्लीन के चारों ओर के क्षेत्र में तेल की खोज करने के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत करने का सरकार का विचार है और क्या खोज-कार्य की गति को तेज करने के लिए इस क्षेत्र में ठेके पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के लिए अशोधित तेल एवं प्राकृतिक गैस के निक्षेपों से निकाले जाने वाली लगभग मात्राएं नीचे दी गई हैं :--

	तेल (मिलियन मीटरी टनों में)	प्राकृतिक गैस (मिलियन घन मीटरों में)
1-1-72 . . .	113.236	63337
1-1-73 . .	122.856	63780
1-1-74	124.502	67856

(ख) इस पर उपयुक्त समय पर विचार होगा।

(ग) कुछ अपतटीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में इस स्तर पर और ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

(घ) जी, नहीं ।

झांसी में रेलवे वर्कशाप का विस्तार

4744. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झांसी स्थित रेलवे वर्कशापों का विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्कशापों की अतिरिक्त क्षमता क्या होगी और विस्तार पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इसके किसी विदेशी सहायता को प्रयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवर्ष 7,000 चौपहिए माल डिब्बों के लिए लगभग 3.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त मरम्मत क्षमता की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) जी नहीं ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रेल वैगनों का निर्माण

4745 **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने बड़ी लाइन और छोटी लाइन के बीस हजार वैगन खरीदने के लिये टेंडर मंगाये हैं;

(ख) क्या वैगन निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ही क्रयादेश दिये जायेंगे अथवा यदि मूल्य प्रतियोगी हुए तो गैर-सरकारी वैगन निर्माताओं को भी क्रयादेश दिये जायेंगे;

(ग) दोनों वर्गों, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, में वैगन का मूल्य क्या है और पूरे क्रयादेश की माल छुड़ाई अवधि क्या है; और

(घ) क्या दोनों क्षेत्रों में सभी सप्लायरों को एक वैगन का निश्चित मूल्य दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) रेल मंत्रालय ने बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के चौपहियों के हिसाब से, लगभग 12,000 माल डिब्बे खरीदने के लिए टेंडर मांगे थे। टेंडर 16-12-1974 को खोले गये हैं।

(ख) इस टेंडर पर आर्डर देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी माल डिब्बा निर्माताओं के संबंध में विचार किया जायेगा।

(ग) फर्मों से प्राप्त भाव-दरों और यदि कोई बात-चीत हुई हो, तो उसके, आधार पर यथासमय प्रत्यक किस्म के माल डिब्बे का मूल्य और सुपुर्दगी अवधि का विनिश्चय किया जायेगा।

(घ) अतीत में सरकारी क्षेत्र/सरकार के प्रबंधाधीन और निजी क्षेत्र दोनों की कम्पनियों को समान मूल्य की पेशकश करने का तरीका अपनाया जाता रहा है।

"फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर की कोचीन यूनिट के विस्तार के लिए विश्व बैंक से सहायता"

4746. **श्री वयालार रवि**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर की कोचीन यूनिट के विस्तार के दूसरे चरण के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस यूनिट के विस्तार के लिए आरंभ किए गए कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और सरकार का विचार इस दिशा में आगे और क्या कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) प्रतिवर्ष 4,85,000 मी० टन एन० पी० के उर्वरकों और 7,5000 मी० टन कायोलाइट का उत्पादन करने हेतु कोचीन (चरण II) विस्तार प्रायोजना के वास्ते आई डी ए द्वारा 20 डालर मिलियन की ऋण सहायता दी गई है। इस प्रायोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और वर्ष 1975 के अन्त तक इस प्रायोजना के पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

कोचीन एकक का और विस्तार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया।

दिल्ली-न्यायिक सेवा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद

4747. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली न्यायिक सेवा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद नियमों के अनसार 17 होने चाहिए, न कि 16 जसा 19 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के उत्तर में बताया गया है;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों में से ऐसे कुल कितने पद हैं जो अनसूचित जातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से भरे जाने हैं; और

(ग) क्या अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 7 रिक्त पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मानने पर विचार किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे सभी पद जो अनसूचित जातियों के लिए आरक्षित होने थे, भरे जा चुके थे। किन्तु उसके बाद आरक्षित कोटे में पांच रिक्त पद और हो गए हैं और इन रिक्त पदों को तभी भरा जाएगा जब अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल की गई रिट याचिका पर कोई विनिश्चय हो जाएगा।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार, किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत करना होता है और ये रिक्त पद, अग्रनयन के तीसरे वर्ष में ही अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा उस स्थिति में भरे जा सकते हैं जब उस परीक्षा से भी नियक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति के कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

पूर्वी रेलवे के गरहरा यार्ड में चोरी

4748. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के गड़हरा में पिस्तोल से लैस रामजनम नामक एक व्यक्ति को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया था;

(ख) क्या उपर्युक्त व्यक्ति अंगरक्षक था और उसने मुख्य यार्ड मास्टर श्री के० एम० सेन के स्थान पर कार्य किया था और यह कबूल किया है कि वह मुख्य यार्ड मास्टर और शंटिंग जमादार की सांठ-गांठ से यार्ड में चोरी किया करता था और यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मुख्य यार्ड मास्टर और शंटिंग जमादार को नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है तथा उन पर मकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 1-11-74 को एक छापे के दौरान, हेड यार्ड मास्टर, गड़हरा के अधीन काम करने वाले श्री रामजनम महतो, ट्राली मैन और एक बाहरी व्यक्ति गंगा महतो को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे यार्ड में खड़े माल डिब्बों के नीचे छिप

रहे थे और जिनकी स्पष्ट मंशा चोरी करने की थी। रामजनम मेहतो के पास से एक देशी रिवाल्वर और इस्तेमाल न किये गये 2 कारतूस बरामद किये गये। सरकारी रेलवे पुलिस थाना, बरौनी द्वारा धारा 25ए/26 आर्म्स एक्ट के अधीन एक मामला दर्ज कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

(ख) श्री रामजनम महतो गड़हरा के हेड यार्ड मास्टर श्री के० एम० सेन के अधीन काम करता था। श्री रामजनम महतो ने अपने ब्यान में स्वीकार किया है कि वह अन्य स्थानीय अपराधियों के साथ गड़हरा यार्ड में चोरी किया करता था लेकिन उसने हेड यार्ड मास्टर अथवा शंटिंग जमादार को नहीं फंसाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में सलूनों के रख रखाव पर व्यय

4749. **श्रीमती प्रेमला बाई डी० चह्वाषा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने सैलून हैं;

(ख) उनके रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ग) क्या इस समय रेलवे में अत्यधिक मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) सेलूनों के लिए अनुरक्षण प्रभार अलग से नहीं लगाये जाते हैं। फिर भी, वर्ष 1972-73 के दौरान चौपहिया यूनिटों के लिए बड़ी लाइन और छोटी लाइन की गाड़ियों के संबंध में कोचिंग स्टाक की औसत अनुरक्षण लागत क्रमशः 6,184.98 रुपये और 3,603.14 रुपयें थी।

वर्ष 1973-74 के लिए औसत लागत अभी तक संकलित नहीं की जा सकी है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

सैलूनों की संख्या	सैलूनों का अनुरक्षण करने वाली रेलवे का नाम।	उद्देश्य
2 बी० जी० सलून (जुड़वा सेट)	मध्य और उत्तर रेलवे	भारत के राष्ट्रपति, राज्य अतिथियों और विदेशी आगन्तुकों के उपयोग के लिए।
1 बी० जी० सैलून	मध्य रेलवे	मध्य प्रदेश के राज्यपाल के उपयोग के लिए।
1 बी० जी० सैलून	पूर्व रेलवे	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के उपयोग के लिए।
1 बी० जी० सैलून	मध्य रेलवे	सैनिक अधिकारियों के उपयोग के लिए।
3 बी० जी० सैलून	उत्तर रेलवे	सैनिक अधिकारियों के उपयोग के लिए।

इन सैलूनों के अतिरिक्त, ड्यूटी पर यात्रा करते समय निरीक्षण के उद्देश्य से रेलवे अधिकारियों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय रेलों पर निम्नलिखित निरीक्षण यानों को रखा जाता है :—

रेलवे	31-3-1974 को निरीक्षण यानों की संख्या					
	बड़ी लाइन		मीटर लाइन		छोटी लाइन	
	अठपहिया	चौपहिया	अठपहिया	चार/छः पहिया	अठपहिया	चौपहिया
मध्य .	15	88	—	—	8	2
पूर्व	25	91	—	—	—	2
उत्तर .	33	64	15	23	4	—
पूर्वोत्तर	—	—	38	82	—	—
पूर्वोत्तर सीमा	4	3	37	37	1	—
दक्षिण	11	25	39	31	1	1
दक्षिण मध्य	7	43	15	42	2	—
दक्षिण पूर्व	27	83	—	—	15	11
पश्चिम .	15	38	24	33	8	1

मिराज-नोलजी-कुपवाड सिंचाई परियोजना को रेलवे लाइन के पार ले जाने के लिए मंजूरी

4750. **श्री अण्णासाहिब गोटाखिडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज-नोलजी-कुपवाड सिंचाई परियोजना को दक्षिण मध्य रेलवे के मिराज-कोल्हापुर सेक्शन के 3/78 किलोमीटर पर रेल लाइन के पार ले जाने के लिए अनुमति मांगी गई है और यदि हां, तो कब तक अनुमति मांगी गई;

(ख) क्या उक्त योजना की पाइपलाइन, जैक वैल और पम्प हाउस का काम पहले ही पूरा हो चुका है;

(ग) क्या अपेक्षित अनुमति देने में असाधारण विलम्ब के कारण उक्त योजना से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) मंजूरी कब तक दे दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : : (क) जन स्वास्थ्य विभाग, सांगली, महाराष्ट्र के कार्यकारी अभियन्ता ने मार्च, 1974 में मिराज-कोल्हापुर खंड के मिराज और जयसिंहपर स्टेशनों के बीच कि०मी० 3/7-8 पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वाली एक 6 फीट की पुलिया की व्यवस्था के लिए दक्षिण मध्य रेलवे से अनुरोध किया था।

(ख) ये निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किये जाने हैं और उनकी प्रगति के बारे में रेलवे को जानकारी नहीं हैं।

(ग) और (घ) रेलवे द्वारा अनुमति पहले ही दी जा चकी है। वर्तमान नियमों के अनुसार कार्य केवल तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब पार्टी उसकी लागत जमा कर दे। पार्टी ने रेलवे द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के अंश के लिए लागत का भुगतान अभी नवम्बर 1974 में किया है। कार्य प्रारंभ करने और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए सारे प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

ईरान के सहयोग के साथ उर्वरक संयंत्र

4751. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत-ईरान सहयोग से उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) ईरान में संयुक्त उद्यम उर्वरक समूह के बारे में भारतीय दल और ईरान कम्पनी के बीच में कुछ विचार विमर्श हुआ है किन्तु अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों का निपटाया जाना

4752. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में आज तक एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने लाइसेंसों के लिये दिये गये कुल कितने आवेदन-पत्रों का गुण-दोषों के आधार पर निपटान किया;

(ख) आवेदकों के नाम क्या हैं तथा उनके आवेदन पत्रों पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस अवधि में कितने आवेदन-पत्र वापस लिये गये तथा उन आवेदकों के नाम क्या हैं?

विधि, न्याय कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 एवं 22 के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को किए गए निर्देशों पर विचार की प्रगति की 1972 के कलण्डर वर्ष की ब्यौरेवार सूचना, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट, जिसकी प्रतियां दिसम्बर, 1973 में सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थीं, में उल्लिखित है। 1973 के कलण्डर वर्ष की सूचना, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट में प्राप्य होगी, जो चालू अधिवेशन में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। 1974 के वर्ष की 13-12-1974 तक की सूचना इसके साथ संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8781/74]

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमों का एकाधिकार गृहों द्वारा प्रतिरोध

4753 **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा सहित एकाधिकार गृह निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाओं के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मुकदमों का प्रतिरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रजिस्ट्रार के पास कुल कितने निर्बन्धनकारी करार दर्ज किए गए हैं; और

(घ) आयोग ने कुल कितने मामले निपटाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों की शर्तों में, उपक्रमों द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में वितरित होने के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास अभियोग चलाने की कोई शक्तियां नहीं हैं, किन्तु उसके पास धारा 37 के अन्तर्गत प्रथाओं को यथावत् न चलने के आदेश देने की शक्ति है। यह रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध की सूचना में आया है कि कुछ उपक्रमों ने अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकरण योग्य अनुबन्धों को प्रस्तुत नहीं किया है और इन मामलों में उपक्रमों का ध्यान अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों पर दिलाया गया था तथा उन्हें अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुबन्धों के पंजीकरण को कहा गया था। कतिपय मामलों में दोष करने वाले उपक्रमों को उनके द्वारा किए गए अनुबन्धों के विवरणों को भेजने को अपेक्षित करते हुए धारा 42(1) के अन्तर्गत औपचारिक नोटिस जारी किए गए थे। तथापि अधिनियम की धारा 48(1) के अन्तर्गत अभी तक कोई मुकदमे नहीं चलाए गए।

(ग) नवम्बर, 1974 के अन्त तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध के पास 15,500 अनुबन्ध पंजीकृत किए गए थे।

(घ) चार

संदिग्ध उपयोगिता वाली कीटनाशक औषधियों और रसायन

4754. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भारत को ऐसी कीटनाशक औषधियां और रसायनों का भण्डार बनाने से रोका जाए, जिनकी उपयोगिता संदिग्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

"देश में आयातित औषधियों का उत्पादन"

4756. **श्री श्रीकृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपये की औषधियों के लिए सरकार के क्रयादेश प्रति वर्ष विदेशी निर्माताओं को दिए जाते हैं;

(ख) क्या देश की फर्में उन आयातित औषधियों का उत्पादन नहीं कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवश्यक औषधियों का उत्पादन करने के लिए नई फर्में स्थापित करने अथवा अपने कारखानों का विस्तार करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) टेंडर मंगवा लेने के पश्चात् सरकार के क्रयादेश प्रतियोगी दरों के आधार पर दिए जाते हैं। भारी मूल्य के सूत्रयोगों के लिए इस प्रकार के क्रयादेश उन विदेशी फर्मों, जिनके यूनिट भारत में स्थित हैं, को दिए जाते हैं।

(ख) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को सूत्रयोगों का केवल प्रतिबंधित आधार पर आयात किए जाने की इजाज़त दी जाती है। प्रपुंज औषधों, औषधों के मध्यवर्ती पदार्थों तथा रसायनों का आयात करने की इजाज़त केवल उन मामलों में दी जाती है जहां या तो ये देश में निर्मित्त किए जाते या ऐसे उत्पादन को बढ़ाने के लिए देशीय उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी नहीं होता।

(ग) प्रपुंज औषधों के वर्तमान उत्पादन का मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य 18 करोड़ रुपए है। देश में निर्मित्त किए जाने वाले सूत्रयोगों के मल्य का अनुमान 360 करोड़ है। 1972-73 में औषध सूत्रयोगों के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 8 प्रतिशत था और विदेशी क्षेत्र अर्थात् उन कम्पनियों, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी है, का हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत और प्रपुंज औषधों के लिए 33 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र में औषध उद्योग का विस्तार/विविधीकरण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 70 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में औषध सूत्रयोगों के उत्पादन का 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना और प्रपुंज औषधों के उत्पादन का 150 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना निहित है।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, का कम्पनी सेक्रेटरीशिप में डिप्लोमा

4757. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **विधि, न्याय अर कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के कम्पनी सेक्रेटरीशिप में दो वर्षीय अंशकालिक डिप्लोमा को भारत सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनी सेक्रेटरीशिप के लिए मान्यता दी जाती है जैसा कि इन्स्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के कम्पनी सेक्रेटरीशिप में कारेसपोंडेंस डिप्लोमा के मामले में किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : नहीं, श्रीमान् जी।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 'वेल्डिंग जनरेटिंग सेट' की चोरी

4758. **श्री रोबिन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के वर्कशाप से वेल्डिंग जैनरेटिंग सेट की चोरी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 11-10-74 के बंगाली साप्ताहिक 'दर्पण' में छपी एक रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की वैल्डिंग शाप के शाप अधीक्षक श्री टी० के० मजूमदार के चार्ज से एक रोटरी जनरेटर सेट नं० 75967 चोरी चला गया।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

हिंसा और तोड़-फोड़ के लिये न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराये गये कर्मचारी

4759. **श्री मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान हिंसा तथा तोड़-फोड़ के लिए ठीक-ठीक कितने रेल कर्मचारियों को दोषी पाया है; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी रेल कर्मचारियों का दमन करना बंद कर दिया जाएगा और सम्बन्धित कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा जैसा कि पहले घोषणा की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) किसी भी रेल कर्मचारी को यदि वह इस देश के कानून की सीमाओं के अन्तर्गत आचरण करता है, परेशान नहीं किया जाता। लेकिन जहां रेल कर्मचारियों ने इस देश के कानून की अवज्ञा और स्पष्ट आदेशों की अवहेलना की है, उपयुक्त कार्रवाई की गई है। बरखास्तगी/नौकरी से हटाए जाने और निलम्बन आदि के विरुद्ध अपीलों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया जारी है। रेल प्रशासन उन मामलों को निपटाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। उन कर्मचारियों के मामलों में जिनमें उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुकदमे चलाए गए हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी ही है।

गेहूं की हानि के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा दावा

4761. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री शशि भूषण :

श्री घामनकर :

श्री वसंत साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान मार्ग में हुई गेहूं की हानि के लिए रेलवे से कोई राशि लेने का दावा किया है; और

(ख) क्या रेलवे ने इस बीच दावों को निश्चित रूप से मान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मेट्टुप्पालयम-उटकमंड सेक्शन (दक्षिण रेलवे) को तमिलनाडु सरकार को सौंपना

4762. **श्री था किरुतिनन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मेट्टुप्पालयम-उटकमैंड सेक्शन को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) इस सेक्शन को लाभकर तथा पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) मेट्टुप्पालयम और उटकमंडलम खण्ड के बीच महत्वपूर्ण दो स्थानों के बीच इकहरी यात्रा रियायती टिकटें जारी की जा रही हैं। 800 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों से उटकमंडलम और कोन्नूर स्टेशनों के लिए हर वर्ष आम तौर पर अप्रैल से अक्तूबर तक पहाड़ी स्टेशन रियायती वापसी टिकटें जारी की जाती हैं। रेलवे के लिए अधिक यातायात आकर्षित करने के उद्देश्य से ये उपाय किए जा रहे हैं।

विभिन्न तेल शोधक कारखानों में शोधित किया जाने वाला देश में ही उत्पन्न एवं आयातित अशोधित तेल

4763. **श्री सरजू पांडे :**

श्री भोला मांझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अपने तेल शोधक कारखानों में शोधन के लिए अपने ही कुओं से निकाला गया कितना अशोधित तेल प्रयोग करता है;

(ख) सरकार अपने तेल शोधक कारखानों के लिए विदेशों से कितना तेल आयात करती है; और

(ग) विदेशी तेल शोधक कारखाने कितना अशोधित तेल प्रयोग करते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1974-75 के दौरान लगभग 7.5 मिलियन मीटरी टन।

(ख) सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं तथा प्रक्रिया शुल्क आधार पर अन्य शोधनशालाओं में शोधन करने के लिए 1974-75 के दौरान लगभग 9.70 मिलियन मीटरी टन।

(ग) 1974-75 के दौरान लगभग 4.00 मिलियन मीटरी टन।

बिहार की जेलों से सत्याग्रहियों की रिहाई

4764. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिए हैं कि बिहार की जेलों में बंद सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश की क्रियान्विति कब से आरम्भ हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निष्ठावान कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि देने पर होने वाला खर्च

4765. **श्री सरोज मुखर्जी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मई, 1974 की 20 दिन की रेल हड़ताल में भाग न लेने वाले "निष्ठावान कर्मचारियों" के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ पाने के लिये रेलवे के सभी जोनों में 4500 कर्मचारियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की है;

(ख) क्या बाद के आदेशों के अन्तर्गत उक्त संख्या बढ़ाकर 5,74,000 कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो एक बार अधिकतम संख्या 4500 निर्धारित करने और बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 5,74,000 तक पुनरीक्षित करने का क्या आधार था; और

(घ) इन अग्रिम वेतन-वृद्धियों के दिये जाने पर कितना खर्च आयगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) अप्रैल, 1974 में, उस समय की स्थिति को दृष्टि में रखकर, 4,500 कर्मचारियों को अग्रिम वतन-वृद्धि देने का प्रस्ताव रखा गया था । बाद में, मई, 1974 की हड़ताल के बाद समस्या की व्यापकता और अनेक कर्मचारियों को डराये धमकाने जाने की स्थिति को देखते हुए यह संख्या बढ़ाकर 5,79,000 कर दी गयी । 8.5 लाख कर्मचारी काम पर डट रहे थे और उनमें से अनेक को हिंसा और डराने धमकाने की घटनाओं का सामना करना पड़ा था । अतः उनकी सेवाओं को मान्यता देनी थी ।

(घ) 8 से 9 करोड़ रुपये प्रति वर्ष ।

"बोगाईगांव तेल शोधक कारखाना, आसाम में उत्पादन आरंभ किया जाना"

4766. **श्री नुरुल हुडा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में बोगाईगांव तेल शोधक कारखाने में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की आशा है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) अपने सूचीकृत निर्माण-कार्यक्रम के अनुसार, इस शोधनशाला के 1976-77 में चालू किये जाने की आशा है ।

रेलवे के माध्यम से पारादीप पत्तन को लौह-अयस्क का परिवहन

4767. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अब तक पारादीप पत्तन को पर्याप्त मात्रा में अयस्क का परिवहन कर सकी है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी से अक्तूबर, 1974 तक रेलवे के माध्यम से पारादीप पत्तन को कितने टन लौह अयस्क का प्रति मास परिवहन किया गया ?

: (क) जी हां, ।

(ख) जनवरी 1974 से अक्तूबर, 1974 की अवधि में रेल द्वारा पारादीप पत्तन को परिवहन के लिये लादे गये लौह अयस्क की मात्रा मीटरिक टनों में माहवार इस प्रकार है :—

महीना	मीटरिक टनों में लदान
जनवरी '74	53,592
फरवरी '74	23,184
मार्च '74	5,544
अप्रैल '74	17,528
मई '74	41,754
जून '74	36,696
जुलाई '74	62,104
अगस्त '74	65,464
सितम्बर '74	129,864
अक्तूबर '74	190,176

उटकमंड तथा मेट्टुप्पालयम के बीच चलने वाली पर्वतीय रेल सेवा का बन्द किया जाना

4768. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उटकमंड और मैट्टुप्पालयम के बीच चलने वाली 30 मील लम्बी पर्वतीय रेल सेवा को अलाभकर होने के कारण बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन के लिये इसे पुनः चालू करने का है ?

रेल मत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, मेट्टुप्पालयम—उटकमण्डलम खंड की गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी थीं।

(ख) मैट्टुप्पालयम--उटकमण्डलम खंड पर चलने वाली चार जोड़ी गाड़ियों में से मैटुपलैयम उटकमंडलम के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां और कन्नूर उटकमण्डलम के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां क्रमशः 15-7-1974 और 6-7-1974 से पुनः चलायी जा चुकी है। अन्य गाड़ियों के पुनः चलाये जाने पर तब विचार किया जायेगा जब कोयले की स्थिति में सुधार होकर एक उपयुक्त स्तर पर स्थिर हो जायेगा।

बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग

4769. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग का विस्तार करके उसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मारुति लिमिटेड के निदेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियां

4770. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री "मारुति लिमिटेड हरियाणा" के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड के वर्तमान निदेशक मंडल के चेरयमैन , प्रबन्ध निदेशक एवं प्रत्येक निदेशक के नियंत्रण के अधीन कम्पनियों के नाम, पते तथा ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या उनके नियन्त्रणाधीन किसी कम्पनी अथवा कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का आरोप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मारुति लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक "ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड" नामक एक कम्पनी का भी निदेशक है ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड से कितना वेतन, परिलब्धियां एवं उपलब्धियां मिलती हैं; और

(ङ) ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड का पंजीकरण कब हुआ था और इसकी गतिविधियां क्या हैं ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) उपलब्ध सूचना पर आधारित एक विवरण-पत्र संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-8782/74]

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) मैं० ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड ने अभी तक अपना प्रथम तुलन-पत्र व लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) यह कम्पनी, दौलन बेल्लन व्यधन खंडों के निर्माणार्थ प्रदान किये गये औद्योगिक लाइसेंस-प्रभार के मुख्य उद्देश्य सहित मैकेनीकल इंजीनियरों व विभिन्न प्रकार के व्यधन उपकरणों आदि के निर्माणताओं के व्यापार करने के लिय 14 मई, 1973 को विनियमित हुई थी।

डी० एम० ओ० और डी० पी० ओ०, धनबाद की असामाजिक गतिविधियां

4771. **श्री भोला मांझी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'कोल फील्ड गजट' दिनांक 15 सितम्बर, 1974 में "शी रिफ्यूज्ड टु-यील्ड सैक्स सकैण्डल दैट कुड नाट टेक प्लेस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार में डी०एम०ओ० और डी०पी०ओ०, धनबाद के बुरे कामों और असामाजिक गतिविधियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकाब पोश युवकों द्वारा बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी को लूटना

4772. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नकाब पोश युवकों ने 21 नवम्बर, 1974 को बांदा-लखनऊ एक्सप्रस गाड़ी के एक डिब्बे के यात्रियों को लूटा था ;

(ख) क्या इस बारे में किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किय गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है जिसे जल भेज दिया गया है । आगे भी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

बंगलौर और गुंटकल के बीच ब्राड गेज लाइन

4773. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :**

पी० एन्थनी रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि बंगलौर और गुंटकल के बीच ब्राड गेज लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस असमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि दिसम्बर, 1976 है ।

निदेशकों के बोर्ड द्वारा डब्ल्यू एच० ब्रेडी एण्ड कम्पनी को बेचना

4774. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या डब्ल्यू० एच० ब्रेडी एंड कम्पनी का निदेशक मंडल इंगलैंड में कम्पनी की अचल संपत्ति को बेचना चाहता था परन्तु मोरारका कम्पनी द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर इसे नहीं बेचा जा सका ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बिक्री संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या निदेशक मंडल में दोनों सरकारी नाम निर्देशित व्यक्तियों का आपस में तीव्र मतभेद है और उनमें से एक द्वारा मोरारका कम्पनी का पक्ष लिया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कंपनी काय मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) मूलतः मैसर्स डब्ल्यू० एच० ब्रेडी एंड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 5 पोण्ड प्रत्येक के 1,788 शेयरों को उनके इस देश में तथा बाहर प्रचार करने के पश्चात् 41 लाख रुपयों में भारतीय पार्टी को डाल्टन प्रोपर्टी एंड कम्पनी लिमिटेड यू० के० में बेचने का प्रस्ताव किया था । इसलिये कम्पनी के एक निदेशक सहित कुछ पार्टियों ने सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं । कम्पनी को फिर एक बार पूर्ण प्रचार के पश्चात् स्वच्छ निविदा आमंत्रित करने तथा निविदा में ही वह उल्लिखित करने का परामर्श दिया कि 41 लाख रु० से कम का कम्पनी द्वारा कोई प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(ग) इस समय निदेशक मंडल में मोरारका समूह से सम्बन्धित कोई निदेशक नहीं है और सरकार के किन्हीं निदेशकों द्वारा मोरारकाओं के पक्ष लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अदालती मुकदमों पर सरकार द्वारा किया गया व्यय

4775. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल के लिये सेवा से हटाने/बर्खास्त करने के रद्द किये गये आदेशों के विरुद्ध कुल कितने अदालती मुकदमें कलकत्ता उच्च न्यायालय, और अन्य न्यायालयों में दायर किये गये ;

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में इन मुकद्दमों पर रेल प्रशासन का अब तक कितना खर्च हो चुका है; और

(ग) अपने कर्मचारियों के विरुद्ध भारी खर्च डालते हुए बड़े पैमाने पर मुकद्दमें चलाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय में 55 मामले और अन्य न्यायालयों में 351 मामले ।

(ख) अब तक 24000 रुपये खर्च हुए ।

(ग) सरकार अपने कर्मचारियों के विरुद्ध तब तक मुकद्दमा नहीं चलाती जब तक किसी मामले में उच्च नीति से सम्बन्धित कोई बात अन्तर्ग्रस्त न हो जिसमें सामान्य महत्व के कानून सम्बन्धी पर्याप्त प्रश्न सम्बद्ध होते हैं तथा जिन्हें प्राधिकृत रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय करना अपेक्षित होता है ।

दक्षिण मध्य रेलवे में इंसपेक्टर आफ वर्क्स और एसिस्टेंट इंसपेक्टर आफ वर्क्स की पदावनति/छंटनी

4776. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में कितने इन्सपैक्टर आफ वर्क्स और सहायक इन्सपैक्टर आफ वर्क्स की पदावनति और छंटनी की गई है और की जानी है; और

(ख) छंटनी के क्या कारण हैं और क्या अन्य रेलों में भी इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की निर्माण शाखा में विभिन्न परियोजनाओं के बन्द/धीमे हो जाने के कारण 31-10-1974 तक निर्माण निरीक्षकों के 71 पद फालतू हो गये थे । नियमित कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी जो लोग इस ग्रेड में पदोन्नति द्वारा पहुंचे हैं उन्हें उनके पारी से परावर्तित किया जा सकता है । अन्य लोगों को वैकल्पिक काम दिया जायेगा ।

(ख) बजट खर्च में कमी सभी रेलों पर लागू होती है । अन्य रेलें भी अपनी स्थिति की समीक्षा कर रही हैं ताकि सम्भावित फालतू पदों का निश्चित पता लगा सके । जो रेलें पिछले कुछ वर्षों में अधिक संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करती रही हैं, उन्हें इस समस्या का सामना पहले करना पड़ेगा और दूसरों को इसका सामना कुछ बाद में करना पड़ेगा ।

Supply of Kerosene oil in the Country

4777. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the responsibility for the supply of Kerosene in the entire country is on the Central Government :

(b) if so, whether Central Government are aware that the dealers appointed by various State Government charge more from the consumers; and

(c) if so, the scheme being formulated by Central Government to enable the consumer to get kerosene at fair prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) (a) to (c) : Allocation of Kerosene Oil to States is made by the Central Government.

The distribution of Kerosene Oil within the State is the responsibility of the State Governments. The State Governments have been empowered under the Kerosene (Fixation of ceiling Prices) Order 1970 to fix the retail selling prices of kerosene oil within their jurisdiction State Governments have also sufficient powers to prevent black marketing The State Governments have been requested to have an effective system of distribution so as to ensure equitable distribution of the available kerosene oil .

रेल अधिनियम का संशोधन

4778. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे अधिनियम के संशोधन के लिए केन्द्रीय विधि मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है जिससे कि रेलवे के गोदामों से न उठाया गया सामान बिना नीलामी के नोटिस के राज्य सरकारों की एजेंसियों को बेचा जा सके;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) विधि मंत्रालय के परामर्श से भारतीय रेल अधिनियम और/या उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि परेषणों को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के सात दिनों के अन्दर सुपुर्दगी नहीं लेने पर उन्हें कुछ अधिसूचित स्टेशनों पर जहां ऐसे परेषण इकट्ठे हो गये हों, निबटाया जा सके ।

बिलासपुर में चल रही इमदादी साईडिंगस

4779. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1972, 1973 और 1974 में कितनी इमदादी साईडिंगस चल रही थीं;

(ख) वैगनों की प्लेसमेन्ट के 6 घन्टे पश्चात् उन्हें वापस लेने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) जब परिचालन कठिनाइयों के कारण 6 घन्टे के पश्चात् पायलट इंजन न भेजे जा सकें, तो विलम्ब शुल्क नियत करने की प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 13 ।

(ख) साइडिंगों का संचालन पाइलट से पाइलट प्राणाली के अनुसार किया जाता है जिसके अन्तर्गत पाइलट इंजन माल-डिब्बों को रखने और उनको निकालने के लिए नियमित अन्तराल पर किसी साइडिंग में जाता है ।

(ग) जब निःशुल्क समय बीत जाने पर पाइलट पहली बार साइडिंग में पहुंचता है और यदि उस समय माल-डिब्बे नहीं छोड़े जाते तो जब तक दूसरे पाइलट द्वारा माल-डिब्बों की निकासी नहीं होती तब तक के लिए विलम्ब शुल्क लगाया जाता है ।

दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षत्रों के बीच तेज गति वाली बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाया जाना

4780. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के निकटवर्ती कस्बों के बीच, दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिये, तेज़ गति वाली बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हावड़ा-दिल्ली मुख्य मार्ग का विद्युतीकरण पूरा होने पर मुगलसराय के रास्ते हावड़ा-दिल्ली मुख्य मार्ग पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों को विद्युत कर्षण द्वारा जोड़ दिया जायेगा । हावड़ा-टूंडला खण्ड का विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और बाकी खण्ड अर्थात् टूंडला-दिल्ली लाइन पर यह काम चल रहा है तथा इसे 1976-77 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

दिल्ली में और उसके इर्द-गिर्द महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं अर्थात् उप-नगरीय गाड़ियों के बारे में सर्वेक्षण/अध्ययन का काम चल रहा है और आशा है कि ये अध्ययन 1975 की दूसरी छमाही तक पूरा हो जायेंगे ।

कम्बाटा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बम्बई के निदेशकों को गारंटी कमीशन का भुगतान

4781. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कम्बाटा इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के निदेशकों को गारन्टी कमीशन का भुगतान करने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त की है, यद्यपि ऋण आदि जिसकी उन्होंने गारन्टी की थी, क्या भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम इसकी अनुमति देता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने निदेश जारी किए हैं कि ऐसी सभी रजिस्टर्ड कम्पनियों द्वारा सरकार को ब्यौरेवार सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिये जिन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए गारन्टी कमीशन का भुगतान किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस बुराई के प्रचलन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जा चुका है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) तथा (ग) एक जांच किये जाने पर यह मालूम पड़ा कि मैसर्स कम्बाटा इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से किसी को भी, जनता से जमा के रूप में लिये गये ऋण हेतु दी गई गारन्टी पर कोई कमीशन नहीं दिया गया है या दिया जा रहा है । इसलिए आगे पूछा गया प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) तथा (ङ) गारन्टी कमीशन की अदायगी में कम्पनी अधिनियम का कोई उल्लंघन निहित नहीं है ।

Trade Unions at Saharanpur Railway Station

4782. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the trade unions functioning at Saharanpur railway station;

(b) the names of the union which took part in the railway strike in May;

(c) whether local high railway officers show indifference towards the loyal union and employees; and

(d) whether the difficulties of public have increased due to their behaviour and the action being taken by Government for reforming the system ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Northern Railwaymen's Union and Uttariya Railway Mazdoor Union recognised and affiliated to All India Railwaymen's Federation and National Federation of Indian Railwaymen, respectively

(b) Northern Railwaymen's Union.

(c) No.

(d) Does not arise.

बिहार को डीजल तेल की सप्लाई

4783. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर से नवम्बर, 1974 के दौरान बिहार को कितनी मात्रा में डीज़ल तेल सप्लाई किया गया;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र को राज्य को डीज़ल तेल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) डीज़ल सप्लाई के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं । इस समय डीज़ल तेल की सप्लाई निःशुल्क है तथा राज्यवार कोटे का आवंटन किया जा रहा है । इस समय बिहार राज्य की मांग पूर्ण रूप में पूरी की जा रही है तथा अपेक्षित सीमा तक तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई में वृद्धि की गई है ।

कटक-पारादीप रेल लिंक (दक्षिण पूर्व रेलवे) में नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

4784. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कटक-पारादीप रेल लिंक के बहुत से नैमित्तिक श्रमिकों की हाल ही में छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रशासन का विचार इन श्रमिकों को निर्माणाधीन जखपुरा-वांसपानी लाइन में नियुक्त करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गत वर्ष में उन कामों को पूरा हो जाने पर 1,730 नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था जिनके लिए उनको लगाया गया था ।

(ग) जी हां, काम प्रारम्भ होने पर जिस सीमा तक सम्भव हो पायेगा ।

गरपा रेल दुर्घटना काण्ड

4785. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1974 के धनबाद के कोल्फील्ड गजट में प्रकाशित "गरपा रेल एक्सीडेन्ट स्केन्डल" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भयानक रेल दुर्घटना के बारे में अतिरिक्त रेल सुरक्षा आयुक्त, कलकत्ता के जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) गरपा स्टेशन पर या इसके निकट 15-3-74 को या इसके आसपास कोई ऐसी गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी जिसकी जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्त कलकत्ता स्थित ने की थी ।

लेकिन 23-8-74 को यदुग्राम ब्लाक हट और गरपा के बीच एक दुर्घटना हुई थी । इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्त पूर्वी क्षेत्र के कलकत्ता स्थित द्वारा की गयी थी । इनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी । रेल संरक्षा के अपर आयुक्त की अनन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

कलकत्ता को पर्यटन केन्द्र दीघा से जोड़ना

4786. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र तट के पर्यटन केन्द्र दीघा को खड़गपुर के रास्ते कलकत्ता से जोड़ने की वांछनीयता एवं सम्भाव्यता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कंटाई रोड से कंटाई तक रेलवे लाइन के लिए 1947-48 में जो टोह सर्वेक्षण किया गया था उससे ज्ञात हुआ था कि यह परियोजना बहुत ही कम यातायात आकृष्ट करेगी और अलाभप्रद रहेगी । उसके बाद कन्टाई अथवा दीघा के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक या अन्यथा कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है । इसे देखते हुए तथा वित्तीय कठिनाई के कारण इस प्रस्ताव पर, फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता ।

Proposal to stop supply of Petrol to Nepal

4787. **Shri Shrikishana Agrawal :**
Shri Nawal Kishore Sharma:
Shri Prasannbhai Mehta :
Shri Ranen Sen:
Shri S. R. Damani:
Shri Bhola Manjhi:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of stopping the supply of petrol and other petroleum products to Nepal under Indo-Nepal Trade and Transit Treaty;

(b) if so, the main reasons therefor; and

(c) the date from which it is going to be stopped ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K.D.Malaviya) : (a) to (c) It has been decided that with effect from 1st January, 1975, supply of petrolium products to Nepal will not be made on the basis of direct sales. This has become necessary due to constraints in foreign exchange and limited availability of petroleum products for our own needs. Nepal will be provided product handling, refining, product exchange and commercial assistance as may be required for its supplies of petroleum products and this has been appreciated by the Government of Nepal.

नई दिल्ली में पार्सल डिपो ग्रांट रोड तक मशीनरी के नाम पर चावल भेजा जाना

4788. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल कार्यालय, नई दिल्ली स्टेशन से सितम्बर, 1974 के महीने में पश्चिम रेलवे के पार्सल डिपो ग्रान्ट रोड की मशीनरी पुराने मोटर पुर्जों के कुछ पार्सल बुक किए गए थे;

(ख) क्या गन्तव्य स्थान पर उनकी जांच करने पर उनमें चावल पाया गया था;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन की सरकारी रेलवे पुलिस ने आवश्यक सप्लाई (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और वह उसकी जांच कर रही है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज कार्य को गति देने के लिये विदेशी सहायता मांगना

4789. **श्री नरेन्द्र कुमार सांहरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में तेल तकनीकी विदों के चार-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय उन्होंने सुझाव दिया था कि तेल खोज कार्य को गति देने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेशी ड्रिलिंग ठेकेदारों की सहायता प्राप्त करे;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तट-दूर एवं तट पर ड्रिलिंग के लिए विदेशी सहयोगियों के साथ कोई प्रबन्ध किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को गत समय में जब कभी आवश्यकता पड़ी इस प्रकार की विदेशी सहायता मिलती रही है ।

(ग) आयोग इस समय बम्बई हाई क्षेत्र में व्यधन कार्य के लिए संविदाधीन अमेरिका कर मैसर्स अपतटीय अन्तर्राष्ट्रीय एस ए की सेवाओं का उपयोग कर रहा है । इस वर्ष मई में बंगाल और कच्छ बेसनों की अपतटीय खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के दो समूहों के साथ दो तेल अन्वेषण संविदाएं की गई हैं ।

रेल कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न के मामले न्यायालय में ले जाना

4790. **श्री अजीत कुमार राहा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेल कर्मचारी उत्पीड़न के विभिन्न उपायों के कारण न्यायालय में गए हैं और कितने मामलों में अन्तःकालीन व्यादेश जारी किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों में न्यायालयों ने रेल कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिये और न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को सेवा में वापस लेना पड़ा और अथवा उनके बोनस अदा करने पड़े;

(ग) रेलवे बोर्ड तथा विभिन्न ज़ोनल रेलों सहित रेल मंत्रालय द्वारा (1) मुकदमों की पैरवी और (2) वेतनों की अदायगी पर कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी; और

(घ) कितने मामलों में रेल मंत्रालय द्वारा न्यायालय के आदेशों पर अपीलें दायर की गई हैं और उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Loss incurred by 'Sahabpur-Kamal Monghyrghat' branch line of N.E. Railway

4791. **Shri Shiv Shankar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the trains on 'Sahabpur Kamal-Monghyrghat' branch line of the Northern Eastern Railway are running in loss;

(b) if so, whether Government have ascertained that the income earned from Monghyr-Monghyrghat steamer service is increasing while Railways are suffering loss;

(c) whether Government are aware that persons going to attend the Courts at Khagaria or Begusarai from Monghyr do not get connecting train at Sahebpur Kamal on mail line in time and Ghat train is irregular as a result of which the passengers have to travel by taxi and other conveyances by paying two-fold or three-fold higher fare than the Railway fare; and

(d) the steps being taken to remedy the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) No. Out of 3 pairs of passenger trains running on this Section one pair *viz.*, 381 Up and 380 Dn. trains have been cancelled due to shortage of coal. Of the remaining two pairs, 379 Up train maintains connection at Saheb Pur-Kamal with 17 Up and 3 Dn. trains for facility of Court passengers going to Begusarai & Khagaria. Special watch is kept on the punctuality of trains on Sahabpur-Kamal-Monghyrghat Section which is even at present 80% to 90%.

(d) Does not arise.

Funds allocated for building Quarters for Railway Staff during 1974

4792. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total funds allocated in 1974 for building quarters for all the categories of Railway staff; and

(b) the funds that will actually be spent this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) The amount for the purpose is not allotted calender year-wise, but on the basis of a financial year. The amount allotted for construction of Staff Quarters during the financial year 1974-75 is Rs. 9.23 crores which includes Rs. 2.09 crores for construction of Staff Quarters forming an integral part of projects/schemes. The actual amount expected to be spent during the current financial year will be known when the revised estimates are received from the railways towards the end of December, 1974.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे पार्सल कर्मचारियों द्वारा बम्बई को चावल की तस्करी

4794. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर काम करने वाले कुछ पार्सल कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों के रास्ते बम्बई को चावल की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या पार्सल डिपो ग्रांट रोड (पश्चिम रेलवे) में सितम्बर, 1974 में चावल के कुछ बक्से पकड़े गये थे; और

(ग) यदि हां, तो "आंमुका" के अधीन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ऐसे एक मामले में नयी दिल्ली स्टेशन के एक पार्सल क्लर्क की मिली भगत होने का संदेह है। उसे नयी दिल्ली से स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि ग्रांट रोड स्टेशन के पार्सल डिपो पर कोई व्यक्ति संबंधित परेषणों की सुपुर्दगी लेने के लिए नहीं आया था इसलिए वे जब्त कर लिए गये थे और राशन नियंत्रक, बम्बई को सौंप दिये गये थे। बम्बई सेंट्रल स्टेशन की सरकारी रेलवे पुलिस ने आवश्यक सप्लाई (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत 23-9-74 को एक मामला दर्ज कर लिया था और अब वह उसकी जांच कर रही है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में क्लर्कों के पदों पर गैर-मैट्रिक व्यक्तियों की नियुक्ति

4795. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में चालू वर्ष में कुछ गैर-मैट्रिक अथवा समान अर्हताओं के व्यक्तियों को क्लर्कों के पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनका चुनाव किस प्रकार किया गया था; और

(ग) उक्त प्रकार के चुनाव के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 8 व्यक्तियों का चुनाव महाप्रबन्धक द्वारा उनमें निहित शक्तियों के अधीन किया गया था। शिक्षा संबंधी अर्हताओं में छूट देना महाप्रबन्धक की क्षमता के अन्तर्गत है।

कच्चे माल एवं औषध परीक्षण सुविधाओं के अभाव के बारे में ज्ञापन

4796. **श्री दशरथ देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन की पश्चिम बंगाल शाखा ने सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति को अपने एक ज्ञापन में कच्चे माल एवं वित्त के अभाव तथा औषध परीक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) औषध एवं भेषज उद्योग पर गठित समिति ज्ञापन की जांच कर रही है। फरवरी, 1975 तक कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की आशा है तथा समिति की सिफारिशों पर यथा आवश्यक कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी। कच्चे माल आदि की कमी को दूर करने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है।

"अशोधित तेल का आयात"

4797. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल का उत्पादन करने वाले देशों में 1 अप्रैल, 1974 से 30 अक्तूबर, 1974 के बीच कितने तेल का आयात किया गया; देश-वार मात्रा में कितनी वृद्धि हुई और कितना मूल्य अदा किया गया अथवा किया जाना है;

(ख) किन-किन कम्पनियों को आयात की अनुमति है; और

(ग) पूरे वर्ष की खनिज तेल की अनुमानित आवश्यकता क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :--

मा = मिलियन मीटरी टनों में।

मू = मूल्य रुपयों में/करोड़।

देश का नाम	अप्रैल-अक्तूबर, 1973		अप्रैल-अक्तूबर, 1974		मात्रा में वृद्धि
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य*	
ईरान	5.41	87.07	4.14	271.47	--1.27
साऊदी अरब	2.11	35.86	2.47	147.23	+0.36
ईराक	0.57	10.40	1.78	123.28	+1.21
कुल योग :	8.09	133.33	8.39	541.98	

*अस्थाई

(ख) बर्मा शैल, कालटैक्स, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड।

(ग) सीमित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के कारण, वर्ष 1974-75 में समस्त शोधनशालाओं द्वारा देशीय और आयातित तेल सहित कुल 21 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के परिष्करण किए जाने की संभावना है।

नये उपक्रम 'साल्ट वर्क्स' के लिये मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड द्वारा अधिसूचना

4798. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्डस् लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य में उत्तर कनारा जिले में स्थित एक नये उपक्रम 'साल्ट वर्क्स' के लिये एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कलकत्ता के दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिसूचना में इस नये उपक्रम से प्रभावित अर्थात् हीरेगुट्टी के लोगों और कर्नाटक राज्य में उत्तर कनारा के सीमावर्ती जिले के गांवों के लोगों के बारे में पर्याप्त रूप से कहा गया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो किससे और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हाँ, श्रीमान् जी। ये नोटिस कम्पनी द्वारा दिनांक 20-12-73 के "अमृत बाजार पत्रिका" तथा दिनांक 6-12-73 के "कैपीटल" में प्रकाशित किये गये थे।

(ख) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा नियम, 1970 के अन्तर्गत नोटिसों का, कम से कम एक बार भारत में व्यापार से संबंधित पत्रिका में तथा कम से कम एक बार सम्पूर्ण अथवा सारतः सम्पूर्ण भारत में परिचालित अंग्रेजी दैनिक अखबार में प्रकाशित होना अपेक्षित है।

(ग) हाँ, श्रीमान् जी।

(घ) कम्पनी के प्रस्ताव पर, ग्राम पंचायत टोकी तथा हीरेगुट्टी के प्रधान द्वारा तथा इस परियोजना के लिये भूमि की अवाप्ति से प्रभावी कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आपत्ति की गई है। कम्पनी का प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है एवं इसके विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर सम्यतः विचार किया जायेगा।

Request to open New Station between Gonda and Bangain

4799. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any request regarding opening of a new station between Gonda and Bangain railway stations on North Eastern Railway has been received from the Legislator from Gonda;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government thereon; and

(c) whether the proposal regarding opening of a station between Gonda and Bangain stations was accepted by Government but later on it was dropped ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) The proposal was examined but could not be accepted.

(c) No.

पूर्व रेलवे के बर्खास्त किये गये/हटाये गये कर्मचारियों का वहाल किया जाना

4800. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में मई, 1974 की हड़ताल के कारण डिवीजनवार, वर्कशापवार कितने-कितने स्थायी, अस्थायी मासिक वेतन पाने वाले नैमित्तिक, दैनिक वेतन वाले नैमित्तिक कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए गये, हटाये गये अथवा जिनकी सेवा समाप्त की गई;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी तब से इस बीच काम पर वापस ले लिये गये हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी अभी काम पर वापस लिये जाने हैं, और

(घ) उन्हें बहाल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्रियों के लिये दिल्ली से बंगलौर के लिये अपर्याप्त रेल सेवा

4801. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि यात्रियों के लिये दिल्ली से बंगलौर तक रेल सेवा पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय नयी दिल्ली और बंगलौर के बीच चल रही 24/15 और 16/43 एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में एक पहले दर्जे और एक दूसरे दर्जे के 3-टीयर शयनयान चल रहे हैं। इन स्टेशनों के मध्य यातायात के सामान्य प्रवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सीधे चलने वाले सवारी डिब्बे पर्याप्त पाये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे के बारे में रुसी दल का दौरा

4802. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि:

(क) कलकत्ता ट्यूब रेलवे के अब तक किए गये कार्य की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या ट्यूब रेलवे के संबंध में रूसी दल ने हाल ही में कलकत्ता का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उन्होंने क्या टिप्पणी की है; और

(घ) काम कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1973 में व्यावहारिक रुप से काम शुरू करने से पहले ब्यौरेवार अभिकल्प, जमीन की व्यवस्था, सामान की खरीद भंडार डिपुओं के बनाये जाने, निविदा संबंधी कागजों को तैयार करने आदि के काम महानगर परिवहन परियोजना संगठन द्वारा प्रारम्भ किये गये थे। अब तक 3 सिविल ठेके दिये गये हैं तथा 7 खंडों की निविदायें प्राप्त हुई हैं।

1974 के अंत तक ठोस काम की प्रगति 5.35 प्रतिशत रही है। 1973–74 के अन्त तक 5.28 करोड़ रुपये खर्च हुए तथा आशा है कि 1974–75 में 7.7 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भंडार और उपस्करों की सप्लाई के लिए रूसी प्राधिकारियों के साथ बातचीत 1973 में की गयी थी लेकिन रूसी सहायता कुल कितनी मिल पायेगी इसकी स्पष्ट तस्वीर जून, 1974 में तब सामने आयी जब रूस के उच्चस्तरीय तकनीकी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया ।

(ग) रुसी प्रतिनिधि मंडल के आठ सदस्य थे जिनके नेता रूसी परिवहन निर्माण मंत्रालय के श्री ए० एफ० डेनिशेको थे। यह दल कुल 22 दिन तक रहा । दी गयी रूसी सहायता की कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

(क) स्वीकृत सप्लाई	17.00
(ख) सप्लाई जिसकी स्वीकृति दी गयी बशर्ते रूसी उपस्करों का विकास सफलता-पूर्वक हो।	15.00
(ग) सप्लाई जिसका ब्योरा तैयार हो जाने के बाद बातचीत की जायेगी	6.00
(घ) सप्लाई जिसकी संभावना नहीं है . .	62.00
	100.00%

(घ) इसे चालू करने के निर्धारित समय के बारे में साधनों के संदर्भ में इस समय समीक्षा की जा रही है लेकिन यह काम 1981 से पहले नहीं हो पायेगा।

'विटूमन' निगम की स्थापना का प्रस्ताव

4803. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में 'विटूमन' निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस बीच यह प्रस्ताव त्याग दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस उद्देश्य के लिए क्या वैकल्पिक प्रस्ताव किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र की विटूमेन विपणन कारपोरेशन का पंजीकरण हो गया है तथापि वित्तीय साधनों का वर्तमान अभाव देखते हुए, विद्यमान तेल कम्पनियों के विपणन विटूमेन की एक या अधिक सहायक कम्पनी के रूप में नई कम्पनी की स्थापना के विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

Loss of fire in Hindustan Petroleum Corporation Refinery at Trombay

4804. **Shri Chandu Lal Chandrakar :**

Sardar Swaran Singh Sokhi :

Will the Minister of **Petroleum And Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the cause of the outbreak of fire in a big tank containing crude oil in the oil refinery of Hindustan Petroleum Corporation at Trombay in North Bombay on 22nd October, 1974 have been detected; and

(b) the amount of loss suffered as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) The fire was caused by a lightning which struck the tank.

(b) There was loss of about 256 tonnes of crude. There was some damage to the tank also but the extend of damage to the tank can be determined after the tank is de-commissioned which will require some time.

राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में दसवर्षीय परिसीमन

4805. **श्री नारायण चन्द परासर** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1971 की जनगणना के पश्चात् दस वर्षीय परिसीमन कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह प्रक्रिया आरंभ हो गई है परन्तु पूरी नहीं हुई है ;

(ग) इन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(घ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह प्रक्रिया आरंभ ही नहीं हुई है ;

(ङ) सम्पूर्ण भारत में परिसीमन की पूरी प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(च) क्या इस प्रक्रिया को निर्धारित समय से पूर्व पूरा करने के लिये कोई प्रयास किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महषि) : (क) : नागालैंड, पांडिचेरी, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, दमण और दीव, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ।

(ख) तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संघ राज्य-क्षेत्र ।

(ग) (i) तमिल नाडु राज्य की बाबत सार्वजनिक बैठकें अब पूरी हो चुकी हैं । आन्ध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक बैठकें 14 दिसम्बर, 1974 को पूरी हो जाएंगी और इन दो राज्यों में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये आयोग का आदेश यथा समय जारी किया जाएगा ।

(ii) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में आयोग की सार्वजनिक बैठकें 9 जनवरी और 22 जनवरी, 1975 के बीच की जाने के लिए नियत हैं और तत्पश्चात् आयोग के आदेश जारी किये जाएंगे ।

(iii) राजस्थान के संबंध में, परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन आयोग के प्रस्ताव पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं और उस राज्य में सार्वजनिक बैठकें, पूर्वी राज्यों में सार्वजनिक बैठकों के पश्चात् की जाएंगी ।

(घ) पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली ।

(ङ) और (च) परिसीमन आयोग काम को शीघ्रता से पूरा करने का हर प्रयास कर रहा है । इस कार्य को पूरा करने का अस्थायी लक्ष्य लगभग जुलाई, 1975 है ।

मैसर्स सीवा आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्टीन का उत्पादन

4806. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सीवा आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किस स्तर से स्टीन का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे स्टीन का मूल्य तैयार से अधिक है और यदि हां, तो मैसर्स मर्क को कच्चा स्टीन आयात करने की क्यों अनुमति दी जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औद्योगिक लाइसेंस के लिये दिनांक 3-3-1971 के अपने आवेदन पत्र में मैसर्स सीबा आफ इंडिया लि० (अब सीवा गेगी लि०) द्वारा दिये गये प्रस्ताव में कूटू के बीज से रुटिन का निर्माण किया जाना निहित है । पार्टी ने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है ।

(ख) मैसर्स आर० मर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 1-8-1974 के आयात संबंधी आवेदन-पत्र में क्रूड स्टिन का सी०आई० एफ० मूल्य 124 प्रति रुपये किलो ग्राम के हिसाब से दर्शाया गया है । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा बनाये गये आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1973-74 के दौरान रुटिन (विटामिन बी) का औसत सी० आई० एफ० मूल्य 142.80 रुपये प्रति किलो ग्राम निकलता है ।

मैसर्स आर० मर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को क्रूड रुटिन के आधार पर रुटिन का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया गया है और इसलिये इस पार्टी को क्रूड रुटिन को आयात करने की इजाजत दी जाती है । तथापि, इस पार्टी को मूल अवस्थाओं से रुटिन का निर्माण करने की संभावनाएं बनाने तथा इस बारे में एक प्रमाणीकृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । उन्होंने अब यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है ।

रेलवे हड़ताल के बाद बिना गार्ड तथा ब्रेकवन के गाड़ियों का चलाया जाना

4807. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली हड़ताल के बाद डिविजनल प्राधिकारियों ने रेल गाड़ियां विशेषकर माल गाड़ियां बिना गार्ड तथा ब्रैक-वैन चलाना आरंभ कर दिया है ;

(ख) क्या ऐसा करके डिवीजन प्राधिकारी 'सुरक्षा नियम' का उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) : आमतौर से गाड़ियां बिना गार्ड या ब्रेक-यान के नहीं चलती हैं । फिर भी, अपरिहार्य परिस्थितियों में विशेष हिदायतों के अन्तर्गत गाड़ियां बिना गार्ड या ब्रेक-यान के चलायी जा सकती हैं जो कि वर्तमान नियमों के अधीन अनुमेय है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साबुन उद्योग के लिय 'मटन टैल्रो' की कमी

4808. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'मटन टैली' की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कमी से देश के साबुन उद्योग को भारी नुकसान पहुंच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) से (ग) जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है बकरे की चर्बी के अभाव का प्रश्न नहीं उठता है चूंकि एक निर्णय लिया गया है कि साबुन का निर्माण करने के लिए चर्बी का और आयात नहीं किया जाएगा । लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में, यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मी० टन चर्बी का इस समय आयात किया जा सकता है और आगामी दो वर्षों के अन्दर उसका आयात खतम करने के लिए चर्बी का प्रयोग चरणबद्ध किया गया है । लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा साबुन का निर्माण करने के लिए बकरे की चर्बी के अभाव की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० डी० पी० एल० के कुछ कर्मचारियों को बहाल करने संबंधी फैसला

4809. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी०पी० एल० ऋषिकेश के 12 कर्मचारियों को बहाल करने संबंधी केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिये गये पंच फैसले के आई०डी०पी०एल० के अधिकारियों ने स्वीकृत तथा कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) क्या तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इस फैसले को कार्यान्वित करने के लिये सहमत हो गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इस फैसले के कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो फैसले के कार्यान्वित कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) से (घ) भारतीय औषध तथा भेषज लि०, ऋषिकेष, के 12 कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री का निर्णय भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा मंजूर किया गया था और जून, 1974 को कंपनी के प्रबंध को सूचित किया गया था । कंपनी के प्रबंध द्वारा इस पर कार्यवाई की जानी है ।

वर्कर्स यूनियन के साथ, इस मामले और अन्य मांगों पर कई बैठकें पहले ही हुई हैं । निर्णय के कार्यान्वियन के तरीके ढूंढने और समझौते पर निर्णय लेने के लिए प्रबंध और वर्कर्स यूनियन की दसरी बैठक होने का प्रस्ताव है ।

मैसूर-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4810. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मैसूर और बंगलौर के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य आरंभ न किये जने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि निर्णय अभी तक नहीं किया गया है, तो इसके कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस आमान परिवर्तन परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार हो रहा है । रिपोर्टों पर सभी दृष्टियों से विचार कर लिए जाने के बाद और इसके लिए धन उपलब्ध होने पर ही, कोई विनिश्चय किया जा सकेगा ।

औषधियों की कमी

4811. **श्री धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) बहुराष्ट्रिकों के ब्रांड नामों के अन्तर्गत की जाने वाली प्रमुख औषधियों तक की अनुभव की जा रही वर्तमान कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) जहां उत्पादन पूर्णतया स्वदेशी है वहां यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि उनकी सप्लाई आवश्यकता से कम न पड़े और क्या विभिन्न औषधियों के विक्रय मूल्यों का पुनरीक्षण वर्तमान औषधियों के उत्पादन के विस्तार हेतु लाइसेंस दिये जाने तथा नई औषधियों के उत्पादन के लियें कोई उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम अत्यधिक खपत वाली औषधियों के आयात के मामले में उनकी अपेक्षित मांग पूरी करने हेतु उन्हें प्राप्त कर सका है ; यदि नहीं तो क्या बहुराष्ट्रिकों को अपने ठेकों का प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी ताकि वे औषधियां मंगा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में आवश्यक औषधी की कमी नहीं है । कुछ औषधों, मुख्य रूप से स्वाम्य ब्रांड की औषधों जिनका निर्माण भारतीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा बड़े घरानों द्वारा किया जाता है, की यदा-कदा कमी के बारे में मंत्रालय को राज्य औषधनियंत्रकों से समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रहती हैं । सामान्यतया इसके लिये अन्य निर्माताओं द्वारा बनाई हुई समरूप औषधें उपलब्ध होती हैं । औषध निर्माता एककों को सूत्रयोगों की लाइसेंसीकृत क्षमता की अनुमति देते समय, किसी विशेष प्रकार की औषध, न कि उसके ब्रांड नाम की व्यापक मांग को ध्यान में रखा जाता है । इससे कतिपय ब्रांड के उत्पादों, की कमी हो सकती है ।

(ख) पांचवी योजना के दस्तावेज में वर्ष 1978-79 तक औषध सूत्रयोगों के उत्पादन को 350 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की व्यवस्था है । इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा नेतृत्व की भूमिका निभाई जाने की आशा है और इसके द्वारा सूत्रयोगों का उत्पादन 8 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा । योजना में सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के उत्पादन हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । उद्योग तथा नागरिक अपूर्ति मंत्रालय ने उद्योगों को 1974-75 के लिए जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धांतों में, औषधों के नाम, अनुमानित मांग तथा उपलब्ध क्षमता बताई है ताकि सम्भाव्य निर्माता निर्माण को उपयुक्त प्रणालो के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकें ।

जहां तक प्रपुंज औषधों के मूल्यों का संबंध है, वर्ष 1973-74 के पेट्रोलियम संकट के परिणामस्वरूप कच्चे माल तथा अन्य अंर्तवाद लागतों में असमान्य वृद्धि हो गई थी । बी०आई०सी०पी० को केवल कच्चे माल तथा अंर्तवाद के मूल्यों में हुई वृद्धि के आधार पर अंतरिम मूल्य संशोधन करने के बारे में सुझाव देने के लिए अनुदेश दिए गए थे । सूत्रयोगों के मूल्य संशोधन कार्य-विधि को भी सुव्यवस्थित कर लिया गया है तथा वी०आई०सी०पी० को आवश्यक मार्ग-दर्शक सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं । उन औषध निर्माता एककों, जिनकी कुल बिक्री 50 लाख रुपये प्रति-वर्ष से अधिक नहीं है, को अपने सूत्रयोगों के मूल्यों के बारे में सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता से विमुक्त कर दिया गया है ।

(ग) जहां तक प्रपुंज औषधों का संबंध है, विटामिन बी-6 तथा टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराईड को छोड़कर, भारतीय व्यापार निगम द्वारा आयात किए जाने वाले प्रपुंज औषधों, मध्यवर्ती औषधों तथा रसायन की वास्तविक उपभोक्ताओं की वर्ष 1973-74 की समस्त आवश्यकताओं को उनकी हकदारी के अनुसार पूर्णरूप से पूरा कर दिया गया है । जहां तक वर्ष 1974-75 की आवश्यकताओं का प्रश्न है, भारतीय व्यापार निगम ने अधिकतम मदों के पर्याप्त मात्रा में आयात हेतु, व्यवस्था कर ली है तथा शेष मदों के बारे में प्रयत्न जारी है । कम्पनियों की वह सहायता जो आयातित प्रपुंज औषधों तथा कच्चे माल को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त मामलों में ली जाती है ।

कोयला 'ट्रेसर्स' धनबाद के संबंध में अभ्यावेदन

4812. **श्री राबिन सेन : क्या** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र सुपरिटेडेंन्ट, धनबाद के अन्तर्गत कार्य कर रहे कोयला 'ट्रेसर्स' की समस्याओं के संबन्ध में कोई अभ्यावेदन उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है ;

(ख) उसकी मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । इस संबन्ध में श्री समर मुखर्जी, संसद् सदस्य, से एक अभ्यावेदन मार्च 1974 में प्राप्त हुआ था ।

(ख) उसमें यह निवेदन किया गया था कि कोयला ट्रैसरों का पदनाम बदलकर दावा ट्रैसर (कोयला) कर दिया जाये और उन्हें 150-240 रु० (प्रा० वे०) के वेतनमान में रखा जाये तथा उनका संवर्ग मुख्य वाणिज्य अधीक्षक के अधीन दावा कार्यालय के कर्मचारियों के संवर्ग में मिला दिया जाये ।

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप कोयला ट्रैसरों की कोटि पर लागू 130-212 रु० और 150-240 रु० के प्राधिकृत वेतनमान 1-1-73 से 330-480 रु० के एक ही वेतनमान में मिला दिये गये हैं। यह वेतनमान दावा ट्रैसरों पर लागू 150-240 रु० के प्राधिकृत वेतनमान के तदनुरूप है । इस प्रकार उनकी यह मांग कि कोयला ट्रैसरों को वही वेतनमान दिया जाय जो दावा ट्रेसरों को दिया जाता है, पूरी हो गयी है । जहां तक कोयला ट्रेसरों के संवर्ग को दावा ट्रेसरों के संबर्ग में मिलाने का संबन्ध है, यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

विशेष निर्यात रेलगाड़ियों से कम मात्रा में वस्तुओं का लदान

4814. **श्री सी० के० चन्द्राप्पन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछले आठ सप्ताहों में अपनी विशेष निर्यात रेल गाड़ियों से उत्तर से बम्बई तक कम मात्रा में वस्तुओं का लदान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि निर्यात स्पेशलों द्वारा माल की कम ढुलाई का कारण इन गाड़ियों में ले जायी जाने वाली निर्यात की वस्तुओं का कम उत्पादन है । मालडिब्बों की उपलब्धता संबन्धी कोई समस्या नहीं थी ।

Cut in Free Railway Travel Facility to Railway Employees

4815. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether in view of the present stringent economic situation in the country and the adoption of the policy of effecting cuts in expenditure at all stages, Government propose to impose any cut on the free Railway travel facility to their employees; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) In view of the fact that the Transport Organisations all over the world grant travel facilities to their employees and there is no loss of revenue as such, there is no proposal to impose any cut on the free travel facilities to the Railway employees.

(b) Does not arise.

Conversion of all Coaches into I Class

4816. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether in order to maintain the spirit of equaility in democracy Government propose to convert all the existing coaches of passenger trains into I class ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : No.

Railway Lines in Adivasi Areas

4817. Shri Dhan Singh Pradhan : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey for constructing railway lines in several Adivasi areas in the entire country from the point of view of travel and trade facility to the public there and monetary gain to Government; and

(b) if so, the salient feature thereof and the time to be taken in its implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) A statement of the surveys conducted during the past 5 years covering areas with more than 50% Tribal population and also giving the present position of the projects is attached. **[Placed in the Library. See No. L.T.–8783/74].**

पूर्वोत्तर क्षेत्र से अशोधित तेल का उत्पादन

4818. **श्री डी० पी० जदेडजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र से कितने अशोधित तेल का उत्पादन हुआ था ;

(ख) इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस वर्ष के अन्त तक सरकार को कितनी वृद्धि की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) वर्ष 1973 में उत्तर-पूर्व क्षेत्र (असम) में अशोधित तेल का उत्पादन 3.59 मिलियन मी. टन था।

(ख) और (ग) जनवरी से नवम्बर 1974 की अवधि में इस क्षेत्र के उत्पादन से गत वर्ष की उसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में लगभग 1,10,000 मी० टन की वृद्धि होने का पता लगता है ।

इस वर्ष के अन्त तक गत वर्ष की तुलना में लगभग 1,40,000 मी० टन तक वृद्धि होने की संभावना है ।

Khandwa Railway Line via Godra, Jhabua

4819. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the area falling between Alirajpur and Jowar in Jhabua district is very rich in mineral deposits;

(b) if so, whether it is essential to construct Khandwa railway line via Godra, Jhabua, Alirajpur-Kuksi-Bakani-Kharagon in order to exploit these deposits; and

(c) if so, whether Government propose to lay this railway line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Engineering and traffic surveys carried out in 1953-55 for a new line between Indore and Dohad for the two alternatives, via Jhabua or via Jobat, had shown that the line would attract very little traffic and would be heavily unremunerative with a negative return. Apparently the mineral deposits in the area were not expected to generate sufficient traffic to make the line passing through Jobat and Jhabua financially viable.

(b) and (c) In view of the traffic likely to be generated on the proposed rail link not being sufficient, the line not being financially viable and also due to the present difficult financial position of the Railways, it will not be possible to take up the proposal at present.

Railway Line from Korba to Vishrampur via Sitapur

4820. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government propose to construct a railway line from Korba in Sarguja district (Madhya Pradesh) to Vishrampur via Sitapur-Ambikapur taking into account the fact that Vishrampur, Bridanda-Anooppur are linked with broad gauge line and after the construction of the aforesaid railway line, it will be very convenient to make use of the Bauxite deposits available in Bilaspur and Sarguja districts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Bishrampur is already linked by a B.G. railway line via Korba though by a circuitous route via Champa, Bilaspur, Anuppur and Bauridand. A survey for the construction of a railway line from Korba to Ranchi via Sitapur is proposed to be carried out during the current financial year. The proposal to link Bishrampur to Sitapur via Ambikapur can be considered after the rail link between Korba and Ranchi is laid.

Conversion of Gondia-Jabalpur Metre Gauge Line into Broad Gauge Line

4821. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government propose to convert the Gondia-Jabalpur metre gauge line into broad gauge one ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Based on the recommendations of Uneconomic Branch Lines Committee, 1969, a traffic survey for the conversion of the northern sections of the Satpura N.G. system (including Jabalpur-Gondia) had been carried out. A decision regarding its conversion will be taken after the examination of the survey report is completed.

Dhalli Rajhara-Jagdalpur Railway Line

4822. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh has been constantly requesting the Government of India for the construction of Dhalli Rajhara-Jagdalpur railway line;

(b) whether the Bastar District (M.P.) which has an area of 40,000 sq. kilo metre and is rich in forest wealth has not developed for want of means of transport particularly railway lines; and

(c) if so, the steps taken to construct a railway line for linking Dhalli Rajhara with Jagdalpur via Narainpur and Koda Gaon and the time by which this work is likely to be taken up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) A final location survey for the construction of a railway line from Dhalli Rajhara to Jagdalpur via Narainpur and Konda Gaon is in progress and is expected to be completed by the end of December, 1974. The proposal will be considered for being taken up for construction after the survey reports are received and examined, subject to the availability of funds.

Export of Indian Medicines

4823. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether certain countries have shown interests in the medicines produced in India; and

(b) if so, their names and the names of Indian made medicines being exported to them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Exploration of markets abroad by the Government, Indian drug manufacturing companies and the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Soaps Export Promotion Council

is a continuous process. Whenever it is found that certain parties or countries evince some interest in our products, the matter is pursued for securing such orders in an appropriate manner. Names of major categories of drugs exported, their value during the past three years and names of major buying countries are as follows :—

S. No.	Item	Exports during			Major buying countries
		1973-74	1972-73	1971-72	
		(Rs. lakhs)			
1.	Quinine Salts . .	86.55	59.76	73.07	Bulgaria, Hungary, West Germany.
2.	Anti diabetic drugs	33.72	6.95	24.65	USSR, Australia, West Germany.
3.	Sulpha drugs	20.69	1.20	0.21	Hungary, Switzerland.
4.	Papain .	5.30	2.30	0.014	USA, France, U.K., USSR.
5.	Medicinal Castor Oil .	2068.91	203.64	23.03	USA, Japan, France, Netherland.
6.	Menthol	14.07	4.01	0.004	U.K.

Besides these several drug formulations of Vitamins, Antibiotics, Alkaloids, Sera and Vaccines, Anti-malarial and anti-T.B. preparations etc. have been exported.

Translation of Law Books into Hindi and other Regional Languages

4824. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the particulars of the progress of the arrangements made for the translation into Hindi and other regional languages of law books in English; and

(b) the names of the law books translated so far by the Ministry and the time by which targets laid down therefor would be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) The Ministry of Law, Justice and Company Affairs have in hand a scheme for translation of selected law books which have acquired the status of classics, into Hindi language. Steps have been taken for obtaining translation rights of the books proposed to be translated, on priority basis, from Foreign and Indian Authors/Publishers who hold the copy-rights.

(b) The English law books will be translated and published in Hindi as soon as the translation rights are acquired.

The Official Language (Legislative) Commission of this Ministry have, however, published the Hindi version of the Constitution of India. The Malayalam version of the Constitution has also been published. The Constitution has also been translated in Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. Action has also been initiated to have these translations printed as early as possible The translation of the Constitution in Kashmiri is also under preparation.

The Official Language (Legislative) Commission have also published authentic Hindi versions of 345 Central Acts. Hindi translations of 190 more Central Acts have been finalised by the Commission and they are in different stages of printing. Diglot editions (English and Hindi side by side) of 148 Central Acts have also been published. Arrangement have also been made to have the Central Acts translated into the various regional languages.

The Official Language (Legislative) Commission have also finalised Hindi translations of nearly 6000 pages of Statutory Rules and Orders. Of these translations, about 3000 pages have already been published in the Official Gazette.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में दर्ज किये गये मामले

4825. **श्री अरबिन्द एम० पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति (जांच) विनियम, 1970 के विनियम के अधीन एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में दर्ज किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक जिन मामलों में निर्णय किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त आयोग में विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास प्रस्तुत किये गये मामलों की बाबत अपेक्षित ब्यौरे तथा आयोग द्वारा की गई जांचों का उल्लेख, एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन पर सदन के पटल पर पहले ही प्रस्तुत की गई, प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक रिपोर्टों तथा 31-12-73 के कलेन्डर वर्ष समाप्ति की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, जो सदन के पटल पर, चालू अधिवेशन के मध्य प्रस्तुत की जायेगी में किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में आउट एजेंसियों का पुनः खोला जाना

4826. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के गगरेत, भड़वैन, नदौन, परागपुर और ज्वालामुखी नामक स्थानों पर आउट-एजेंसियां पुनः खोलने के प्रश्न पर सरकार पुनर्विचार करेगी तथा इन्हें पहले की तरह एक दिन के बजाय जिसके कारण यातायात बढ़ाया नहीं जा सका ; छः दिन काम करने की अनुमति देगी ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें पुनः खोलने संबन्धी निर्णय को किस तारीख से ले लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इन स्थानों पर आउट एजेंसियां फिर खोली जा सकती हैं बशर्ते आउट एजेन्ट के रूप में काम करने के लिए कोई उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध हो। लेकिन कोई भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यातायात की संभावनाएं बहुत कम हैं ।

कांगड़ा घाटी रेलवे मार्ग का निर्माण

4827. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री **कांगड़ा घाटी** रेलवे में रेलमार्ग के निर्माण के संबन्ध में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे में वैकल्पिक रेल मार्ग बनाने के लिये व्यास बांध परियोजना प्राधिकारियों से कितनी धनराशि मांगी गई तथा इस धनराशि के लिये किस-किस तारीख को दावे प्रस्तुत किये गये ;

(ख) परियोजना प्राधिकारियों ने कितनी धनराशि मंजूर की तथा रेलवे को उपलब्ध करायी और धन राशि किस-किस तारीख को दी गई ;

(ग) क्या रेलवे ने प्रायोजना अधिकारियों को धनराशि के अपर्याप्त होने की सूचना दी तथा सूचना किस तारीख को दी गई ;

(घ) क्या परियोजना अधिकारियों से पर्याप्त राशि प्राप्त करना कठिन पाने के पश्चात् वैकल्पिक रेल मार्ग के निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि के संबन्ध में मामले पर मंत्रालय स्तर पर विचार किया गया ; और ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1971-72 तक प्रारम्भिक कार्य चल रहे थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण न कर पाने के कारण यह काम पूरे जोर-शोर से शुरू नहीं किया जा सका था। 1972-73 से लेकर रेलों के पास राशि जमा कराने के लिए व्यास बांध के महा प्रबन्धक के समक्ष निम्नलिखित पूर्वानुमानित मांगें रखी गयी थीः—

वित्त वर्ष	मांग की तारीख	रेलों के पास जमा कराने के लिए मांगी गयी रकम
		(लाख रुपयों में)
(i) 1972-73 .	21-2-72	250.00
(ii) 1973-74 .	2-1-73	230.00
(iii) 1974-75	1-12-73	183-00

(ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि इस प्रकार है:—

वित्त वर्ष	राशि मिलने की तारीख	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1972-73	25-9-72	50.00
1972-73	9-1-73	25.00
1972-73	19-2-73	50.00
1972-73	12-3-73	50.00
		175.00
1973-74	10-10-73	50.00
1973-74	24-1-74	50.00
1973-74	30-3-74	11.00
		111.00
1974-75	4-7-74	25.00
1974-75	18-7-74	25.00
1974-74	19-11-74	25.00
		75.00

(ग) परियोजना प्राधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से तथा पत्र व्यवहार द्वारा महाप्रबन्धक, व्यास बांध और संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय के स्तर पर नियमित रूप से सम्पर्क रखा जा रहा है । राशि के अपर्याप्त होने और उसके तुरन्त भेजने के लिए अनुरोध के संबन्ध में निम्नलिखित सूचनापत्र/स्मरणपत्र भेजे गये:—

वित्त वर्ष	धन देने के लिए स्मरण पत्रों की तारीख			
	साधारण स्मरणपत्र		अर्ध सरकारी स्मरण पत्र	
1972-73	26-4-72	10-5-72	1-8-72	21-9-72
	1-7-72,	3-7-72	1-12-72	21-12-72
	5-7-72	18-7-72	8-2-73	
	30-8-72	26-9-72		
	2-11-72	29-11-72		
	19-12-73	5-1-73		

वित्त वर्ष	धन देने के लिए स्मरण पत्रों की तारीख			
	साधारण	स्मरणपत्र	अर्द्ध सरकारी	स्मरण पत्र
1973-74	18-4-73	3-5-73	10-1-74	
	18-6-73	2-8-73		
	28-8-73	30-9-73		
	3-10-73	1-12-73		
	13-12-73	1-1-74		
1974-75 . . .	3-8-74	7-9-74	10-4-74	24-4-74
	5-11-74		24-5-74	18-6-74
			27-6-74	9-7-74
			28-7-74	2-11-74
			16-11-74	

(घ) जी हां।

(ङ) व्यास बांध प्राधिकारियों द्वारा 19-11-1974 को 25.00 लाख रुपये की और रकम उपलब्ध करायी गयी है ।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सुधार संबंधी अध्ययन

4828. **श्री नारायण चन्द परांशर :**
श्री समर गुह :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने भारत में लागू किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न निर्वाचन प्रणालियों का, जैसे कि पाश्चात्य प्रजातन्त्रों में प्रचलित आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची-पद्धति (लिस्ट सिस्टम) तथा जापान में प्रचलित बहु-संख्यक निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग किन निष्कर्षों पर पहुंचा और इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० सरोजनी महिषी) : (क) निर्वाचन आयोग ने पाश्चात्य प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलित आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन किया है । किन्तु उसने जापान में प्रचलित बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ एकल असंक्रमणीय मत पद्धति का अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) आयोग का विचार है कि सूची पद्धति (लिस्ट सिस्टम) या किसी अन्य कार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, भारत में संसद् और विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए, उपयुक्त नहीं होगी।

"ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए प्रक्रिया"

4829. **श्री नारायण चन्दपराशर**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन सी प्रक्रिया है जिस के अन्तर्गत कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल तथा पेट्रोल पम्प लगाने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है ;

(ख) क्या डीजल को ऐसी वस्तु माना गया है जो विस्फोटक सामग्री में शामिल है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या डीज़ल पम्पों को लगाए बिना कम्पनियों के एजेंटों द्वारा इसकी एक-मात्र बिक्री पर कोई रोक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तेल कम्पनी द्वारा डीजल/पेट्रोल की बिक्री के लिए फुटकर पम्प विक्रेता के चयन के बाद पम्प लगाने की अनुमति के लिए नक्शे की प्रतिलिपियों सहित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र देना अपेक्षित है । भारतीय रोड कांग्रेस नियम और विस्फोटक पदार्थ विनियमों के अनुसार पूरी सुरक्षा को ध्यान में रख कर नक्शे में पम्प का स्थान, टैंक, बिक्री के लिए भवनों आदि का संकेत होना चाहिये। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त होने पर भंडार संबन्धी लाइसेंस के लिए विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक को आवेदनपत्र देना अपेक्षित है ।

(ख) वर्तमान पेट्रोलियम अधिनियम के अनुसार डीजल तेल गैर खतरनाक पेट्रोलियम उत्पाद माना गया है ।

(ग) 200 गैलन क्षमता वाले विशेष डिब्बों में रखे गए हाई स्पीड डीजल के 500 गैलन बिना लाइसेंस लिए हुए और बिना पम्प स्थापित किए हुए बेचे जा सकते हैं । तथापि ये डिब्बे, विस्फोटक प्राधिकारियों द्वारा मंजर होने चाहियें ।

वर्ष 1974 के दौरान कर्त्तव्य अवहेलना के लिये रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र देना

4830. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान कर्त्तव्य अवहेलना के लिये कुल कितने रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये अथवा निलम्बित किया गया ; और

(ख) ऐसे रेलवे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन के विरुद्ध अब तक जांच चल रही है और उनके मामलों पर कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इक्कट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गाड़ियों में सीटों की संख्या के अनुसार टिकटें जारी करने का प्रस्ताव

4831. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में सीटों की संख्या के अनुसार टिकटें जारी करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो योजना को कार्यान्वित करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, लेकिन, 1-4-1973 से कुछ चुनी हुई तेज सवारी गाड़ियों में सभी स्थान आरक्षित होते है और इस लिए इन गाड़ियों में प्रत्येक यात्री के लिए स्थान सुनिश्चित रहता है ।

(ख) गाड़ियों में उपलब्ध सीमित स्थान और यात्रा करने वाली जनता की ओर से इस स्थान के लिए भारी मांग को दृष्टिगत रखते हुए सभी गाड़ियों में पूरे स्थान को आरक्षित करना और उनमें उपलब्ध स्थान के अनुसार टिकट जारी करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन जो यात्री गाड़ी में जगह पाने में असमर्थ होते हैं उनके लिए यह रास्ता खुला है कि वे स्टेशन पर टिकट वापस करदें और अपना किराया वापस लेलें ।

बीहपुर स्टेशन पर अपराधियों की गिरफ्तारी

4832. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विद्यार्थी आन्दोलन के दौरान रेलवे पुलिस के एक सब-इंस्पैक्टर ने 3 अक्तूबर 1974 को पूर्वोत्तर रेलवे के बीहपुर स्टेशन के डान 'डाउन प्लेटफार्म' पर चाय की दुकान से पिस्तौल तथा गोलियों सहित दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अपराधियों ने रेलवे पुलिस को क्या वक्तव्य दिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अपराधियों ने कोई उपयोगी सूचना नहीं दी ।

एक्सेलशर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के प्रबन्ध निदेशक

4833. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सेलशर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड फरिदाबाद के निदेशक बोर्ड के निदेशकों के नाम तथा वेतन क्या हैं।

(ख) क्या कारपोरेशन का रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में है और यदि हां तो इसके कार्यालय के लिये कितना क्षेत्र किराये पर लिया गया है और इसका मासिक किराया क्या है ।

(ग) दिल्ली कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उनके वेतन क्या क्या हैं ;

(घ) क्या कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक दिल्ली कार्यालय के अहाते में रह रहे हैं और यदि हां, तो क्या उनसे कोई किराया लिया जा रहा है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध उस समय जांच की थी जब वे काश्मीर सिरेमिक लिमिटेड, कथुआ जम्मू के प्रबन्ध निदेशक थे और उसके फलस्वरूप उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) निदेशकों के नाम निम्न प्रकार है :—

1. श्री वी० नान जप्पा
2. श्री जे० एन० रैना
3. श्री एस० पी० बिरमानी
4. श्री आर० एस० गोडबोले
5. श्री एस० पी० बनर्जी
6. श्री आर० एल० सुधीर
7. श्री जे० एस० चानन

कम्पनी ने प्रबन्ध निदेशक श्री जे० एल० रैना को 3,500 रु० मासिक वेतन तथा संदर्शिका के अनुसार बोनस और परिलब्धियों की अनुमति दी गई थी । अन्य निदेशक केवल बैठक शुल्क ही प्राप्त कर रहे हैं ।

(ख) निगम का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है । पंजीकृत कार्यालय के किराये के क्षेत्र या दिये जाने वाले किराये के सम्बन्ध में सरकार को कम्पनियों द्वारा सूचना देना अपेक्षित नहीं है । इसलिए इस विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह सूचना भी उपलब्ध नहीं है चूंकि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को इसका दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(घ) यह सरकार की सूचना में आया है कि वही क्षेत्र कार्यालय के लिए तथा प्रबन्ध निदेशक के निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है । प्रबन्ध-निदेशक, अपनी नियुक्ति की शर्त के अनुसार किराया मुक्त सज्जित मकान के लिए हकदार है ।

(ड़) इस सम्बन्ध में इस विभाग के पास कोई सूचना नहीं है ।

कुवैत में लुबरीकेटिंग आयल कम्पलैक्स के लिये इंजीनियरिंग तथा तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का प्रदान किया जाना

4834. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत में लुबरीकेटिंग आयल कम्पलैक्स स्थापित करने के लिए भारत इंजीनियरिंग तथा तकनीकी परामर्शदात्री सेवाये प्रदान कर रहा है ;

(ख) क्या हमारे देश ने औद्योगिकी में इतनी प्रगति कर ली है कि वह अब इसका निर्यात करने की स्थिति में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह पहला ही देश है जहां के लिये हम इंजीनियरिंग परामर्शदात्री सेवायें प्रदान कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने कुवैत में लुबे कम्प्लेक्स की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) जबकि भारत स्नेहकसेलों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव करने की स्थिति में अब तक नहीं है तब इस सम्बन्ध में हम विदेशों को इंजीनियरी सेवा दे सकते हैं।

(ग) यदि इंजीनियर्स इण्डिया लि० का उक्त प्रस्ताव कार्यन्वित हो जाता है तो कुवैत एक पहला देश होगा जहां परामर्शदात्री सेवाओं का निर्यात होगा।

"रेलवेज हैव नो पिटी आन लैंगलैस हीरो" नामक शीर्षक से समाचार

4835. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के दिनांक 5 अक्तूबर, 1974 के एक साप्ताहिक में "रेलवेज हैव नो पिटी फार लैंगलैस हीरो" शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Orders for Wagons placed with Wagon Factory at Bharatpur

4836. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the numbers of goods wagons for which an order has been given this year to Bharatpur Goods Wagon Factory;

(b) whether this Factory remains closed for three months in a year for want of raw materials; and

(c) if so, the reasons therefor and the reasons for not providing raw material in full quantity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 2637 wagons in terms of four wheelers have been ordered in 1974-75, so far on M/s. Central India Machinery Manufacturing Co. Ltd., Bharatpur.

(b) No.

(c) Does not arise.

कम्पनी अधिनियम में अस्पष्ट उपबन्ध

4837. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1974 में नई दिल्ली में कम्पनी सचिवों की हुई विचार गोष्ठी में यह अनुभव किया गया था कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध अस्पष्ट हैं और उनका स्पष्टीकरण किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार को भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की उत्तर भारत प्रादेशिक समिति, जिन्होंने इस बारे में कम्पनी सचिवों पर गोष्ठी का आयोजन किया था, से कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पांचवीं योजना अवधि के लिये गुजरात में नई रेलवे लाइनों के क्षेत्र

4838. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में नई रेल लाइनें बनाने से कौन-कौन से क्षेत्र उनके अन्तर्गत आ जायेंगे ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनों के विकास और स्थापना के लिए गुजरात राज्य को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों का विकास किसी प्रकार की राज्य-वार अथवा क्षेत्रवार धारणा के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर किया जाता है । अभी तक नयी लाइनों के प्रस्तावों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि साबरमती और गांधीनगर के बीच एक बड़ी नयी लाइन के निर्माण का काम चल रहा है । आशा है, यह काम दिसम्बर, 1974 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । गुजरात में निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है/हो रहा है :--

(i) भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन-लम्बाई 141 कि० मी०, लागत 11.92 करोड़ रुपये (1968-69 का अनुमान)--नये सिरे से सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ii) गांधीधाम-भुज-लखपत मीटर लाइन/बड़ी लाइन-लम्बाई 284 कि० मी०, लागत 22.00 करोड़ रुपये – सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(iii) नदियाड-कापड़वंज-मीडासा छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन एवं लाइन का विस्तार-लम्बाई 109 कि० मी०, शामलाजी रोड-मोडासा-कापड़वंज नयी मीटर लाइन-लम्बाई 84 कि० मी०--सर्वेक्षण हो रहा है ।

सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लिये जाने के बाद यदि इस काम के लिए धन उपलब्ध हुआ तो इन परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

(ख) चूंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी लाइनों का निर्माण शुरू करने के सम्पूर्ण प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया और साथ ही सारे देश के लिए नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए धन के वर्ष-वार नियतन को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया अत: इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाइनों के निर्माण/विकास के लिए कितनी रकम खर्च किये जाने की संभावना है ।

वैगनों की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों में माल का जमा हो जाना

4839. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैगनों की भारी कमी अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो रेल वैगनों की कमी के कारण जून, 1974 में बड़े इस्पात संयंत्रों में माल के बड़ी मात्रा में जमा होने की सूचना मिली है;

(ग) क्या वैगनों की कमी के कारण उनको बुक करने वाले व्यक्तियों द्वारा वैगनों को वापिस भेजने में विलम्ब करने से है तथा क्या रेलवे ने हाल ही में बुक कराने वाले व्यक्तियों द्वारा वैगनों को वापिस करने की अवधि कम कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे स्थिति को कितनी राहत पहुंचती है तथा क्या सरकार ने हाल ही में एक वैगन कारखाने की स्थापना की है और पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि पूरी होने के बाद वैगनों की मांग को कहां तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) बार-बार होने वाले आन्दोलनों, नागरिक उपद्रवों, हड़तालों, धीरे काम, नियमानुसार काम आदि के कारण जिसकी चरम परिणति रेल कर्मचारियों की मई, 1974 की अखिल भारतीय हड़ताल में हुई, जून 1974 में इस्पात कारखानों में स्टाक जमा हो गया था ।

(ग) माल डिब्बों को खाली करने में विलम्ब का प्रभाव उपयोगकर्त्ताओं के लिए उनकी उपलब्धता पर पड़ता है । माल डिब्बों को खाली करने के लिए निःशुल्क अवधि रेलों द्वारा हाल में घटायी नहीं गयी है ।

(घ) सरकार द्वारा हाल में किसी नये माल-डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना नही की गयी है । यदि स्थिति सामान्य रहे तो माल-डिब्बों के लिए मांगें सर्वथा पूरी की जायेंगी ।

Supply of Cement Sleepers to Railways

4840. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the suppliers to whom orders have been given by Railways for supply of sleepers, indicating the rate and number thereof;

(b) the names of the companies which have been given contracts for making cement sleepers in place of wooden sleepers, indicating the rate and number thereof; and

(c) the names of the companies which have been given orders for iron sleepers, indicating the rate and number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) Railways place orders for procurement of Cast Iron and Concrete Sleepers on different firms. Concrete Sleepers are not particularly in lieu of wooden sleepers, but are in addition to other categories of sleepers mainly for use on trunk and important routes. Details of orders placed during 1973-74 and 1974-75 for cast iron and concrete sleepers are given in annexure. [Placed in the Library. *See* No. L.T.–8784/74.]

Steel Trough Sleepers are being procured from M/s. Hindustan Steel Ltd. at prices fixed by Joint Plant Committee. Wooden sleepers are procured through the State Forest Departments at rates decided by the Pricing Sub-Committee of the Central Board of Forestry appointed by the Ministry of Agriculture.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्ज लिमिटेड के कार्याकरण की जांच

4841. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यटिकल्ज लिमिटड, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाया है; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) स (ग) इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के एन्टीबायोटिक्स प्लान्ट, ऋषिकेश, सिन्थैटिक ड्रग्ज़ प्लान्ट, हैदराबाद तथा सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्लांट, मद्रास नामक तीन चालू यूनिट हैं । एन्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश के कायकरण की जांच करने के लिये सरकार द्वारा जून, 1973 में एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(i) आई डी पी एल के ऋषिकेश में स्थित एन्टीबायोटिक्स प्लांट में विभिन्न कीटनाशी दवाइयों के लिये स्थापित क्षमताओं तथा स्थापित क्षमताओं के प्रयोग की सीमा का निर्धारण करना ।

(ii) अपर्याप्त उत्पादन के लिये जिम्मेवार तथ्यों का और विभिन्न कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अब तक उठाये गये उपायों की सार्थकता का पता लगाना ।

(iii) उत्पादन को अधिकतम करने तथा संयंत्र की लाभप्रदता में समग्र रूप से सुधार करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देना ।

समिति ने अक्तूबर, 1973 में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी । इस रिपोर्ट में इस संयंत्र के कायकरण में सुधार करने के लिये निष्कर्ष/सुझाव दिये गये हैं और इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है :—

1. प्रौद्योगिकीय निपुणता
2. प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया
3. उत्तमता नियंत्रण
4. अनुरक्षण
5. लाभप्रदता
6. संगठनात्मक ढांचा
7. शक्तियों का प्रत्यायोजन

8. कार्मिक नीति

9. कर्मकारों के लिये सुविधाएं

10. उत्पादन प्रोत्साहन योजना आदि ।

रिपोर्ट की आवश्यक जांच करने के बाद, सरकार ने अप्रैल, 1974 में आई डी पी एल के प्रबन्धों की रिपोर्ट की क्रियान्वित के लिये अनुदेश जारी कर दिये थे । सरकार ने अनुदेशों की कार्यान्विति किये जाने के सम्बन्ध में आई०डी०पी०एल० के प्रबन्धकों द्वारा आगामी कायवाही की जा रही है ।

हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्ज लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

4842. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कोलावा स्थित हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्ज लिमिटेड के कार्यकरण की गत तीन वर्षों के दौरान जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के आर० गणेश) : (क) जी नहीं । (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Limited Companies in Bihar

4843, **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of limited companies in Bihar which have not furnished their statements to Government in accordance with the dates prescribed therefor during the last three years and whether any action has been taken against them; and

(b) the names of such companies and particulars of charges against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) The number of limited companies in Bihar which were prosecuted for failure to file the returns and documents with the Registrar of Companies within the prescribed time during the last three years is given below :—

1971-72	1972-73	1973-74
43	39	30

(b) The names of such companies are given in the statement annexed. [Placed in the Library. *See* No. L.T.–8785/74]. The prosecutions against these companies, were for failure to file annual returns balance sheet and profit and loss account and statutory reports within the prescribed time, with the Registrar of Companies.

"कुकिंग गैस निर्माता कम्पनियां"

4845. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुकिंग गैस बनाने वाली गस कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) गुजरात राज्य में प्रत्येक कम्पनी के डीलरों की क्षेत्रवार संख्या क्या है; और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) गुजरात राज्य में कुकिंग गैस की कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री) :(श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत में कुकिंग गैस बनाने वाली कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
2. मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड
3. कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड
4. बर्मा शैल रिफाइनरीज़ लिमिटड
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6. कालटक्स आयल रिफाईनिंग (इण्डिया) लिमिटेड

(ख) गुजरात राज्य में प्रत्येक कम्पनी के डीलरों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :—

	वितरकों की संख्या
(i) इण्डियन आयल कारपोरेशन.	
1. अहमदाबाद	10
2. वड़ौदा	2
3. सूरत	2
4. जवाहरनगर	1
5. गांधी नगर	2
6. नदियाद	1
7. गोधरा .	1
8. ब्रौच	1
9. आनन्द .	1
10. राजकोट	3
11. भावनगर	2
12. जूनागढ़ .	1
13. पोरबन्दर	1
14. सुरेन्द्रनगर	1
15. भुज	1
16. मोरवी .	1
17. दोहद	1

(ii) **वर्मा शैल :**

गुजरात राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० का विपणन करती है, जहां मुख्य एजेंसी केन्द्र के अधीन वितरक के पास उप-एजेंसी अथवा शाखा है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. अहमदाबाद
2. आनन्द वल्लभ, विद्यानगर, बारसद, पटलाड़ तथा कैम्बे में उप-एजसियों सहित ।
3. बड़ौदा ।
4. बिलिमोरा—नबसारी में एक शाखा सहित ।
5. बरौच—अंकलेश्वर तथा राजपिपला में उप-एजेंसियों सहित ।
6. बल्सार—अतुल्यनगर में एक शाखा, पारड़ी में उप-एजेंसी सहित ।
7. महसाना—विसनगर, सिद्धपुर, कलोल, पटन तथा पालनपुर में शाखाओं सहित ।
8. नदियाद—डाकोर, केरा, कापडबंज, कथलाल, महमदाबाद, साबलिया, साजिथरा, उमरेथ तथा वासों में शाखाओं सहित ।
9. सूरत—बारडोली, माधी, कडोड तथा व्यारा में उप-एजेंसियों सहित ।
10. वापी ।

(iii) **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० :**

स्थान	एजटों की संख्या
1. सूरत	4
2. आनन्द	1
3. नदियाद	1
4. पेटलाड	1
5. बड़ौदा	2
6. वापी	1
7. बलसार	1

(iv) **कालटैक्स गुजरात में एल० पी० जी० का विपणन नहीं करता :**

(ग) भारतीय तेल निगम अपने वर्तमान ग्राहकों की इण्डेन गैस सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है । बर्मा शैल द्वारा की जाने वाली गैस की सप्लाई में कमी हो गई थी क्योंकि उनकी शोधनशाला के उत्पादन में कमी हो गई थी । शोधनशाला से गैस की प्रतिबन्धित सप्लाई के कारण, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ग्राहकों की मांग को पूर्ण रूप से पूरी करने में समर्थ नहीं था और गुजरात राज्य को की जाने वाली सप्लाई में अस्थाई रूप से कमी हुई थी । अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है और गुजरात के ग्राहको को सामान्य रूप से सप्लाई की जा रही है ।

भारत में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियां

4846. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तीन विदेशी तेल कम्पनियां जो भारत में कार्य कर रही हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं:--

1. बर्मा शैल
2. कालटक्स
3. असम तेल कम्पनी

(ख) बर्मा शैल और कालटक्स के कार्य को लेने के लिए बातचीत प्रगति पर है । असम तेल कम्पनी लि० के काय को लेने के प्रश्न पर उपयक्त समय पर विचार कियां जाएगा ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस्तेमाल न किये जा सकने योग्य घोषित की जा रही आयातित वार्निश के कारण हानि

4847. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिम बंगाल में फ्रांस से आयातित वार्निश का इस्तेमाल न किये जा सकने योग्य घोषित किये जाने से कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) चित्तरंजन इंजन कारखाने में विशेष सिलिका वार्निश का उपयोग कर्षण मोटरों के निर्माण में किया जाता है और थोड़ी अवधि तक ही डिब्बा बन्द हालत में रखा जा सकता है । कभी-कभी विनिर्दिष्ट डिब्बा बन्द अवधि के भीतर सप्लाई की खपत करना सम्भव नहीं होता । मुहर खोलने पर खराब हालत में पाये गये ऐसे स्टाक रद्द कर दिये जाते हैं । सितम्बर, 1974 तक सप्लाई करने वालों की गलतियों के कारण बदले में निःशुल्क सप्लाई को छोड़कर परीक्षणों के बाद रद्द की गयी वार्निश की लागत लगभग पांच लाख रुपये थी जो कि इन वार्निशों द्वारा बनाये गये उपस्करों की लागत का बहुत मामूली प्रतिशत है ।

(ख) इन वार्निशों को उपयोग में न लाने के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । वार्निश की सप्लाई उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कार्रवाई की गयी है ताकि विनिर्दिष्ट डिब्बा बन्द अवधि के भीतर ही वार्निश की खपत की जा सके ।

Stoppage of Ahmedabad-Delhi Mail at Nana Railway Station

4848, Shri M. C. Daga : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the people of Nana (Bara) have complained that thousands of Adivasis and other poor passengers who have to undertake journey to and from in Ahmedabad and other areas of Gujarat for an earning, have to face great difficulty because Ahmedabad-Delhi mail and Delhi-Ahmedabad mail do not halt at Nana Railway Station; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for halting the mail trains there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Increase in Railway Revenue due to Sale of Platform Tickets

4849, Shri M. C. Daga : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the extent to which Railway revenues have increased during the last six months following the increase in the price of platform tickets to 50 paise as also the number of tickets sold during the period;

(b) whether lesser number of people purchase this 50 paise platform ticket and many people go to the platforms without ticket; and

(c) the number of cases registered against the ticketless platform visitors and the amount of money realised from them by way of fine ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Meeting with Opposition Parties for reducing Election Expenditure

4850, Shri M. C. Daga : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1146 on the 19th November, 1974 and state :

(a) whether Government have convened a meeting of opposition leaders and formed an unanimous opinion for reducing expenditure on elections to the Parliament and Legislative Assemblies and for making means available to the contestants; and

(b) if not, the time by which Government would convene such meeting for making the election system smooth and less expensive ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justiec and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) No, Sir.

(b) As early as possible.

शा वालेस कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन की सेवावधि बढ़ाना

4851. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के चेयरमन मिस्टर ए० डब्ल्यू० बी० हेवाड की सेवावधि और बढ़ाने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवावधि किन आधारों पर बढ़ाने की मंजूरी दी गई है;

(ग) उक्त पद के लिये मिस्टर हेवार्ड की विशेष और तकनीकी अर्हताएं क्या हैं; और

(घ) क्या प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा श्री कल्याण बसु से सहभागिता और सांठ-गांठ करने के बारे में उन पर लगाये गये आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) मैं० शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड का श्री ए० डब्ल्यू० वी० हेवर्ड के 1 जनवरी, 1975 से तीन वर्ष की और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जनवरी, 1950 से श्री ए० यब्ल्यू० वी० हेवर्ड बंगाल डिस्टरीज़ कम्पनी लिमिटेड की सेवा में थे, जिसको शा वालेस एण्ड कम्पनी लि० ने जनवरी 1959 में अवाप्त कर लिया था । 1959 से अगस्त, 1961 तक, वह डिस्टिलरी के संचालनों के प्रभारी रहे, व फिर कम्पनी की मद्रास शाखा में स्थानान्तरित कर दिये गये । वह 27-12-61 से मार्च, 1967 तक कम्पनी की मद्रास शाखा के प्रभारी रहे थे । उन्हें अपनी सेवा के मध्य बहुत से वर्षों का प्रबन्धकीय अनुभव प्राप्त है । वह 1-7-1967 से कम्पनी के पूर्ण-कालिक निदेशक व 1-1-1970 से प्रबन्धक निदेशक हो गये ।

(घ) विभाग को अब तक प्राप्त रिपोर्टों से, श्री हेवर्ड एवं श्री कल्याण बसु के मध्य किसी सहापराधिता तथा कपट सन्धि का पता नहीं चलता ।

कलकत्ता की दो फर्मों का विलय

4852. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की दो फर्मों मैसर्स मैकनील एण्ड बैरी तथा मैसर्स विलियमसन मेजर की विलय की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) उक्त विलय की प्रस्तावित शर्तें क्या है, और

(ग) क्या विलय पर एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) इन कम्पनियों का प्रस्ताव सरकार क विचाराधीन है ।

(ख) निवन्धनों तथा प्रतिवन्धों को अभी अन्तिम रूप देना है ।

(ग) हां, श्रीमान् जी ।

बिड़ला द्वारा मैसर्स शां वालैस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के बहुसंख्यक शेयरों का खरीदा जाना

4853. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शां वालैस एण्ड कम्पनी लिमिटेड में बहुसंख्यक शेयरों को लेने के लिए इस समय चल रही बोलियों में श्री के० के० बिड़ला भी बोली लगा रहे हैं :

(ख) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच की है कि इस प्रकार की बोली लंदन में मैसर्स इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड के अवैध विदेशी मुद्रा आय की सहायता से की जा रही है : और

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा श्री वी० पी० पोद्दार के विरुद्ध गंभीर निंदात्मक टिप्पणी करने के बावजूद भी उन्हें मैसर्स शां वालैस एंड कम्पनी के निदेशक के रूप में बने रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वरन् ऐसी सूचना है कि प्रवर्तन निदेशालय इन्डियन स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड की बाबत, जांच-पड़ताल कर रहा है ।

(ग) सरकार के, श्री बी० पी० पोद्दार के कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसर्स किनसिन जूट कम्पनी लिमिटेड में वित्तीय अनियमिततायें

4854. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मैसर्स किनसिन जूट कम्पनी लिमिटेड के शेयरहोल्डरों की ओर से वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या कम्पनी को 74.98 लाख रुपये की कुल पुंजी की तुलना में 99.17 लाख रुपये का संचयी घाटा हुआ है जबकि जूट मिल का पूर्णतः आधुनिकीकरण हो चुका है ;

(ग) क्या कम्पनी के वर्ष 1973 तथा 1974 के तुलनपत्रों में बड़ी-बड़ी राशियां "स्टोर का घाटा" ,अपरिभाषित "विविध" व्यय तथा मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के लिए गारन्टी कमीशन के रूप में दिखाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जांच किये जाने का आदेश दिया जायेगा ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान्, जी ।

(ख) से (घ) : प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता की अभ्यान्वेदन की परीक्षा करने को कहा गया है, एवं उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नई पट्रोलियम तथा गैस एजेन्सियाँ खोलना

4856. **श्री वेकारिया**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में तथा आगामी वर्ष में गुजरात में नई पैट्रोलियम तथा गैस एजेंसियां खोलने संबंधी प्रस्ताव क्या है और इन एजेंसियों के आबंटन संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : जनवरी, 1974 से नवम्बर, 1974 तक भारतीय तेल निगम ने गुजरात में 20 पैट्रोल पम्प और तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) की 6 एजेंसियां स्थापित की हैं । इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1974 के दौरान गुजरात में और तीन पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने का विचार है । गुजरात में दो पैट्रोल पम्प तथा एल० पी० जी० की दो एजेंसियां, जिन्हें यथासमय चालू किया जाएगा, खोलने के बारे में भी अनुमति दे दी गई है । 1975 में भारतीय तेल निगम का गुजरात में 7 पैट्रोल पम्प स्थापित करने का विचार है ।

इस समय भारतीय तेल निगम की 75% एजेंसियां उन व्यक्तियों, जो रक्षा संबंधी योजना के अन्तर्गत हैं, को दी जाती हैं और 25% एजेंसियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दी जाती हैं ।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कंपनी के पास गुजरात में नये पैट्रोल पम्प अथवा एल० पी० जी० के वितरण-केन्द्र खोलने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । आई० बी० पी० तरल पैट्रोलियम गैस का विपणन नहीं करती और उस के पास गुगरात में नये पैट्रोल पम्प खोलने के संबंध में भी इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के वेतन-मान

4857. श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री के० एम० मधुकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के राष्ट्रीयकरण के समय ब्लाक सिगनल मैन्टेनरों (इस समय ई० एस० एम०) असिस्टेन्ट सिगनल इंस्पैक्टरों, ब्लाक सिगनल इंस्पैक्टरों, स्टेशन मास्टरों, असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टरों, असिस्टेन्ट पर्मानेंट वे इंस्पैक्टरों, पर्मानेंट इन्सपैक्टरों, ट्रेन एग्जामिनरों तथा हैड ट्रेन एग्जामिनरों के वेतन-मान क्या-क्या थे : -

(ख) पहले वेतन आयोग तथा दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद उपरोक्त श्रेणियां के वेतन-मान क्या-क्या रहे; और

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के पश्चात् इस समय उनके पद-नाम तथा वेतन-मान क्या-क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : **(क) से (ग)** सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, तथा मद्रास में श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर

4858. श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री के० एम० मधुकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में श्रेणी–III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1972 से अब तक कुल कितने रेलवे क्वार्टरों का निर्माण किया गया

(ख) इनमें से सिगनल तथा दूर संचार और संचालन तथा लोको विभागों के श्रेणी–III तथा श्रेणी–IV के कर्मचारियों के लिए पृथक-पृथक कितने कितने क्वार्टर आबंटित किये गये ;

(ग) सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में श्रेणी–IV से श्रेणी–III में कितने ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी जो कि व उपरोक्त (क) भाग में वर्णित शहरों में वर्ष 1970 से अब तक टाइप–I क्वार्टरों में रह रहे हैं; और

(घ) श्रेणी–IV के कर्मचारियों की आवास समस्या को हल करने के लिए उन्हें टाइप–II के क्वार्टरों का आबंटन करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार विभागों में मैन्टनरों के लिए छुट्टी रिजर्व तथा रेस्ट गिवर कर्मचारी

4859. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार विभाग में मेन्टेनरों के लिये उसी संवर्ग या श्रेणी में छुट्टी रिजर्व तथा रेस्ट-गिवर कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 से अब तक श्रेणी-वार, रेलवे-वार एवं डिवीजन-वार ऐसे पदों की संख्या कितनी रही ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निम्न संवर्ग के कर्मचारी जो कि सिगनल तथा दूर संचार के कार्य, रुटरिले संयंत्रों में उपकरणों को सी० टी० सी०, माइक्रोवेव संबंधी काम नहीं कर सकते हैं, उन को इन सुरक्षा-उपकरणों का उपयोग करने को बाध्य किया जा रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Transportation of Hard Coke on Bogus Railway Receipts

4860. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether half a dozen persons have been arrested on getting a clue of the scandal involving lakhs of rupees in transportation of hard coke by Railways to Punjab from Bihar on bogus railway receipts; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Consequent on the production of forged railway receipts at Jullundur Cantt. and Phagwara stations for obtaining delivery of 2 wagons loaded with coal ex. Andal to Phagwara and 1 wagon loaded with coal ex.Andal to Jullundur Cantt., 7 persons including one railway employee have been arrested by Government Railway Police, Jullundur, and hard coke valued at Rs. 9262 has been seized. Two separate cases under Sections 420/468/471/120B IPC have been registered by the Government Railway Police, Jullundur and are under investigation.

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को वापस लेना

4861. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा संसद में दिये गये आश्वासन के अनुसार 19 नवम्बर, 1974 से अब तक रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले वापस ले लिये गये हैं ; और

(ख) 19 नवम्बर, 1974 को संसद में दिये गये आश्वासन के अनुसार मई, 1974 की रेल हड़ताल के बाद से कितने कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तब से लगभग 500 मामले छोड़ दिये गये हैं ।

(ख) 19-11-1974 के बाद लगभग 300 ऐसे कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, सेवा से हटा दिया गया था अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं ।

मध्य-पूर्व देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

4862. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब देशों सहित उन मध्य-पूर्व देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के बाद से इस के उत्पादन में वृद्धि कर दी है; और

(ख) क्या कुछ तेल उत्पादन देश इस उत्पादन में वृद्धि के विरुद्ध हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) उपलब्ध प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर इस क्षेत्र में प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से ईरान, सऊदी अरब और आबुधाबी के मामले में जनवरी-सितम्बर, 1974 की अवधि में आशोधित तेल का उत्पादन गत वर्ष की उस अवधि का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ है ।

(ख) जी हां ।

Expenditure involved in Appeal and reduction of Court Fees

4863. **Shri Bhagirath Bhanwar :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure to be incurred by an appellant at the time of filing an appeal in a case in the Supreme Court;

(b) item-wise, break-up of this expenditure; and

(c) the measures being taken to make justice less expensive, easy and practical by reducing this expenditure ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) and (b) The expenditure to be incurred to file an appeal in the Supreme Court is made up of—

(1) Court fee on vakalat and appearance Rs. 8/-

(2) Court fee on petition of appeal or special leave petition . . . . . From a minimum of Rs. 250/- to a maximum of Rs. 2,000/-.

(3) Court fee on affidavit . . . Rs. 2/-

(4) Process fee . . . . . Rs. 5/-

(c) There is at present no proposal to reduce these fees.

कम्पनियों के सचिवों की नियुक्तियों के लिये "ओवजेक्टिव टैस्ट"

4864. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 नवम्बर, 1974 को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 सम्बन्धी वर्कशाप में प्रतिनिधियों ने कम्पनी सचिवों की नियुक्ति के लिये "आब्जेक्टिव टैस्ट" की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रस्तावित "आब्जेक्टिव टैस्ट" क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार को इस बाबत, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 पर वर्कशाप के संगठनकर्त्ताओं से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास में द्रुत यातायात प्रणाली

4865. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मद्रास में द्रुत यातायात प्रणाली (महानगरीय रेलवे परियोजना) के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : **(क)** और **(ख)** इस वर्ष के प्रारंभ में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 1981 के यातायात संबंधी जिन आंकड़ों को अंतिम रूप दिया है उनके आधार पर मद्रास के लिए व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है । आशा है, व्यावहारिकता परियोजना रिपोर्ट को 1975 के प्रारंभ तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा और तदुपरांत मद्रास के लिए महानगर रेलवे के संबंध में आगे की जाने वाली कार्यवाही के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा । इसमें असामान्यरूप से विलम्ब नहीं हुआ है ।

दक्षिण रेलवे प्रेस वर्कशापों में टाइप धातु की कमी के कारण रेलवे को हानि

4866. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे प्रेस वर्कशाप के गत लेखा स्टाक सत्यापन के दौरान टाइप धातु की कमी का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कमी के कारण कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(घ) हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 32,640.00 रुपये ।

(ग) और (घ) अभी इस मामले की जांच हो रही है । जांच का काम पूरा हो जाने पर, यदि उत्तर-दायित्व के निर्धारण का कोई प्रश्न उठा तो उसके संबंध में विनिश्चय किया जायेगा।

संसद सदस्यों द्वारा भेजी गयी कमचारियों की शिकायतों का निबटारा

4867. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि संसद सदस्य जब कभी भी कर्मचारियों सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जोनल प्रशासनों, विशेष रूप से कार्मिक शाखाओं को पत्र लिखते हैं तो उनसे उत्तर प्राप्त होने में कई-कई मास लग जाते हैं ;

(ख) क्या उन्हें इस आशय के निदेश देने का विचार है कि वे इतने विलम्ब के बाद टाल मटोल पूर्ण उत्तर न दें ; और

(ग) क्या उन्हें इस आशय के निर्देश देने का भी विचार है कि वे संसद सदस्यों द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की शिकायतों को न्यूनतम संभव विलम्ब से निबटायें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्मचारियों की शिकायतों से सम्बन्धित संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर भेजने में रेल प्रशासनों को अवश्य ही कभी-कभी देरी हो जाती है । इसका कारण यह है कि उन्हें नीचे के कार्यालयों से सही तथ्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है अथवा जिन मामलों में वे सक्षम नहीं होते उन पर उच्चतर प्राधिकारियों से निर्णय लेना होता है ।

(ख) रेलों पर इस बात के लिए बल डाला जायेगा कि वे पूरे तथ्यों सहित सूचना शीघ्र भेजें।

(ग) ऐसे अनुदेश पहले से मौजूदा हैं कि संसद संदस्यों द्वारा रेलों को भेजे गये सभी पत्रों पर जिनमें कर्मचारियों की शिकायतों से सम्बन्धित पत्र भी शामिल हैं, तत्काल ध्यान देकर उनका शीघ्र निपटारा किया जाये। इनकी ओर फिर से ध्यान दिलाया जायेगा।

मद्रास में स्टोर डिपुओं में चोरी

4858 **श्री था० किरुतिनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मद्रास क्षेत्र स्थित स्टोर डिपुओं में हाल ही में बड़ी-बड़ी चोरियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की वस्तुएं चोरी हुई तथा दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भण्डार विभाग में चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. रेलवे सुरक्षा दल के अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करके भण्डार डिपुओं के सुरक्षा प्रबन्ध को सुदृढ़ किया गया है ताकि अनधिकृत रूप से हटाये जाने की रोकथाम की जा सके।

2. निकास द्वारों पर बाहर जाने वाले भण्डार की विशेष रूप से जांच की जाती है ताकि फालतू माल ले जाने की रोकथाम की जा सके।

3. चारदिवारियों पर गश्त लगाने के काम में तेजी लायी जा रही है।

4. रेलवे सुरक्षा दल के पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा रात के समय बार-बार अचानक जांच-पड़ताल की जाती है ताकि अनाचार की रोकथाम हो सके।

5. भण्डार विभाग का सामान ढोने वाले माल डिब्बों के गुजरने से पूर्व उनकी पूरी जांच की जाती है।

साहू जन तथा टाटा बन्धुओं के उद्योग समूहों की प्राथमिकता के आधार पर माल-डिब्बों का आवंटन

4869. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों के आवंटन के संबंध में साहू जैन तथा टाटा बंधुओं के उद्योग समूहों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिए ईराकी कच्चा तेल

4870. **श्री सरजू पांडे :**
श्री भोला मांझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बरौनी तेल शोधक कारखाने में ईराकी कच्चे तेल का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तेल शोधक कारखाने की स्थापित क्षमता कितनी है और वहां कितना ईराकी तेल साफ किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) बरौनी शोधनशाला जो असम के कच्चे तेल पर आधारित है, की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है। असम के कच्चे तेल के अतिरिक्त शोधनशाला में दिसम्बर, 1972 से ईराकी कच्चे तेल का शोधन भी शुरु कर दिया गया था। तब से इस शोधनशाला में 0.84 मिलयन मीटरी टन ईराकी कच्चा तेल शोधित किया गया है।

रेल कर्मचारियों में से लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोसीक्यूटरों) की नियुक्ति

4871. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रोसीक्यूटरों) की नियुक्ति रेल कर्मचारियों को छोड़कर बाहर से की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त किये हुए कर्मचारियों को कुछ प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और क्या उन्हें भावी नियुक्तियों के बारे में कुछ प्राथमिकता देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री: (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकारी वकीलों की नियुक्तियां केवल अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही की जा सकती हैं। इसलिए, रेल कर्मचारियों को तरजीह देने का प्रश्न नहीं उठता।

कुछ तेल-उत्पादक देशों द्वारा कच्चा तेल उधार देने की पेशकश

4872. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी तेल-उत्पादक देश ने सितम्बर तथा अक्टूबर, 1974 में लम्बी अवधि अथवा अल्प अवधि के आधार पर उधार कच्चा तेल देने तथा तेल खरीदने के लिये ऋण देने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) भारत सरकार और लिबिया सरकार के बीच दिनांक सितम्बर, 1973 को हस्ताक्षरित तेल क्षेत्र में हुए सम्बन्धित कारपोरेशन के साथ करार के अनुसार दो देशों के मध्य इस करार के निष्पादन का निरीक्षण करने और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिये तेल की एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। त्रिपोली में दिनांक 9 से 12 अक्टूबर, 1974 तक हुई संयुक्त समिति की प्रथम बैठक में यह सिद्धान्तरूप में तय किया गया था कि भारत वर्ष 1974 में लिबिया से तत्पश्चात् निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर 2 मिलियन मो ट्न अशोधित तेल खरीदेगा। भारत उर्वरकों से इस अशोधित तेल के बदलने की संम्भानों को खोजेगा।

पदों का दर्जा बढ़ाय जाने के कारण अतिरिक्त खर्च

4873. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों तथा श्रेणी IV तथा III के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने से पृथक-पृथक वार्षिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) यदि उत्तर रेलवे की सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में तथा समूचे तौर पर भारतीय रेलवे में श्रेणी-III तथा श्रेणी IV के अंतर्गत पदों का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पुनर्वर्गीकरण योजना के भाग के रूप में भारतीय रेलों पर राजपत्रित पदों के संवर्ग का दर्जा बढ़ाने के लिए दिये गए आदेश के परिणामस्वरूप लगभग 52 लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है । अराजपत्रित रेलवे संवर्गों के पुनर्गठन पर (जिनमें सिगनल एंव दूर-संचार संवर्ग शामिल हैं) अभी विचार किया जा रहा है।

बरारियाघाट-महेन्द्रूघाट स्थित रेलवे घाट को गैर सरकारी ठेकदारों को सौंपना

4874. **श्री के० एन० मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में बरारियाघाट-महेन्द्रूघाट स्थित रेलवे-नौ घाट को बन्द किया जा रहा है तथा उसे इस आधार पर कि वह घाटे में चल रहा है, पटना के मैसर्ज़ राम अमरेन्द्र नारायण सिंह तथा नरेन्द्र सिंह नामक गैर-सरकारी घाट-ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है ;

(ख) क्या महेन्द्रूघाट स्थित सर्व ऋतु स्थाईघाट उपलब्ध होने के कारण बारारियाघाट-महेन्द्रूघाट पर ट्रकों का गुजरना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिये महेन्द्रघाट को पर्बत्ता से सड़क द्वारा जोड़ना पड़ेगा जोकि मुश्किल से 8 किलोमीटर के फासले पर है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या रेलवे अपनी फालतू रेलवे विभाग के साज सामान को गैर-सरकारी नौ घाट ठेकेदारों को सस्ते दामों पर बेचने जा रही है ; और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : संभवत : आशय बरारीघाट और महादेवपुर घाट (महेन्द्रूघाट नहीं) के बीच रेलवे घाट उतराई सेवा से है क्योंकि बरारीघाट नदी के दूसरे किनारे पर महादेवपुर घाट से जुड़ा हुआ है । तदुनुसार उत्तर दिया गया है।

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे देना वैध करना

4875. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे देने को कानून संगत बनाने के लिये संसद में विधेयक पेश करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) यह सुझाव सक्रिय विचारा धीन है।

गुजरात में धरंगधरा के नमक उद्योग को वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई

4876. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में धरंगधरा तथा अन्यत्र नामक उद्योग को अपर्याप्त वैगन सप्लाई से काफी कठिनाई हो रही है और इन नमक उत्पादन एककों में काम कर रहे सैकिड़ों कार्मिक बैकार हो रहें हैं।

(ख) यदि हां, तो नमक की ढुलाई के लिए वैगन सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) उक्त उद्योग के लिए सरकार नियमित और संतोषजनक वैगन सप्लाई कैसे सुनिश्चित करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मनुष्यों के खाने के लिए तथा औद्योगिक खपत के लिए अपेक्षित नमक का कार्यक्रम नमक आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है उसकी ढुलाई तरजीह के आधार पर की जाती है। चालू वर्ष के पहले भाग में विभिन्न बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाली अनेक बाहरी बाधाओं के बावजूद इन कोटियों के नमक के लदान में भारी वृद्धि हुई है और जनवरी तथा नवम्बर, 1974 के बीच कुल 53,916 मालडिब्बे लादे गये थे जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 40,672 मालडिब्बों का लदान किया गया था।

जिस नमक का कार्यक्रम आयुक्त द्वारा तैयार नहीं किया जाता उसकी ढुलाई निम्नतम अग्रता श्रेणी 'ई' के अंतर्गत की जाती है। नमक के लदान का तथा बिना अग्रता वाले इस नमक के परिवहन का संतोषजनक स्तर बनाये रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है।

ब्रिटेन के तट दूर तेल संस्थानों में भारतीय अधिकारियों का दौरा

4877. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में दो भारतीय अधिकारियों ने 'नार्थ सी' में स्थित ब्रिटेन के तट दूर तेल संस्थानों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की इस यात्रा का प्रयोजन क्या था और उनकी रिपोर्ट की मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस यात्रा के क्या ठोस परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग के दो अधिकारियों ने स्काटलैंड में 'नार्थ सी' तेल प्रचालन तथा तटवर्ती निर्माण यार्ड और सप्लाई केन्द्रों का दौरा किया।

(ख) और (ग) बम्बई हाई में तेल उत्पादन के प्रस्तावित प्रथम चरण की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में समुद्र के बीच तेल लदान के लिए 'नार्थ सी' में सिंगल बुआय मूरिंग पद्धति के प्रयोग से प्राप्त हुए अनुभव और इन कार्याकलापों में उत्पादन प्लेटफार्मों के निर्माण लागत समय, प्रोदयोगिकी तत्वों से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में दल द्वारा अध्ययन किया गया था।

परंतिज और तालोड़ तथा हिम्मतनगर और परंतिज के बीच किराये में वृद्धि

4878. **श्री पी० जी० मावलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वचन दिया था कि 25 किलोमीटर से कम दूरी के लिए यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परंतिज और तालोड़ (12 किलोमीटर की दूरी) और हिम्मतनगर-परंतिज (22 किलोमीटर की दूरी) के किरायों में 35 पैसे से 45 पैसे की और दस पैसे अतिरिक्त की वृद्धि अहमदाबाद- रवेड ब्रह्मा लाइन पर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कब और कैसे ये किराये कम करेगी ताकि लोक-सभा में दिया गया आश्वासन पूरा किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, आश्वासन यह था कि 15-9-1974 से 25 कि०मी० तक के साधारण दूसरे दर्जे के किराये में वृद्धि नहीं की जाएगी।

(ख) जी नहीं। 15-9-1974 से पहले प्रान्तिज और तालोद (वास्तविक दूरी 13 कि०मी०, न कि 12 कि०मी०) के बीच का साधारण दूसरे दर्जे का सही किराया 45 पैसे और हिम्मतनगर और प्रान्तिज के बीच का किराया 75 पैसे था। 15-9-74 से भी वही किराये लिये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की वैनिफिट और चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

4879. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गत तीन वर्ष से चल रही तथाकथित वैनिफिट और चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी कार्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा, कम्पनियों के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखाओं की संवीक्षा करते समय अथवा, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत किये गये कम्पनियों के लेखे-बहियों के निरीक्षण से, किसी कार्यवाही योग्य अनियमितता के प्रकाश में आने पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की संरचना के अन्तर्गत यथा संभव कार्यवाही करता है।

नीचे उल्लिखित 19 वेनिफिट एवं चिटफण्ड कम्पनियों की बाबत, यह अवलोकित हुआ था कि उनकी हानियां, उनकी प्रदत्त पूंजी तथा सुरक्षित धन से अधिक हो गई थी। अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अन्तर्गत उनके परिसमापन की कार्यवाही विचाराधीन है :--

1. संतोष वैनिफिट (प्रा०) लि०
2. मोहन वैनीफिट (प्रा०) लि०
3. गुजरात सेविंग यूनिट (प्रा०) लि०

4. सीगुल वैनीफिट (प्रा०) लि०

5. कविता वैनीफिट (प्रा०) लि०

6. नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस(प्रा०) लि०

7. कल्पवृक्ष वैनीफिट (प्रा०) लि०

8. कैथामन्गलम चिट फन्ड (प्रा०) लि०

9. स्वाश्रय विनीफिट (प्रा०) लि०

10. किंगसन वैनीफिट (प्रा०) लि०

11. फारुल फाइनेंसियर्स (प्रा०) लि०

12. पाटीदार वैनीफिर (प्रा०) लि०

13. गुजरात लिकर्स एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लि०

14. सपना वैनीफिट (प्रा०) लि०

15. पटेल वैनीफिट (प्रा०) लि०

16. शारदा कामर्शियल एण्ड फाइनेंसियर्स (प्रा० लि०)

17. गुजरात कामर्शियल एण्ड फाइनेंसियर्स (प्रा०) लि०

18. कुमार वैनीफिट (प्रा०) लि०

19. अशीश फाइनेंसियर्स (प्रा०) लि०

1–4–71 से 30–9–74 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 162, 168, 210, 303 व 614 के उल्लंघनों के लिये वैनीफिट एण्ड चिट फण्ड कम्पनियों पर 272 मुकदमें दायर किये गये हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292, 297, 299 व 301 के उल्लंघनों के लिये गुजरात सेविंग यूनिट (प्रा०) लि० के साथ कार्यवाही की जा रही है। धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट, रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है एवं यह अवबुद्ध है कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत तथा लौटरी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

अपीलों पर रेल कर्मचारियों द्वारा भरे जा रहे बांड का पाठ

4880. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेल मंत्री** मई, 1974 की हड़ताल के संबंध में रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाये जाने/बरखास्त करने/स्थानान्तरण करने के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "व्यक्तिगत" अपीलों पर विचार करने पर शब्दों के ठीक-ठीक अर्थ क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा तैयार किए गए बॉंड पर कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका पाठ क्या है; और

(घ) कितने कर्मचारियों को "सेवा में व्यवधान" के नोटिस दिए गए थे और तब से कितने नोटिस वापिस ले लिए गए हैं और इन नोटिसों की वापसी की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनुशासन एवं अपील नियमों में यह व्यवस्था है कि कर्मचारी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अलग अलग अपीलें कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी उनकी अपीलों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा और अपना निर्णय देगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

(घ) गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने का स्वाभाविक परिणाम सेवा भंग है अतः किसी प्रकार का नोटिस देना आवश्यक नहीं है। जिन कर्मचारियों ने मई, 1974 की हड़ताल में भाग लिया था उनके मामले में सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में निर्णय किया है कि क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे कारणों से काम पर नहीं आ सके होंगे जो उनके बस के बाहर थे इस लिए यदि जांच पड़ताल से ऐसा पाया जाये कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिन्हें नजर अन्दाज किया जा सकता है तो अभ्यावेदनों के आधार पर महा प्रबन्धकों द्वारा सेवा भंग माफ किया जा सकता है। अब तक 3.9 लाख कर्मचारियों की सेवा भंग को माफ़ किया जा चुका है।

आल इंडिया शा वालेस एम्पलाईज फैडरेशन का ज्ञापन

4881. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया शा वालेस एम्पलाईस फेडरेशन से कम्पनी के मामलों के संबंध में दिनांक 17 जुलाई 1974 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कम्पनी अधीनियम, के हाल के संशोधन के बाद शा वालेस एण्ड कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि नामजद करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्यों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) फैडरेशन द्वारा दिये गये प्रस्तावों में से प्रबन्ध के भारतीयकरण का प्रस्ताव है। कम्पनी में देश के बाहर भेजा गया एक कार्यकारी निदेशक है। कम्पनी अधिनियम की धारा 311 के अन्तर्गत बढ़े हुए पारिश्रमिक पर उसकी पुनः नियुक्ति का आवेदन-पत्र विचाराधीन है। फैडरेशन के प्रस्ताव के संबंध में कि अधिक प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्त किये जाने के द्वारा प्रबन्ध को अधिक भारयुक्त नहीं बनाया जाना चाहिये यह है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है हालांकि "पूर्णकालिक निदेशक" से प्रबन्ध निदेशक के एक पद के परिवर्तन से संबंधित एक आवेदन-पत्र अनिर्णीत है। फैडरेशन ने यह भी प्रार्थना की है कि कम्पनी को कर्मचारियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षित करते हुए रु० 100 लाख के नवीन साम्य शेयर जारी करने का आदेश दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग के पूंजी प्रेषण के नियंत्रक को आरक्षकों के पूंजीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है। फेडरेशन ने मैसर्स आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड में कम्पनी द्वारा धारित शेयरों की बिक्री और श्री बी० पी० पोद्दार निदेशक द्वारा कदाचारों को भी विनिर्दिष्ट

किया है। बिक्री और शेयरों का अनुषंगिक हस्तांतरण मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। सूचना के प्रमाणिकृत को सत्यापित किये जाने की जांच प्रगति पर है। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा धारा 408(1) के अन्तर्गत दो सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करते हुए पारित आदेश, सरकार की सूचना में लाए गये कम्पनी के कार्यों को सम्पन्न करने में अनियमितताओं पर आधारित है।

(ग) तथा (घ) जैसाकि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 अभी तक लागू नहीं हुआ है अतः सरकार द्वारा निदेशक मंडल में कम्पनी के कर्मचारियों से एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

एस० एण्ड टी० ट्रेनिंग स्कूल, गाजियाबाद से परीक्षा पास करने वाले खलासियों की पदोन्नति

4882. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार कितने खलासियों ने एस० एण्ड टी० ट्रेनिंग स्कूल गाजियाबाद से गत तीन वर्षों में पदोन्नति परीक्षा पास की;

(ख) इस अवधि में यह परीक्षा पास करने वाले कितने खलासियों को उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार पदोन्नति दी गई और इसी अवधि में उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार कितने मेनटेनरों (मेकेनिकल/इलैक्ट्रिकल/दूर संचार) की सीधी भर्ती की गई

(ग) क्या एस० एण्ड टी० ट्रेनिंग स्कूल से पदोन्नति परीक्षा पास करने वाले खलासियों को बीकानेर डिवीजन में खलासी से ऊंचे पदों के लिए पदोन्नति परीक्षा में फिर से बैठने को कहा जाता है; और

(घ) सिगनल और दूर संचार खलासियों के लिए ऊंचे पदों पर पदोन्नति के बारे में नीति तथा नियमों की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हाथी समिति द्वारा किये गये कार्य की प्रगति

4883. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथी समिति द्वारा किये गये अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : कमेटी ने, बम्बई, पिम्परी, अहमदाबाद, बड़ोदा, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता तथा दुर्गापुर में संगठित तथा लघु क्षेत्र के औषध कारखानों का दौरा किया है तथा भेषज संगठनों भारतीय औषधि संगठन आदि के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किये।

कमेटी ने अपने विचारार्थ विषय अर्थात् औषधों के गुण नियंत्रण एवं संबंधित मामलों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अन्य विचारार्थ विषयों पर कमेटी द्वारा फरवरी, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

रेल बजट में कटौती का पश्चिम बंगाल पर प्रभाव

4884. **श्री रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैल बजट में पांच प्रतिशत तक की कटौती करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय का पश्चिम बंगाल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो शक्तिगढ़ बर्दवान और हावड़ा कौर्ड के बीच के तीसरे मार्ग और डांकुनी में प्रस्तावित टर्मिनल का भविष्य क्या होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मितव्ययता बरतने के उद्देश्य से 1974–75 के योजना परिव्यय में कमी की गयी है लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इसका योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दुष्प्रभाव न पड़े और जो काम पहले अनुमोदित हो चुके हैं उन्हें छोड़ा न जाये। मितव्ययता के इस उपाय का अभिप्राय पश्चिम बंगाल तो क्या किसी भी विशेष क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालना नहीं है।

(ख) शक्तिगढ़ और डांकुनी के बीच तीसरी लाइन के लिए सर्वेक्षण अभी-अभी पूरा किया गया है और इस काम को 1975–76 के बजट में शामिल करना इसके गुण-दोष पर निर्भर करता है बशर्ते धन उपलब्ध हो। डांकुनी में माल टर्मिनल का काम जारी है :

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आप्टा-दासगांव रेल लाइन के लिए स्थान-चयन सर्वेक्षण

4885. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या रेल मंत्री पश्चिम तटीय रेलवे के आप्टा दासगांव सेक्शन पर किए गए कार्य के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सैक्शन के लिये परियोजना प्रतिवेदन कब पूरा हो जाएगा; और

(ख) इस पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जैसा कि 19–11–1974 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न 111 के उत्तर में कहा गया था कि आप्टा और दासगांव के बीच अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने में 3 से 6 मास तक का समय लगेगा। यह काम उन लाइनों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिन पर पांचवी पंच-वर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए काम प्रारम्भ किये जाने के बारे में विचार किया जाना है। फिर भी, इसका निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति को सहायता

4886. **श्री रामावतार शास्त्री** : **क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि प्रत्येक रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति को ऋण के रूप में 10,000 रुपये का अनुदान सर्वथा अपर्याप्त है;

(ख) क्या बिहार खाद्य निगम अधिकरण ने धनबाद रेलवे उपभोक्ता सहकारी समिति को सरकारी गोदाम से साप्ताहिक आधार पर नियंत्रित सामान अर्थात् गेहूं और चीनी लेने के लिये दी गई सुविधा को वापस ले लिया है और नियंत्रित खाद्यान्नों को मासिक आधार पर एक बार उठाने के लिये लगभग एक लाख तीस रुपये की आवश्यकता पड़ती है; और

(ग) प्रत्येक सहकारी समिति की पूंजी की कमी को पूरा करने के लिये और इसके सुचारु कार्यकरण हेतु सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल प्रशासनों को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि वे किसी सहकारी समिति को, बिना इस बात का ध्यान रखे कि वह कितनी उचित दर की दुकानें चला रही हैं, कुल 10,000 रुपये का संचालन पूंजी ऋण देने के स्थान पर सहकारी समिति द्वारा संचालित प्रत्येक उचित दर की दुकान के लिए 10,000 रुपये का संचालन पूंजी ऋण देने की मंजूरी दे।

(ख) बिहार राज्य सरकार ने जुलाई, 1974 से एक ही बार माल उठाने का मासिक कोटे का आवंटन शुरू किया है जबकि इससे पहले माल उठाने का साप्ताहिक/पाक्षिक कोटा मिलता था। रेल कर्मचारी उपभोगकर्ता सहकारी समिति, धनबाद सहित बिहार राज्य में स्थित उचित दर की सभी दुकानों के लिए समान रूप से इसे लागू किया जाएगा।

(ग) उचित दर की प्रत्येक दूकान को 10,000 रुपये के संचालन पूंजी ऋण के अलावा, प्रत्येक समिति को 2500 रुपये तक की अनुरुपी हिस्सा पूंजी दी जाती है। परन्तु समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपनी पूंजी को बढ़ायें।

पूर्व रेलवे में अधिकारियों के पुत्रों/आश्रितों को रोजगार लाभ देने के कारण

4887. **श्री रामावतार शास्त्री** : **क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेल हड़ताल के बाद कितने अधिकारियों को उनके पुत्र/पुत्रियों को सेवा में ले कर लाभ दिया गया है ; और

(ख) उन्हें यह लाभ देने के विशिष्ट कारण क्या हैं और पूर्व रेलवे में ऐसे अधिकारियों की डिवीजन बार संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 42

(ख) 11 प्रधान कार्यालय
7 सियालदह मण्डल
6 आसनसोल मण्डल

9 दानापुर मण्डल

3 धनबाद मण्डल

5 हवड़ा मण्डल

2 जमालपुर कारखाना

2 लिलुआ कारखाना।

अधिकारियों के आश्रितों की ये नियुक्तियां उनके द्वारा की गयी उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता स्वरूप की गयी हैं।

बेजवाड़ा मद्रास लाइन पर विद्युतीकरण कार्य

4888. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बेजबाड़ा, मद्रास विद्युतीकरण परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य ठेके पर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विजयवाडा में कार्यालयों के बहुत अधिक स्टाफ रखने तथा निर्माण कर्मचारियों की छंटनी करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। रेल बिजलीकरण परियोजना संबंधी अनेक कामों में से केवल थोड़े से काम ठेके पर दिये गये हैं।

(ख) ठेके पर दिये गयें निर्माण कार्यों तथा विभागीय तौर पर किये जा रहें निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न किस्म के अनेक कार्याकलापों को पूरा करने के लिय विजयावाड़ा में रेल बिजलीकरण संगठन का होना आवश्यक है।

आर० डी० एस० ओ० लखनऊ के इंजीनियरों का विशेष वेतन बहाल करना

4889. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० डी० एस० ओ० लखनऊ की द्वितीय श्रेणी और इंजीनियर्स ऐसोसिएशन ने विशेष वेतन की बहाली के लिये कोई अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में श्रेणी II के तीन इंजीनियर अपने मामले न्यायालय में ले गये थे। उनके मामले में, उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख से विशेष वेतन बहाल कर दिया गया है। तदुपरान्त, श्रेणी II के 49 इंजीनियरों ने भी न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर लिया है। उनके मामलों में भी विशेष वेतन बहाल किया जा रहा है। उपयुक्त कार्यवाई करने की दृष्टि से मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र राज्य के रेल-कर्मचारियों की बहाली

4890. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में उन सभी निलम्बित और बरखास्त रेल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है जिनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1974 तक मई, 1974 की हड़ताल के कारण कितने कर्मचारी अभी तक निलम्बित हैं ;

(ग) कितने कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ; और

(घ) अभी तक निलम्बित रेल कर्मचारियों को बहाल क्यों नहीं किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अदालत द्वारा या रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत दण्डित किये जाने पर जिन 23 रेल कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त या हटाया गया था, उन्हें वापस नहीं लिया गया है। 10 कर्मचारियों का निलम्बन रद्द नहीं किया गया है और 180 कर्मचारियों को जिन्हें पहले निलम्बित किया गया था ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है।

(घ) कर्मचारियों के निलम्बित पड़े रहने का कारण यह है कि उनके खिलाफ अदालत/पुलिस के मामले चल रहे हैं।

मध्य रेलवे में प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से आय

4891. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यद्यपि मध्य रेलवे में प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से आय बढ़ी है परन्तु जनवरी और अक्तूबर, 1974 के बीच उनकी संख्या में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 1974 से अक्तूबर, 1974 तक वर्ष 1973 की इसी अवधि की तुलना में, प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री में गिरावट मुख्यतः मई, 1974 में हुई हड़ताल से रेल सेवाओं के अस्त-व्यस्त होने के कारण आयी है।

Construction of Bridge over Chhitauni-Gandak River

4892. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a definite plan for construction of a railway bridge across the Chhitauni-Gandak river within a period of two years; **and**

(b) whether Government propose to construct a rail-*cum*-road bridge over the above river ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Construction of a new M.G. line between Bagha and Chhitauni including a rail bridge across the river Gandak, was sanctioned in November, 1973. The work on the new line and the bridge has commenced and is targetted to be completed by December, 1977.

(b) No.

Proposal to take over Distribution of Medicines

4893. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the distribution of medicines;

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented; and

(c) the salient features of distribution system proposed to be introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) There are 116 drug manufacturing units in the organised sector and about 2200 units in the Small Scale Sector engaged in the manufacture of drugs and pharmaceuticals. The number of bulk drugs produced in the country runs into hundreds and the number of formulations into thousands with varying quantities of different formulations required in different parts of the country. These drug formulations are marketed by the drug manufacturing units through their own marketing organisations including the marketing organisations of the Public Sector Undertakings also. The prices of drugs are, however, controlled under the Drugs (Prices Control) Order.

Government has appointed a Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry under the Chairmanship of Shri Jaisukhlal Hathi and its terms of reference *inter alia* include :—

"To recommend measures for providing essential drugs and common household remedies to the general public especially in the rural areas."

मारुति लिमिटेड हरियाणा का निर्मित क्षेत्र तथा निर्माण लागत

4894. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री रजिस्ट्रर आफ कम्पनीज, दिल्ली को दाखिल किये गये मारुति लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन और लेखों के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 तक गुडगांव, हरियाणा में स्थित मारुति लिमिटेड फैक्टरी का कुल निर्मित क्षेत्र कितना था ;

(ख) प्रतिवर्ग फुट निर्माण की औसत लागत क्या थी ; और

(ग) क्या निर्माण की लागत का बहुत अधिक न्यून मूल्यांकन किया गया है और इस कम्पनी के इमारत और निर्माण में खाता वाह्य धनराशि का निवेश किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 31-3-1974 के वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 22-8-1974 की निदेशकों की रिपोर्ट में, फैक्टरी भवन के पूर्ण हो जाने का उल्लेख है। कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली व हरियाणा के पास कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट अथवा किसी अन्य अभिलेख में फैक्टरी भवन के निर्मित क्षेत्र की बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31-3-1974 तक भवन (निर्माणाधीन भवन सहित) की कुल लागत 3,16,20,880 ० थी। इन आंकड़ों में सम्मिलित फैक्टरी भवन की लागत, अलग से उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिवर्ग फुट निर्माण की औसत लागत 'निकालना संभव नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

खड़खड़ी हाल्ट से होने वाली आय

4895. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के सहारनपुर जिले में खडखड़ी हाल्ट स्टेशन पर अप्रैल, 1974 से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में कितने यात्री गाड़ियों में चढ़े तथा उतरे और इससे रेलवे को कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उत्तर रेलवे पर 'खड़खड़ी हाल्ट' नाम का कोई स्टेशन नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य का आशय सुनेहटी खरखरी हाल्ट से है। अप्रैल 1974 से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि के दौरान सुनेहटी खरखरी हाल्ट सं० 60283 यात्री बुक किये गये थे और मालूम हुआ है कि लगभग इतने ही यात्री यहां पर उतरे थे। उपयुक्त अवधि में इस हाल्ट की आमदनी 38,944.28 रुपये थी।

कम्पनी कानून सेवा अधिकारियों की संख्या

4896. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** रह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1967 में, जबकि कंपनी कानून सेवा आरम्भ हुई थी, उस समय इस सेवा में विभिन्न संवर्गों में कम्पनी कानून सेवा अधिकारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1967-68 के दौरान कम्पनी कानून सेवा में विभिन्न संवर्गों में कम्पनी कानून सेवा अधिकारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) वर्ष 1967-68 के दौरान विभिन्न संवर्गों के कितने कंपनी कानून सेवा अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए ;

(घ) इस सेवा में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कम्पनी कानून सेवा अधिकारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार यह समझती है, कि इस सेवा में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत अधिकारियों की संख्या कंपनी अधिनियम के सुप्रशासन के लिय काफी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 1967, जब क कम्पनी कानून सेवा आरम्भ हुई थी में विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों की संख्या, निम्न प्रकार थी :--

संवर्ग 1	14
संवर्ग 2	17
संवर्ग 3	22
संवर्ग 4	36
	89

(ख) 1967-68 के वित्तीय वर्ष के मध्य कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) 1967-68 में कोई सेवा निवृत्ति नहीं हुई थी।

(घ) कम्पनी कानून सेवा अधिकारियों की वर्तमान संख्या, इस सवा के विभिन्न संवर्गों में निम्न प्रकार है :—

संवर्ग 1	15
संवर्ग 2	23
संवर्ग 3	26
संवर्ग 4	60
	124

(ङ) कम्पनी कानून सेवा के विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों की संख्या की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, एवं यदि कार्य भार इस प्रकार के पग को सार्थक सिद्ध करता हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है।

एकाधिकार वाले उद्योगों के मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपना

4897. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जांच करने की दृष्टि से कि क्या सरकार किसी उद्योग को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आयोग को सौंप सकती है ऐसे उद्योगों का कोई अध्ययन किया है जिनमें एकाधिकार की स्थिति है और 3 (या कम) उत्पादकों में उत्पादन का अत्याधिक संकेन्द्रण है ; और

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त आयोग ने जिन 100 उद्योगों का अध्ययन किया था उनमें से लगभग 65 उद्योगों में एम० आई० सी० के प्रतिवेदन के अनुसार उत्पादन का अत्यधिक संकेन्द्रण था और यदि हां, तो इन उद्योगों में से ऐसे कितने उद्योगों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 33(1) के अन्तर्गत आयोग को सौंपा गया है, जिनमें एकाधिकार की स्थिति थी/ है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 35 (1) में, सरकार से, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के लिय कोई निर्देश करने का प्राविधान नहीं है। उक्त धारा, अनेक प्रकार को उन निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की गणना, से संबंधित है जिनके अनुबंध, रजिस्ट्रार निबंधन-कारी व्यापार अनुबंध के पास पंजीकृत होने हैं, तथा इनमें विहित समय सीमान्तर्गत कोई हेर फेर होने हैं। इस प्रकार, सरकार के इस धारा के अन्तर्गत, कोई अध्ययन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) हां, श्रीमान् जी। सरकार ने, कैडबरी फ्राई, कालगेट, पामोलिव तथा कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नामक तीन मामले, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अन्तर्गत, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित किये हैं।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन पत्र

4898. **श्री हेमेन्द्र सिंह वनेरा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारा 21 (विस्तार), धारा 22 (नए उपक्रम की स्थापना करने के लिए) और धारा 23 (विलय के लिए) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के प्रवर्तन के बाद कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आयोग को इसमें से कितने आवेदन-पत्र सौंपे गए;

(ग) एम०आई०सी० आई०एल०पी० एल०आई०सी० रिपोर्ट की सूची में रखे गए वड़े औद्योगिक गृहों के इनमें से कितने आवेदन-पत्र सरकार ने धारा 30 के अधीन आयोग को कोई उल्लेख किए बिना ही निपटा दिए थे; और

(घ) यह निर्णय करने के लिए क्या कसौटी, यदि कोई है, तो अपनाई गई है कि धारा 21, 22, 23 के अधीन किसी आवेदन-पत्र की धारा 30 के अन्तर्गत आयोग को इसकी सलाह के लिए सौंपा जाना चाहिए अथवा नहीं सौंपा जाना चाहिए और क्या भाग (ग) के संबंध में इन आवेदन-पत्रों के बारे में यही कसौटी लागू की गई थी ?

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुवा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा 1-6-70 से 31-12-72 की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को संदर्भित और बगैर संदर्भित किये एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/नोटिसों पर विचार किये जाने का ब्यौरा कथित अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी गई एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्यकरण एवं प्रशासन की प्रथम और द्वितीय वार्षिक रिपोर्टों में सम्मिलित हैं। 1973 वर्ष के ब्यौरे 31 दिसम्बर, 1973 वर्ष समाप्ति हेतु, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपवन्धों के कार्यकरण के संबंध में तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, जो वर्तमान सत्र में सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी, में सम्मिलित हैं।

वर्तमान वर्ष में अभी तक, धारा 21 के अन्तर्गत 92 नोटिस, धारा 22 के अन्तर्गत 54 आवेदन-पत्र और धारा 23 के अन्तर्गत 10 आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये, जिनमें से 4 धारा 21/22 के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित किये गये। एम०आई०सी०/औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा अंगीकार बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत अंगीकार से भिन्न है। अधिनियम में अंगीकार परिभाषा, 20 करोड़ रु० की अपेक्षा कम न होने के अन्त: सम्बन्धित उपक्रमों की परिसम्पत्ति सहित, परिसम्पत्ति की निचली सीमा के आधार पर है। एम०आई०सी०/औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा अंगीकार बड़े औद्योगिक घरानों को परिभाषा के क्षेत्र में आने वाली कम्पनियों से आवेदन-पत्रों के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) दिसम्बर, 1973 में संसद के समक्ष प्रस्तुत 31 दिसम्बर, 1972 वर्ष समाप्ति हेतु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्यकरण एवं प्रशासन की द्वितीय रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैराग्राफ 4 और तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5 में केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को अध्याय 3 के अन्तर्गत संदर्भित किये जाने वाले मामलों के संबंध में कानूनी स्थिति और नीति का उल्लेख कर दिया।

सरकार द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रिपोर्ट मांगा जाना

4899. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार आयोग से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कोई प्रतिवेदन मांगा है, और यदि हां, तो किन मामलों पर मांगा है; और

(ख) क्या आयोग ने मांगी गई रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय, एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय रेलों के विभिन डिवीजनों में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिक

4900. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में मई, 1974 में हड़ताल की अवधि में जोनवार कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक भर्ती किए गए थे;

(ख) उनमें से जोनवार कुल कितने श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किया गया; और

(ग) शेष की सेवायें क्यों नियमित नहीं की गई और उनकी संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट रोकने के लिए कार्यवाही

4901. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल तथा डीजल तेल में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जहां तक पेट्रोल के मिलावट का प्रश्न है, इसमें मिट्टी के तेल की मिलावट करना सीमित है क्योंकि पेट्रोल में मिट्टी के तेल के मिलाए जाने से पेट्रोल इंजिनों पर कुप्रभाव पड़ता है और मोटर चालकों को इसलिए इसका पता पड़ जाता है। इस प्रकार की मिलावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

(1) राज्य सरकारों को पेट्रोल पम्पों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल के नमूनों के नियतकालिक परीक्षण सुनिश्चित करने तथा अपराधियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है।

(2) पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट की जानकारी हेतु ब्लाटिंग पेपर टेस्ट का व्यापक प्रचार किया गया है।

(3) तेल कंपनियों से भी इस प्रकार की रोकथाम करने के लिए कहा गया है तथा इस प्रकार की मिलावट की समस्त शिकायतों के बारे में उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

(4) मिट्टी के तेल को रंगीन बनाने संबंधी एक प्रायोजना विचाराधीन है जिस पर इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

मिट्टी के तेल तथा एच०एस०डी० के मूल्य लगभग समरूप हो जाने के बाद, एच०एस०डी० में मिट्टी के तेल को मिलाने की प्रेरणा समाप्त हो चुकी है।

(ख) उपरोक्त उपायों के परिणाम जानने के लिए कोई क्षेत्र-सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में वैगनों की आवश्यकता

4902. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेल वैगनों की कुल कितनी आवश्यकता होगी और इस समय वे कितनी संख्या में उपलब्ध हैं;

(ख) उक्त योजना-अवधि में आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वैगनों की बढ़ती मांग के संदर्भ में उन्हें अलाट करने की वर्तमान नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल लगभग 5,90,000 (चौपहियों के हिसाब से) माल डिब्बों की आवश्यकता होगी जबकि 31-3-74 को 5,00,968 माल डिब्बे मौजूद हैं। (इसमें अनधिकृत बदला गया और दुबारा चालू किया गया स्टाक शामिल नहीं है)।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रलेख में परिवर्द्धन और बदलाव लेखे में चौपहियों के हिसाब से लगभग 1 लाख मालडिब्बों के अधिग्रहण की व्यवस्था है। 50,925 मालडिब्बों के लिए आर्डर दिया जा चुका है और यथावश्यक और आर्डर दिये जायेंगे। 1974-75 में वस्तुतः लगभग 12,000 माल डिब्बे प्राप्त होने की संभावना है और बाद के वर्षों में और मालडिब्बों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में कितना यातायात होता है और कितना धन उपलब्ध होता है।

(ग) रेल द्वारा ढोयी जाने वाली वस्तुओं के लिए उनके महत्व के अनुसार ढुलाई की कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। प्राथमिकता अनुसूची और मांग-पत्रों की वरिष्ठता के अनुसार माल-डिब्बे आबंटित किये जाते हैं। प्राथमिकता अनुसूची में हर छठे महीने संशोधन किया जाता है। यातायात की मांग को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया पर्याप्त है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4903. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 और 1974 में अब तक आयातित पैट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :-

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात	1973	1974 (जनवरी से सितम्बर)
	मात्रा (मिलियन मीटरी टन)	मात्रा (मिलियन मीटरी टन)
1. हल्के आसुत	0.24	0.07
2. मध्य आसुत	1.62	0.89
3. अन्य पदार्थ	2.12	1.18
कुल	3.98	2.14

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग-पूर्ति के लिए अपेक्षित नए तेल शोधक कारखाने

4904. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि देश में नए तेलशोधक कारखानों की आवश्यकता होगी।

(ख) क्या कर्नाटक तट पर नया तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) क्या इसके लिए सरकार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) कच्चे तेल के आयात संबंधी विदेशी मुद्रा रोक को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली मांग तथा इष्टतम परिष्करण क्षमता के बारे में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य समुद्र तट पर एक नई शोधनशाला की स्थापना के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। लेकिन कच्चे तेल की सप्लाई तथा विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार पांचवीं योजना में समाविष्ट प्रायोजनाओं के अतिरिक्त वर्तमान में किसी नई प्रायोजना की स्थापना के बारे में विचार नहीं कर रहीं है।

अठारावंकी से पारादीप पत्तन और कटक से रेल-सम्पर्क बनाने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण

4905. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल द्वारा पत्तन तक लौह-अयस्क पहुंचाने का काम किफायती बनाने के लिए अठाराबंकी और पारादीप पत्तन के बीच पत्तन रेल लाइन पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं तो क्यों; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त रेल लाइन बनाने में अत्यधिक विलम्ब के कारण कटक से पत्तन तक रेल सम्पर्क का उद्देश्य विफल हो गया है क्योंकि यह कार्य सड़क परिवहन के पास चला गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अठारबंकी और पारादीप के बीच के भाग का निर्माण पूरा नहीं हो सका क्योंकि आगे का निर्माण कार्य पारादीप बन्दरगाह में लगाये जाने वाले टिपलर का स्तर मालूम हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। इस स्तर का अंतिम निश्चय पारादीप पत्तन के प्राधिकारियों द्वारा अभी किया जाना है।

पुरी और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रस गाड़ी का निर्धारित समय पर न चलना

4906. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कुछ वर्षों से पुरी (उड़ीसा) और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त गाड़ी को पुरी से नई दिल्ली अथवा नई दिल्ली से पुरी पहुंचने में 52 घण्टे का अधिकतम समय लगता है और उक्त गाड़ी अक्सर निर्धारित समय पर नहीं चलती;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यात्रियों को उपलब्ध सुविधाएं नीचे स्तर की हैं;

(घ) सरकार ने यात्रियों को कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और गाड़ी को निर्धारित समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उक्त गाड़ी को वर्तमान व्यवस्था की बजाय प्रतिदिन में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 77 अप गाड़ी पुरी और दिल्ली के बीच 51 घंटे 10 मिनत लेती है और 78 डाउन दूसरी दिशा में 52 घंटे 45 मिनट लेती है। ये गाड़ियां अपने अनुसूचित समय से पीछे से चलती रही हैं।

(ग) और (घ) गाड़ियों के देर से चलने का कारण खतरे की जंजीर खींचे जाने की अधिक घटनाएं और कभी कभी इंजन की खराबी का होना है। इस गाड़ी को समय से चलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन गाड़ियों में यात्री सुविधाओं की वही व्यवस्था है जो अन्य गाड़ियों में हैं।

(ङ) मार्ग में लाइन क्षमता की कमी और दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर पर्यन्त सुविधाओं के सुलभ न होने के कारण फिलहाल इस गाड़ी के फेरे में वृद्धि करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

धनबाद डिवीजन में भ्रष्टाचार

4907. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 अगस्त, 1974 के 'कोल फील्ड गजट' में प्रकाशित 'करप्शन एनगल्फस धनबाद डिवीजन' समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक आरोप के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम रहा है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री के साथ बैठक के बाद रेल कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेना

4908. **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थायी तथा नैमित्तिक रेल कर्मचारियों संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या हैं जो (i) अभी निलम्बित हैं, (ii) जिन्हें सेवा में वापस रख लिया गया है, (iii) जिनके विरुद्ध हिंसा तथा तोड़फोड़ के आरोप में मुकदमें चल रहे हैं, (iv) जिनके विरुद्ध मामलों की जांच हो रही हैं, (v) जिन्हें सेवा में स्थायी रूप से हटा दिया गया है, और (vi) गत हड़ताल के बाद ए०एल०आर०एफ० के पदाधिकारी जिनका विभिन्न स्तरों पर स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) क्या नवम्बर के चौथे सप्ताह में प्रधान मंत्री से समाजवादी संसद् सदस्य मिले थे और उनसे बदले की भावना से कार्यवाही करने का अध्याय समाप्त करने और रेलवे में सामान्य कार्यकरण को फिर से कायम करने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो उस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या बदले की भावना से पीड़ित सभी कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने के अनुदेश सेक्शनल अधिकारियों को दे दिए गए हैं, और यदि हां, तो सरकार के अनुदेशों के लागू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि यद्यपि राष्ट्र की जीवन रेखा को बनाये रखने के राष्ट्रीय हित के विरूद्ध कर्मचारियों की कार्रवाई की गंभीरता का ध्यान रखे बिना सामान्य रूप में उन्हें सर्वथा क्षमादान नहीं दिया जा सकता तथापि रेल प्रशासन सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और जहां कहीं संभव है, कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जा रहा हैं, जहां कहीं अपील में उल्लिखित लघुकारी परिस्थितियां स्वीकार्य होती है, वहां सेवा-भंग को माफ किया जा रहा है और जहां आरोप गंभीर नहीं है, वहां मामलों को समाप्त किया जा रहा है।

(घ) रेल प्रशासन इस मामले में सरकार की नीति के अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई कर र हैं।

विवरण

(i) अभी भी निलम्बनाधीन स्थायी कर्मचारियों की संख्या	लगभग 750
निलम्बनाधीन नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या	कोई नहीं
(ii) ड्यूटी पर वापस लिये गये स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या	लगभग 12,300
दुबारा लगाये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या	लगभग 12,100
(iii) हिंसा, तोड़-फोड़ और गंभीर रूप से डराये-धमकाये जाने और कार्य में बाधा डालने के आरोप में अदालत में बकाया मामले	लगभग 1,320
(iv) अदालत में बकाया मामलों की संख्या	लगभग 5,300
(v) स्थायी रूप से सेवा से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या	नियमों के अधीन, बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने के विरुद्ध जिस कर्मचारी की अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दी गयी हो, वह अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की समीक्षा के लिए उपयुक्त समीक्षा प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन अथवा अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है और मामले के गुण-दोष के आधार पर समीक्षा प्राधिकारी उसमें संशोधन भी कर सकता है । यह प्रक्रिया जारी है । इसलिए अभी से यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम रूप से कितने कर्मचारी बर्खास्त होंगे अथवा सेवा से हटेंगे ।

(vi) आल इण्डिया रेलवेमेन्स फैडरेशन के पदाधिकारी 32

जिन्हें स्थानान्तरित किया गया ।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण के सुझाव

4909. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने संबंधी विभिन्न विषयों पर श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त समाचार विशेषकर दिल्ली के समाचार-पत्रों में नवम्बर, 1974 के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्रकाशित हुए हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० सरोजानी महिषी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सरकार इस विषय पर खुले मन से विचार करने को तैयार है । इन सुझावों पर तब विचार किया जा सकेगा जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक पर, जो पहले ही लोक सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है, विचार किया जायगा ।

नई लाइनों के निर्माण तथा विद्यमान लाइनों का विस्तार करने संबन्धी योजना

4910. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के बाद कितनी नई लाइनों का निर्माण करने तथा कितनी विद्यमान लाइनों का विस्तार करने की योजना बनाई गई थी अथवा घोषणा की गई थी; और

(ख) कितनी लाइनों पर काम आरंभ हो गया तथा निकट भविष्य में कितनी लाइनों पर काम आरंभ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०-8786/74]

वृन्दावन एक्सप्रेस और जी० टी० एक्सप्रेस के बीच पुनः सम्पर्क स्थापित करना

4911. **श्री बी० वी० नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कुछ महीनों से बंगलौर से मद्रास और मद्रास से नई दिल्ली के बीच चलने वाली क्रमशः वृन्दावन एक्सप्रेस और ग्रांट क एक्सप्रेस का पूर्व संपर्क क्यों टूटा हुआ है; और

(ख) क्या बंगलौर से नई दिल्ली तक की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये उक्त संपर्क पुनः स्थापित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 40 अप वृन्दावन एक्सप्रेस और 15 डाउन मद्रास-नयी दिल्ली जी०टी०/वातानुकूल एक्सप्रेस का संपर्क मद्रास में टूट गया था क्योंकि परिचालनिक कारणों से उक्तरोक्त का चालन समय 26-5-74 से बदल दिया गया है।

(ख) 40 अप वृन्दावन एक्सप्रेस और 15 डाउन मद्रास-नयी दिल्ली जी०टी०/वातानुकूल एक्सप्रेस का संपर्क फिर से स्थापित करने के संबंध में जांच की जा रही है और यदि व्यावहारिक पाया गया, कार्रवाई की जायेगी।

सोडियम ट्रिपोली फास्फेट का उत्पादन और आयात और उसकी मांग

4912. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडियम ट्रिपोली फास्फेट का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) उक्त उत्पाद की कुल मांग कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त उत्पाद का विदेशों से कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाता है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1974 में 19,000 मी० टन की अनुमानित मांग की तुलना में जनवरी-नवम्बर 1974 में 12,596 मी० टन उत्पादन हुआ था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजनीतिक दलों को दान-स्वरूप दी गई धन-राशि की विवरणी

4913. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलों को दान-स्वरूप धन-राशि देने वाली कम्पनियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई विवरणी प्रस्तुत करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो वे किसको ऐसी विवरणी प्रस्तुत करती हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क के अधीन राजनीतिक दलों को या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए कम्पनी द्वारा अभिदाय करना प्रतिषिद्ध है। अतः कम्पनियों द्वारा इस कारण विवरणी फाइल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० बी० के० लाइन पर यात्री एवम् माल गाड़ियों का चलाया जाना

4914. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में डी०बी०के० लाइन पर यात्री एवं माल गाड़ियां चलाएंगी;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सिद्धान्त के रूप में, कोट्टवलासा-किरंडूल रेलवे लाइन पर एक मिश्रित गाड़ी चलाने के संबंध में विनिश्चय हो चुका है लेकिन चलाये जाने की अंतिम तारीख का निर्णय, संभावित लौह अयस्क निर्यात यातायात के आक्कलन के बाद ही किया जा सकेगा।

कोरापुट और बस्तर जिलों में रेलवे लाइन

4915. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े जनजाति क्षेत्र उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में वस्तर जिले के लिए रेलवे लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या भारत के रेलवे मान-चित्र में यह सबसे बड़ा रेल लाइन-रहित क्षेत्र है जबकि कोरापुट और काला-हांडी दोनों में ही देश में सबसे अधिक मात्रा में बोक्साइट अयस्क के निक्षेप हैं;

(ग) क्या इन बहुमूल्य खोजों के उपयोग के लिये रेलवे लाइन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा में कोरापुट और मध्य प्रदेश में वस्तर एक रेलवे लाइन द्वारा पहले से ही जुड़े हुए हैं। फिर भी, ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक एक अंतिम स्थल मार्ग निर्धारण और यातायात सर्वेक्षण का काम जारी है और आशा है कि दिसम्बर, 1974 तक पूरा हो जायेगा। जब सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जायेगी और उनकी जांच करली जायेगी उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में विचार किया जायेगा बशर्ते कि इस काम के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो।

छोटे तथा रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

4916. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे तथा रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की तुलना में रेलवे में डाक्टर कर्मचारियों का अनुपात अधिक है और यदि नहीं, तो और अधिक डाक्टर नियुक्त करने तथा छोटे और रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर नियुक्त कर्मचारियों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छोटे-छोटे और मार्गवर्ती स्टेशनों के बीमार रेल कर्मचारियों और उनके परिवार की देखभाल डाक्टरों द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। उन्हें लोकोपकारी, सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पतालों से उपचार कराने की सुविधाएं भी प्राप्त हैं और वे नियमानुसार प्रतिपूर्ति के दावा करते हैं। सामान्यतः 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर रेल स्वास्थ्य एकक भी स्थित है।

(ख) रेलों पर एक डाक्टर लगभग 620 कर्मचारियों और उनके परिवारों का इलाज करता है जबकि अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लगभग 870 कर्मचारियों और उनके परिवार का इलाज होता है। रेलों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

रेलवे हड़ताल के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एस० ए० पी० प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के लिए सवारी डिब्बे

4917. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, एस० ए०पी, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बलों के कर्मचारियों को कितने सवारी डिब्बे उपलब्ध कराये गये थे और इस पर कितना खर्च हुआ;

(ख) उक्त कर्मचारियों द्वारा कितने मोटर वाहनों तथा अन्य परिवहन साधनों का प्रयोग किया गया था और इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को कोई मुआवजा/विशेष पुरस्कार दिया गया है और यदि हां, तो उसकी कुल राशि कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फरवरी से मई, 1974 तक अधिकारियों को उपलब्ध धनराशि

4918. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 फरवरी, 1974 से 30 मई, 1974 तक सब आपात अधिकारियों को कितनी धन-राशि उपलब्ध हुई और उक्त राशि में से कितनी राशि खर्च की गई तथा किस शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई और क्या हड़ताल के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को कोई नकद राशि दी गई थी और इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त रेलवे कर्मचारियों को कोई भोजन-भत्ता दिया गया और इस पर कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता/यात्रा भत्ता/कठिन कार्यभत्ता/ब्रेक डाउन भत्ता/मील भत्ता दिया गया;

(घ) उक्त अवधि में चोट आदि के कारण कितने रेलवे कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल हड़ताल के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों को दी गई राशि

4919. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 फरवरी से 30 मई, 1974 तक विभिन्न व्यक्तियों को रेल हड़ताल के विरुद्ध प्रचार/कार्यवाही करने के लिए कितनी राशि दी गई;

(ख) 27 अप्रैल से 30 मई, 1974 तक स्वयं सेवकों के रूप में काम करने के लिए (लाइनों पर गश्त सहित) कितने व्यक्ति भर्ती किये गये, उन्हें दी गई राशि की दैनिक दर और इस मद में व्यय की गई कुल राशि कितनी थी;

(ग) इन स्वयं सेवकों के भोजन पर कितना व्यय किया गया और क्या इनके लिए जीप या अन्य वाहन की व्यवस्था की गई थी और इस पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) क्या इनके लिए माइक्रोफोन भी उपलब्ध किए गए थे और इस पर कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल/पार्सलों के गुम होने पर किए गए दावे

4920. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अप्रैल से 27 मई, 1974 तक बुक किए गए माल/पार्सलों के गुम हो जाने के कारण किये गये दावों की राशि क्या है और इसमें से कितनी अदा की जा चुकी है; और

(ख) उक्त अवधि में रेल-सेवाओं के रद्द किये जाने के कारण टिकटों की कितनी राशि लौटाई गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना क्षेत्रीय रेलों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में बहुराष्ट्रीय फर्में और उनके हित

4921. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी, निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय फर्मों के नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक उद्यम में इन बहुराष्ट्रीय फर्मों का कितना हित है तथा उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके हितों का अधिग्रहण करने अथवा उन्हें समाप्त करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) भारत में, भारतीय कम्पनियों में बहुमत द्वारा भाग लेने के माध्यम से कार्यरत बहुत राष्ट्रीय फर्में, विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकों के रूप में ज्ञातव्य हैं। इन कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण-पत्र "क"

में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8787/74] कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत यथा परिभाषित भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्यरत उन बहु-राष्ट्रीय फर्मों की सूची विवरण पत्र "ख" में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8787/74]

भारतीय सहायकों में बहुराष्ट्रीय फर्मों के हितों की सीमा, इन सहायकों में उनके द्वारा धारित साम्य पूंजी की शक्ल में विवरण-पत्र "क" के कालम 5 के अन्तर्गत दी जाती है। जहां तक विदेशी कम्पनियों की शाखाओं का संबंध है, वे पूर्ण रूप से बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा स्वामित्वी एवं नियंत्रित है।

(ग) प्राइवेट विदेशी पूंजी और भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के सम्बन्ध में सरकार की नीति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा प्रेषित, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रवर्तन हेतु मार्ग दर्शक नियमों में वर्तनित की गई है।

बेदावेदार अनाज को जब्त करना तथा उसकी बिक्री

4922. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यार्ड/वैगनों में एक निश्चित अवधि के बाद पड़े बेदावेदार अनाज को सरकार ने जब्त किया था तथा उसकी बिक्री की थी; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में प्रत्येक जोन में रेलवे अधिकारियों ने कितनी कीमत का बेदावेदार अनाज जब्त किया और उसकी बिक्री किस प्रकार की ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तकनीकी त्रुटियों और मानवीय असफलताओं के कारण दुर्घटनाएं

4923. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे और पूर्वी रेलवे में गत सात महीने में तकनीकी त्रुटियों और मानवीय असफलताओं के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) उनमें से कितनी दुर्घटनाओं के संबंध में जांच की गई है; और

(ग) उनके लिए कितने व्यक्ति दोषी ठहराए गए और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अप्रैल, '74 से अक्तूबर, '74 की अवधि के दौरान मध्य और पूर्व रेलों पर तकनीकी खराबियों और मानवीय विफलता के कारण 67 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये गये 87 रेल कर्मचारियों में से अब तक 22 व्यक्तियों के खिलाफ नीचे लिखे अनुसार अंतिम रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है:—

(1) सेवा से हटाना	2
(2) ग्रेड कम करके निचले ग्रेड में रखना या उसी ग्रेड में रखना	6
(3) विभिन्न अवधियों के लिए वेतन वृद्धि बन्द कर देना	13
(4) पास बन्द कर देना	1
जोड़	22

Survey for Exploration of Oil Conducted by O & NGC

4924. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the places in various States where the Oil and Natural Gas Commission have conducted survey for exploration of oil during the period from October,-1973 to October, 1974;

(b) the salient feature thereof; and

(c) the expenditure incurred on these surveys ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K. D. Malaviya) : (a) During the period from October, 1973 to October, 1974 the ONGC conducted the following surveys in various States in the country :

(*i*) Geological surveys between Batote and Dalhousie, in Jammu and Himachal Pradesh; in North-east of Pariwar village in Rajasthan; in Eastern part of Tamil Nadu and Pondicherry States; around Sirpur, Rajpura and Balharshah upto Pranhita River in the east and Wardha river to the north in Andhra Pradesh between Dhasan River in the west and Ken river in the east in Madhya Pradesh; in area west of Wadhwan, Dhrangadhra and Surendranagar towns, north-east of Baroda and north of Radhanpur in Gujarat; in areas around Bhairab Kunda, Kalakting, Bhimeri, Medum, Bondila, Dambuk, Lema, Manathum, Teju, Hiliang etc., in Arunachal Pradesh; in area between Kunarghat to International boundary with Bangladesh to the north in Tripura State; at Atharmura Anticlime in Tripura State; in Mikir Hills in Assam; in areas between Badarnala to the the north, Rangat-Coxon point on the south and Malagar Boliu to the west in Andamans.

(*ii*) Seismic and gravity-*cum*-magnetic surveys in Sibsagar and Cachar districts of Assam; Kohima district of Nagaland, Burdwan, Bankura districts of West Bengal; Cuttack district of Orissa, West Godavari, Khammam, Krishna, Warangal and Karimnagar districts of Andhra Pradesh; Tanjore district of Tamilnadu; Mehsana, Ahmedabad, Kaira, Broach, Amereli, Bhavnagar, Surindernagar districts of Gujarat; Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer district of Rajasthan; Gurdaspur and Hoshiarpur districts of Punjab and Pilibhit district of Uttar Pradesh.

(b) Apart from collecting useful geological and geophysical data in various areas, the surveys led to the discovery of 6 structural and other interesting features in various States.

(c) Rs. 343.82 lakhs.

Import of Kerosene

4925. **Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Petrolium and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of the countries from which kerosene oil has been imported during 1974;

(b) the names of the countries whose Governments have increased the price of kerosene oil, indicating the percentage of increase;

(c) the percentage by which Government of India have increased the prices of kerosene oil since January, 1974; and

(d) if the prices increased by the Government of India are higher than that increased by the Governments of foreign countries, the reasons therefor?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K.D. Malaviya): (a) Kuwait and USSR.

(b) With the steep increase in the prices of crude oil there has been increase in the prevailing internatiçnal prices of kerosene oil during 1974. No information regarding domestic prices of kerosene in other countries is being maintained by Government.

(c) The current basic ceiling selling price of kerosene exstorage point at Bombay is higher than that prevailing in January '74 by about 35%.

(d) Does not arise in view of (b) above.

Allotment of Wagons for Transportation of Coal in Madhya Prade

4926. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of wagons supplied in Madhya Pradesh for transportation of coal during the current year; and

(b) the number of wagons demanded for transportation of coal in Madhya Pradesh during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The daily average supply of wagons for loading from the different coalfields in Madhya Pradesh during the current financial year (upto November '74) were as under:-

	(In terms of BG 4-Wheeler wagons)		
Field	April to June '74	July to Sept '74	October to November '74
Pench (BG)	354	349	346
Pench (NG)	39	44	41
Singrauli	189	228	250
Central India Coalfields	1047	1226	1215

(b) The daily average demand of wagons from the different coalfields in Madhya Pradesh during the current financial year (upto Nov. '74) were as under:-

	(In terms of BG 4-Wheeler wagons)		
Field	April to June '74	July to Sept. '74	October to November '74
Pench (BG)	365	353	347
Pench (NG)	51	54	58
Singrauli	254	279	277
Central India Coalfields	On the basis of programmes sanctioned by different sponsoring authorities the demand on this field is of the order of 1530 wagons. Daily supply of wagons depends on the day-to-day offer of coal by the Mines department.		

चितरंजन लोको वर्कशाप में नियुक्त प्रशिक्षु मैकेनिक

4927. **डा० सरदीश राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में चितरंजन रेलवे वर्कशाप में कितने प्रशिक्षु मैकेनिकों (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम) की नियुक्ति की गई है ;

(ख) उनमें से कितने मैकेनिक मैट्रिक पास नहीं हैं और उनके चयन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे सेवा आयोग द्वारा उनका चयन किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 16 ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) उन्हें महाप्रबन्धक को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अंतर्गत भर्ती किया गया था।

पटना से तथा पटना को आने वाली विशेष गाड़ियों पर व्यय

4928. **डा० सरदीश राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 और 16 नवम्बर, 1974 को पूर्व रेलवे पर पटना से तथा पटना के लिए विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी तथा उनके गन्तव्य स्थान क्या थे और उक्त गाड़ियों के चलाने पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) उक्त विशेष गाड़ियों के टिकटों की बिक्री से कितनी अतिरिक्त आय हुई; और

(घ) प्रतिदिन औसतन बिकने वाली टिकटों की तुलना में उस दिन बिकने वाले टिकटों से कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, केवल 16 नवम्बर, 1974 को।

(ख) 16-11-1974 को पटना से यात्रियों के निर्गमन के उद्देश्य से, रेलवे की सुविधानुसार भागलपुर और धनबाद तक बड़ी लाइन की दो अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयीं। अलग-अलग गाड़ियों के खर्च का अलग हिसाब नहीं रखा जाता।

(ग) चूंकि ये दो गाड़ियां रेलवे द्वारा यात्रियों के निर्गमन के उद्देश्य से चलायी गयी थीं, इसलिए उन यात्रियों को बेचे गये टिकटों से हुई आमदनी का अलग लेखा उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने इन गाड़ियों से यात्रा की।

(घ) 16-11-1974 की टिकटों की बिक्री से 76,665 रुपये की आमदनी हुई जबकि पिछले दो दिनों की औसत दैनिक आमदनी 69,414 रुपये थी।

लार्सन एंड ट्यूब्रो लि० में देश से बाहर भेजे गये निदेशकों की नौकरी को जारी रखना

4929. **श्री अनन्त राव पाटिल : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3678 और 3679 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बाहर भेजे गए दो निदेशक अभी भी लार्सेन एण्ड ट्यूब्रो कम्पनी की सहायक और सम्बद्ध कम्पनियों में निदेशक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें निदेशक-पद से अलग करने के बारे में कम्पनी को आदेश दिया है ;

(ग) क्या अध्यक्ष की पदावधि को 31 मार्च, 1975 से आगे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) देश से बाहर भेजे गए दो निदेशक नामश: ऐरिक गुन्नर हसेन और जान होवर को, लार्सेन एण्ड ट्यूब्रो की समस्त सहायकों एवं नियंत्रणाधीन कम्पनियों के, केवल श्री गुन्नर हसेन के मैसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड (नियंत्रणाधीन कम्पनी) के निदेशक यथावत् रहने और इसको भी आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही मैसर्स इयूटेक्टिक वैल्डिग अलोय आफ इंडिया लिमिटेड (सहायक कम्पनी) के निदेशक पद से भी त्याग पत्र दे देंगे, के सिवाय, निदेशक होने से हटा दिया गया है।

(ख) किसी भी कम्पनी में साधारण निदेशक की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(ग) कम्पनी से कम्पनी के कार्यकारी अध्यक्ष के 31 मार्च, 1975 के पश्चात् यथावत् रहने से सम्बन्ध में अभी तक कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

एस्सो के साथ किए गए करार के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में दिनांक 12-11-1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT IN REPLY TO USQ NO. 257 DATED 12-11-1974 RE. CRUDE OIL SUPPLIED TO HPC UNDER THE AGREEMENT WITH ESSO

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा में 12 नवम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (ख) में एस्सो के साथ किए गए करार के अंतर्गत एच० पी० सी० एल० को जो कच्चे तेल

की सप्लाई की गई थी उसमें 80 प्रतिशत अरेबियन लाइट और 20 प्रतिशत अरेबियन हैवी वाले अरेबियन मिक्स क्रूड के 3 अक्तूबर, 1974 को एफ० ओ० बी० प्रति बैरल मूल्य 11.094 डालर बताए गए थे । इस आंकड़े को सुधार करके 10.095 डालर कर लिया जाए।

2. यह एक टंकण त्रुटि थी। यह त्रुटि राज्य सभा में 25-11-74 को इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान में आई थी। इस त्रुटि के तथा इसके सुधार करने में हुए विलम्ब के बारे में खेद है।

आयात लाईसैंस संबंधी मामले के बारे में
RE. IMPORT LICENCE CASE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Yesterday a meeting of the leaders of the opposition was held in your chamber for seeing the report of CBI and other related documents. This meeting was arranged in accordance of the suggestion given by the Prime Minister on the 9th December. Accepting the suggestion Shri Murarji Desai had said that he accepted the offer without prejudice to the right, which flew from Parliament for any further probe or action necessitated after a perusal of those papers.

A suggestion was made to you earlier by the opposition that we should be allowed to take notes. We want to take notes because if we feel necessary we may ask for further probe into the matter or we may ask for further action against certain persons. It has appeared in to-days papers that you have refused permission to take notes. I contradict this news as I feel that you wanted to accommodate the opposition as much as possible in this matter. I want you to clear your position in this regard.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गत सप्ताह आपकी अध्यक्षता में विरोधी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें संयुक्त रूप से यह मांग की गयी थी कि हमें नोट लेने की अनुमति होनी चाहिए। परन्तु इस बात को बहुत दिन व्यतीत हो गये हैं और सत्र भी समाप्त होने वाला है परन्तु हमें इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है।

कल भी एक बैठक हुई थी और इसी बात को फिर दोहराया गया था। परन्तु आज के समाचार पत्रों में ये भी बात छपी है जो हमें लगता है कि सरकार ने ही प्रकाशित कराई है।

मेरा आप से निवेदन है कि आप इस बारे में विचार करें और विचार करते समय विरोधी पक्ष के रवैये को भी ध्यान में रखें जोकि बहुत ही उचित है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : जहां तक मुझे याद पड़ता है यह स्वीकार किया गया था कि हम शब्दशः नोट नहीं कर सकते परन्तु संक्षिप्त नोट ले सकते हैं। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में यह प्रकाशित हुआ है कि हमें नोट लेने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि हमें दस्तावेज देने की अनुमति दी जाती है तो उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके तथा सच्चाई का पता लगाया जा सके। परन्तु यदि हमें नोट लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम किस प्रकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? गत सप्ताह की बैठक में सभी की यह धारणा थी कि नोट लेने पर कोई रोक नहीं है? आप समिति के अध्यक्ष हैं। अतः आपका कर्तव्य है कि आप सच्चाई जानने में हमारी सहायता करें।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : आज के 'मदरलैण्ड' में भी यह समाचार छपा है कि विरोधी दलों के नेता बैठक से उठकर बाहर चले गये क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने नोट लेने की अनुमति नहीं दी। मुझे इस समचार की सत्यता पर सन्देह है । इस सम्बन्ध में जिन सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग किया है आप उनकी भर्त्सना करें।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : ऐसी आशा थी कि बैठक में जो कुछ भी होगा उसे गुप्त रखा जायेगा परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि किसी ने प्रेस को कुछ खबर दे दी है। 'मदरलैण्ड' में प्रकाशित समाचार गलत है। वास्तव में मामले पर विचार करने के लिए सरकार को समय दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो पेशकश की गई थी उसे पहले राज्य सभा में तथा दूसरे दिन यहां हम लोगों ने स्वीकार किया था।

मैं चाहता हूं कि यह सभा तथा समूचा देश यह जान ले कि न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह केन्द्र जांच ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया आरोप पत्र है अथवा उसका संक्षिप्त रूप? इस बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए ही हमने रिपोर्ट का अध्ययन करने की मांग की थी। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आरोप पत्र ठीक है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है और यदि यह पता लगता है कि कुछ बातें छिपाई गई हैं तो हमें समूचे मामले की जांच कराने का अधिकार है।

राज्य सभा में कल एक बैठक में यह तरीका निकाला गया था कि माननीय सदस्य अपने मतलब के पृष्ठ पर फ्लैग लगा सकते हैं। ऐसा करने से वह तत्पश्चात् सारे मामले को एकत्र कर सकते हैं। यदि लोकसभा में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सारा देश यह चाहता है कि हम रिपोर्ट का पूरी तरह अध्ययन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वे समझेंगे कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हमें यह देखना है कि सम्बन्धित किसी व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास किया गया है अथवा नहीं। मेरे विचार में राज्य सभा में अपनाये गये तरीके को यहां भी अपनाया जा सकता है ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मुझे विश्वास है कि विरोधी दल पुनः कोई संकट खड़ा नहीं करना चाहते। आज के समाचार पत्रों में जो छपा है उसका सार यह है कि अध्यक्ष द्वारा नोट लेने की अनुमति न दिये जाने पर विरोधी दलों के नेता बैठक से उठकर बाहर चले गये नोट लेने का अर्थ यह होगा कि रिपोर्ट की नकल ली जा रही है और ऐसा करने सें स्पष्ट रूप से इन्कार किया गया था। मेरा निवेदन है कि पुनः कोई संकट खड़ा न करके विरोधी दलों को वही रवैया अपनाना चाहिए जोकि राज्य सभा वालों ने अपनाया है। यह ठीक है कि 1200 पृष्ठों को याद नहीं रखा जा सकता इसलिए यह तरीका निकाला गया है कि जहां आवश्यक हो माननीय सदस्य फ्लैग लगा लें ।

श्री पी०के० देव (कालाहांडी) : प्रधान मंत्री ने यह पेशकश की थी कि यदि हम लोग गोपनीयता की शपथ लेने को तैयार हों तो वह हमें रिपोर्ट दिखाने को तैयार हैं। हमने इस पेशकश को स्वीकार किया था। श्री रघुरामैया आरम्भ से ही इस बात में बाधा डाल रहे थे और उन्होंने नोट लेने से मना किया है। यह उन्हीं का 'आविष्कार' है कि नोट लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

हमने गोपनीयता की शपथ ली है और हम किसी पर यह रिपोर्ट जाहिर करने वाले नहीं हैं परन्तु हम अपने लाभ के लिए ही नोट लेना चाहते हैं, 1200 पृष्ठों को याद रखना संभव नहीं है। अतः हमें नोट लेने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए । हम इन नोट्स को समिति के कमरे में ही रखने को तैयार हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं चाहता हूं कि प्रथम दिन जो निर्णय लिए गए थे उनका पालन किया जाये एक बात यह उठाई गई थी कि क्या केवल विरोधी दलों के नेता ही रिपोर्ट को देख सकेंगे अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट देख सकता है जिसे सम्बन्धित पार्टी द्वारा नामजद किया जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह चाहते थे कि विरोधी दलों के केवल नेता ही रिपोर्ट देखें। आप ने इस समस्या का समाधान यह कह कर किया था कि विरोधी दलों का कोई भी प्रतिनिधि वहां उपस्थित रहकर रिपोर्ट देख सकता है। दूसरी बात यह थी कि क्या रिपोर्ट से नोट लेने की अनुमति होगी? आप ने यह कहा था कि नोट्स लिये जा सकते हैं परन्तु उनको सभा में शब्दशः उद्धत नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : फिर गोपनीयता का क्या अर्थ शेष रहा ?

श्री समर गुहा : अब माननीय मंत्री इस बात से कैसे इंकार कर सकते हैं ? रिपोर्ट देखने के बाद यदि हम समझते हैं कि इस में कुछ ऐसी बात है जिससे सभा की गरिमा तथा विशेषाधिकार को धक्का पहुंचता हो तो हम उसे सभा में उठायेंगे। यदि कोई कार्यवाही आवश्यक समझी गई तो वह की जायेगी । रिपोर्ट देखने का यही उद्देश्य था।

निर्माण और आवास तथा संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था उसका तात्पर्य यह था सभा के अन्दर तथा बाहर अनुचित प्रचार किया जा रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाने का अर्थ इस धारणा को खत्म करना है और यह बताना है कि किसी से कुछ नहीं छिपाया जा रहा है। यह कहा गया है कि मैंने यह बात स्वीकार कर ली थी कि विरोधी दलों के नेता नोट्स ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय इस बात को जानते हैं कि यह केवल एक सुझाव था और मुझे इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानने को कहा गया था। सरकार ने इस पर विचार किया है और उनका कहना है कि रिपोर्ट देखने में नोट्स लेना शामिल नहीं है। अतः इस बात को मेरे द्वारा किसी अवस्था पर स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री योगेन्द्र झा ने सुझाव दिया है कि हमें राज्य सभा वालों का तरीका अपनाना चाहिए। मैं इसे सरकार की ओर से स्वीकार करता हूं।

मैं इस बात में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहता हूं। मैं इस सभा का कार्य सुचारु-ढंग से चलाने के लिए आपका समर्थन चाहता हूं। मैं सदा आप लोगों का सहयोग करने को तैयार हूं ।

श्री समरगुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले को सभा में उठाया जा रहा है।

Shri Janeshwer Mishra: I want only a clarification from the Home Minister.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी दलों के नेताओं को अवसर दिया है।

Shri Janeshwer Mishra: Why did he allow Shri Sathe. Is he the leader of the Congress party.

अध्यक्ष महोदय : उनकी ओर से किसी ने तो बोलना ही था।

इस समिति में जो बात हुई है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया इस सदन में भी हुई है। मैं दोनों पक्षों से अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए निवेदन करता हूं। मैं जानता था कि आरम्भ से ही इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसी कारण से मैं इस समिति की अध्यक्षता को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा था। जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है? वह सही नहीं है। किसी भी सदस्य ने बहिर्गमन नहीं किया और न ही मैंने ऐसा कोई निर्देश दिया है कि यह अथवा वह होना चाहिए ;

मैं प्रतिदिन आप लोगों को फाईलें देखते हुए पाता हूं जैसे कि वकील लोग उच्च न्यायालय में करते हैं । कई बार प्रश्न काल से पूर्व ही यह बातें आरम्भ हो जाती हैं जोकि दिन भर चलती रहती हैं ।

मैं स्वयं भी एक पुराना पत्रकार हूं। यदि आप लोग मुझ पर कृपा करें, तो मुझे अपने पत्रकार अथवा वकील के पुराने व्यवसाय में नहीं जाना पड़ेगा।

समाचार पत्रों के बारे में शिलांग में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे कि "यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोक तंत्रीय ढांचे में समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः उन्हें बिना रोकटोक स्वतंत्रता से कार्य करने देना चाहिए।

मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार एवं समाचार पत्रों के मामलों में हमें परिस्थिति का पूरी तरह अवलोकन करना चाहिए। संसद तथा विधायकों को लोकतांत्रिक उद्देश्य की पूर्ति में एक महत्व-पूर्ण सहयोगी के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के हित में, जहां तक संभव हो, छुटपुट गल-तियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

समाचार पत्रों ने मुझे ही पहला शिकार बनाया और वह भी शिलांग में ही । विरोधी नेताओं ने मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

जब मैं शिलांग से दिल्ली आया, तो मेरे बारे में बहुत से सम्पादकीय लेख छपे थे। इस मामले में मैं समाचार पत्रों से कहूंगा कि देश में अध्यक्ष की भी कुछ प्रतिष्ठा होती है। अगर यह मुझ से पूछ कर तथ्य जान लें तो उसमें कोई हानि नहीं है। अतः मैं समाचार पत्रों से सम्बद्ध लोगों से आग्रह करूंगा कि जब वह समाचार दें, तो उस सम्बन्ध में सावधानी बरतें। इस मामले को निप-टाने में उन्हें सहायक होना चाहिए। कम से कम उन्हें मुझे गलत उद्धत नहीं करना चाहिए।

नेताओं की समिति के बारे में निदेश संख्या 55 में उल्लेख हुआ है।

अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हम लोग कुछ न कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। हमें उनका पालना करन चाहिए।

मैं सदस्यों और सम्वाददाताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे क्षमा करें। मैं उनके ही व्यवसाय का व्यक्ति हूं।

अन्य मामलों के बारे में मैं कह चुका हूं कि हम मिलकर बैठेंग और इस कार्य में जो कुछ कर सकेंगे करेंगे।

श्री वी० तुलसीराम (पेद्दापल्लि) : मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: जब तक एक ऐसा मामला बकाया पड़ा है। मैं दूसरे को नहीं ले सकता।

आसाम में बोरो आदिवासियों पर अत्याचार

Re. Atrocities on Boro Tribals in Assam

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति का मूल अधिकार उपलब्ध नहीं है।

आसाम में बोरो आदिवासियों को पीटा गया और उन पर अत्याचार किये गये। आपकी अनुमति से मैं गृह मंत्री से गोलपाड़ा जिले के बोरो आदिवासियों को पुलिस द्वारा पीट जाने के मामले पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। यह केन्द्र का उत्तरदायित्व है कि उनके साथ कोई अन्याय न हो।

उड़ीसा बोलनगिरि के स्थान पर एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की हत्या के बारे में

Re. Murder of a Social Worker at Bolangir in Orissa

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : 29 नवम्बर, 1974 को बोलनगीर में श्री परसुराम सत्पथी की, जो एक पत्रकार, समाज सेवक, युवा नेता और भारतीय लोक दल की जिला समिति के सदस्य थे निर्मम, नृशंस ढंग से हत्या कर दी गई है। श्री सत्पथी की मृत्यु कांग्रेसी जीप डी एच ए 9836 के नीचे दब कर हुई जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता चला रहे थे। यह पूर्व नियोजित राजनीतिक हत्या है।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है।

श्री पी० के० देव: श्री सत्पथी को कांग्रेस के श्री विक्रमानन्द बोहीदर रास्ते में मिले और उन्हें बताया कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। यह षडयंत्र तब हुआ जबकि उप मंत्री बोलनगीर में थे।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य सरकार का मामला है।

संविधान के अनुच्छेद 284 के उल्लंघन के बारे में

Re. Violation of Article 284 of the Constitution

Shri Madhu Limaye (Banka): I wanted to raise certain matters under Article 284 of the constitution during the last session but I was told to raise it later.

Sir, there are two funds viz. consolidated Fund of India and consolidated Fund of the State and second is Public Account Fund and Public Account Fund of the State. A large amount is collected in the name of the Prime Ministers Relief Fund and Chief Ministers

Relief Fund and for a long time correspondence is going on with Auditor General in this regard. Is it not the duty of the Prime Minister and the Chief Ministers to see that such amounts be credited to Public Accounts of India or the States. So for these Relief Funds are not accountable to the Parliament or the State legislatures.

Will you please direct the Home Minister of Parliamentary Affairs to give a statement on non-implementation of clause 284 even after 24 years of commencement of the constitution.

सलेम इस्पात संयंत्र के कार्य में धीमी प्रगति के बारे में

Re Slow Progress of work in Salem Stee Plant

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटडे और केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए धनराशि नियत करने में अनिश्चितता के कारण सलेम इस्पात संयंत्र की प्रगति मंद पड़ी हुई है। खेद का विषय है कि केन्द्रीय सरकार ने संयंत्र के लिए अपेक्षित 40 करोड़ की मशीनरी के लिए अनुमोदन नहीं दिया है। इससे परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने में लगभग एक वर्ष का विलम्ब और होगा। इस प्रकार हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र के कार्य में बाधा पड़ेगी, 1500 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। अतः इस्पात मंत्री को इस मामले में तत्काल कदम उठाकर सभा में शीघ्र ही एक वक्तव्य देना चाहिए।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बाजार ऋणों के संबन्ध में अधिसूचना एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर 1974 में जारी किए गए बाजार ऋणों के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या एफ 5(10)-डब्ल्यू एण्ड एम/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8777/74]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 1304 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8778/74]

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil

बम्बई अधिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम 1974

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उदघोषणा के खण्ड ग (तीन) के साथ पठित बम्बई अधिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 82 की उपधारा (4) के अंतर्गत बम्बई अधिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 को गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एच०एम०/74/147-एम-टीएन-सी-1703/16877-जे (एल आर) में प्रकाशित हुए थे तथा क व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8779/74]

द्वितीय हुगली पुल परियोजना के बारे में
Re. Sceond Hooghly Bridge Project

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हुगली पुल परियोजना के बारे में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार हुगली पुल परियोजना की आधी लागत बहन करेगी और जब तक राज्य सरकार शेष आधी लागत वहन करने को सहमत नहीं होगी, तब तक वह इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू करने को तैयार नहीं है? राज्य के मुख्य मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार सारा खर्च वहन करने को तैयार हो गई है और इस परियोजना को चालू करने के लिए 50 लाख की मंजूरी दे दी है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है? सत्र की समाप्ति से पूर्व मंत्री महोदय को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

हरिजनों पर अत्याचार के बारे में
Re. Atrocities on Harijans

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें हरिजनों पर अत्याचार के समाचार मिलते रहे हैं। जबलपुर में एक हरिजन की पिटाई से मृत्यु हो गई। गृह मंत्री इस पर एक ववतव्य दें।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75
Supplementary Demands for grants (Gujarat) 1974-75

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1974-75 के लिए गुजरात राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करती हूं।

गुजरात राज्य की वर्ष 1974-75 की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
3.	चुनाव	60,00,000	
18.	मनोरंजन और शिक्षा उपकर पर राजस्व व्यय .	45,000	
28.	भारतीय भागेदारी अधिनियम और सामान्य बीमा का प्रशासन	20,00,000	. .
55.	कृषि	. .	5,00,00,000
56.	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास	3,60,01,000	. .
57.	पशु पालन .	. .	7,02,000
60.	वन .	1,000	
66.	शिक्षा . . .	71,000	
67.	कला और संस्कृति . .	1,07,000	
71.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण . .	9,54,000	
89.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	50,40,000	25,01,000
96.	खान और खनिज . . .		60,00,000
99.	उपभोक्ता उद्योग . .		9,00,000
100.	उद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निक्षेप	. .	50,00,000
106.	सामुदायिक विकास	2,45,000	. .
107.	चिकित्सा . .	1,54,000	. .
109.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति	6,46,000	8,07,000
124	सिंचाई	.	5,00,000
141.	दैवी विपत्तियों के कारण राहत	30,85,00,000	2,30,00,000

श्री सेझियान (कुरब कोणम) : गुजरात के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में पहले 24 अगस्त को प्रस्तुत की गई थीं। इस पर केन्द्रीय सरकार तथा पांडिचेरी की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के साथ चर्चा 30 अगस्त, 1974 को होनी थी। 30 अगस्त, 1974 को जब पहले केन्द्रीय सरकार की अनुपूरक मांगें चर्चा के लिए प्रस्तुत की गईं, तब मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न

उठाया था। कि चालू वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों में व्यय की मदों को शामिल करना क्या उचित है। इस पर अध्यक्ष पीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि एसा नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात् जब गुजरात और पांडिचेरी की मांगें सभा के समक्ष रखी गईं तो मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न रखा। मंत्री महोदय श्री गणेश ने कहा कि गुजरात और पांडिचेरी की मांगों को स्वीकार करने में वही समस्या पैदा होगी। अतः उन्हें अनौपचारिक रूप से उसी समय छोड़ दिया गया था।

6 सितम्बर, 1974 को गुजरात में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने के लिए संकल्प विचार के लिए प्रस्तुत हुआ तब मैंने यह मामला उठाया था कि 14 जून, 1974 को राष्ट्रपति के आदेश से 10.38 करोड़ रुपये कन्सोलिडेटिड फंड से निकाले गय थे जिसे 9 सितम्बर, 1974 तक सभा के समक्ष नहीं रखा गया।

अध्यक्ष महोदय: इसे 24 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद क्या हुआ यह इस सभा पर निर्भर करता है।

श्री सेज़ियान: मैं पहिली बात कह रहा हूं। अनुच्छेद 357(1) (सी) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश से भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता यदि संसद् का सत्र न चल रहा हो। फिर उस धन की मंजूरी बाद में ली जा सकती है। मैंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या यह संविधान के विशेष उपबंधों के विरुद्ध नहीं है कि 1973-74 से सम्बद्ध आकस्मिकता निधि से उठायी गई अग्रिम राशि को 31 मार्च, 1974 से पहले नियमित नहीं किया गया और क्या कार्यकारिणी के लिए यह उचित था कि वह राष्ट्रपति आदेश द्वारा संचित निधि से राशि निकाले जबकि इसे टाला जा सकता था। मुझे 9 सितम्बर को यह उत्तर दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 357(1)(ग) के अंतगत जारी किये गए राष्ट्रपति आदेश को संसद् के सभा-पटल पर रखने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद में ऐसा नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है, "संसद् द्वारा लेने पर मंजूरी दिये जाने तक"। मेरा केवल यही तर्क है कि सरकार संसद् को उचित सम्मान नहीं दे रही है। मैं नियम समिति को सुझाव दूंगा कि नियम 216 के बाद 216-क सम्मिलित कर जिसमें इस प्रकार के राष्ट्रपति आदेश की प्रति संसद् के सदन में रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस बारे में कुछ टिप्पणी की थी और मैंने इस पर स्वीकृति नहीं दी थी।

श्री सेज़ियान: अनुपूरक मांगें दो पहलुओं के बारे में हैं। यदि बजट सम्बन्धी मांग के अंतर्गत प्रावधान अपर्याप्त पाया जाये तो सरकार को सभा के समक्ष आकर इस पर मंजूरी लेनी चाहिए। यदि कोई ऐसी नई सेवा हो जिस पर बजट में विचार नहीं किया गया हो तो उसे भी अनुपूरक अनुदानों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य का यही अर्थ है कि चूंकि इसे 1974-75 वर्ष में नियमित नहीं किया गया, इसलिए यह अतिरिक्त अनुदान हो गई है।

श्री सेज़ियान: नई सेवा ऐसा होती है जिस पर वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया जाता है। जिसके लिए सरकार संसद् की मंजूरी के बिना संचित निधि से धन नहीं ले सकती है।

अध्यक्ष महोदय: मान लीजिए. वह आकस्मिकता निधि से धन निकालती है और फिर इसे वापिस कर देती है, तब क्या होगा।

श्री सेझियान: उसे भी बजट सम्बन्धी वार्षिक मांग, अनुपूरक मांग और अतिरिक्त मांग के अन्तर्गत सम्मिलित करना होता है। नई सेवा को अनुपूरक मांगों में रखा जाना चाहिए। इसे "अतिरिक्त" के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 115 (i) (ख) में 'अतिरिक्त अनुदान' की परिभाषा निम्न प्रकार है :

> "यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर कोई राशि खर्च की गई हो जो उस सेवा के लिए दी गई राशि और उस वर्ष के लिए दी गई राशि से अधिक हो।"

अतः नई सेवा को केवल अनपूरक अनुदानों में ही शामिल किया जाना चहिए।

अतः नई सेवाओं को चालू वित्तीय वर्ष की अनुपूरक अनदानों की मांगों में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यही मेरा तर्क है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में मेरा कहना है कि हम विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं कि वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध मदों को नियमित कैसे किया जाये। जहां तक अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, उन मदों को निकाल दिया गया है और हमने यहां केवल चालू वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध मदें ही प्रस्तुत की हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि सरकार आकस्मिकता निधि से धन निकालती है और अतिरिक्त अनुदानों के लिए संशोधन करती है तो क्या यह उचित प्रक्रिया है या सरकार को मंजूरी के लिए सभा के समक्ष आना पड़ता है? दूसरे, जब चालू अनुदानों में से नये व्यय को पूरा करना होगा तब क्या प्रक्रिया होगी? उन्होंने ये प्रश्न उठाये हैं।

माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उन्हें मैं ठीक समझता हूं। हमें उन पर आगे के लिए विचार करना होगा और जब कभी सरकार ऐसा करे तो उसे सभा के समक्ष एक विवरण भी पेश करना चाहिए।

आपके मंत्रालय में एक ऐसा "सैल" होना चाहिए जहां आपके बजट प्राक्कलन, व्यय आदि की संसद् की प्रक्रिया को देखते हुए जांच की जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): गत सप्ताह मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहा था लेकिन शोर के कारण मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुना जा सका। आपने मुझे अगली बार व्यवस्था का प्रश्न उठाने को कहा था इसलिए मैंने लिख कर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: श्री मावलंकर, यह सब तय हो चका है। यदि आप मुझे याद दिलाते, तो मैं आपको अनुमति दे देता।

श्री सेझियान: अनपूरक मांगों के तीसरे 'सैट' का क्या होगा? केवल उन्हें प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि दूसरे और तीसरे दोनों ही सैटों पर यह सत्र समाप्त होने से पूर्व चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें पारित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात जटिल है। हम इतना कर सकते हैं कि साथ बैठ कर कोई बात तय कर लें।

अब, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी।

विदेशी योगदान (विनियमन) विधेयक
Foreign Contribution (Regulation) Bill

संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा विदेशी अभिदाय (विनयमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयक्त समिति में सरदार बूटा सिंह द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे सहमत है तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली, सदस्य लोक सभा को नियक्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सरदार बूटा सिंह द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे सहमत है तथा संकल्प करती है कि रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली, सदस्य लोक सभा को नियुक्त किया जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1974-75
Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75

अध्यक्ष महोदय : हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों को चर्चा और मतदान के लिए लेते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to move my cut Motions.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा।

श्री चटर्जी, काफी विलम्ब हो चुका है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं.....

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : कृपया अनुपूरक मांगों के पृष्ठ 8 को देखिए। इसमें बैंगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के व्यय को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि व्यय नई सेवा नहीं है, परन्तु सम्बन्धित व्यय पहले ही 5 सितम्बर, 1974 को आकस्मिकता निधि से किया जा चुका है। इतनी ही धनराशि की इस निधि में पुन: अदा किये जाने की आवश्यकता है। 2.50 लाख रुपये की राशि अनुदानों में ही बचत के विनियोजन द्वारा प्राप्त की जानी है। केवल

सांकेतिक मत की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि जैसा कि कम्पनी स्थापित करने का निर्णय बजट के बाद की बात है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी उपबन्ध वर्ष 1974-75 के बजट में शामिल नहीं किया जायेगा। इससे दो बातें उत्पन्न होती हैं। यह बजट के बाद की बात है।

वर्ष 1974-75 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	1.	श्री मधु लिमये	जाली निर्यात शर्तों पर, जिनके कारण विदेशी मुद्रा की हानि होती है, चर्चा करना।	राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जाय
12	2.	श्री मधु लिमये	निर्यात गृहों की प्रणाली पर, जो वास्तव में आयात गृह हैं, चर्चा करना।	,,
12	3.	श्री मधु लिमये	निर्यात के लिए नकद सहायता के काटन मिल्स फैडरेशन के माध्यम से भुगतान पर चर्चा करना।	,,
26	4.	श्री मधु लिमये	सरकार के बल कल्याण कार्यक्रम की अपर्याप्ता पर चर्चा करना।	,,
61	5.	श्री मधु लिमये	फिल्म सेंसर बोर्ड में जाने माने तस्करों के अनधिकृत प्रवेश पर चर्चा करना।	,,

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक नई सेवा है परन्तु सरकार ने भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय पूरा किया है। अन्य बातों के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जा सकते हैं। अतः, जहां तक नई सेवा का सम्बन्ध है, नई सेवा संभवतया अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नहीं आ सकती है। यदि सरकार किसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन चाहती है, तो उसे धन खर्च करने से पहले सभा के समक्ष आना चाहिए।

भारत की आकस्मिकता निधि में से केवल ऐसे ही व्यय किये जा सकते हैं जिनके लिए अनुच्छेद 115(1)(क) या (ख) के अंतर्गत उसे अधिकार हो।

अतः जब उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि यह नई सेवा है जिसके लिए व्यय किया गया है तो यह अनुच्छेद 115(1)(क) का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके लिए मंजूरी नहीं ली गई है। यह ऐसा व्यय नहीं हो सकता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतगत किया गया हो। अतः मेरा निवेदन है...

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य किसी हल का सुझाव दे सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह खच स्वीकृत सेवा या नई सेवा के सम्बन्ध में है। सरकार भूत प्रभावी मंजूरी के लिए संसद के समक्ष आने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री सेझियान : (कुम्भकोणम) ये वित्तीय मामले हैं। मैंने आपको लिख कर दिया है। यदि मेरा व्यवस्था का प्रश्न बैंध बताया गया, तो सारी मांगें गलत हो जायेंगी।

कृपया केन्द्रीय सरकार की दूसरी अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पृष्ठ 22 को देखिए। उसमें मांग संख्या 83 की एक मद है। वह रिहेबिलेटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन कलकत्ता की शोचनीय स्थिति के बारे में है। यह कारपोरेशन पूर्णतया सरकारी उपक्रम है? केन्द्रीय सरकार ने 3.48 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है और इसके अतिरिक्त कारपोरेशन को 5.38 करोड़ रुपये का कुल ऋण दिया है। मेरा निवेदन यह है कि वर्ष 1974-75 के बजट में इसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। यह एक नई मद है। इस वर्ष के लिए 95 लाख रुपये के ऋण की आवश्कता जिसमें से 40 लाख रुपये का ऋण पहले ही दिया जा चुका है। 40 लाख रुपय के इस ऋण की मंजूरी कहां है? उन्हें पहले इसे सभा में प्रस्तुत करना चाहिए था। उन्हें संभावित बचत का हौआ नहीं बनाना चाहिए था अपितु वास्तविक बचत को वैज्ञानिक ढंग से बताना चाहिए था। यह नई सेवा है। यदि वास्तव में बचत हुई भी है, तो वे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। नई सेवा के लिए उन्हें सभा के समक्षत आना चाहिए था।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान मांग संख्या 24 और 100 की ओर दिलाना चाहता हूं। मांग संख्या 100, पृष्ठ 29 के अंतिम पैरा में कहा गया है; '1 जनवरी, 1974 से और उसके बाद सरकार द्वारा मंजूर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते ..... 'मुझे इसमें "और उसके बाद" शब्दों पर आपत्ति है। जब हम इस सभा में पूछते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जून, 1974 से मंहगाई भत्ते की चार किश्तें देय हैं तो सरकार कहती है कि वह इस मामले पर विचार कर रही है। क्या मैं यह समझूं कि "और उसके बाद" शब्द में ये चार किश्तें शामिल हैं? इस शव्द का क्या अर्थ है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आप नियमित वाद-विवाद आरंभ कर रहे हैं। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करते समय इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोवय : इस मामले को मंत्री महोदय को स्पष्ट करना होगा। जहां तक श्री चटर्जी और श्री सेझियान द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्नों का संबंध है, मैं उनका खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे पुनः अवरुद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए भविष्य में कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं दोनों व्यवस्था के प्रश्नों से सहमत हूं। यदि आप अनुमति दें और अगर आप चाहें तो मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है। वे अपने पूर्वाधिकारी के पापों की सजा क्यों भुगते ? हम चर्चा शरू करने से पहले मंत्री महोदय से संतोषजनक उत्तर चाहते हैं, अन्यथा हम इन विशिष्ट मांगों वाले पैराग्राफों को रोक देंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 1974 से सरकार द्वारा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर किए जाने के कारण इस व्यय के अतिरिक्त खर्चे की पूर्ति के लिए कर्मचारी अब मंहगाई भत्ते की चार और किश्तों के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं है।. जब यह कहा गया है कि '1 जनवरी 1974 से आग' तो इसका अथ है कि कम से कम वर्ष 1974 के अंतिम दिन तक तो उसे देना ही चाहिए। क्योंकि यह 1974-75 के लिए केन्द्रीय सरकार (रेलवे के अतिरिक्त) के व्यय के लिए अनुदानों की अनुपूरक मागें हैं। मेरी अपनी जानकारी तथा उपलब्ध जीवन निर्वाह व्यय के आंकड़ों में हुई वृद्धि से यह स्पष्ट है कि कर्मचारी मंहगाई भत्ते की 8 अन्य किश्तों के हकदार हो गए हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि मंहगाई भत्ते की तीन किश्तें उनको देय हैं, जहां तक चौथी किश्त का संबंध है, इसके लिए वह सही आकड़ों की प्रतीक्षा में है। मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों को कम से कम तीन किश्तें तो तुरन्त दे देनी चाहिए, जिसके लिए उपबंध कर दिया गया है । लेकिन अनुपूरक मांगों में इसके लिए राशि की कहां व्यवस्था है। क्या इसका अर्थ यह है कि केन्द्र सरकार कर्मचारियों को इस मामले में धोखा दे रही हैं, जैसाकि वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है, तीन किश्तें तो पहले ही देय हो गई हैं। लेकिन पता नहीं कि इस धन राशि में 31-3-1975 तक दिया जाने वाला अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। हम इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं । सरकार द्वारा इनके भुगतान में असफलता के बारे में मैं एक स्थगन प्रस्ताव पेश करने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। यदि स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया, तो हम निश्चित रूप से अनुदानों की अनुपूरक मांगें पास होने में बाधा डालेंगे।

श्री इ नेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह एक संगत बात है। सरकार ने कहा है कि वह अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार कर रही है। सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. speaker, Sir, some days ago the Hon. Minister had stated that the question of payment of fresh instalments of D.A. to Government employees was under consideration. But from the present Demands for Grants it appears that Government has no intention to pay and they are simply waiting for the Parliament session to adjourn *sine die*, so that the Government could take an arbitrary decision in this regard. Government should clarify their conflicting stands in regard to this question.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, विशष कर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के प्रश्न को लूंगा . .

श्री एस० एम० बनर्जी उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी आपके उठने की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। आप बार-बार किसी न किसी बात पर उठ खड़े होते हैं

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए]

[Shri Jagannathrao Joshi in the chair]

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : सभापति महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जा, श्री सेझियान और श्री एस० एम बनर्जी द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्नों का समर्थन करता हूं। मांग संख्या 24 में कहा गया है कि 1974-75 में शिक्षा मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को उनकी देय राशि के लिए 7 लाख रुपये की आवश्यकता पड़गी। मेरा निवेदन है कि 28 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की चार किश्तों के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए और जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक सभी सरकारी दफ्तरों में काम काज ठप्प हो जायेगा। सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों का सभी वामपंथी दल भी समर्थन करेंगे।

जहां तक शिक्षा मंत्रालय की अनुपूरक मांगों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री तथा सभी विरोधी दलों के नेता इस बात से सहमत हैं किन्तु खेद की बात है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह सच्चे अर्थों में शिक्षा नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की शिक्षा आरंभ की जानी चाहिए। मांग संख्या 26 में कहा गया है कि बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने हेतु 'पौष्टिक आहार कार्यक्रम' के अंतर्गत इसी वर्ष के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। यह कार्यक्रम 1970-71 में आरम्भ किया गया था और यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत सरकारी अनुदान से चलता है। देश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि यह प्रावधान बहुत कम है। हमारे देश में बच्चों में नेत्रहीनता बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण भी कुपोषण है। सरकार को इस स्थिति में सुधार हेतु आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में मैं अपंग बच्चों के लिए बने जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट का भी उल्लेख करना चाहता हूं। वहां पर कुप्रशासन और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा किए गए गबन के बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। सरकार ने कहा था कि वह इसे अपने अधिकार में ले लेगी। सरकार इसे कब अपने अधिकार में लेने जा रही है?

मांग संख्या 44 में वैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये की मांग है। यह कम्पनी माल डिब्बे निर्माता उद्योग के समुचित विकास तथा समन्वय के लिए स्थापित की गई है। वैगन उद्योग अधिकांशतः पूर्वी क्षेत्र में स्थापित है और इस उद्योग में कई त्रुटियां हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन घट गया है तथा कई कर्मचारियों की छंटनी और जबरी छुट्टी कर दी गई है। अतः स्थिति में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इसका मुख्यालय दिल्ली की बजाय कलकत्ता में स्थापित किया जाना चाहिए तभी वहां कुशलतापूर्वक कार्य किया जा सकता है और तभी इस उद्योग का विकास हो सकता है।

अब मैं आणविक ऊर्जा विभाग संबंधी मांगों को लेता हूं। ट्राम्बे परमाणु शक्ति केन्द्र में प्रायः बिजली फेल हो जाती है। पता चला है कि वहां लगाए गए उपकरण घटिया किस्म के हैं

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

जिसके कारण बिजली बार-बार फेल हो जाती है और कार्य अव्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार बिजली फेल हो जाने से हमारी प्रगति की गति धीमी पड़ जाएगी। सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे।

मांग संख्या 48 में सीमा सुरक्षा दल की मोटर गाड़ियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के लिए 23,184 रुपये के मुआवजे की व्यवस्था की गई है। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन है। पुलिस पर होने वाले व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। देश में लोकतंत्रीय आंदोलनों को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे विनाशकारी उद्देश्यों पर पुलिस को लगाने के स्थान पर पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। समाज विरोधी तत्वों को दबाने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जाए।

मांग संख्या 61 में 12 लाख 13 हजार रुपये की व्यवस्था टेलिविजन प्रशिक्षण संस्थान के लिए की जा रही है। इस संदर्भ में, मैं आकाशवाणी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी भेदभाव और पक्षपात की नीति पर चल रही है। यह केवल सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने और जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। यह उचित नहीं है।

मांग संख्या 70 में एक लाख रुपये तेल उद्योग के विकास के लिए मांगे गए हैं। हमारे देश में नेफ्था प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाना चाहिए क्योंकि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन उर्वरकों के अभाव में गिर रहा है और लोगों की भूख से मृत्यु हो रही है। लोगों को भरपेट भोजन न मिलने से उनमें बरदाश्त करने की ताकत भी कम हो गई है। हाल ही में हमने सुना कि बिहार में 85 लोगों की ठंड लगने से मृत्यु हो गई। यह बहुत खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्ष उपरान्त भी लोग भूख के कारण मर रहे हैं। अतः उपलब्ध प्रचुर नेफ्था का उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग किया जाए ताकि खाद्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सके।

मांग संख्या 83 में 55 लाख रुपये कलकता के पुनर्वास उद्योग निगम के लिए मांगे गए हैं। इस राशि की स्वीकृति दी जाए। विस्थापितों के लिए और शिल्प केन्द्र खोले जाएं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिहेबीलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन में काम करने वाले लोगों की छंटनी न हो। यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान से आए सभी विस्थापितों का पुनर्वास कर दिया है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को उचित पुनर्वास नहीं किया गया। इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश की खातिर अपना रक्त बहाया और कई कष्ट सहे, पर सरकार उनकी देखभाल नहीं कर रही है। उनके पुनर्वास हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं।

सरकार ने आंतरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत कई तस्करों को गिरफ्तार किया और सरकार ने कहा कि वह अपने इस अभियान के माध्यम से अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने में सफल होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। दिसम्बर से आवश्यक वस्तुओं तथा मोटे अनाज के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिख रही है। कीमतों को रोकने के लिए सरकार को कुछ आमूल परिवर्तन करने होंगे। सम्पति की अधिकतम सीना नियत करनी होगी। अशिक्षित युवकों को रोजगार देना होगा। वर्तमान सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदलना होगा। एक ऐसे समाज की व्यवस्था करनी होगी जिसमें किसी व्यक्ति का शोषण न हो और आय में विषमता न रहे। कर्मचारी लोगों

की आय कम होती जा रही है। निराश बरोजगार लोग इकट्ठे होकर अपने उद्देशयों की प्राप्ति हेतु प्रजातांत्रिक आन्दोलन शुरू कर देंगे । आप इन आंदोलनों को समाज-विरोधी नहीं कह सकेंगे और यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक वर्तमान सामाजिक ढांचा विखंडित नहीं हो जाता। आज सरकार के मिथ्या प्रचार और प्रत्येक क्षेत्र में पाखण्डपूर्ण नीतियों के कारण सरकार इस देश को तानाशाही की दिशा में ले जा रही है। हम इस प्रवृत्ति से जम कर संघर्ष करेंगे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय से संबद्ध केवल मांग संख्या 12 को ही लूंगा । यह बड़े संतोष की बात है कि हमारा निर्यात बढ़ रहा है। 1970 में हमारा निर्यात 109 करोड़ रुपये के मूल्य का था और इस वर्ष इसके 250 करोड़ रुपये तक होने की संभावना है। हम विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता करने में समर्थ हैं । कुछ वस्तुओं की किस्में तो हमारी उनकी अपेक्षा बेहतर है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हथकरघा, विद्युतकरघा से बने कपड़े तथा सिलेसिलाए वस्त्रों का समावेश है । इन मदों का निर्यात बढ़ रहा है, पर इनका निर्यात छोटे उद्यमकर्ताओं के पास है। उन्हें नगद प्रोत्साहन देने में विलम्ब किया जाता है । चूंकि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं, इसीलिए मंत्रालय भुगतान हेतु अतिरिक्त धन चाहता है ।

प्रोत्साहन की दर में भी अन्तर है। 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 1973 तक प्रोत्साहन की दर ऊंची थी और 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक दर कम कर दी गई । मेरा सुझाव है कि वाणिज्य मंत्रालय प्रत्येक प्रोत्साहन निर्यातकों के संघ के जरिए देने के बजाय निर्यातक से बैंक सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहें, ताकि पता लग सके कि उस पार्टी ने निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है और उसको उसी के अनुरूप प्रोत्साहन दिया जा सके। चूंकि इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन लेखा देने में समर्थ नहीं थी तभी यह विलम्ब हुआ। निर्यात बढ़ाने के लिए हमें निर्यातकों को उचित सुविधाएं देनी होंगी और मंत्रालय को निर्यातकों को प्रोत्साहन शीघ्र से शीघ्र देने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

1 अप्रैल, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक कुल कितना निर्यात किया गया और इसके लिए कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

1 अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक कुल कितना निर्यात हुआ और इस निर्यात में पिछली अवधि से बेचा कितना माल शामिल है जिसके संबंध में प्रथम 6 महीनों की प्रोत्साहन की ऊंची दर पर लागू होती है ?

क्या अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन दिया गया या उसके लिए वायदा किया गया। यदि हां तो दिए गए विशेष प्रोत्साहन की राशि क्या है ? निर्यात का मूल्य क्या है और वह किस अवधि के हैं ? क्या यह राशि वर्ष के पूर्वार्द्ध की है अथवा उतरार्द्ध की अथवा पूरे वर्ष की है ?

मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय यह जानकारी विस्तार में देंगे।

एक योजना थी कि किसी भी निर्यातक को 5 रुपये के मूल्य के निर्यात पर एक मीटर कपड़ा मिलेगा । यह योजना बहुत अस्पष्ट है । यह प्रोत्साहन 30 प्रतिशत और आठ प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है और बहुत ही अव्यवहारिक है तथा इससे निर्यातकों में अनिश्चितता पैदा

होती है। वे कोई वचन नहीं दे सकते, क्योंकि नियंत्रित कपड़े में लाभ में काफी अंतर है । सरकार को इस प्रोत्साहन योजना को बदलना चाहिए ताकि निर्यातकों को यह मालूम हो जाए कि उन्हें क्या प्रोत्साहन मिल रहा है । और वे बाहरी देशों को निर्यात के संबंध में वचन दे सकें। निर्यात को बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कुछ नई योजनाएं बनाई जायें। नियंत्रित कपड़े की योजना से अधिक सहायता नहीं मिलती है। प्रत्येक मिल को अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत बिना किसी मूल्यह्रास का हिसाब लगाए लागत मूल्य पर देना चाहिए। लागत मूल्य वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सभी किस्म का मनचाहा कपड़ा सही मूल्य पर मिल सकेगा । मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे और जो जानकारी मैंने मांगी है, पूछी है, उसे भी उपलब्ध करायेंगे ।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): I support the views expressed by Shri S.M. Banerjee on supplementary demands. The Government should pay adequate attention towards the unsatisfactory working of the Delhi Transport Corporation. The number of buses is not adequate to meet the increasing demand of the travelling public with the result that long queues are generally seen during peak hours on the bus stands. Government should see that the number of buses is increased so that the frequency could be improved and more routes could be covered.

It is regretted that Government has spent huge amount of money in inviting American experts to find out oil reserves in the country. They have given disappointing reports while the Russian experts have discovered many valuable oil deposits.

The Government is not taking firm steps to check the rising trend in prices. Immediate and effective steps are necessary in this direction because high prices have resulted in the erosion of the real income of the wage-earners.

The jute producers are in great difficulty. More facilities should be made available to them for marketing their produce at reasonable prices.

The system of education is defective. There had been long and pressing demand for a comprehensive change in the system of education which is responsible for discontentment among students and the prevailing unemployment. Government should look into it and improve the situation.

The Government has not taken effective steps to create more opportunities for our unemployed youngmen which has resulted in an explosive situation. Government should pay necessary attention towards this.

Public distribution system is also faulty. Necessary attention should also be paid to improve this system.

Air India is suffering from bad management. Its affairs need to be investigated.

Evils like inflation, high prices, shortages and black marketing cannot be removed so long as capitalist system of economy continues. Therefore drastic changes in the present set up are needed.

श्री बो० बो० नायक (कनारा) : मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । रूस और इस देश के हाल ही के सम्बन्धों के फलस्वरूप हमारे व्यापार में काफी प्रगति हुई है । इससे पहले यह देश केवल कच्चे माल का निर्यात करता था लेकिन अब मोटर गाड़ियों की बैटरियां, गैरेज-उपकरणों, डिटरजैंट और रगों आदि का यूरोपीय देशों को निर्यात करता है । हमारी अर्थव्यवस्था अब परिवर्तित हो गयी है और अब यह एक तरह से उद्योगों पर आधारित हो गयी है ।

मैं सरकार का ध्यान शोधित समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की ओर दिलाना चाहता हूं । गत दस वर्षों में भारत ने लगभग 100 करोड़ रुपये की झींगियां और अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : झींगियों का निर्यात किस मांग के अन्तर्गत है ?

श्री बी० वी० नायक : यह "ऋणों" के अन्तर्गत आता है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पूर्व यूरोपीय देशों को समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगायें ।

इस देश में समुद्री खाद्य पदार्थों तथा अन्य परिशोधित खाद्य सामग्री के विकास की अधिकतम सम्भावना है । लेकिन सम्पूर्ण मतस्य पालन उद्योग संकटग्रस्त है । अतः मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय जल सीमा और महाद्वीपीय क्षेत्र की जल सीमा को राज्य की सूची से निकाल देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं । अतः इसे समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिये ।

एयर इंडिया के पायलट हड़ताल पर थे । उनकी हड़ताल उचित नहीं थी । इसके फलस्वरूप लगभग 7 करोड़ रुपये की हानि हुई । एयर इंडिया के केबिन कर्मचारियों और पायलटों के अतिरिक्त वहां के उड्डयन कर्मचारियों की सेवा शर्तें हाल की हड़ताल के कारण बदल दी गई है जिससे उनका मनोबल गिर गया है। कम से कम हड़ताल से पहले की स्थिति तो वहां कायम की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): I oppose the Supplementary demands presented by the Government.

The controlled cloth which is being supplied to the fair price shops for distribution to the common man is not only substandard but also less in measurement than the printed length. Necessary attention should be paid towards this.

Total amount of provident fund should be paid to the workers of the sick mills which have recently been taken over by the Government.

Widows and women from poor families employed on stitching uniforms are being paid very small wages. Government should see and take steps to increase their wages.

Several complaints have been received about the affairs of Vikram University . It is alleged that there had been bungling and misappropriation to the tune of lakhs of rupees. Adequate attention should be paid towards this.

There is a bridge over chambal river on the Rajasthan, Madhya Pradesh border. It has been damaged causing difficulties to the travelling public. Necessary steps should be taken to repair this bridge.

Working of the Delhi Transport Corporation is not satisfactory. Government should improve the bus services in Delhi. In addition, scooter and taxi drivers charge too much fare from the people and thereby exploit them..

A tourist centre should be opened at Avantika (Ujjain)

Manufacture of scooters is for short of the demand. Government is not allowing the existing units to produce to their full capacity. Government should see that every scooter unit increases its capacity to the maximum so that the demand for the scooters could be met to the maximum possible extent.

Atrocities are being perpetrated on the Harijans but the police fails to take appropriate action. Government should see that justice is done to the aggrieved.

Opportunities should also be provided to the leaders of the opposition parties to express their views from the All India Radio. The biased attitude of A.I.R. towards opposition parties should be put to an end.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों की सूची के पृष्ठ 2 पर 4 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। आखिर सार्वजनिक धन को इस प्रकार नष्ट करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? यह देश वस्तुएं विदेशों को निर्यात करता है तो फिर भी विदेशी मुद्रा की कमी क्यों है ?

दिल्ली परिवहन निगम को लगभग 4 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं लेकिन यह निगम लोगों की मांगों की पूर्ति करने में बुरी तरह से असफल रहा है। जनता को विशेषकर महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि इस निगम के कर्मचारी जनता की जेब काटते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। निगम को अपने कंडक्टरों को रोजगार देने से पहले और बाद उचित प्रशिक्षण देना चाहिये कि जनता से कैसा व्यवहार करें। बसों का उचित ढंग से रख-रखाव नहीं होता है यदि दिल्ली परिवहन निगम भविष्य में लाभ न दिखा पाये, तो उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : इस सदन ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज पर चर्चा की थी। इसके बारे में कुछ पता नहीं कि इसका क्या बना ? भावनगर सर्व ऋतु पत्तन है। एक महीने के अंदर वहां चार दुर्घटनायें हुई हैं और पत्तन बंद कर दिया गया है जिससे विदेशी मुद्रा की हानि होगी। इसकी मरम्मत शीघ्र होनी चाहिये। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच होनी आवश्यक है। यह बात समझ में नहीं आती कि इन महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रति सरकार का रवैया उदासीन क्यों है।

जहां तक श्रमिक तथा रोजगार सम्बन्धी समस्याओं का सम्बन्ध है, सरकार इस बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है लेकिन वह कर्मचारीवर्ग के हितों के विपरीत कार्यवाही करती है। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि 20 वर्ष बाद कर्मकारों को भविष्य निधि की धनराशि लौटा दी जानी चाहिये क्योंकि रुपये का मूल्य तेजी से गिर रहा है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय विदेशी प्रमुख कम्पनियों का पक्ष लेने के कारण बदनाम है। वह उक्त कम्पनियों को आयात लाइसेंस देती है। यूनियन कारबाइड और होचेस्ट को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की सिफारिश पर विशेष रूप में लाइसेंस दिये गये हैं। उक्त मामले को लाइसेंस समिति को नहीं सौंपा गया। इन विदेशी प्रमुख कम्पनियों को उनकी क्षमता से अधिक के लाइसेंस दिये गये थे। इससे स्पष्ट पक्षपात का बोध होता है। अतः इस मामले में जांच की जानी चाहिये। सरकार का यह कथन है कि वह लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण और प्रोत्साहन देगी लेकिन वह विदेशी प्रमुख कम्पनियों, बड़े गृहों और बड़े पैमाने के उद्योगों को सहायता दे रही है।

देश में ऊर्जा, कोयला, गैस और तेल की भारी कमी है। अनेक परियोजनाएं काफी समय से लम्बित हैं। सरकार कभी भी समय पर निर्णय नहीं लेती। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है। इसके लिये स्थान का चयन किया गया था और इस बारे में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन उक्त परियोजना की स्थापना के बारे में कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। यदि सरकार वास्तव में ऊर्जा संकट को दूर करना चाहती है तो सरकार को उन परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इसी प्रकार

भारी उद्योग परियोजना भी काफी समय से लम्बित है । मशीनी उपकरणों की भारी मांग है । मंदी समाप्त हो गई है और मशीनी उपकरणों से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है । समझ में नहीं आता कि सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्यों क्रियन्वित नहीं कर रही है ।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
Mr. Ishaque Sambhali in the Chair]

यदि इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है तो सरकार को इससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा ।

गुजरात राज्य को भारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति इतनी गम्भीर है कि केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता के बिना राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य सरकार स्थिति का सामना करने में असमर्थ है । केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपने दायित्व से पीछे हट रही है । गुजरात में हजारों पशु मर गये हैं । इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): A large number of Indians in Foreign Countries are willing in invest money in India. They have foreign exchange worth crores of rupees. The Government should give them the necessary incentives so that we may get valuable foreign exchange in the form of investments by those people. The Government should look into this matter.

The Government has made provision for some expenditure on nutrition programme for certain children. There are crores of Children in our country who need such help, but no attention in being paid to them.

The films shown on television are old and, at certain places, the view is very hazy. The T.V. Corporation should see that money should be spent properly for showing good films.

It is regrettable that final shape has not been given to the Fifth Plan. Final shape shold be given to Fifth Plan so that it may be known what projects would be taken up during Fifth Plan period.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : इन मांगों से वित्तीय अराजकता का बोध होता है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में व्याप्त है । अनुपूरक मांगों की दूसरी खेप के अनुसार केन्द्रीय सरकार का व्यय चालू वर्ष में 129.56 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा । इन अनुपूरक मांगों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता शामिल नहीं है। यदि सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भूगतान करने के लिये सहमत हो जाती है तो उक्त घाटा 261.70 करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगा । अत: इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते को अनुपूरक मांगों में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ? बजट का घाटा भी फरवरी, अगस्त और इस वर्ष दिसम्बर में लगाये गये अनुमान से अधिक होगा ।

अनुपूरक मांगों को तब स्वीकार किया जा सकता था जब सूखा तथा अकाल पीड़ित राज्यों को सहायता दी गई होती । लेकिन अनुपूरक मांगें इस दिशा में सहायक नहीं हुई हैं ।

अनुपूरक मांगों के बारे में चिन्ताजनक बात यह है कि 129 करोड़ रुपये में से हम रूस सरकार को 105 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं । इसका क्या औचित्य है ?

रूस सरकार से हुए व्यापार समझौते का हम स्वागत करते हैं । इससे हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है । इससे वस्तु विनिमय व्यापार में भी सहायता मिली है । लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे निर्यात और आयात व्यापार के बीच समान संतुलन बना रहेगा । यदि यह अनुमान है तो इन अनुपूरक मांगों में 129 करोड़ रुपये के बजाये 105 करोड़ रुपये रूस सरकार को दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रूस भारत से बहुत सस्ते दामों पर माल खरीद रहा है जबकि हम रूस से अखबारी कागज मिट्टी का तेल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं । क्या रूस जैसे हमारे घनिष्ठ मित्र को हमारी अखबारी कागज की कमी का लाभ उठाकर उसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक लेना चाहिये ?

इस वर्ष हमने रूस से मिट्टी का तेल वर्ष 1973 की तुलना में लगभग 39 प्रतिशत अधिक मूल्य पर आयात किया है । (**व्यवधान**) रूस सरकार से 21 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 6,37,000 टन मिट्टी का तेल आयात किया जायेगा ।

न केवल रूस सरकार बल्कि पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हुए सम्पूर्ण व्यापार समझौतों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये ।

मुझे साम्यवादी देशों से करार करने पर आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी शिकायत यह है कि रूस सरकार गेहूं, मिट्टी का तेल, अखबारी कागज आदि का हमसे बहुत अधिक मूल्य ले रही है ।

यद्यपि, पूर्व यूरोपीय देशों से हमारे वस्तु विनिमय व्यापार समझौते के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी हमें अन्य गुटों के देशों से भी इसी प्रकार के वस्तु विनिमय व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये ।

मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): Sir, I rise to support, the Supplementary Demands for Grants. But at the same time, I would like to state that Government have been ignoring the interest of this backward regions of the country. The Hon. Minister of Steel and Mines in his reply to a question stated on 12th December that Government had sanctioned 118 Mini Steel Plants in the Country out of which 13 to U.P., 20 to Maharashtra and only 2 had been sanctioned to Orissa. It clearly shows that Government have adopted unfavourable attitude towards the backward region, there by increasing the economic disparity in the country. With this attitude, Government can not remove poverty from the conuntry. I suggest that Government should pay special attention to the backward region and pockets in various States, like Uttar Pradesh and Orissa. I am sorry to observe that a Mini Steel Plant was sanctioned for Ballia three years back but it has not been set-up because of the fact that it was given in the hands of a capitalist who would never like to invest his money in a Plant under it would prove to be remunerative. I demand that Government should drop the policy of joint sector and set-up a Mini Steel Plant under Public Sector in Ballia as well as in all the backward regions.

Secondly, Shri Jaya Prakash Narain wants to extend his agitation to the Eastern U.P. which is certainly a backward area facing natural calamities every year. It is a matter of great concern that Central Government do not provide adequate financial assistance for the flood affected persons of Ballia region. The Government of Uttar Pradesh also did not give funds for the relief works in Eastern U.P. (*Interruptions*)

I would also like do suggest that in the backward areas of Eastern U.P. the percentage of levy must not increase 35 in order that the poor people may get food grains. Our State Government is going to impose development tax which will certainly prove to be a heavy burden on the poor people. Introduction of land revenue on the small farmers having 6 acres of land is not a good step.

I would also like to point out that the distribution of controlled cloth is quality defective under the present system, the poor people especially living in backward pockets do no get controlled cloth. I suggest that distribution of controlled cloth should be done under the supervision of a committee. I also demand constitution of an Agriculture Labour Welfare Board on the lines of the Social Welfare Board to look into the problems of agricultural labour.

Shri Madhu Limaye (Banka): First of all, I would like to point out that the export policy of the Government is very much defective, as a result of which export of diamonds which was increasing progressively for the last few years has become static. M.M.T.C., a public sector undertaking, should have imported necessary raw material from the original producers like Ghana. But instead of having direct trade with these countries M.M.T.C. is importing raw diamonds through Diamond Trading Company in London. Actually, this Government is dishonest (*Interruption*). Diamand Trading Company is incorporated in South Africa and its Headquarters are situated in London. If African countries are persuaded to supply necessary raw material and to take finished product from us then, it would be much better for our country. In this context, I would like to know from the hon. Minister the steps proposed to be taken by the Government to develop our primary sources in this regard. I would also like to suggest that the hon. Minister should also find out whether the big officers of M.M.T.C. are engaged in malpractices in connivance with the Diamond Trading Company in London.

A few days back I levelled a serious charge to the effect that the engine which was fitted in this proto-type car made by the Maruti Company was a smuggled engine from West Germany. Now, I vehemently reiterate that charge and state that I have got fac s to prove it. (*Interruption*). Rs one crore worth of foreign machinery has been installed in Maruti Ltd.

Sir, you may ask the Hon. Minister to place all the facts before the House.

The third issue is regarding Export House and Government's present policy in regard thereto is resulting in leakage of considerable amount of foreign exchange. Government allows these House to import Vitamin-B Stainless steel, Polyester Chips and raisens, laboratory Chemicals, Woollen felts, roller bearings etc. Strangely enough they are importing these commodities though they are known as Export Houses.

I, therefore, want to know whether Government would take initiative in appointing an enquiry into all import entitlements granted during the tenure of Shri L.N. Mishra to prove that there is nothing fishy about it? Otherwise, I demand appointment of a Parliamentary Committee to go into this issue.

Regarding my cut motions, I draw your attention to my last cut motion wherein I have demanded consideration on the expansion of the film Censor Board and the reasons for inclusion of notorious smugglers like Ramu Narang therein.

Regarding child welfare, I want the Minister concerned to clarify Government's stand in this regard, as many such schemes are being scrapped due to paucity of funds.

Lastly, I want specific statement regarding payment of all the instalments of D.A. which have become due toward Government Employees and another statement regarding suspended employees of A.G. Office, Rajkot, Gwalior and Allahabad.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मेरा श्री लिमये से अनुरोध है कि वह उन हितों के भी प्रवक्ता बन जाते हैं जिनका पक्ष लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती (**व्यवधान**) यह बात मैं

उनके प्रति श्रद्धा स्वरूप कह रहा हूं । मेरे विचार में वे विरोधी दल देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं जब वे रूस जैसे देश की आलोचना करते हैं जिसने इस विकट आर्थिक संकट में हमारी इतनी सहायता की है ।

ये पूरक मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं इनका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं ।

दिल्ली परिवहन निगम संबंधी 4 करोड़ रुपये की मांग का समर्थन करते हुए मैं इसमें सुधार के लिए कुछ और उपाय करने की मांग करता हूं क्योंकि केवल बस-संख्या बढ़ाने से ही सेवा नहीं सुधरेगी। यमुना नदी पर एक और पुल के तुरन्त निर्माण की भी बहुत आवश्यकता है ।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए किये गए उपबन्ध का भी स्वागत है और हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भारतीय उपग्रह भी अन्तरिक्ष में चक्कर लगाएगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : पूरक बजट की मांग संख्या 12 के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास में क्या प्रगति हुई है ? जिस धीमी गति से यह कार्य वहां हो रहा है उससे तो लगता है कि सरकार निर्यात-संवर्धन सच्चे दिल से नहीं चाहती । मैं चाहता हूं कि सरकार उन उद्देश्यों को प्राप्त करे जिनके लिए यह क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया था ।

हमारे इस सुझाव पर भी कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है कि पकड़े गए तस्करी के माल का पुनः निर्यात किया जाये ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ।

खेद है कि सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए केवल कुछ लाख रुपये रखे हैं जबकि इस क्षेत्र में काफी कुछ करने की आवश्यकता है । छात्र असंतोष और प्राथमिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार और हम बच्चों के कल्याण और उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समय नहीं निकाल पाते जबकि उनका कल्याण और समस्याएं तुरन्त हल करने से ही हम अपना कर्त्तव्य निभा सकते हैं ।

पुलिस संबंधी मांग संख्या 48 के बारे में मुझे यही कहना है कि उनकी सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिये और सीमा सुरक्षा दल से केवल सीमा सुरक्षा का ही काम लिया जाना चाहिये ।

फिल्म इंस्टीट्यूट और दिल्ली परिवहन में काफी सुधार की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही मैं सर्वश्री बनर्जी और मधु लिमये की सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान की मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं सरकार का ध्यान दो-तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह वाणिज्यिक क्षेत्र की और ऋण की मांग पर कोई ध्यान न दे क्योंकि इससे सरकार की कठिनाई बढ़ेगी ।

दूसरे, सरकारी अनुमान के विपरीत अब घाटे की अर्थ-व्यवस्था 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी । इस पर सरकार ध्यान दे ।

तीसरे, उड़ीसा के तीन विश्वविद्यालयों में से यदि उत्कल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाये तो शेष दो--सम्बलपुर और बर्हामपुर विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधिक सहायता मिल सकेगी । आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी ।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि परादीप पत्तन और उर्वरक कारखाने संबंधी किए गए प्रयासों को वह कार्यरूप दिलाने का प्रयास करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं केवल मांग संख्या 86 और 100 पर ही बोलूंगा मांग संख्या 100 के बारे में सरकार ने प्रथम जनवरी, 1974 से 90.48 लाख रुपये का उपबन्ध सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें अदा करने के लिए रखा था, परन्तु वित्त मंत्री के आश्वासन के बावजूद अभी तक सरकारी घोषणा नहीं की गई है ।

मैं सच्चे दिल से घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों के हितों के लिए हम सभी प्रतिनिधि कल अर्थात् 18 दिसम्बर से सभा के अन्दर और कर्मचारी स्वयं संसद से बाहर आंदोलन आरंभ करेंगे यदि सरकार उन्हें चार किस्तें अदा करने की घोषणा नहीं करेगी तो ।

अब मांग संख्या 98 के बारे में मुझे यह कहना है कि एयर इण्डिया में तालावन्दी संबंधी प्रपत्र 'एन' क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को समय पर नहीं भेजा गया और एयर इण्डिया के श्री उन्नी और श्री जे० आर० डी० टाटा के प्रभाव से सहायक श्रम आयुक्त को बाद में प्रविष्टी करने पर बाध्य किया गया । इस बारे में हम ने प्रधान मंत्री और सी० बी० आई० को पत्र द्वारा सूचित कर दिया है ।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपने समय में से दो मिनट वह मुझे दे दें ।

महोदय ! कप्तान नाडकर्नी, कप्तान हीरानन्द और कप्तान माथुर को सेवा से निकाल दिया गया है। उन्होंने अपील की थी किंतु चैयरमैन ने उनकी अपीलों को 9 दिसम्बर, 1974 को रद्द कर दिया। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाये। महंगाई भत्ते के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। यदि महंगाई भत्ता नहीं दिया गया तो 'आंसु' या भारत रक्षा नियमों आदि के बावजूद गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): सभा में अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव करने से पूर्व हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि केवल उसी मदों के लिए खर्च की व्यवस्था की जाये जिनको टाला नहीं जा सकता। अनुपूरक मांग की कुल राशि 129.58 में से 111.50 करोड़ रुपयों का सोवियत रूस, पोलैन्ड और बर्मा को भुगतान करना है। यह प्रश्न उठाया गया है कि सोवियत रूस को 100 करोड़ रुपयों का ऋण क्यों दिया जा रहा है। वास्तव में यह कोई नई बात नहीं है। यह सामान्य व्यापार प्रक्रिया है। गत वर्ष भी 181 करोड़ रुपया रूस को दिया गया था। इसका प्रस्ताव प्राय: रूस उसी वित्तीय वर्ष में कर देता है। गत तीन वर्षों से भारत और रूस के बीच व्यापार की जो प्रक्रिया बनी है वह भारत के हित में है। 1971-72 में हमने 87 करोड़ रुपये के मूल्य का आयात किया और 209 करोड़ रुपयों के मूल्य का निर्यात किया। 1972-73 में आयात 106 करोड़

रुपयों का हुआ और निर्यात 305 करोड़ रुपयों का, इसी प्रकार 1973-74 में आयात 250 करोड़ रुपयों का हुआ और निर्यात 284 करोड़ रुपयों का। वस्तुओं के मूल्य के बारे में भी कुछ टिप्पणी की गई है। इस संबंध में मैं आप का हवाला देना चाहूंगा। जहां तक काफी के आंकड़ों का संबंध है, वह 7.8 रुपये प्रति कि० ग्रा० है और सोवियत संघ में 16.2 रु० प्रति किलोग्राम। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है कि समस्त व्यापार ढांचे में कुछ दलों को, अन्य लोगों की उपेक्षा कर के अवांछनीय रियायत दी जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में मुद्रिका और सुगम सेवा जैसी विभिन्न सेवाएं शुरू करने से कुछ सुधार हुआ है। दिल्ली परिवहन निगम की एक मुख्य समस्या अपने बेड़े को बढ़ाने की है और यह काम आसान नहीं है क्योंकि फालतू पुर्जे, टायर और मरम्मत और रख-रखाव की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस संकट का देश के दोनों निजी तथा सरकारी क्षेत्र के परिवहन निगमों को करना पड़ रहा है। इस अनुदान के रूप में जो अतिरिक्त धन हम उन्हें देने जा रहे हैं, इससे मैं आशा करता हूं कि वह सेवाओं में सुधार करेंगे तथा साथ ही वह इस संकट का सामना करने में भी समर्थ होंगे। सदन को याद होगा कि एक बार तो दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय दशा ऐसी स्थिति पर पहुंच गई थी कि वह कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो गए थे इस धन व्यवस्था से वह अपने वित्तीय संकट पर काबू पा सकेगा और बसों की संख्या बढ़ा सकेगा और कुछ हद तक बस सेवा सुधार सकेगी।

दिल्ली की विशेष समस्या यह है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों को ज्यादा मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि देश के अन्य भागों में जैसे बम्बई तथा कलकत्ता में उपनगरीय रेलवे सुविधाएं भी उपलब्ध हैं दिल्ली में ऐसी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः लोग बसों द्वारा ही सफर तय करते हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान का प्रश्न है मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। सरकार यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले लेगी। माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने श्री नारंग के प्रश्न के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इस संबंध में मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कुछ जानकारी मिली है। वास्तव में राज्य सभा के सभापटल पर फिल्म सेंसर बोर्ड से उनकी संबद्धता के बारे में प्रश्न किया गया था। उसके उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री...

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस सदन में दूसरे सदन की प्रक्रियाओं का हवाला नहीं दे सकते ऐसा नियमों में आबद्ध है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं राज्य सभा की प्रक्रियाओं का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि वह फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। वह सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे और अब उन्हें उस पद से हटा दिया गया है।

श्री मावलंकर और श्री लिमये ने नई नीति के बारे में प्रश्न उठाया है। बच्चों के कल्याण संबंधी नई नीति का उस नीति संकल्प में वर्णन किया गया है जो सभा पटल पर रखी जा चुकी है। योहीं पर्याप्त धन- उपलब्ध होता है राज्य सरकारों से बच्चों के कल्याण के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है। आशा है कि वह इस ओर समुचित ध्यान देंगे।

श्री मावलंकर ने तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहा है । सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि तस्करों से जब्त की गई सम्पत्ति का क्या किया जाए ।

श्री राम सहाय पांडेय (राजनंदगांव): तस्करों की सम्पत्ति के बारे में सरकार को पूरी जानकारी होते हुए भी सरकार ने उनकी सम्पत्ति जब्त करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है और कब तक उनकी सम्पत्ति जब्त की जाएगी ?

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर): मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का देय महंगाई भत्ते के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका 'सक्रिय रूप से विचार' से क्या तात्पर्य है ? क्या वह कर्मचारियों को यह भत्ता देने जा रही है अथवा नहीं ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मूल्यों के संबंध में कई बातें कही गई है जिनके संबंध में रुपये पर आधारित व्यापार के सिलसिले में सहमति प्रकट की जा रही है पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। यदि सरकार की स्थिति इतनी खराब है कि उसे एक वर्ष के भीतर तीन बार अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश करनी पड़ रही है, तो वह पूर्वी क्षेत्र के देशों को क्यों सहायता दे रही है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। हम सरकार के इस उदासीन, ठंडे और निर्दयी रवैये के विरोध में सदन से बाहर जाते हैं । सरकार ने कर्मचारियों के विश्वास को धोखा दिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इसके विरोध में हम सभा छोड़कर जाते हैं।

श्री पीलू मोदी : हम भी सभा से बहिर्गमन करते हैं।

(इसके पश्चात् सर्वश्री एस० एम० बनर्जी, अटल बिहारी बाजपेयी और पीलू मोदी सभा से बाहर चले गये)

(Saravashri S.M. Banerjee, Atal Bihari Vajpayee and Piloo Modi then left the House)

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The cut Motions No 1 to 5 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Supplementary Grants for the year 1974-75 were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	**पूंजी** रुपये
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	4,000	111,50,01,000
24.	शिक्षा विभाग	7,00,000	
26.	समाज कल्याण विभाग	1,000	..
44.	भारी उद्योग	..	1,000
61.	सूचना और प्रचार	1,000	..
70.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	1,00,000	..
87.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	..	4,03,00,000
80.	खान और खनिज	61,00,000	..
83.	पुनर्वास विभाग	..	55,00,000
86.	विमानन	1,13,86,000	7,16,50,000
94.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	1,50,00,000	..
99.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	12,06,000	..
100.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	79,44,000	..
102.	अन्तरिक्ष विभाग	2,06,08,000	..

विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1974

APPROPRIATION (No. 4) BILL 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2-3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2-3 अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2-3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा यह निवेदन है कि मैंने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है और वे मदसंख्या 18 और 19 को बिना वाद-विवाद के पास करने को सहमत हो गये हैं। अतः आप उन्हें पहले ले लें।

श्री पी०जी० मावलंकार (अहमदाबाद) : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय विपक्ष के सदस्य सभा में नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय ने केवल कुछ दलों के नेताओं से बातचीत की है अथवा निर्दलीय सदस्यों से भी बातचीत की है?

श्री के० रघुरामैया : मैंने साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), साम्यवादी दल, जनसंघ और द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेताओं से बातचीत की है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैंने श्री रघुरामैया से यह कहा था कि यदि अन्य नेता ऐसा करने के लिये सहमत हैं तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री के० रघुरामैया : श्री श्यामनन्दन मिश्र भी इससे सहमत हैं।

Mr. Chairman: I think the hon. Members want that the item regarding Gujarat should be taken today itself and I assure you it would be taken today. But it can be done only if both these Bills are passed without discussion. The House, I think, is agreed to take up item No. 18 and 19 first.

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए

The Vasant Sathe in the Chair

पंजाब नगर पालिका (चण्डीगढ़ संसोधन) विधेयक

PUNJAB MUNICIPAL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री दलवीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्रमजीवी पत्रकार सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

Working Journalists (Conditions of Services) and Miscellaneous Provoisions (Amendment) Bill

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2-6 बिधेयक अग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause, 1 Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1974-75
Supplementary Demands for Grants (Gujrat) 1974-75

सभापति महोदय : अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात)—मद संख्या 10 अनुपूरक अनुदानों की मांगों (गुजरात) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटोती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटोती का आधार	कटौती की राशी
1	2	3	4	5
3	1	श्री पी०जी० मावलंकार	नई विधान सभा के लिये नये चुनाव तुरन्त कराने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
55	2	,,	बनसकंठा जिले में डांटीवाड़ा पर गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय के मुख्य कैम्प का शीघ्रता से विकास करने की आवश्यकता ।	,,
57	3	,,	गुजरात के कई भागों में असाधारण अभाव की स्थिति और चारे की कमी के कारण अनेकों पशुओं की मृत्यु और हानि ।	,,
66	4	,,	गुजरात के सभी विद्यार्थियों और छात्रों को राष्ट्रीय योग्यता की छात्रवृत्तियां तुरन्त वितरित करने की की अवाश्यकता ।	,,
66	5	,,	गुजरात के पी०टी०सी० और डी०टी०सी० छात्रों की पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति और अध्ययन की अवधि सम्बन्धी सभी जायज शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता	,,
67	6	,,	कला और संस्कृति के क्षेत्रों में विभिन्न राज्य आकद-मियों के कार्य को सुदृढ़ करने की आवश्यकता ।	,,
71	7	,,	अहमदाबाद नगर में फुटकर और थोक कपड़ा व्यापारियों की दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी "गुमाश्ताओं" के लिये समुचित न्यूनतम मजदूरी, न्यायोचित सेवा की शर्तें और जायज सेवा भत्ते और सुविधायें शीघ्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
71	8	,,	विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगे सभी नैमित्तिक मजदूरों के लिये समुचित, निश्चित और अच्छी न्यूनतम मजदूरी और सेवा सुविधाओं सहित काम करने की शर्तें शीघ्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
99	9	,,	अहमदाबाद में उपभोक्ताओं द्वारा लगातार अनुभव की जा रही बुरशेन तथा अन्य गैस सलैन्डरों की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
107	10	श्री पी०जी० मावलंकर	सिविल अस्पताल, अहमदाबाद के कैम्पसों में शिक्षा सुविधाओं और कतिपय अधिकारियों के शिक्षा विरोधी रवैये और व्यवहार के कारण रैजिडैंट डाक्टरों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों के बीच असन्तोष।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
107	11	,,	दवा विक्रेताओं की दुकानों पर और बाजार में आवश्यक दवाइयों और औषधी तथा महत्व पूर्ण टीकों की अत्यन्त कमी जिससे रोगियों तथा जनता को भारी परेशानी अनुभव हो रही है ।	,,
107	12	,,	सिविल अस्पताल, अहमदाबद में असन्तोष जनक सेवा और परिस्थितियां।	,,
109	13	,,	गुजरात के कई जिलों के सैंकड़ों गांवों व क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी।	,,
141	14	,,	भयंकर सूखे से प्रभावित गुजरात राज्य को तत्काल और पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में केन्द्रीय सरकार की असफलता।	,,
141	15	,,	छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार और उसकी सिफारिशों की आड़ में गुजरात में प्रशासन को सूखे की असाधारण चुनौती का सामना करने के लिये भारी मात्रा में आवश्यक धन न दिया जाना।	,,
141	16	,,	गुजरात राज्य को, जो इस समय राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है, सूखे और अभाव की वर्तमान विषम स्थिति में से सफलतापूर्वक निकालने के लिये धन, वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की पूरी और सामयिक सहायता के लिये गुजरात के प्रशासन और जनता के न्यायिक दावों और उचित मांगों की केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग पूरी तरह अवहेलना किया जाना।	,,
3	17	,,	नई विधान सभा के लिये स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिये निर्वाचन तन्त्र की स्वतन्त्रता को सक्षम बनाने और सुदृढ़ करने की अत्यधिक आवश्यकता।	,,
3	18	,,	गुजरात राज्य में उन सभी नगर निगमों, नगरपालिकाओं और जिला पंचायतों के लिये जिनमें पिछले कई महीनों से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, नये निर्वाचन कराने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
109	19	श्री पी०जी० मावलंकर	राज्य में विभिन्न सिविल अस्पतालों और सरकारी औषधालयों में रोगियों और जनता के लिये चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
124	20	,,	राज्य भर में विभिन्न छोटी तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	,,
141	21	,,	गुजरात विधान सम्बन्धी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से तथा पूरी तरह आयोजित करने में असफलता जिसके कारण संसद् में गुजरात से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को गुजरात के असाधारण सूखे की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित लोगों के मस्तिष्क को आन्दोलित कर रहे विभिन्न विषयों और समस्याओं को उठाने के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।	,,
141	22	,,	वर्षा न होने के कारण अभाव से प्रभावित राज्य में उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिनके कारण राज्य के योजनाबद्ध तथा उचित विकास में बाधा आ गई है, तुरन्त आवश्यक तथा बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
3	23	श्री के०एस० चावड़ा	गुजरात राज्य में ताल्लुक पंचायतों, जिला पंचायतों विस्थित नगरपालिकाओं और नगर निगमों तथा विधान सभा के लिये नये चुनाव कराने में असफलता।	,,
107	24	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एम० बी०बी०एस० डाक्टरों को अहमदाबाद में आवास गृह देने में असफलता यद्यपि वहां पर आवास गृह खाली पड़े हैं ।	,,
141	25	,,	गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में असफलता।	,,
141	26	,,	गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कुओं और नल-कूपों से लगे पम्पिग सैटों के लिये बिजली की निरंतर तथा पर्याप्त सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता।	,,
141	27	,,	राहत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी को '3 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक नहीं' से '5 रुपये से कम नहीं' करने में असफलता।	,,

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : गुजरात में बहुत दिनों से राष्ट्रपति शासन लागू है किन्तु फिर भी वहां की जनता सूखा की स्थिति का सामना कर रही है। केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि वहां की जनता की कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करे तथा गुजरात में सिंचाई आदि की पूरी व्यवस्था करे। जिससे वहां की जनता भूख से पीड़ित न रहे। उसके अतिरिक्त गुजरात की जनता को यथाशीघ्र अपनी सरकार बनाने का अवसर दिया जाये। इन सुझावों के साथ मैं अपनी मांग पर बल देता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस वर्ष वर्षा न होने के कारण गुजरात के कई जिलों में लगभग सारी फसल नष्ट हो गई है, किन्तु इस गम्भीर स्थित में भी केन्द्रीय सरकार गुजरात की जनता की कठिनाइयों को हल करने में विफल रही है। मैंने स्वयं सरकार से अपील की थी कि गुजरात की जनता के लिये राहत कार्य आरम्भ किये जायें जिससे वे लोग जीवित रह सकें किन्तु केन्द्रीय सरकार सम्भवतः यह मानती ही नहीं कि उन क्षेत्रों में कोई अभाव है। ज्ञात नहीं केन्द्रीय अध्ययन दल किस प्रकार स्थिति का अनुमान लगाते हैं। मैं स्वयं पंचमहल और साबरकंठा जिलों के बहुत से गावों में गया हूं तथा वहां के लोगों के चेहरों से स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने 12-24 घंटे से भोजन नहीं किया। गांवों में कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हैं। आश्चर्य की बात है कि बाद हुई कुछ वर्षों को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र को अभाव ग्रस्त मानने को तैयार नहीं है यद्यपि उस वर्षा का कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरे जिले के कलक्टर ने मुझे बताया कि उस वर्षा का कपास की फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किन्तु समस्या यह है कि गुजरात की जनता इस समय क्या खाये। तकाबी के बारे में भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। किसी को भी कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया तथा वहां की जनता बहुत हताश है। कुओं को गहरा करने के लिये कोई उपकरण नहीं है। न ही नदी में पर्याप्त पानी है किन्तु कोई भी योजना न होने के कारण किसानों को उसका पानी उपलब्ध नहीं है।

लगभग सभी गांवों में तालाब सूखे पड़े हैं। वहां नहरें बनाने की आवश्यकता है किन्तु सरकार के पास उसके लिये धनराशि नहीं है। कहीं बांध बनाने की आवश्यकता है किन्तु इसके लिये भी पैसा नहीं है। किन्तु प्रति वर्ष बड़े औद्योगिक गृहों को और सरकारी उपक्रमों को करोड़ों रुपयों के ऋण दिये जाते हैं। तब सरकार के पास पर्याप्त धन होता है। इस सरकार के पास साधारण जनता के लिये कोई धनराशि नहीं होती।

पशुधन के लिये भी वहां न चारा है, घास है और न पीने का पानी ही है। दक्षिण गुजरात में पशुओं के लिये आश्रम खोले जा रहे हैं तथा गुजरात की जनता चारे और पानी के अभाव में अपने पशुओं को आश्रम में छोड़ आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का बहुत महत्व है फिर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मैंने लगभग 20 अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें गावों की स्थिति का उल्लेख किया है किन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार केवल प्रतिव्यक्ति 2 किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई कर रही है। जनता के पास इतना पैसा कहां है जो बाकी खाद्यान्न वह कालेबाजार से खरीद सके। वहां बच्चे, महिलायें सभी अत्यन्त दुखी हैं। न उनके पास कोई काम है और न खाने को भोजन है। इस स्थिति में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह गुजरात के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करायें तथा वहां की जनता को भूखों मरने से बचायें।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : मैं गुजरात सरकार के लिये वर्ष 1974-75 की अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। श्री पीलू मोदी ने गुजरात की जनता की जो स्थिति बयान की है वह सच है। पूरे गुजरात में भयानक सूखा की स्थिति है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुजरात के लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था की जाये। जामनगर में जहां की आबादी 3 लाख है मई महीने से पीने का पानी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं। गुजरात सरकार ने इस जिले की बहुत उपेक्षा की है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये राहत कार्यों की दृष्टि से इस जिले की बहुत उपेक्षा की गई है। मैं समझता हूं, इस वर्ष नर्मदा पर बांध की व्यवस्था करने या वहां से पाइप लाइन बिछाने की सम्भावना नहीं है किन्तु टेंकरों से पानी अवश्य लाया जा सकता है।

जामनगर में पानी लाने के लिये विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिये। धनी और मध्यम वर्ग के लोग तो वहां से राजकोट चले गये हैं। परन्तु गरीब जनता को तो साथ के गांव तक भी नहीं जा सकी है। सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिये क्या कर रही है। सरकार ने दावा किया है कि कमी को दूर करने का कार्य करने वाले श्रमिकों को तीन रुपये प्रतिदिन मिलते हैं परन्तु वास्तव में 15 प्रतिशत श्रमिकों को 3 रुपये के लगभग ही मिल पाते हैं। आप उन्हें कम दामों पर अनाज क्यों नहीं देते। क्या इस बारे में भविष्य के लिये कोई योजना बनायी जा रही है। मेरे अपने जिले में 15 वर्ष में 11 वर्ष अभाव की स्थिति रही है। मैं गुजरात सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुजरात के सभी अभावग्रस्त ताल्लुकों का एक बोर्ड बनाने के मामले पर गम्भीरता से विचार करें। इस बोर्ड को इस क्षेत्र के हित के लिये योजनाओं को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया जाये।

राज्य में पशुधन की व्यापक कमी होती जा रही है। मेरे जिले में जहां 8 लाख पशु थे वहां आज केवल 4 लाख पशु ही रह गये हैं। वहां पर बहुत भारी संख्या में लोग अन्धे होते जा रहे हैं। यदि सरकार ने यहां पशुधन को बचाने के लिये समुचित कदम न उठाये तो अगली मानसून में बैलों के अभाव से खेती नहीं की जा सकेगी।

Shri H.C. Kachwai (Morena) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बज रही है अब कोरम हो गया है।

श्री डी० पी० जदेजा : मेरे जिले का समुद्र तट सारे देश से अधिक है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मध्यम श्रेणी की बन्दरगाहें हैं जहां से अधिकतम निर्यात होता है।

परन्तु सरकार वहां पर कम से कम पैसा लगाती है तथा कम से कम कार्य करती है। ओखा की बन्दरगाह एक उपेक्षित बन्दरगाह है। वहां के लिये एक ड्रेजर विशेष रूप से मंगाया गया था। परन्तु न जाने क्यों, उसे अन्यत्र भेज दिया गया है। ओखा में समुद्री उत्पादों की भारी क्षमता है उसे समुद्री पत्तन के रूप में विकसित किया जा सकता है। पिछले 8-10 महीनों में समग्र गुजरात में पत्तन प्रभार बढ़ा दिये गये हैं। फलस्वरूप व्यापार में कमी हुई है। क्या 130 प्रतिशत प्रभार लेकर वह किसी उद्योग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्या उनके पास उक्त प्रभार में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ? गुजरात के उद्योगों को इस समय बिजली के ऊंचे मूल्यों का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा की दरों में 50 प्रतिशत तथा ईंधन की दरों में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका गुजरात के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उद्योगों के बन्द होने से अभावग्रस्त क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार ऊर्जा की दरों में कमी करने का विचार कर रही है।

जहां तक पर्यटन उद्योग का संबंध है गुजरात एक उपेक्षित राज्य रहा है । इस राज्य में पर्यटन के निदेशक का पद भी नहीं बनाया गया है। क्या सरकार गुजरात में पर्यटन बोर्ड की स्थापना करने का विचार कर रही है। वहां पर पर्यटन के कमिश्नर के नियुक्त किये जाने की मांग है। क्या सरकार इन सभी बातों पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : Unluckily Gujarat is deprived of a popular Government at present. Money has been demanded under grant No. 42 for Gujarat. The people are starving in the state and at least 10,000 heads of cattle have been sent out of State. As the Hon. Member has stated there is scaricity of drinking water in the state.

People of the state are compelled to sell their bullocks due to poverty.

As there is President's rule in the state the Government of India has a special responsibility towards that. No further developments have been made in the state even what was existing has come to an end. Certain people want to play the same game in other states as well. We are also fighting against the wrong policies of the Government but it does not mean that the national Government be done away with.

I pity on the Central Government is not taking any practical steps to bring the situation of the State under control. It feels satisfied that it has opened certain relief centres there. A large number of workers in the state have gone out of job due to shortage of power.

There are big industries in Gujarat which the State Government cannot nationalize. There are drug manufacturing companies yielding crores of rupees as profit. There is a complaint that the sugar produced in Gujarat is sent to other states and sugar from outside is brought in the state. The whole country is demanding nationalization of sugar industry. Has the Government given a thought to the matter.

There are a large number of artisans in Gujarat whose state of affair is worst and in no way better than that in the other states.

We should learn from the happenings in Gujarat and should not strive for similar movements against popular Governments in other states.

Bihar Assembly is meeting today. It is being said that this movement would be spread to other states; after they have failed in Bihar.

During the regime of Shri Desai, the minority community were made to suffer heavily. When the Prime Minister visited the state a scheme was drawn to build a colony of sufferers of minority community.

The matter requires human consideration above all party levels. Those who are in difficulty, should be given assistance. I hope relief measures will be taken and rehabilitation facilities will be provided. This is the responsibility of the present Government there.

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : मैं गुजरात की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। वहां सूखा पीड़ित क्षेत्रों में बहुत कठिनाइयां हैं। उन क्षेत्रों में बहुत सी कठिनाइयां हैं जहां स्थिति सामान्य है।

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambali *in the chair*]

केन्द्र ने जो धनराशि अब तक उपलब्ध कराई है उसका सदउपयोग किया जाना चाहिये।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिये गुजरात में क्या किया गया है। कच्छ तथा अन्य जिलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। राहत अधिकारियों ने लोगों को वह राहत भी प्रदान नहीं की जो एक सप्ताह में दी जानी चाहिये थी। गुजरात के लोग बड़े सीधे-साधे हैं अतः उनका शोषण किया जा रहा है। सरकार को राहत कार्यों के लिये एक ऐसा दल बनाना चाहिये जो राजनैतिक दलों से संबंधित न हो। गुजरात विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग ने राहत कार्यों में सहायता देने की पेशकश की परन्तु उनकी सेवायें नहीं ली गई। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। शिक्षक वर्ग कहता है कि वे कार्य करना चाहते हैं परन्तु उनकी सेवाओं का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है।

नवनिर्माण समिति के विरुद्ध चाहे जो भी आरोप हों परन्तु तथ्य यह है कि उसमें अधिक संख्या में छात्र सदस्य हैं और वे सृजनात्मक कार्यों में अपने आपको लगाना चाहते हैं। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया। गुजरात में कोई सरकार नहीं है, सरकार के अभाव में लोगों के विचारों को नहीं जाना जा सकता। गुजरात में राष्ट्रपति शासन होने के कारण नौकरशाही का बोल-बाला है, लोगों को न्याय नहीं दिया जा सकता। संविधान के उपबन्धों के अनुसार अब गुजरात में निर्वाचन कराये जाने चाहियें।

गुजरात के छात्र सरकार को उखाड़ना नहीं चाहते थे। वे सरकार से न्याय चाहते थे। बढ़ते हुये मूल्यों को कम कराना चाहते थे। प्रशासन ने छात्रों का उपहास किया। सरकार को इस बारे में जांच करानी चाहिये कि प्रशासन किस प्रकार कार्य कर रहा है। आई० जी० श्री पन्त छात्रों के साथ ब्रिटिश शासन काल जैसा व्यवहार करते हैं।

यदि सरकार गुजरात से प्रशासन अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं करती तो वित्त मंत्रालय चाहे जितनी सहायता दे वह लोगों तक नहीं पहुंच सकती। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में एक किसान अपने पुत्र की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाता परन्तु चारा न मिलने के कारण मरे अपने पशुओं के लिये बिलखता है। इन कठिनाइयों के बारे में कोई जांच नहीं कराई गई। सरकार सभी से सहयोग मांग कर लोगों की कठिनाइयां दूर करने के प्रयास कर सकती है। तभी राहत सहायता सभी लोगों को पहुंच सकती है।

कुछ राजनैतिक दलों ने नर्मदा के मामले को लेकर लोगों को भ्रम में डाल दिया है। नर्मदा विवाद का कोई अच्छा समाधान निकाला जाना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी समस्यायें हैं। युवकों में इस बात पर बड़ा असन्तोष है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में रोजगार दफ्तरों की प्रतीक्षा किये बिना, युवकों के गुण देखे बिना मजदूर संघ नेताओं की भ्रमात्मक सूचियां देखकर रोजगार दिये जा रहे हैं। कुछ मामलों में प्रान्तीय भावना सबल हो गई है। गुजरात के युवकों में यह भावना भर गई है कि उन्हें न्याय से वंचित रखा जा रहा है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

गुजरात में वस्त्र निर्माता, उर्वरक और रसायन उत्पादक, मूंगफली के व्यापारियों ने तस्करों की सहायता से बम्बई, बैंक-बे क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमि खरीदी है। सरकार को इन सम्पत्ति स्वामियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिये, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों। यदि सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है तो हमें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

गुजरात विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने निहित स्थार्थों से अपने सम्बन्ध बनाये हुये हैं और वे ऐसे कार्यों में लगे हैं जो छात्रों, शिक्षकों के हितों के विरुद्ध हैं। सरकार इस मामले में शान्त है। मैंने गुजरात के राज्यपाल से भी इस विषय में बात की थी परन्तु पता नहीं क्या कार्यवाही की गई।

गुजरात के मूंगफली, रूई तथा कपड़ा कांड प्रकाश में नहीं आये हैं। इनकी जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मूंगफली के व्यापारी कपड़ा निर्माताओं से सांठ गांठ करके एक बड़े षड्यंत्र में लगे हैं। सरकार को उन लोगों का पता लगाना चाहिये जिन्होंने पैसा देकर तथा प्रत्यक्ष रूप से छात्र आन्दोलन में भाग लिया और जिन्होंने संसदीय शासन प्रणाली भी भंग करने का प्रयास किया। ये लोग अभी तक क्रियाशील हैं। सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री ई० आर० कृष्णन।

श्री पी० एस० मेहता (भावनगर) : रूई कांड के बारे में मैंने वाणिज्य मंत्री को व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों के नामों की एक सूची दी है। मैं दो वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा हूं परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

सभापति महोदय : आपकी बात नोट कर ली गई है श्री कृष्णन।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : सभापति महोदय मैं गुजरात सरकार की व्यय संबंधी वर्ष 1974-75 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

इन मांगों के प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई समस्याओं के निवारण तथा राहत उपायों हेतु 33.15 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है और यह स्पष्टतया इस बात का द्योतक है कि गुजरात राज्य में काफी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है और यदि गुजरात इस सूखे और अकाल की समस्या से हमेशा से छुटकारा पाना चाहता है तो नर्मदा जल विवाद को शीघ्रतिशीघ्र निपटाया जाये। राहत कार्य तो केवल इस समस्या का केवल अस्थाई निदान है। सूखे की समस्या का स्थाई हल केवल नर्मदा जल विवाद के निपटारे से ही हो सकता है।

भारत रक्षा कानूनों का प्रयोग केवल राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु ही नहीं अपितु नर्मदा जल विवाद आदि समस्याओं को सुलझाने के लिये भी किया जा सकता है। हाल में गुजरात के लोगों की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा, सरकार राजनीति के खेल में अधिक रुचि ले रही है।

इस सन्दर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह 33.15 करोड़ रुपये की राशि, गुजरात सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से काटी जायेगी। यह सरासर गलत बात है क्योंकि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है और सूखा राहत कार्यों से राजकोष में कुछ वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि सूखा राहत कार्य सामाजिक कल्याण का कार्य है। अतः इस प्रकार केन्द्रीय सहायता में से उक्त राशि काटने के तरीके का मैं जबरदस्त खंडन करता हूं और यदि यही रवैया अन्य राज्यों के साथ अपनाया गया तो मैं निश्चय ही यह कह सकता हूं कि देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास ठप्प हो जायेगा। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाये और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार किया जाये।

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।**

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.**

गुजरात राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन है और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के शिष्य श्री पी० सी० सेठी मुख्य मंत्री हैं अतः अब केन्द्र के लिये इन दो राज्यों में उत्पन्न हुये नर्मदा जल विवाद को निपटाना कोई कठिन बात नहीं है। नर्मदा जल विवाद निपटा कर ही गुजरात राज्य की सूखे की समस्या का हमेशा के लिये समाधान किया जा सकता है। हमारे राष्ट्रपिता गुजरात राज्य के थे। उनका उत्तराधिकारी दल कांग्रेस 27 वर्षों से इस देश पर निरन्तर राज्य कर रहा है और फिर भी गुजरात राज्य का ऐसा दयनीय हाल है। गुजरात के लिये 13000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसके लिये केवल कांग्रेस सरकार ही उत्तरदाई है। वहां पर सूखा राहत कार्य युद्ध स्तर पर किये जाने चाहियें।

राज्य में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि गुजरात में जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे।

अन्त में मैं मांग संख्या 39 को लेता हूं। इसके अन्तर्गत उचित दर की दुकानों सम्बन्धी योजना के वित्तपोषण के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से नकद ऋण की व्यवस्था की गई है। इस मामले में गुजरात ने सबसे पहले कदम उठाया है। स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से उचित दर की दुकानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह सुविधा अन्य राज्यों में भी प्रदान की जानी चाहिये।

निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में बार-बार उत्पन्न होने वाली सूखे की समस्या को सुलझाने के लिये सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तभी राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले जल विवादों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सभापति महोदय मेरे दल ने मूंगफली घोटाले और कपास घोटाले की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की। मैंने कपास के सम्बन्ध में सदन में कई प्रश्न किये किन्तु उनके गलत उत्तर दिये गये। मैंने 22 किसानों का भी उदाहरण दिया जिन्होंने प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप में लिखा है कि वह कपास के बारे में कुछ नहीं जानते और न ही उनका बैंक में कोई खाता है। 7 करोड़ रुपये के व्यापार में से भारतीय कपास निगम के नाम निर्देशित सदस्य जोकि सत्तारूढ कांग्रेस दल के हैं, ने 70 लाख रुपये हजम कर लिये हैं । मेरा अनुरोध है कि इन दो घोटालों की जांच हेतु एक संसदीय समिति की नियुक्ति की जाये। माननीय सदस्य श्री सांभली ने अमुल डेरी के राष्ट्रीयकरण की बात कही है। अमुल डेरी सहकारी आधार पर छोटे किसानों द्वारा चलाई जा रही है। वह यह भी चाहते हैं कि गुजरात के औषध उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। औषध उद्योग पर एक प्रकार से विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह देश को किस प्रकार लूट रही हैं। वह चाहते हैं कि साराभाई और अलेम्बिक इत्यादि भारतीय फर्मों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और विदेशी दवाई कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण न किया जाये।

गुजरात राज्य सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार ने 13000 ग्रामों में से 9000 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और इन 9000 गांवों में से केवल 1000 गांवों में सूखा राहत कार्य शुरू किये गये हैं। राज्य सरकार के पास सूखा राहत कार्यों को पूरा करने के लिये संसाधनों का अभाव है। 1972-73 में सूखा राहत कार्यों पर 80 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। इस व्यय का अधिकांश भार केन्द्र सरकर ने वहन किया और अब मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुये सूखा राहत कार्यों पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रुपयें के लगभग होगा। गुजरात राज्य अब इस स्थिति में नहीं है कि इतना

धन अभावग्रस्त क्षेत्रों पर सूखा राहत कार्यों हेतु व्यय कर सके। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश के सूखाग्रस्त राज्यों को छटे वित्त आयोग की सूखा राहत कार्यों को पूरा करने के व्यय सम्बन्धी सिफारिशों से छूट दी जाये।

चारे अथवा पानी के अभाव में पशुओं के मरने की रिपोर्टें मिली हैं। इसीलिये मैंने गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता न उपलब्ध करा पाने के बारे में एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों के ट्यूबवैलों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई की जाये।

पंचायत स्तर से गांधीनगर स्तर तक नौकरशाही शासन फैला हुआ है। तालुका पंचायतें और जिला पंचायतें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सभी तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगम तथा राज्य विधान सभाओं में चुनाव कराए।

राष्ट्रपति शासन के अधीन अनुसूचित जातियों के लोगों की शिकायतें और बढ़ गई हैं। इस संबंध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है और राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा है। उसमें से मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या आपने इस पत्र की एक प्रति दी है और क्या आप इसे सभा पटल पर रखने जा रहे हैं। आप मुझे पत्र की एक प्रति दे दीजिए। मैं इसे अध्यक्ष महोदय को दे दूंगा। वह इसे देख लेंगे।

श्री के० एस० चावड़ा : आप अध्यक्ष पद पर पीठासीन हैं और आप इसे सभा पटल पर रखने के संबंध में निर्णय दें।

सभापति महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें किन्तु आपको उन बातों को प्रमाणित करना होगा।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं और जो मैं कहूंगा उसे प्रमाणित भी करूंगा।

यह खेद की बात है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों का आरक्षण है फिर भी उन पदों को भरा नहीं गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कई एम० बी० बी० एम० डाक्टरों ने इन्टरनशिप पूरी कर ली है फिर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को इन्टरनशिप पूरी कर लेने के उपरान्त सरकारी नौकरी में ले लिया जाता है और नियुक्ति के बाद स्थायीकरण हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार किया जाता है और जो डाक्टर योग्य नहीं पाए जाते हैं उन्हें फिर अवसर दिया जाता है पर नौकरी में बरकरार रखा जाता है।

इस पत्र को मैं सभा पटल पर रखता हूं।*

सरकार को राहत कार्य आरंभ कर देने चाहिए। सरकार ने कई बार कहा है कि धरोई बांध और उसकी मुख्य तथा उप नहर को दिसंबर 1974 से पहले पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस दिशा में बिल्कुल कार्य शुरू नहीं किया है।

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the Paper/Document was not treated as paper laid on the Table.

अतः मैं सरकार से इस काम को राहत-कार्य के रूप में पूरा करने का अनुरोध करता हूं। यह कार्य महसाना जिले में धरोई परियोजना है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I support the supplementary Demands in respect of Gujarat State Budget. Gujarat has faced unprecedented drought and famine this year, as a result of which there has been considerable loss of life, property and cattle heads. But the Government has failed to fulfil its promise. The Government has not provided adequate finance to the worst drought-stricken Gujarat State which is under President's Rule. The schemes which had been formulated earlier, have not been completed fully. There were certain programmes for which money had been sanctioned but even 25 per cent of the amount has not been spent on them.

Firstly, I feel that the Government has been callous towards the natural calamities befalling the State. Secondly, The Government should ensure that the wages stipulated for relief, workers engaged on relief works in drought-hit areas of the State are actually paid to them because I am told they are being paid 50 or 75 paise actually.

There is disappointment among the students. Standard of education has fallen considerably. The students do not get proper meals in the hostels. Government should arrange to hold early elections to the Legislative Assembly. Municipalities and Panchayats to improve the State administration and also remove the causes of discontent among students.

I also want Government to gear up police administration and to provide adequate protection to Harijans and to ensure that they get employment according to the full reserved quota. Farmers in the state should be provided adequate loans to enable them to purchase seeds, fertilizers and other inputs.

In the end, I want Government to ensure adequate relief measures in the rural areas of the state.

श्री जी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात को समृद्ध राज्य समझना गलत है। 'इंसीडेंस आफ पावर्टी इन गुजरात' नामक राज्य सरकार के प्रकाशन में उद्धृत आंकड़े चिन्ताजनक कहे जा सकते हैं। उनके अनुसार, 43 से 53 प्रतिशत ग्रामीण जनता न्यूनतम स्तर से काफी नीचे के स्तर पर रह रही है और इसमें खेतीहर मजदूरों की प्रतिशतता तो 66 है। अतः गुजरात को समृद्ध राज्य नहीं कहा जा सकता। खेद है कि राज्य की सलाहकार समिति ने, जिसका गठन राष्ट्रपति शासन के बाद किया गया था, केवल तीन बैठकें की हैं जिससे हमें राज्य की समस्याएं बताने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता।

आज गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभूतपूर्व सूखा और अभाव की स्थिति है। वहां पशु बड़ी संख्या में मर रहे हैं और सैंकड़ों गांवों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य है कि फिर भी सरकार ने राज्य के किसी जिले के लिए विश्व बैंक के माध्यम से सहायता प्राप्त नहीं की है। इस समय वहां राहत कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे नर्मदा जलविवाद शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाही करें।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार वित्त आयोग की सिफारिश की आड़ न ले कर गुजरात को इस कटिनाई के समय यथासंभव सहायता देगी। मैं चाहता हूं कि दैवी विपत्तियों के मामले में राज्यों को केन्द्रीय सहायता का मानदण्ड निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

एक ओर देशव्यापी बिजली संकट है और दूसरी ओर गुजरात में प्रशासन ने बिजली दर 9 पैसे से 25 पैसे बढ़ा दी है। इस स्थिति में जहां सरकार को पूरे देश के लिए इस संकट को दूर करने के उपाय सोचने हैं वहां सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर का निर्माण भी आवश्यक है।

शिक्षा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि 'जान समिति' की सिफारिशें लागू की जाएं।

लोक निर्माण विभाग आदि में वर्षों तक सेवा कर रहे श्रमिकों की सेवाएं सुरक्षित नहीं हैं।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रशासन में लोगों के साथ गुजरात में उचित व्यवहार हुआ है और वे चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्ट और बेईमान लोग जीत कर न आ पाएं।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : Gujarat has been in the grip of drought since 1972 and Saurashtra region has been the worst sufferer. The people and cattle heads are dying of starvation there. Fodder, wheat, medicines and other foodgrains are not available. Moreover, corruption is also rampant there. The Government should give favourable consideration to the question of giving loans and grants. I appeal to the Government to connect Gujarat with the capital by metre-gauge rail link, undertake development works and set-up small scale industries there.

I have read in the newspapers that people are dying with starvation. About two thousands women have g one abroad in search of employment. The Government should look into this matter.

The Government should start relief work and a committee should be appointed to see that the grants given by the centre are properly used.

श्री पी० एस० मेहता (भावनगर) : अकालग्रस्त लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। गुजरात राज्य सरकार ने भावनगर-तारापुर ब्राडगेज रेलवे लाइन पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना पर कार्य तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। इससे सूखाग्रस्त लोगों को रोजगार मिलेगा। गुजरात सरकार इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सहायता के लिए तैयार है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल कुछ ही गांवों में राहत कार्य आरम्भ किया गया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में 2.59 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सहायता कार्य आरम्भ किये गये हैं। 4000 और गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाने वाला है। लोगों को रोजगार देने के लिए जिला-वार बृहद् योजनाएं बनाई गई हैं। राहत-कार्य आवश्यकता के अनुसार शुरू किये जा रहे हैं ताकि सूखाग्रस्त लोगों को रोजगार दिया जा सके।

जहां तक छठे वित्त आयोग का सम्बन्ध है, गैर-योजना व्यय में 4.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी और अब तक 3.48 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। एक केन्द्रीयदल ने राज्य का दौरा किया है और राज्य सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय अभी लिया जाना है।

लोगों को रोजगार देने के लिए अब तक दस योजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं। उनके अतिरिक्त गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अम्बर चरखे रियायती दरों पर दिय जा रहे हैं। प्रशिक्षण पाने वालों को वजीफे भी दिये जायेंगे।

जहां तक जामनगर कस्बे को पानी की सप्लाई का सम्बन्ध है उसे प्रतिदिन 20 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है। मई 1975 तक जलाशय के पूरी तरह सूख जाने की आशा है। आगे पानी की कमी को दूर करने के लिए 100 नलकूप (4" डायमीटर के) तथा 12 नलकूप (6" डायमीटर) के अब तक लगाये गये हैं। 100 और नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। सिंहल सिंचाई बांध से भी पानी लाने की योजना है। 31-3-75 तक के लिए हमारी योजना यह है कि आपात उपबंधों के लिये 200 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए 200 लाख रुपये और वाटर टैंकरों की खरीद के लिए 105 लाख रुपये खर्च किय जायें। इसके अतिरिक्त पानी सप्लाई योजना के लिए नगरपालिकाओं को 30 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जा रहे हैं। अतः यह कहना गलत है कि सरकार ने स्थिति के बारे में अपनी आंखें मूंद रखी हैं।

चारे की कमी के कारण कुछ ढोर भी मरे हैं। राज्य सरकार ने 30 नवम्बर, 1974 तक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 286.57 लाख किलोग्राम चारा बांटा है। चारे की कमी को पूरा करने के लिए सरकार 24,000 डिब्बे घास बल्सर जिले से खरीद रही है।

राज्य में अब तक 8300 उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनको केन्द्रीय पूल से अनाज सप्लाई होता है। अनाज की मात्रा भी 63,000 रु० से बढ़ाकर 82,000 रु० कर दी गई है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : क्या सरकार नलकूपों और कुओं के साथ लगे पम्पिंग सेटों को निरंतर बिना बाधा के लिए बिजली सप्लाई करेगी ? ऐसा करने से अनाज तथा चारे की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक सम्भव होगा हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे जहां तक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रश्न है, हाल में सूचना निदेशक के पद को सूचना-एवं-पर्यटन निदेशक के पद में परिवर्तित कर दिया गया है। इस पद पर केन्द्रीय सरकार से एक अधिकारी को भेजा गया है। पर्यटन को विशेष महत्व दिया जायेगा।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : यदि सूचना निदेशक ही पर्यटन निदेशक का कार्य भी करेगा तो वह पर्यटन को बढ़ाने की ओर किस प्रकार ध्यान दे सकेगा जबकि उसको सूचना निदेशालय सम्बन्धी कार्य के लिए ही पर्याप्त समय नहीं मिलता है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। प्रश्न केवल पर्यटन को महत्व देने तथा इसे बढ़ावा देने का है।

जहां तक राज्य में चुनाव कराने का सम्बन्ध है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन पूरा हो चुका है और आशा है कि मतदाता सूचियों को पूरा करने का कार्य भी 6 जनवरी तक समाप्त कर लिया जायेगा। परन्तु चुनाव कराने का प्रश्न अन्य भी कई बातों पर निर्भर करता है। मेरे विचार में हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें मुख्य प्राथमिकता राहत कार्यों को देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि वह मांगों को पास करदे।

श्री पी० एम० मेहता : मैं जानता हूं कि सरकार भावनगर–तारापुर रेलवे लाइन परियोजना का कार्य क्यों नहीं शुरू करती जबकि गुजरात राज्य सरकार इसके लिये मुफ्त भूमि देने तथा क्रियान्विति में होने वाले घाटे को भी पूरा करने का आश्वासन दिया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे आशा है कि रेल मंत्री इस पर ध्यान देगें क्योंकि यह रोजगार प्रधान योजना है।

सभापति महोदय : क्या श्री मावलंकर अपने कटौती प्रस्तावों को श्री चोपड़ा के कटौती प्रस्तावों के साथ ही मतदान के लिये रखना पसन्द करेंगे अथवा पृथक से।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा निवेदन है कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 21 पहले मतदान के लिये रखे जायें और बाद में कटौती प्रस्ताव संख्या 22 पृथक से मतदान के लिए रखा जाये।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 21 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The Cut Motion No. 1 to 21 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 22 सभा में मतदान के लिए रखा गया
सभा में मत-विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में 7 विपक्ष में 91

Ayes 7 Noes 19

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Cut Motion was negatived

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव संख्या 26 को पृथक से मतदान के लिये रखा जाये और कटौती प्रस्ताव 23, 24, 25 और 27 एक साथ ले लिये जायें।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 23, 24, 25 और 27 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The Cut Motions No. 23, 24, 25 and 27 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Cut Motion No. 26 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा गुजरात राज्य की वर्ष 1974-75 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

The following supplementary demands for grants in respect of the state of Gujarat for the year 1974-75 were put and adopted.

मांग संख्या	मांग का नाम	अनुदान की मांग की राशि, जो सभा में मतदान के लिए रखी जायेगी	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	सामान्य प्रशासन विभाग		
चुनाव	**वित्त विभाग**		
3.	. . . .	60,00,000	
18.	मनोरंजन और शिक्षा उपकर पर राजस्व व्यय	45,000	
28.	भारतीय भागीदारी अधिनियम और सामान्य बीमा का प्रशासन	20,00,000	
	कृषि, वन और सहकारिता विभाग		
55.	कृषि	..	5,00,00,000
56.	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास	3,60,01,000	..
57.	पशु पालन	..	7,02,000
60.	वन	1,000	
	शिक्षा और श्रम विभाग		
66.	शिक्षा . .	71,000	
67.	कला और संस्कृति .	1,07,000	
71.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,54,000	
	उद्योग, खान और बिजली विभाग		
89.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण .	50,40,000	25,01,000
96.	खान और खनिज	..	60,00,000
99.	उपभोक्ता उद्योग		9,00,000
100.	उद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निक्षेप . . .	..	50,00,000

पंचायत और स्वास्थ्य विभाग		
106. सामुदायिक विकास	2,45,000	..
107. चिकित्सा	1,54,000	..
109. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति	6,46,000	8,07,000
लोक निर्माण विभाग		
124. सिंचाई	...	5,00,000
राजस्व विभाग		
141. दैवी विपत्तियों के कारण राहत	30,85,00,000	2,30,00,000

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने विरोधी पक्ष से बातचीत की है और मेरे विचार में मद 14 के अतिरिक्त वे किसी अन्य मद पर नहीं बोलना चाहते।

सभापति महोदय : अब विनियोजन विधेयक पर चर्चा होगी।

गुजरात विनियोजन (संख्या-4) विधेयक 1974-75

Gujarat Appropriation (No.4) Bill, 1974-75

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाला विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं तथा प्रस्ताव करती हूं "कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब खण्ड-वार चर्चा होगी।

श्री पी० एम० मेहता(भावनगर) : सरकार लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल रही है। आवश्यकता 200 करोड़ रुपये की है जबकि सरकार केवल 13 करोड़ रुपये ही खर्च करना चाहती है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार गुजरात में अभाव और सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए उक्त राज्य को आवश्यक सहायता देने पर विचार कर रही है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए भारत सरकार का किस प्रकार अतिरिक्त सहायता देने का विचार है। गुजरात को इस समय अभाव की एक गम्भीर स्थिति का सामना हो रहा है। राहत कार्यों के लिए अनुमानतः 125 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। अतः जब तक गुजरात के लोगों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, वे संतुष्ट नहीं होंगे।

खमालपुर में कुछ हरिजनों को इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि समय के अभाव के कारण हम यहां पर हरिजनों और आदिवासियों की दशा पर चर्चा भी नहीं कर सके। सरकार ने उनकी दशा सुधारने पर उचित ध्यान नहीं दिया है।

गुजरात में रद्द की गई अनेक गाड़ियों को अभी तक नहीं चलाया गया है। उद्योगों के लिये दिये जाने वाले मालडिब्बों की संख्या अपर्याप्त है। सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद जैसे अनेक नगरों में टेलीफोन व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं करती। डाक सेवा भी संतोषजनक नहीं है। एक लम्बी अवधि से हम यह मांग कर रहे हैं कि अहमदाबाद में एक टेलिवीजन केन्द्र बनाया जाय। मुझे आशा है कि सरकार इस मांग पर गम्भीरता से विचार करेगी।

अहमदाबाद स्थित भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे। मंत्रिमण्डल में गुजरात का एक मंत्री लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 और 3 और अनुसूची को विधेयक जोड़ दिया गया।

Clauses 2 and 3 and the Schedules were added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"(संख्या 4)" (No.4) के स्थान पर "(संख्या 3)" (No. 3) पढ़ा जाये।

(श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम भी विधेयक में जोड़ दिया गये।

The Enacting formula and the title were also added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने जो प्रश्न उठाये हैं माननीय मंत्री को उसमें से कुछ का उत्तर देना ही चाहिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं जो कुछ कह चुकी हूं मुझे उससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम (चंडीगढ़ पर विस्तार) विधेयक

EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION ACT (EXTENTION TO CHANDIGARH) BILL

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 का चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार पर विचार करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

यह एक साधारण विधेयक है और किरायेदारों को मकानमालिकों की यातनाओं से बचाने के उद्देश्य से इसे लगाया गया है। मैं सभा से इसे पास करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 का चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार पर विचार करने वाले विधेयक पर , राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 4 and the Schedules were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी विधेयक में जोड़ दिये गये :

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were also added to the Bill.

श्री एफ०एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

निरसन और संशोधन विधेयक

REPEALING AND AMENDING BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरोजिनी महिषी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ अधिनियमितियों का निरसन करने और कुछ अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ अधिनियमितियों का निरसन करने और कुछ अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 तथा पहली और दूसरी अनुसूचियां विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 से 5 तथा पहली और दूसरी अनुसूचियों विधेयक में जोड़ दी गई।

Clauses 2 to 5 and the first and the second schedules were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० सरोजिनी महिषी: मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

संशोधन किये गये

पृष्ठ 2,—

Omit lines 14 to 17.

[पंक्ति 14 से 17 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 3)

पृष्ठ 2,—

omit Line 22

[पंक्ति 22 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 और 2,—

omit "under the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1956 made"

["बनाई गई मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन" का लोप कर दिया जाये ।]

(संख्या 5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4 और 5,—

omit "under the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1956 made"

["बनाई गई कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन" का लोप कर दिया जाये ।]

(संख्या 6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7 और 8,—

omit "under the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1956 made"

["बनाई गई मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन" का लोप कर दिया जाये ।]

(संख्या 7)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,—

after "Cochin" *insert*—

"established under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948)"

"कोचीन" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :

"डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन स्थापित ।"]

(संख्या 8)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,—

after "Visakhapatnam" *insert*—

"established under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948)"

["विशाखापटनम" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये:

"डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन स्थापित "]

(संख्या 9)

पृष्ठ 4,—

omit Lines 23 to 26.

[पंक्ति 23 से 26 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 10)

पृष्ठ 5,—

omit Lines 9 and 10.

[पंक्ति 9 और 10 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 11)

पृष्ठ 5,—

omit Lines 33 and 34.

[पंक्ति 33 और 34 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 12)

पृष्ठ 6,—

omit Line 25.

[पंक्ति 25 का लोप कर दिया जाये]

(संख्या 13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 2 और 3,—

"Travancore-cochin Boiler Attendants Rules, 1954"

[ट्रावनकोर—कोचीन बोयलर अटेनडैंट्स रूल्स] **के स्थान पर**

"Kerala Boiler Attendants Rules, 1957"

[केरल बोयलर अटेनडैंट्स रूल्स, 1957] प्रतिस्थापित किया जाये]

(संख्या 14)

पृष्ठ 8, पंक्ति 8 और 9,—

"rule 63 of the Travancore-Cochin Boiler Attendants Rules, 1954".

["ट्रावनकोर कोचीन बोयलर अटैनडैंट्स रूल्स, 1954 नियम के 63"] के स्थान पर

"rule 37 of the Kerala Boiler Rules, 1967"

["केरल बोयलर रूल्स, 1967 के नियम 37"] प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 15)

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 और 11,—

"Travancore cochin Economiser Rules, 1956"

[ट्रावनकोर कोचीन इक्नोमाइजर रूल्स, 1956] **के स्थान पर**

"Kerala Economiser Rules, 1957"

["केरल इक्नोमाइजर रूल्स, 1957"] प्रतिस्थापित किा जाये। (संख्या 16)

पृष्ठ 9,—

omit Lines 23 and 24.

[पंक्ति 23 और 24 का लोप कर दिया जावे] (संख्या 17)

पृष्ठ 9, पंक्ति 25,—

"Loan"

("ऋण") **के स्थान पर** "Industrial" ["औद्योगिक"] प्रतिस्थापित किया जाये। (संख्या 18)

पृष्ठ 10,--

omit Line 22

[पंक्ति 22 का लोप कर दिया जाये] (संख्या 19)

पृष्ठ 10, पंक्ति 23,--

omit "state"

["राज्य" शब्द का लोप कर दिया जाये] (संख्या 20)

पृष्ठ 10, पंक्ति 27,--

"Madras"

["मद्रास"] **के स्थान पर** "Tamil Nadu" ("तमिलनाडु") प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्या 21)

पृष्ठ 10,--

omit Line 32

[पंक्ति 32 का लोप कर दिया जाये] (संख्या 22)

पृष्ठ 10,--

omit Line 36

[पंक्ति 36 का लोप कर दिया जाये] (संख्या 23)

पृष्ठ 11,--

omit Line 15

[पंक्ति 15 का लोप कर दिया जाये] (संख्या 24)

पृष्ठ 11,--

omit Lines 18 and 19

[पंक्ति 18 और 19 का लोप कर दिया जाये] (संख्या 25)

पृष्ठ 13,--

पंक्ति 30 **के स्थान पर** "45. Board of Management of Telecommunications Factories." ("45 बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ टेलीकम्यूनिकेशन्स फैक्ट्रीज") प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 14,— (संख्या 26)

omit Lines 21 and 22,

(पंक्ति 21 और 22 का लोप कर दिया जाये) (संख्या 27)

(डा० सरोजिनी महिषी) :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1973" **के स्थान पर** "1974" **प्रतिस्थापित किया जाये**)

(संख्या 2)

(डा० सरोजिनी महिषी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Twenty-fourth year" [चौबीसवां वर्ष" **के स्थान पर**

"Twenty-fifth year" [पच्चीसवां वर्ष] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 1)

(डा० सरोजिनी महिषी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

डा० सरोजिनी महिषी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनरालोकन करने हेतु नियुक्त की गई समिति के छठे प्रतिवेदन, जो 16 दिसम्बर, 1974 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा, 13, 16, 19, 20, 21, और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि यह सभा आगे निदेश देती है कि प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर का तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनरोलोकन करने हेतु नियुक्त की गई समिति के छठे प्रतिवेदन, जो 16 दिसम्बर, 1974 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 13, 16, 19, 20, 21, और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि यह सभा आगे निदेश देती है कि प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted:

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दिल्ली नगर निगम अधिनिय 1957, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, बिचार किया जाये। मूल अधिनियम में व्यवस्था यह है कि निगम के पार्षदों की संख्या अधिक से अधिक 100 होगी और प्रत्येक पार्षद 20,000 लोगों पर होगा। गत जनगणना के अनुसार यहां की जन-संख्या 30.07 लाख हो गई है और 20,000 जनसंख्या पर एक पार्षद् का आधार अब ठीक नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या को बराबर करने के लिए मूल अधिनियम के संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है। अभी तक नगर निगम के चुनावों के लिए संसदीय मतदाता सूचियों को ही आधार बनाया जाता है। संसद का चुनाव पांच वर्ष बाद होता है और नगर निगम का चुनाव चार वर्ष बाद होता है । अतः नगर निगम मतदाता सूचियों को संसदीय मतदाता सूचियों से अलग करना आवश्यक हो गया है। इस समय नगर निगम के चुनाव आयुक्त की देख रेख में होते हैं। किन्तु उस पर

कार्य भार कम करने के लिए अब एक नया पद बनाया गया है जिसे नगर निर्वाचन निदेशक कहा जायेगा। यह व्यवस्था, नये विधेयक के द्वारा की गई है। एक अन्य व्यवस्था यह भी की गई है कि 350 रुपये या इससे अधिक का वेतन मान वाले पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक बना दिया गया है। यह विधेयक मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पास किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली नगर निगम 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, यह विधेयक दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने और मतदान सूचियां तैयार कराने के उद्देश्य से लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत 7 या 8 वर्षों में दिल्ली नगर निगम में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नगर निगम को जो करोड़ों रुपये की राशि दी जा रही है उसका, दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे गैर-योजना प्रयोजनों के लिये काम में लाया जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिर गया है। सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य की उपेक्षा की जा रही है। नगर निगम से आज बदबू आती है और जनसंघ उस पर फल फूल रहा है। मैं चाहता हूं कि श्री बलराज खन्ना की मृत्यु के कारणों की जांच की जाये। लोगों के मन में इस बारे में भी संदेह है। दूसरी मांग मैं यह करता हूं कि निगम के कार्यों की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई जाये, क्योंकि गत पांच-छः वर्षों से ऐसी कोई जांच नहीं की गई है। अतः सम्पूर्ण स्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि दिल्ली के लोगों की कठिनाइयां कम करने के लिये कोई एक ठोस व्यवस्था बनाई जा सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974 में दिल्ली में नगर निगम चुनावों की प्रक्रिया विनियमित करने की व्यवस्था है। मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि किसी भी पार्षद के लिये निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। वर्तमान विधेयक में "20,000" को हटाने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में सरकार का प्रस्ताव निगम के पार्षदों की वर्तमान संख्या को सीमित करने और निर्वाचन क्षेत्र को व्यापक बनाने का है। मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह कहा है कि दिल्ली की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है और मूल अधिनियम के फार्मूले को लागू रखना अब संभव नहीं है। अगर निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार कर दिया जाता है, तो निगम पार्षद के लिये निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाना सम्भव नहीं होगा।

वर्तमान विधेयक के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने का काम और चुनाव का कार्य मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सहायकों को सौंपा जायेगा। मेरे

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर

* Summarised translated version of English translation of the spe ech delivered n Bengali.

विचार में यह काम चुनाव आयोग को ही सौंपा जाना चाहिये। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि यह काम नगर निगम को ही सौंप दिया जाय, क्योंकि नगर निगम एक स्वादत्त संस्था है। नई व्यवस्था से केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने गुट को नगर निगम चुनावों में फायदा पहुंचाने की आशंका से नहीं बचा जा सकता।

वर्तमान विधेयक के खण्ड 5 बी धारा 7(ई) (3) के अनुसार मतदाता सूचियों के नवीकरण का काम केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया है। व्यक्तिगत अनुभव से यह पता चलता है कि मतदाता सूचियों में संशोधन तभी किया जाता है जब सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से इसके लिये मांग की जाती है। इस समय चुनावों में जो धांधली की जाती है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उक्त आशंकाओं को निर्मूल करने की आवश्यकता है।

खण्ड 5 बी धारा 7(1) के अनुसार अब सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर चुनाव याचिकाओं सुनने का मामला रख दिया गया है। अब इस मामले में न्याय प्राप्त करने के लिये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा, इस प्रकार न्याय मंहगा हो जायेगा।

Shri Sashi Bhushan (South Delhi) : The ruling party in the corporation comprising of high-caste people and high middle-caste people is doing grave injustice to the poor and the Harijans. The Harijan officers in the Corporation are harassed and the councillors of the ruling party interfere in the day to day administration of the corporation. The poor are apprehended on the charge of adulteration whereas big adulterators are protected by the corporation. The former Lt. Governor of Delhi, Shri A.N. Jha had said that the Municipal Corporation be dissolved to do away with the corruption. The C.B.I. should enquire into the circumstances leading to the death of Shri Balraj Khanna and also in the charges being made against the councillors.

The teachers of Municipal Schools are compelled to join R.S.S. and they are trained in dagger operation and lathi charging. They are also asked to have a feeling of hatred towards their neighbours. The corporation is being used to spread communalism. The councillor is given a sum of Rs. 40 or 50 thousands to spend in his or her constituency. This system should be stopped as it leads to corruption. A commission should be set up to enquire into the corruption which is prevalent in the corporation.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : I would like to support the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill. I have personal experience of the last election, when I found that almost whole of the street or mohalla was struck off from the electoral rolls. It is good that election officer would be under the central Government. I would suggest that it would have been better if these election officers were under the Election Commission. If the work of revision of electoral rolls is entrusted to the Municipal Corporation of Delhi, the minorities, Harijans and the members of weaker section of society would not be included in the electoral rolls as they are likely to vote against the ruling party in the corporation.

The Municipal Schools should not be allowed to be used for R.S.S. classes or parade. It would create very bad climate in the country as there are various communal parties in the country such as Akali party, Muslim League, and Shiv Sena etc.

The persons of the minority communities are negligible in number. Steps should be taken to fill up the quota reserved for Scheduled castes and the scheduled tribes.

There are big scandals and financial irregularities on a large scale in the Municipal Corporation. The Central Government should enquire into all such charges of financial irregularities and corruption and take stringent action against the culprits.

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्यों ने विधेयक के प्रति जो समर्थन व्यक्त किया है। उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक पार्षद के लिये जनसंख्या में वृद्धि करने के बजाय निगम पार्षदों की संख्या में ही वृद्धि कर दी जाये। यह अव्यावहारिक और अवांछनीय सुझाव है, क्योंकि अगर यह सुझाव मान भी लिया जाय, तो प्रत्येक पार्षद के लिये 20,000 की जनसंख्या के अनुपात से भी निगम पार्षदों की संख्या बढ़कर दुगुनी अर्थात् 200 हो जायेगी। यही नहीं, चार साल बाद फिर से चुनाव होने पर आबादी बढ़ जाने की वजह से निगम पार्षदों की संख्या में फिर से वृद्धि करनी पड़ेगी। इस समय एक पार्षद के लिये 37,000 मतदाताओं का अनुपात आता है जो अधिक नहीं है।

दिल्ली नगर निगम का मुख्य कार्य जनता को नागरिक सुविधायें उपलब्ध करना है। जनता को सुविधायें उपलब्ध करने में कुछ कमी रही है और दिल्ली नगर निगम इसका कारण धन की अनुपलब्धि बताता रहा है। नगर निगम की ति का अध्ययन करने के लिये श्री गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता एक आयोग नियुक्त किया गया था। श्री रेड्डी के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर श्री आर० आर० मोरारका को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उक्त आयोग ने नगर निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—सामान्य कर के के रूप में 15 प्रतिशत सम्पदा कर लगाया जाय, 4 प्रतिशत जल कर और $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत सफाई कर लगाया जाय। 40,000 रु० और ऊपर की वार्षिक आय आंकी जाने वाली सम्पदाओं को एक ही वर्ग में शामिल किया जाय। सम्पदाओं के लिये कर का ढांचा 15 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के बीच होना चाहिये। व्यापारिक सम्पदाओं के मामले में 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। व्यवसायों/रोजगारों पर कर और शिक्षा उपकर लगाया जाना चाहिये। चुंगी शुल्क, मनोरंजन कर और मोटर गाड़ियों पर कर में वृद्धि की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार भी अनुदान देने में उदार रही है। नगर निगम को भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास करने चाहिये ताकि जनता को अधिक नागरिक सुविधायें उपलब्ध की जा सकें।

निगम के कर्मचारियों द्वारा धन का गोलमाल करने के बारे में सदन में कुछ आरोप लगाये गये हैं। यह सच है कि 16 अप्रैल, 1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया गया था। उसमें निगम कर्मचारियों द्वारा कुछ फर्मों के साथ सांठ-गांठ करके गड़बड़ी की गयी थी। फर्मों के टेंडर स्वीकार करने के मामले में भी हेरा-फेरी की गयी थी और जाली काम कागजात तैयार किये गये थे। इसके आधार पर कुछ कागजातों के कब्जे में लिया गया है। एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ताओं, दो कनिष्ठ अभियन्ताओं और तीन फर्मों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। अनुशासन की कार्यवाही करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री सम्भली ने मतदाता सूचियों में संशोधन का प्रश्न उठाया कि कुछ मतदाताओं की अवहेलना कर दी जाती है। जिन व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में शामिल नहीं किया जाता, वे आवेदन कर सकते हैं। (**व्यवधान**) मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिये प्रत्येक सम्भव सावधानी बरती जायेगी कि मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाया जाय)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were also added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभाति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 दिसम्बर, 1974/27 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 18th December, 1974/27th Agrahayana 1896 (Saka).

MGIPRRND—53 LSS/74—(Sec. 1st. N)-18-3-75—200